



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**
मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अध्युक्तियाँ
2016 की सं. 11

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2016 की सं. 11

विषय-वस्तु

| विवरण | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-----------|
| प्राक्कथन | | <i>ix</i> |
| विहंगावलोकन | | <i>xi</i> |
| अध्याय I : प्रस्तावना | | |
| इस प्रतिवेदन के विषय में | 1.1 | 1 |
| लेखापरीक्षा का प्राधिकार | 1.2 | 3 |
| केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब | 1.3 | 3 |
| संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब | 1.4 | 4 |
| उपयोग प्रमाणपत्र | 1.5 | 5 |
| प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम | 1.6 | 6 |
| ड्राफ्ट पैराग्राफ के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर | 1.7 | 7 |
| अध्याय II : कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय | | |
| नारियल विकास बोर्ड | | |
| निधियों का अवरोधन | 2.1 | 11 |
| केंद्रीय पक्षी अनुसन्धान संस्थान, बरेली | | |
| घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना | 2.2 | 13 |
| अध्याय III : नागरिक उड़ियन मंत्रालय | | |
| निष्फल व्यय | 3.1 | 15 |
| अध्याय IV : कोयला मंत्रालय | | |
| कोयला खान भविष्य निधि संगठन | | |
| ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य व्यय | 4.1 | 21 |
| हैदराबाद में आठ वर्षों से अधिक अवधि तक खाली पड़े कार्यालय स्थल तथा आवासीय परिसर का उपयोग करने में विफलता | 4.2 | 23 |
| अध्याय V : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | | |
| कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण | | |
| सेवा कर के गैर-संग्रहण के कारण परिहार्य व्यय | 5.1 | 27 |

| विवरण | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-------|
| अध्याय VI : संस्कृति मंत्रालय | | |
| राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान | | |
| विलंब तथा मंत्रालय के अनिर्णय का परिणाम राष्ट्रीय संग्राहालय संस्थान की इमारत के निर्माण लागत में पाँच गुणा से अधिक की वृद्धि में हुआ। | 6.1 | 30 |
| कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान | | |
| कूथम्बलम के नवीकरण पर निष्फल व्यय | 6.2 | 32 |
| सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र | | |
| निष्क्रिय निवेश एवं किराए का परिहार्य भुगतान | 6.3 | 35 |
| अध्याय VII : विदेश मंत्रालय | | |
| नागरिकता के परित्याग तथा पासपोर्ट के दुरूपयोग के प्रति प्रभारित शुल्कों/दण्डों पर विनिमय दर के गलत अभिग्रहण के कारण राजस्व का कम संग्रहण किया गया | 7.1 | 38 |
| सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ | 7.2 | 41 |
| एक संदिग्ध फर्म को कार्य देना | 7.3 | 44 |
| पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क के संशोधन न होने के कारण राजस्व की हानि | 7.4 | 48 |
| भारतीय हज समिति, मुम्बई | | |
| सेवा कर का भुगतान न होना | 7.5 | 50 |
| अध्याय VIII : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | |
| डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल | | |
| निधियों का अवरोधन तथा उपकरण का अनुपयोग | 8.1 | 52 |
| सफदरजंग अस्पताल | | |
| सेवा प्रभारों का अधिक भुगतान | 8.2 | 54 |
| अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता | | |
| वजीफे का अधिक भुगतान | 8.3 | 55 |
| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-जोधपुर | | |
| सेवा कर के अनियमित भुगतान की वापसी की वसूली न होना | 8.4 | 57 |

| विवरण | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|--|-----------|-------|
| भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद | | |
| यात्रा भूमि का अतिरिक्त भुगतान | 8.5 | 59 |
| अध्याय IX : गृह मंत्रालय | | |
| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | | |
| खराब योजना के कारण निष्फल व्यय | 9.1 | 61 |
| निष्फल व्यय | 9.2 | 63 |
| वायु स्कंध, सीमा सुरक्षा बल | | |
| परिसमाप्त क्षतियों की वसूली न होना | 9.3 | 66 |
| अध्याय X : मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी | | |
| छात्रावास ब्लॉक की क्षति के कारण ₹5.97 करोड़ का नुकसान | 10.1 | 68 |
| ब्याज की हानि | 10.2 | 70 |
| भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद | | |
| निष्फल व्यय | 10.3 | 71 |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर | | |
| अनियमित प्रतिपूर्ति | 10.4 | 73 |
| शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | | |
| नवोदय विद्यालय समिति | | |
| निधि का अवरोधन | 10.5 | 74 |
| निष्फल व्यय | 10.6 | 76 |
| मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर | | |
| डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण में परिहार्य व्यय | 10.7 | 77 |
| उच्चतर शिक्षा विभाग | | |
| हैदराबाद विश्वविद्यालय | | |
| श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली न होना | 10.8 | 80 |
| 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 'ग्रंथना विभाग, विश्व भारती, कोलकाता' के प्रकाशन गतिविधियाँ | 10.9 | 82 |

| विवरण | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-------|
| भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आउटसोर्सिंग अभिकरण को ₹32.87 लाख का अधिक भुगतान तथा लेखापरीक्षा दृष्टांत पर आंशिक वसूली | 10.10 | 90 |
| अध्याय XI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | | |
| केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड | | |
| केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कार्य | 11.1 | 92 |
| 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता की शैक्षणिक गतिविधियाँ | 11.2 | 99 |
| अध्याय XII : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय | | |
| खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई में ऋणों का अपर्याप्त अनुवर्तन | 12.1 | 111 |
| के.वी.आई.सी. द्वारा स्फूर्ति का कार्यान्वयन | 12.2 | 113 |
| अध्याय XIII : नीति आयोग | | |
| भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण | | |
| वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर परिहार्य व्यय | 13.1 | 127 |
| विज्ञापनों का अनियमित प्रकाशन विज्ञापन अभियान पर हानि का कारण बना | 13.2 | 129 |
| अध्याय XIV: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | | |
| वित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए केजी-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन ठेके की अनुवर्ती लेखापरीक्षा | 14.1 | 132 |
| अध्याय XV : जहाजरानी मंत्रालय | | |
| वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास | | |
| अतिजीवित टग पर अविवेकी व्यय | 15.1 | 149 |
| अध्याय XVI : सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय | | |
| राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद | | |
| खारगर, नवी मुंबई के क्षेत्रीय केंद्र भवन के निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण निष्फल एवं परिहार्य व्यय | 16.1 | 151 |

| विवरण | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-------|
| अध्याय XVII : वस्त्र मंत्रालय | | |
| वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद | | |
| एक निजी दल को अनुचित लाभ | 17.1 | 155 |
| अध्याय XVIII : पर्यटन मंत्रालय | | |
| अप्राप्त वैट प्रतिदाय | 18.1 | 161 |
| अध्याय XIX : शहरी विकास मंत्रालय | | |
| सम्पदा निदेशालय का कार्यचालन | 19.1 | 163 |
| अध्याय XX : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | | |
| केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड | | |
| भूमि के अतिक्रमण के कारण ₹1.40 करोड़ का निष्फल व्यय | 20.1 | 220 |
| अध्याय XXI : युवा मामले एवं खेल मंत्रालय | | |
| लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर | | |
| सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान | 21.1 | 222 |
| अध्याय XXII : गृह मंत्रालय, संस्कृति और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | | |
| निधियों का अवरोधन | 22.1 | 225 |
| अवकाश यात्रा रियायत दावों की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति | 22.2 | 229 |
| अध्याय XXIII : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन | | |
| लंबित ए.टी.एन. की स्थिति | 23.1 | 230 |
| अनुबंध | 245-262 | |
| परिशिष्ट | 263-314 | |

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक/सामाजिक एवं समाज सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वह हैं जोकि 2014-15 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के समय देखे गए थे, तथा जो पूर्व वर्षों में देखे गए थे, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए गए थे; 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को जहाँ कहीं आवश्यक है, भी शामिल किया गया है।

इस लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप संचालित किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं जो सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए। इसमें अधिक भुगतान, परिहार्य भुगतान, निष्फल व्यय, निधियों का अवरोधन तथा खराब योजना आदि से संबंधित ₹711.80 करोड़ के धन मूल्य वाले 49 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

नागरिक उड़डयन मंत्रालय

निष्फल व्यय

बोली दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के स्थान पर भारतीय एयरो क्लब (ए सी आई) द्वारा काम्पेक्ट टेक्नोलॉजी लाईट स्पोर्ट (सी टी एल एस) वायुयानों का अनियमित रूप से चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक नागरिक उड़डयन ने सी टी एल एस वायुयानों को पहले प्रदान की गई स्वीकृति को वापस लेने के संबंध में ए सी आई को सूचना नहीं दी थी। परिणामस्वरूप, ए सी आई (दिसम्बर 2011) द्वारा प्राप्त किए गए सी टी एल एस वायुयान व्यर्थ पड़े थे (नवंबर 2015) जिसने उनके अधिग्रहण के उद्देश्य को विफल किया तथा ₹2.39 करोड़ के व्यय को निष्फल के रूप में प्रस्तुत किया।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य व्यय

मई 2007 में कोयला मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने अपने मुख्यालय, धनबाद में अपने आवासीय मकानों में बिजली मीटरों को लगाने की कोई पहल नहीं की थी तथा अपने कर्मचारियों को नाममात्र की दरों पर बिजली की आपूर्ति को जारी रखा जिसका परिणाम

2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹2.16 करोड़ की सीमा तक ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण

सेवा कर के गैर-संग्रहण के कारण परिहार्य व्यय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों तथा वकीलों, जिनसे इसके द्वारा विधिक सेवाएं प्राप्त की गई थी, से सेवा कर के गैर-संग्रहण का परिणाम ₹6.15 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

संस्कृति मंत्रालय

कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान

कूथम्बलम के नवीकरण पर निष्फल व्यय

खराब योजना तथा वित्त समिति की स्वीकृति के बिना कार्य के क्षेत्र में वृद्धि का परिणाम ₹1.41 करोड़ से ₹7.63 करोड़ तक व्यय की प्रबल वृद्धि में हुआ तथा ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का परियोजना की समाप्ति हेतु निर्धारण किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 6.2)

विदेश मंत्रालय

नागरिकता के परित्याग तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग के प्रति प्रभारित शुल्कों/दण्डों पर विनिमय दर के गलत अभिग्रहण के कारण राजस्व का कम संग्रहण किया गया

जून 2010 में भारतीय उच्चायोग (एच.सी.आई.) ओटावा तथा टोरंटो एवं बेनकोवर में इसके वाणिज्य दूतावासों द्वारा वीजा शुल्कों हेतु विनिमय दर, जैसी नियमपुस्तिका के अंतर्गत अपेक्षित है, के बावजूद प्रचालित विनिमय दर के गलत अभिग्रहण तथा बाद में मार्च 2013 में भारतीय नागरिकता के

परित्याग हेतु सेवा शुल्कों तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग पर दण्ड के अनुचित अधोमुखी संशोधन के परिणामस्वरूप ₹27.01 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ सं. 7.1)

सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ

सामान्य सेवा प्रभार जी.बी.पी. 7.70 के स्थान पर विवेकाधीन दर (ग्रेट ब्रिटेन पांडड 25) पर सेवा प्रभार पर फास्ट ट्रैक व्यापार वीजा के नियंत्रण की स्वीकृति देने के कारणवश मार्च 2010 से फरवरी 2015 के दौरान सेवा प्रदाता को ₹10.72 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(पैराग्राफ सं. 7.2)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल

सेवा प्रभारों का अधिक भुगतान

सफदरजंग अस्पताल द्वारा संपति कर पर सेवा प्रभारों के गणना के लिए ‘उपयोग कारक’ के गलत निर्धारण के फलस्वरूप नई दिल्ली नगर निगम को ₹4.60 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.2)

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता

वजीफे का अधिक भुगतान

संस्थान ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में पाठ्यक्रम निर्धारित होने को सुनिश्चित किए बिना दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम नामतः औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डी.आई.एच.) और मातृत्व और बाल कल्याण के क्षेत्र में डिप्लोमा (डी.एम.सी.डब्ल्यू) के विद्यार्थियों को उच्चतम दर पर वजीफा भुगतान करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप जून 2005 से जुलाई 2014 तक की अवधि में ₹3.63 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.3)

गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

खराब योजना के कारण निष्फल व्यय

मंत्रालय द्वारा मौजूदा दो संस्थानों का विलय करके राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया अकादमी को स्थापित करने की कार्रवाई, भूमि के स्वतंत्र प्लॉट पर अकादमी को स्थापित करने के पूर्व के निर्णय से भिन्न था। खराब योजना के परिणामस्वरूप एन.डी.एम.ए. को लागत में वृद्धि की वजह से ₹2.48 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था। इसके अलावा भूमि के क्रय पर किया गया ₹18.61 करोड़ का समस्त व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ सं. 9.1)

निष्फल व्यय

गृह मंत्रालय ने मार्च 2009 में भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया। चूंकि परियोजना को विलम्ब का सामना करना पड़ा इसलिए मंत्रालय ने प्रशिक्षणों का आयोजन करने हेतु प्री-फैब्रीकेटिड सरंचनाओं का निर्माण करने का निर्णय लिया। तथापि, यह कदम भी निष्फल साबित हुआ क्योंकि इन सरंचनाओं में विभिन्न कारणों जैसे कि दूरवर्ती स्थान, सुरक्षा प्रबंधनों की कमी आदि के कारण किसी प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जा सका था जो इनके निर्माण पर ₹10.13 करोड़ के निष्फल व्यय का कारण बना।

(पैराग्राफ सं. 9.2)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कार्य

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की लेखापरीक्षा में कई व्यवस्थागत कमियां पाई गईं जैसे कि प्रमाणन प्रक्रिया में अस्पष्टीकृत विलंब जो समिति द्वारा जांच के लिए फिल्मों का क्रम बदलना, प्रमाणित फिल्मों को ए से यू.ए./ए. श्रेणी इत्यादि

में परिवर्तित करना इत्यादि। लेखापरीक्षा के सामने ऐसे साक्ष्य भी आए जो कि फ़िल्म प्रमाणीकरण के अभिलेखों को ट्रैक करने के लिए सी.बी.एफ.सी. के भीतर आंतरिक नियंत्रण की कमी भी दर्शाते हैं जिससे कॉपीराइट न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को एक भी फ़िल्म के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किए जाने का जोखिम उत्पन्न होता है।

(पैराग्राफ सं. 11.1)

सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता की शैक्षणिक गतिविधियाँ

सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एस.आर.एफ.टी.आई.) अपनी स्थापना के 20 वर्ष बाद भी अपने उद्देश्यों में उल्लिखित विभिन्न पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में असफल रहा। संस्थान की गतिविधियाँ पाठ्यक्रम की पूरा होने, में देरी, रिक्त सीट, अल्प शिक्षण घंटे और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में अंतर ने क्षतिग्रस्त कर दिया है।

(पैराग्राफ सं. 11.2)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई में ऋणों का अपर्याप्त अनुवर्तन

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋणों के अपर्याप्त अनुवर्तन के कारण ₹551.46 करोड़ एवं ₹226.70 करोड़ राशि की वसूली नहीं हुई, जो योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से विकास हेतु थीं। उस राशि को संस्थान को ऋण प्रदान करने में लगाया गया।

(पैराग्राफ सं. 12.1)

नीति आयोग

भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण

वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर परिहार्य व्यय

भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने संविदा के प्रावधानों के उल्लंघन में विक्रेता (मै. विप्रो लिमिटेड) को अनुचित लाभ प्रदान किया तथा वारंटी/मुफ्त अनुरक्षण के अंतर्गत शामिल अवधि हेतु उपकरण की वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर ₹4.92 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ सं. 13.1)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

वित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए केजी-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन ठेके की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

उत्पादन सहभाजन ठेका ब्लॉक के कई मुद्दों की पिछली लेखापरीक्षा (2006-12) में उठाया गया था वे अभी भी बने रहे। पूर्व में चिन्हित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कारण 2012-14 के दौरान अतिरिक्त लागत वसूली का कुल प्रभाव यू.एस.डी. 1547.85 मिलियन (₹9307.22 करोड़) था। 2012-14 की अवधि के लिए, ऑपरेटर द्वारा दावित आधिक लागत वसूली के अतिरिक्त मुद्दे पाये गये, जिसका वित्तीय प्रभाव यू.एस.डी 46.35 मिलियन था (₹278.70 करोड़)। डी 29, डी. 30 कुओं के लिए परीक्षण (एम.डी.टी.) पर दावित लागत वसूली जिसे पी.एन.जी.एम.ओ. के हाल ही के दिशा-निर्देशों (मई 2015) के अनुरूप उचित रूप से प्रदत्त तथा वापिस होनी चाहिए थी। ऑपरेटर ने डी 31 की खोज छोड़ दी थी तथा इस खोज से संबंधित सभी लागत वसूलियाँ लौटानी थी। इसी बीच एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मे. डी. गोलवर एवं मैकनाटन (डी.एवं एम.) की रिपोर्ट ने संकेत किया ओ.एन.जी.सी. द्वारा संचालित संलग्न ब्लॉक से के.जी.डी.डब्ल्यू.एन-98/3 ब्लॉक को गैस का प्रवाह इस ब्लॉक के वित्तीय क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद

एक निजी दल को अनुचित लाभ

वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद द्वारा सुसज्जित कार्यालय स्थान को पट्टे पर देने हेतु अपनाई गई निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। यद्यपि, मै. तिस्ता ऊर्जा लेमिटेड (टी.यू.एल.) ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था फिर भी उनकी बोली पर बोलियों के खोले जाने के एक सप्ताह पश्चात विचार किया गया था। मै. टी.यू.एल. को कुछ पश्च संविदात्मक लाभ प्रदान किए गए थे जो ए.ई.पी.सी. के लिए अत्यन्त अनुग्रहात्मक थे जिसका परिणाम मै. टी.यू.एल. को अनुचित लाभ तथा ए.ई.पी.सी. को ₹17.42 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 17.1)

शहरी विकास मंत्रालय

सम्पदा निदेशालय

सम्पदा निदेशालय का कार्यचालन

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के आवास की निरन्तर कमी हुई है। दिल्ली संपदा निदेशालय डीओई के पास भी उसके पास उपलब्ध आवास स्टॉक का सही अभिलेख नहीं है। विभिन्न पूल में आवास स्टॉक की वृद्धि अनुचित ढंग से की गई है। लाइसेंस फीस का संग्रहण तथा मॉनिटरिंग प्रणाली पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप डी.ओ.ई. लाइसेंस फीस को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। डीईओ तथा सीपीडब्ल्यूडी के डाटाबेस जोड़े नहीं गए हैं जिसके कारण सरकारी आवास प्रबन्धन प्रणाली डाटाबेस में घरों की रिक्त स्थिति के प्रतिविम्बन में विलम्ब हुआ। डीओई के पास घरों के सही व्यौरे नहीं हैं जो असुरक्षित अथवा खतरनाक घोषित किए गए हैं। सरकारी आवास प्रबन्धन प्रणाली जीएएमएस डाटाबेस में डाटा की गुणवत्ता खराब होती पाई गई थी।

(पैराग्राफ सं. 19.1)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता (संस्कृति मंत्रालय)

स्वीकृति अनुशंसाओं की अनुपालना न होना

“राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता के क्रियाकलाप” के संबंध में निष्पादन लेखापरीक्षा 2004-05 से 2009-10 की अवधि के लिए की गई थी। प्रतिवेदन को 30 स्वीकृत अनुशंसाओं सहित नि.म.ले.प. के 2010 के प्रतिवेदन सं. 3 में प्रस्तुत किया गया था। स्वीकृत अनुशंसाओं पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा मई तथा जून 2015 के दौरान की गई थी।

लेखापरीक्षा जांच ने उजागर किया कि पुस्तकालय तथा मंत्रालय ने 2010-15 के दौरान मुख्य रूप से भारत में प्रकाशित पुस्तकों के डाटाबेस का निर्माण, पुस्तकों का तीव्र प्रकाशन, सभी मंडलों के स्टॉक सत्यापन का संचालन, सुरक्षा को मजबूत करना, पाठकों को विभिन्न मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराना तथा सभी ग्रंथसूची रिकॉर्ड का पूर्व रूपांतरण से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

(पैराग्राफ सं. 23.1.1)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि, क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों, लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों¹ के अनुसार की जाती है। ये मानक वे मानदण्ड निर्धारित हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उनके पालन न होने तथा दुरूपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमियों की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा उन नीतियों और निर्देशों को बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन का मार्गदर्शन करेंगे, इस प्रकार, ये बेहतर शासन के लिए योगदान दे सकें।

मार्च 2015 को, वैज्ञानिक विभागों को शामिल करते हुए संघ सरकार के 53 मंत्रालय/विभाग थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन 53 मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय तालिका-1 में दिया गया है:

¹ www.cag.gov.in/html/auditing_standards.htm

तालिका-1

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | व्यय |
|---------|--------------|
| 2012-13 | 47,93,466.00 |
| 2013-14 | 49,90,057.83 |
| 2014-15 | 52,89,683.66 |

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य संघ सिविल मंत्रालयों द्वारा वास्तविक संवितरण आगामी तालिका-2 में दर्शाए गए हैं:

तालिका-2

(₹ करोड़ में)

| मंत्रालय | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| मानव संसाधन विकास | 65571.00 | 71521.74 | 91249.07 |
| गृह | 48030.00 | 53904.08 | 61573.53 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 29667.00 | 31894.03 | 33731.84 |
| कृषि | 24800.00 | 26056.69 | 26572.32 |
| महिला एवं बाल विकास | 17037.00 | 18038.59 | 18541.14 |
| विदेश | 10121.00 | 11807.35 | 12148.82 |
| नागरिक उड़ायन | 7069.00 | 6954.59 | 6626.28 |
| वाणिज्य एवं उद्योग | 6076.00 | 6606.51 | 7438.27 |
| वस्त्र | 4385.00 | 3954.98 | 3987.87 |
| पोतपरिवहन | 1203.00 | 1870.20 | 1340.21 |
| युवा मामले एवं खेल | 999.00 | 1143.78 | 1144.14 |
| पर्यटन | 934.00 | 1029.20 | 987.03 |

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकेगा, कि व्यय का बड़ा भाग चार मंत्रालयों अर्थात् कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह तथा मानव संसाधन विकास द्वारा किया गया था जो 2014-15 के दौरान उपरोक्त मंत्रालयों द्वारा किए गए कुल संवितरणों का 80.06 प्रतिशत था।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

नि.म.ले. द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। नि.म.ले.प., नि.म.ले.प. के (क.श.से.श.) अधिनियम⁴ की धारा 13² तथा 17³ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत नि.म.ले.प. को सौंपी गई है। इसके अलावा, के.स्वा.नि. जो मूलतः भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

1.3 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।


⁴ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

² (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों, (iii) सभी व्यापक, विनिर्माण, लाभ एवं हानि

³ संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

2016 की प्रतिवेदन सं. 11

वर्ष 2013-14 के लिए, 366 के.स्वा.नि. के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नि.म.ले.प. द्वारा की जानी थी। इनमें से 145 के.स्वा.नि. के लेखे, देय तिथि के बाद दिये गये थे, जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



के.स्वा.नि. जिनके लेखे दिसम्बर 2015 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे के विवरण परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।

1.4 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, अपने पहले प्रतिवेदन (1975-76) में, सिफारिश की थी कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात् आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाएं।

31 दिसम्बर 2015 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति निम्न प्रकार है:

तालिका-3

| लेखे का वर्ष | निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये | देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या |
|--------------|--|---|
| 2013-14 | 21 | 38 |

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

के.स्वा.नि. के विवरण, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, परिशिष्ट-II तथा परिशिष्ट-III में दिए गए हैं।

1.5 उपयोग प्रमाणपत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को दिये गये अनुदानों के संबंध में, वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के अंदर संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है। मार्च 2014 तक दिये गये अनुदानों के संबंध में मार्च 2015 तक 30 मंत्रालयों/विभागों से देय (वित्त वर्ष जिसमें अनुदान दिये गये, के 12 माह के बाद) ₹53248.98 करोड़ की राशि के 39237 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या को दर्शाते हुए मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-IV में दिये गये हैं।

मार्च 2015 को 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया उपयोग प्रमाणपत्र की स्थिति तालिका-4 में दी गई है:

तालिका-4

31 मार्च 2015 को बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | मार्च 2014 को समाप्त अवधि हेतु | |
|---------|------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | संख्या | राशि |
| 1. | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 1957 | 21845.98 |
| 2. | कृषि एवं किसान कल्याण * | 4232 | 19086.08 |
| 3. | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास | 929 | 3840.92 |
| 4. | वस्त्र | 3984 | 1752.16 |
| 5. | आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन | 489 | 1120.04 |
| 6. | उच्च शिक्षा | 2565 | 903.21 |
| 7. | भारी उद्योग | 14 | 882.95 |
| 8. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 10427 | 681.22 |
| 9. | औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन | 24 | 525.06 |
| 10. | पर्यावरण एवं वन | 6150 | 461.51 |
| कुल | | 30771 | 51099.13 |

*केवल कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग के आंकड़े शामिल हैं।

1.6 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2014-15 के लिए, के.स्वा.नि. के लेखाओं पर 229 एस.ए.आर. जारी की गई थी (दिसम्बर 2015)। प्रत्येक के.स्वा.नि. के लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ परिशिष्ट-V में दी गई हैं।

केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों के लेखाओं में पाई गई महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नानुसार हैं:

- क. वर्ष 2014-15 के लिए 127 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (परिशिष्ट-VI)।
- ख. वर्ष 2014-15 के दौरान 125 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-VII)।
- ग. वर्ष 2014-15 के दौरान 94 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-VIII)।
- घ. 42 स्वायत्त निकाय प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगतपूर्ण नहीं थी (परिशिष्ट-IX)।
- ङ. 145 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं की है (परिशिष्ट-X)।
- च. 13 स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-हास नहीं दिया गया था (परिशिष्ट-XI)।
- छ. 33 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया (परिशिष्ट-XII)। लेखापरीक्षा निष्कर्ष का प्रभाव ₹166.63 करोड़ तक परिसम्पत्तियों/देयताओं में कमी ₹6.61 करोड़ तक आधिक्य में वृद्धि तथा ₹13.99 करोड़ तक घाटे में कमी में था।

1.7 ड्राफ्ट पैराग्राफ के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

पी.ए.सी. की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छ: सप्ताहों

2016 की प्रतिवेदन सं. 11

के भीतर प्रेषित करने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया गया है तथा निवेदन किया गया कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दें।

निम्नलिखित मामलों में मंत्रालयों/विभागों ने कार्रवाई की है तथा वसूलियों के लिए आदेश दिया जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

| क्र. सं. | इकाई का नाम | मंत्रालय/विभाग | आधिक भुगतान/कम वसूली/ अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति | लेखापरीक्षा द्वारा संकेतीत आधिक भुगतान/कम वसूली/ अस्वीकार्य भुगतान की राशि | वसूली गई राशि | मंत्रालय/ विभाग द्वारा कार्रवाई की गई |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|---|
| | | | | | | |
| 1. | सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) | गृह | जोखिम भत्ता का अनियमित भुगतान | 83.64 | 34 | डी जी एस एस बी ने सभी एस एस बी इकाईयों को जोखिम/ कठिनाई भत्ता के भुगतान के नियमन के लिए निर्देश जारी किया (दिसंबर 2015)। |
| 2. | भारतीय मानक व्यरो (बी आई एस) | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक वितरण | परिवहन भत्ता का अधिक भुगतान | 187 | 31.71 | बी आई एस ने सितंबर 2008 से परिवहन भत्ते के अधिक भुगतान की वसूली का निर्णय लिया (अक्तूबर 2005)। उसने आगे बताया (दिसम्बर 2015) कि ₹ 31.71 लाख के अधिक भुगतान की |

| क्र. सं. | इकाई का नाम | मंत्रालय/विभाग | अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति | लेखापरीक्षा द्वारा संकेतीत अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि | वसूली गई राशि | मंत्रालय/ विभाग द्वारा कार्रवाइ की गई |
|----------|---|-------------------|---|---|---------------|--|
| | | | | | | वसूली कर ली गई है। |
| 3. | सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र, यू.जी.सी. | मानव संसाधन विकास | कीमत विभिन्नता का अधिक भुगतान | 55 | 55 | -- |
| 4. | भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) | नीति आयोग | परिसमाप्त हानियों का कम उद्ग्रहण | 73 | 73 | -- |
| 5. | विशाखापत्त नम पत्तन न्यास | पोत परिवहन | सेवाकर की वसूली | 2625 | 2625 | -- |
| 6. | पोत पहिवहन महानिदेशालय, मुम्बई | पोत परिवहन | प्रशिक्षण संस्थानों से वार्षिक फीस की वसूली | 409 | 409 | -- |
| 7. | कांडला पत्तन न्यास | पोत परिवहन | अनियमित छुट्टी नकदीकरण के रूप में राशि की वसूली | 5.95 | 3.44 | मंत्रालय ने मूल राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली के लिए निर्देश जारी किया (जून 2015)। |
| 8. | कोचीन पत्तन न्यास | पोत परिवहन | जुर्माना, हानियों की वसूली तथा चिकित्सा अग्रिम का समायोजन | 96.98 | 70.12 | -- |

2016 की प्रतिवेदन सं. 11

| क्र. सं. | इकाई का नाम | मंत्रलय/विभाग | अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति | लेखापरीक्षा द्वारा संकेतीत अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि | वसूली गई राशि | मंत्रलय/ विभाग द्वारा कार्रवाइ की गई |
|----------|-----------------------------|---------------|---|---|---------------|--------------------------------------|
| 9. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | शहरी विकास | गिरावट की वसूली तथा कीमतों में विभिन्नता के लेखे पर अधिक भुगतान | 53.23 | 53.23 | -- |
| कुल | | | | 3354.50 | | |

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रलयों/विभागों तथा उनके ए.बी. से संबंधित 49 विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं, जिसमें ₹711.80 करोड़ का धन मूल्य शामिल है। 33 लेखापरीक्षा पैराओं के उत्तर प्राप्त किए गए थे तथा उन्हें उचित प्रकार से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

अध्याय II : कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

नारियल विकास बोर्ड

2.1 निधियों का अवरोधन

एक परियोजना की खराब मॉनीटरिंग का परिणाम कुल ₹1.61 करोड़ की सरकारी निधि के उस उद्देश्य जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी, को पूरा किए बिना छ: वर्षों से अधिक के लिए अवरोध/व्यर्थ होने में हुआ।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड (सी डी बी) के नारियल प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम ओ सी) की परियोजना अनुमोदन समिति ने अक्टूबर 2007 में कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार को एक परियोजना “2007-08 के दौरान प्रारम्भिक आधार पर नारियल पर इरियोफाईड मार्फेट का नियंत्रण” को स्वीकृत किया था। परियोजना में 45 दिनों के अंतराल पर तीन दौरों के लिए 10 मिली लीटर/पेड़ की दर पर एजाडिरोकिटन से जड़ के पोषण को अपनाकर राज्य के 10 जिलों में 94.892 लाख धुन पीड़ित ताड़ वृक्षों के उपचार की अभिकल्पना की गई थी। परियोजना की कुल लागत बोर्ड के अंश के रूप में ₹5.69 करोड़ (25 प्रतिशत) सहित ₹22.77 करोड़ थी।

अध्यक्ष, सी डी बी तथा कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार के बीच किए गए दिसंबर 2007 के समझौता जापन (एम ओ यू) के अनुसार परियोजना के समापन तथा अंतिम परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि क्रमशः 31 मार्च 2009 या पहले तथा 31 मई 2009 थी। सी डी बी ने कृषि विभाग को कुल ₹2.85 करोड़ के अपने अंश का 50 प्रतिशत दो किस्तों (फरवरी/मार्च 2008) में जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कृषि विभाग ने ₹4.93 करोड़ का व्यय करके दिसंबर 2007 में 2007-08 के दौरान संवितरण करने हेतु रसायनों की कुल आवश्यकता के केवल 25 प्रतिशत (71,168.75 लीटर) का प्राप्त किया था तथा इसका 2010-11 तक संवितरण किया गया था। सी डी बी तथा कृषि विभाग द्वारा किए गए संयुक्त फील्ड निरीक्षण (नवम्बर 2008) ने प्रकट किया कि 2008-09 के दौरान अच्छी वर्षा तथा कम धुन आक्रमण होने के कारण रसायन की मांग

कम थी। इसलिए कृषि विभाग ने रसायनों के आगे के प्राप्ति को रोकने का निर्णय लिया (2009)।

इस प्रकार, सीडीबी द्वारा जारी ₹2.85 करोड़ में से 2009 के आगे से तमिलनाडु सरकार के पास अव्ययित शेष के रूप में ₹1.61 करोड़ को छोड़ते हुए परियोजना हेतु केवल ₹1.23 करोड़ का उपयोग किया जा सका था। परियोजना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सी डी बी के प्रतिनिधियों तथा कृषि विभाग के बीच फरवरी 2013 में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पूर्ण लाभार्थी सूची तथा अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र सहित अंतिम परियोजना रिपोर्ट को कृषि निदेशक, तमिलनाडु द्वारा 31 मार्च 2013 तक सी डी बी को प्रस्तुत की जानी थी। इसे कृषि निदेशक द्वारा सितंबर 2013 में प्रस्तुतीकरण की अनुबंधित तारीख के चार वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि कृषि विभाग ने 2009 में रसायनों का आगे का प्राप्ति रोकने का निर्णय लिया था फिर भी बोर्ड ने केवल 2013 में जाकर ही अव्ययित राशि की वापसी प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ की थी। इस प्रकार, राशि उद्देश्य को पूरा किए बिना छः वर्षों से अधिक के लिए अवरुद्ध थी। इसके अतिरिक्त सी डी बी ने एम ओ यू के अनुसार कृषि विभाग पर कोई दण्ड भी नहीं लगाया था।

सी डी बी ने पैरा के तथ्य एवं आकड़ों को सुनिश्चित करते समय उत्तर (अगस्त 2015) दिया कि चूंकि बोर्ड के पास तमिलनाडु सरकार की ऐसी कोई टी एम ओ सी परियोजना नहीं थी जो स्वीकृति हेतु लंबित हो इसलिए कृषि निदेशक को अव्ययित राशि को वापस करने का अनुरोध किया गया था। बाद में यह उत्तर (15 जनवरी 2016) दिया गया था कि कोई दण्ड नहीं लगाया गया था क्योंकि मामले का नियमित रूप से अनुपालन किया जा रहा है तथा तमिलनाडु सरकार अपने आदेश दिनांक 12 जनवरी 2016 के माध्यम से अव्ययित शेष को वापस करने को सहमत है।

तथ्य है कि खराब मॉनीटरिंग का परिणाम कुल ₹1.61 करोड़ की सरकारी निधि के उस उद्देश्य जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी, को पूरा किए बिना छः वर्षों से अधिक के लिए अवरोध/व्यर्थ होने में हुआ। वापसी अभी भी प्राप्त की जानी थी (जनवरी 2016)।

मामला अक्टूबर 2015 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2016)।

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली

2.2 घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा पोषण प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण इकाई एवं मुर्गी प्रसंस्करण प्रयोगशाला के विद्युत एवं जलापूर्ति निर्माण कार्य साथ-साथ न किये जाने का परिणाम ₹ 135.12 लाख की लागत के सिविल कार्य के पश्चात् भी असंचालित होने तथा उसके द्वारा परियोजना के निहित लक्ष्य की प्राप्ति न होने में हुआ।

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली (संस्थान) ने जनवरी 2004 में; प्रायोगिक मुर्गी पालन पोषण प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (फीड टैक्नोलोजी प्रोसैसिंग यूनिट) के निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया तथा जुलाई 2004 में बरेली में प्रायोगिक मुर्गी पालन प्रसंस्करण प्रयोगशाला (पॉल्ट्री प्रोसैसिंग यूनिट) का निर्माण प्रस्तावित किया ताकि मुर्गी पालन विज्ञान में शोध छात्रों व परास्नातक डिप्लोमा धारकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण कराया जा सके एवं आधुनिक आधारभूत संरचना अथवा मानव संसाधन विकास का अध्ययन किया जा सके।

तदनुसार संस्थान के अनुरोध पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने फरवरी 2004 में ₹ 18.40 लाख की लागत में पोषण तकनीकी प्रसंस्करण इकाई एवं ₹ 33.67 लाख की लागत में अक्टूबर 2004 में मुर्गी पालन प्रसंस्करण इकाई का प्रारम्भिक आकलन प्रस्तु किया जिसका अनुमोदन संस्थान द्वारा क्रमशः मार्च 2004 व नवम्बर 2004 में किया गया एवं एक तिहाई अग्रिम धनराशि ₹17.35 लाख केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त की गई।

लेखापरीक्षा में देखा गया की परिषद् द्वारा मार्च 2005 में उक्त इकाईयों को पीलीभीत रोड स्थित नए स्थल पर स्थान्तरित करने का निर्णय लिया गया परिणामस्वरूप इन भवनों को पोषण तकनीकी प्रसंस्करण इकाई एवं मुर्गी पालन प्रसंस्करण प्रयोगशाल (निर्माण हेतु पुनः प्रस्ताव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को

स्वीकृत मास्टरप्लान के अनुसार बिना विद्युत् एवं जलापूर्ति कार्य के प्रावधान के प्रेषित किया गया (अप्रैल 2007)। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अगस्त 2007 में दोनों भवनों की संशोधित लागत क्रमशः ₹ 57.46 लाख व ₹ 63.52 लाख निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित आकलन प्रस्तुत किया जिसका मूल्यांकन निदेशक (निर्माण) द्वारा किया गया तथा परिषद् द्वारा 11वीं योजना के अन्तर्गत इसे स्वीकृति प्रदान की गई किन्तु प्राक्कलन में विद्युत् एवं जलापूर्ति का प्रावधान नहीं किया गया।

दोनों निर्माण कार्य के लो.नि.वि .द्वारा पूर्ण कर अप्रैल 2011 में संस्थान को ₹135.12 लाख व्यय कर हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में मार्च 2014 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को विद्युत् एवं जलापूर्ति हेतु प्रस्ताव संस्थान द्वारा प्रेषित किया गया जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सितम्बर 2015 में एवं नवम्बर 2015 में प्राप्त की गई। परिणामस्वरूप दोनों भवनों का अभी तक कोई उपयोग नहीं हो सका।

अतः पोषण तकनीकी प्रसंस्करण इकाई एवं मुर्गी पालन प्रसंस्करण प्रयोगशाला के बनने के साथ विद्युत् एवं जलापूर्ति का कार्य न कराये जाने के परिणामस्वरूप सिविल कार्यों पर ₹ 135.12 लाख व्यय करने के बावजूद भवन असंचालित रहा एवं परियोजना के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

संस्थान ने कहा (सितम्बर 2015/जनवरी 2016) कि परियोजना को अंतिम रूप देते समय विद्युत/जलापूर्ति को ध्यान में नहीं लिया गया क्योंकि उस समय अभिलेख में प्रस्ताव उपलब्ध नहीं थे। फिर भी, भवन का प्रयोग चारा सामग्री के भण्डारण के लिए किया जा रहा था। उत्तर यह सिद्ध करती है कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ भवन निर्माण के साथ विद्युत/जल निर्माण कार्य के न होने के फलस्वरूप भवन का निहीत उद्देश्य के लिए प्रयोग न हो सका। इसके अतिरिक्त संस्थान के लिए मुर्गी पालन प्रसंस्करण प्रयोगशाला के निर्माण के स्थान पर, भवन का प्रयोग चारा सामग्री के भण्डारण के लिए किया जा रहा था।

इस मामले को मंत्रालय को अक्तूबर 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

अध्याय III : नागरिक उड़ायन मंत्रालय

3.1 निष्फल व्यय

बोली दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के स्थान पर भारतीय एयरो क्लब (ए सी आई) द्वारा काम्पेक्ट टेक्नोलॉजी लाईट स्पोर्ट (सी टी एल एस) वायुयानों का अनियमित रूप से चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, डी.जी.सी.ए. ने सी टी एल एस वायुयानों को पहले प्रदान की गई स्वीकृति को वापस लेने के संबंध में ए सी आई को सूचना नहीं दी थी। परिणामस्वरूप, ए सी आई (दिसम्बर 2011) द्वारा प्राप्त किए गए सी टी एल एस वायुयान व्यर्थ पढ़े थे (नवंबर 2015) जिसने उनके अधिग्रहण के उद्देश्य को विफल किया तथा ₹2.39 करोड़ के व्यय को निष्फल के रूप में प्रस्तुत किया।

भारतीय एयरोक्लब (ए सी आई) ने एकल इंजन ट्रेनर/एयरो स्पोर्ट्स वायुयानों को प्राप्त करने के लिए मार्च 2010 में नागरिक उड़ायन मंत्रालय (एम ओ सी ए) को एक प्रस्ताव प्रेषित किया। इसी बीच, ए सी आई ने इस अनुबंध कि (i) तकनीकी बोलियाँ केवल उन वायुयानों हेतु स्वीकार की जाएंगी जो यू एस ए के फेडल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफ ए ए) के फेडल एवियेशन विनियम (एफ ए आर) 23 के अनुसार प्रकार प्रमाणित अथवा समकक्ष थे: तथा (ii) वायुयान दिन एवं रात्रि प्रचालनों हेतु उपकरण उड़ान नियमावली (आइ एफ आर) प्रमाणन मानकों के अनुरूप होना चाहिए, के साथ तीन एकल इंजन ट्रेनर/एयरो स्पोर्ट्स वायुयान के प्राप्त हेतु सार्वभौम निविदा पूछताछ प्रकाशित की (सितंबर 2010)।

प्राप्त आठ बोलियों में से तीन बोलीकर्ताओं नामतः मेसर्स थ्रस्ट एवियेशन सर्विसेज प्राईवेट लेमिटेड नई दिल्ली (वायुयान मॉडल सी टी एल एस, एक लाईट स्पोर्ट्स वायुयान, फ्लाईट डिजाइन, जर्मनी से), मेसर्स पी पी स्ट्राल, स्लोविनिया (वायुयान मॉडल वाईरस एस डब्ल्यू 100) तथा एयरो सिस्टम (इण्डिया), नई दिल्ली जो मेसर्स सेसना एयरक्राफ्ट कम्पनी यू.एस.ए. (वायुयान मॉडल सेसना 172) का प्रतिनिधित्व करता है, को तकनीकी रूप से उपयुक्त

पाया गया था (दिसम्बर 2010) तथा वाणिज्यिक बोली खोलने की सिफारिश की गई थी।

ए सी आई द्वारा मांगे गए (2 दिसंबर 2010) स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में, हालांकि वायुयान के अधिग्रहण की निविदा प्रक्रिया प्रगति में थी फिर भी महानिदेशक नागरिक उड़डयन (डी.जी.सी.ए.) ने ए सी आई को सूचित किया (30 दिसंबर 2010) कि सी टी एल एस वायुयानों को डी.जी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है क्योंकि मई 2009 में आर एण्ड डी निदेशालय द्वारा टाईप रेटिंग प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है। डी.जी.सी.ए. ने यह भी सूचित किया कि दो सी टी एल एस वायुयानों वी टी-बी बी सी तथा वी टी-सी एन एन का आयात भी कर लिया गया है तथा उनको मैसर्स एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन प्राईवेट लिमिटेड मुंबई (कार्वर) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

तथापि तथ्य यह था कि डी.जी.सी.ए. द्वारा सी टी एल एस के संबंध में, केवल उड़ान प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु, 5 मई 2009 को अनुमोदन पत्र जारी किए जाने के बावजूद उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त वायुयान के आयात हेतु 23 जुलाई 2009 को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया तथा डी.जी.सी.ए. द्वारा 21 अक्टूबर 2009 को उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र (सी ओ एफ ए)¹ जारी किया गया था इसलिए मेसर्स कार्वर, डी.जी.सी.ए. के प्रतिनिधि द्वारा उड़ान प्रशिक्षण कराने हेतु वायुयान का उपयोग न किए जाने के मौखिक अनुदेश के कारण वायुयानों का उपयोग नहीं कर सका था। मेसर्स कार्वर, डी.जी.सी.ए. के साथ मामले को उठा रहा था तथा अंततः उन्होंने डी.जी.सी.ए. से एक लिखित उत्तर मांगा कि क्या वे उपरोक्त वायुयान उड़ान प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं अथवा नहीं और यदि नहीं तो इसकी वजह बताई जाए

¹ वायुयान नियमावली का नियम 15 अपेक्षित करता है कि भारत में पंजीकृत सभी वायुयानों के पास उनके उड़ान भरने से पूर्व एक वर्तमान तथा वैध उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र (सी ओ एफ ए) है जब तक कि इसे हवाई अड्डे के पास के इलाके अथवा इसके प्रस्थान के स्थान में वायुयान जांच के उद्देश्य से उड़ाया न गया हो। नागरिक उड़डयन आवश्यकता (सी ए आर) में निर्धारित स्वीकृत उड़ान योग्यता मानकों के अनुसार प्रत्येक वायुयान, या तो भारत में निर्मित अथवा भारत में आयातित, जिसके लिए सी ओ एफ ए जारी या वैध किया जाना है, डिजाईन मानकों के अनुरूप होगा तथा सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में होगा। सी ओ एफ ए जारी करने के हेतु योग्य बनने के लिए वायुयान को टाईप प्रमाणित, इसका टाईप प्रमाण पत्र वैधता अथवा टाईप डी जी सी ए द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

(जनवरी 2011)। डी.जी.सी.ए. ने वर्तमान नियमावली के संदर्भ में मामले की जांच जनवरी-मार्च 2011 की तथा उसने पाया कि मैसर्स कार्वर से संबंधित वायुयान उड़ान नहीं भर रहे थे क्योंकि वायुयान को सी ओ एफ ए जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह टाईप प्रमाणित नहीं था तथा इस प्रकार के वायुयान को सम्मिलित करने हेतु किसी भी प्रकार के विनियम मौजूद नहीं थे। डी.जी.सी.ए. ने मैसर्स कार्वर को (18 अप्रैल 2011 को) सूचित किया कि उनके द्वारा रखे गए सी टी एल एस वायुयान वी टी-सी ए-1 एन तथा वी टी-बी बी सी को एफ ए ए³ द्वारा मानक² सी ओ एफ ए जारी नहीं किया गया था इसलिए डी.जी.सी.ए. इन वायुयानों हेतु सी ओ एफ ए जारी करने की स्थिति में नहीं था। डी.जी.सी.ए. ने आगे बताया कि इन वायुयानों का निर्यात सी ओ एफ ए जर्मन मार्फिक्रो लाईट एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है तथा इसलिए इन वायुयानों को मार्फिक्रो लाईट के रूप में माना जाने का निर्णय लिया गया था तथा तदनुसार वायुयान को सी ओ एफ के स्थान पर उड़ान⁴ का परमिट जारी किया जाएगा।

इसी बीच, ए सी आई ने तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की वाणिज्यिक बोलियों को खोला (दिसंबर 2010) तथा मैसर्स थ्रस्ट एवियेशन सर्विसेज प्राई. लि. (मैसर्स थ्रस्ट एवियेशन) को सबसे कम बोली लगाने वाला पाया गया था। ए सी आई ने एम ओ सी ए को वित्त समिति सदस्यों द्वारा

³ फेडरल एवियेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यू एस ए

² मानक सी ओ एफ ए एक प्रमाणपत्र है जो अनिवार्य है अगर वायुयान का इस्तेमाल वाणिज्यिक प्रचालनों हेतु किया जाना है। मानक सी ओ एफ ए परिवहन, यात्री, सामान्य, प्रायोज्यता, हवाई करतब मानव मुक्त गुब्बारे तथा वायुयान की विशेष श्रेणी जैसी किसी एक श्रेणी में जारी किया जाता है। एक मानक सी ओ एफ ए की तुलना में एक वायुयान को एक विशेष उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। उन वायुयान के उदाहरण जो मानक सी ओ एफ हेतु योग्य नहीं हैं परंतु वह कृषीय वायुयान, प्रयोगात्मक वायुयान तथा कुछ पूर्व-सैन्य वायुयान सहित विशेष उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र हेतु योग्य हो सकता है।

⁴ उड़ान का परमिट उस वायुयान को जारी किया जाता है जो लागू उड़ान योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल होता है अथवा उसके लिए जो यह बताए जाने में विफल है कि उसने संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया है परंतु जिसके पास कुछ परिस्थितियों में सुरक्षित उड़ान का संचालन करने की क्षमता है तथा जिसे अनुसंधान एवं विकास, विनियमों अथवा प्रमाणन विशिष्टता की अनुपालन का साबित करने, क्रू प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों अथवा वायु तमाशा, वायुयान की सुपुर्दगी करने अथवा आयात करने, बाजार अनुसंधान आदि जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करना भावी हो।

हस्ताक्षरित नोट की प्रतियाँ, 15 दिसंबर 2010 को हुई मूल बोली खोलने की बैठक की उपस्थिति शीट की प्रति तथा सबसे कम बोलीकर्त्ता (एल 1) का निर्धारण करने वाली तुलनात्मक शीट प्रेषित (8 मार्च 2011) की तथा प्रापण की संस्वीकृति के साथ साथ निधियाँ जारी करने की मांग की।

परिणामस्वरूप, एम ओ सी ए ने तीन एकल इंजन ट्रेनर/एयरोस्पॉर्ट्स वायुयानों के प्रापण के प्रस्ताव को संस्वीकृत किया (28 मार्च 2011) तथा इस उद्देश्य हेतु अपेक्षित सहायता अनुदान भी जारी की। तदनुसार, ए सी आई ने तीन सी टी एल एस वायुयानों के प्रापण हेतु मैसर्स थ्रस्ट एवियेशन को क्रय आदेश (13 अप्रैल 2011) दिया तथा उनको ₹44.90 लाख का अग्रिम भुगतान भी किया गया था (29 अप्रैल 2011)।

ए सी आई ने प्रापण किए जाने वाले तीन सी टी एल एस वायुयानों हेतु पंजीकरण पत्र जारी करने हेतु डी.जी.सी.ए. को अनुरोध किया (मई 2011)। डी.जी.सी.ए. ने ए सी आई को सूचित किया (जून तथा सितंबर 2011) कि यह वायुयान नियमावली के अनुसार डी.जी.सी.ए. द्वारा टाईप प्रमाणित/टाईप स्वीकृत नहीं थे इसलिए इनको केवल उड़ान का परमिट ही जारी किया जाएगा। ₹2.39 करोड़ का व्यय करने के पश्चात्, ए सी आई ने तीन सी टी एल एस वायुयान प्राप्त किए (16 दिसंबर 2011) थे परंतु वह डी.जी.सी.ए. से सी ओ एफ ए की मांग के कारण उड़ान नहीं भर सके थे।

एम ओ सी ए द्वारा जारी निधियों का उपयोग करके ए सी आई द्वारा तीन सी टी एल एस वायुयानों, जो व्यर्थ पड़े थे, के प्रापण के मामले की जांच करते समय, मंत्रालय ने यह जांच करने के लिए कि क्या (i) निविदा को अंतिम रूप देने में सरकारी प्रक्रियाओं की उपयुक्त रूप से अनुपालना की गई थी, (ii) प्रापण किए गए सी टी एल एस वायुयानों ने बोली में विनिर्दिष्ट तकनीकी शर्तों को पूरा किया था या इस बीच किसी कम्पनी को लाभ प्रदान करने हेतु कुछ परिवर्तन थे: (iii) चयनित आपूर्तिकर्त्ता निविदा के भाग ॥ अर्थात् वाणिज्यिक बोली को खोले जाने हेतु विचार किए जाने के लिए योग्य था, (iv) कम्पनी को भुगतान क्यों किए गए थे जबकि डी.जी.सी.ए. द्वारा सी ओ एफ ए जारी नहीं किया गया था तथा (v) उपर्युक्त कमियों, यदि कोई हो, हेतु जवाबदेही निर्धारित करने के लिए मंत्रालय तथा डी.जी.सी.ए. से अधिकारियों को शामिल करके एक

समिति गठित (मार्च 2013) की थी। एम ओ सी ए ने डी.जी.सी.ए. को दोषी अधिकारियों, जिन्होंने कोई नियमावली न होने के बावजूद 2009 में मैसर्स एकेडमी ऑफ कार्वर एवियेशन प्राई. लि. (मैसर्स कार्वर) के पक्ष में उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया तथा सी टी एल एस वायुयानों को उड़ान भरने को अनुमत्त किया तथा फिर ए सी आई को इन वायुयानों के आयात की अनुमति प्रदान की, के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया (जून 2013)। एम ओ सी ए ने बाद में निर्णय लिया (दिसंबर 2013) कि डी.जी.सी.ए. को जल्द से जल्द सभी संबंधित नियमों का संशोधन करने का तथा वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 160 के तहत विनिर्दिष्ट नियमों से छूट हेतु औपचारिक प्रस्ताव प्रेषित करना चाहिए। तदनुसार, डी.जी.सी.ए. ने नियमों का संशोधन करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जनवरी 2014) जो प्रक्रियाधीन था तथा ए सी आई द्वारा प्राप्त सी टी एल एस वायुयान अभी भी व्यर्थ पड़े थे (नवंबर 2015)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:-

- सी टी एल एस के ऊपर प्रारंभिक पैरा में उल्लेखित दोनों बोलीशर्तों को पूरा न किए जाने के बावजूद मैसर्स थ्रस्ट एवियेशन का एक सकल बोलीकर्त्ता के रूप में चयन किया गया था तथा अंततः मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात क्रय आदेश दिया गया था।
- डी.जी.सी.ए., मैसर्स कार्वर के मामले का निपटान करते समय इस तथ्य से अवगत (मार्च 2011) था कि सी टी एल एस ने उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु वायुयान नियमावली 1937 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था परंतु उन्होंने इसे अप्रमाणित वायुयान की प्राप्ति प्रक्रिया (अप्रैल 2011) को समय से रोके जाने के लिए ए सी आई को सूचित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में शामिल तथ्यों एवं आंकड़ों को सुनिश्चित करते समय मंत्रालय ने उत्तर (नवम्बर 2015) दिया कि:

- क. नियमों के अनुसार सी टी एल एस वायुयानों के परिचालन को समर्थ बनाने के लिए वायुयान नियमावली 1937 का संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, सी टी एल एस वायुयान को

नियम से लाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि सांविधिक नियमों में संशोधन कठिन है एवं समय लेने वाली प्रक्रिया है तथा मामला मंत्रालय के सचेष्ट विचाराधीन है।

ख. ए सी आई ने अप्रैल 2011 में आदेश दिया तथा 20 प्रतिशत पेशगी भी अदा की गई थी। यदि आदेशों को रद्द किया गया होता तो एसी आई की पेशगी को मैसर्स थ्रस्ट एवियेशन द्वारा जब्त किया जाता।

ऊपर (क) पर मंत्रालय का उत्तर अपूर्ण है क्योंकि मंत्रालय को दोषी अधिकारियों जिन्होंने कोई नियमावली न होने के बावजूद 2009 में मैसर्स कार्वर के सी टी एल एस वायुयानों के पक्ष में उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया तथा बाद में ए सी आई को इन वायुयानों का प्रापण करने की अनुमति प्रदान की, के विरुद्ध की गई कार्यवाही, यदि कोई हो तो, की सूचना भी देनी चाहिए थी। (ख) पर मंत्रालय का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि मंत्रालय ने सी टी एल एस वायुयानों की अप्रमाणित स्थिति से ए सी आई को सूचित किया होता तो ए सी आई मैसर्स थ्रस्ट एवियेशन को आगे के भुगतान जारी करने को रोक सकता था। तथापि, मंत्रालय का उत्तर मैसर्स थ्रस्ट एवियेशन के अनियमित चयन के मामले पर मौन था।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बोली दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के बावजूद सी टी एल एस वायुयानों का अनियमित रूप से चयन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप डी.जी.सी.ए. से अपेक्षित अनुमोदन के अभाव में यह निष्क्रिय पड़े थे (नवम्बर 2015)। इसलिए, सी टी एल एस वायुयानों के अधिग्रहण के उद्देश्य के विफल होने के अतिरिक्त किया गया ₹2.39 करोड़ का व्यय भी निष्फल साबित हुआ था।

अध्याय IV : कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

4.1 ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य व्यय

मई 2007 में कोयला मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने अपने मुख्यालय, धनबाद में अपने आवासीय मकानों में बिजली मीटरों को लगाने की कोई पहल नहीं की थी तथा अपने कर्मचारियों को नाममात्र की दरों पर बिजली की आपूर्ति को जारी रखा जिसका परिणाम 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹ 2.16 करोड़ की सीमा तक ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), एक स्वायत्त निकाय, जिसका धनबाद में अपना मुख्यालय है, की स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के तहत की गई थी।

धनबाद में स्थित सीएमपीएफओ की कार्यालय इमारत तथा आवासीय मकानों हेतु इसकी बिजली आवश्यकता को 350 केवीए के हाईटेंशन (एचटी) इलेक्ट्रीक कनेक्शन, जिसे 408 केवीए तक बढ़ा (अक्टूबर 2013) दिया गया था, के माध्यम से झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबो) से पूरा किया जाता है। कार्यालय तथा आवासीय उद्देश्यों हेतु विद्युत भार का क्रमशः 19.41 तथा 80.59 प्रतिशत पर निर्धारण किया गया था। चूंकि आवासीय मकानों में ऊर्जा खपत को दर्ज करने हेतु कोई अलग मीटर नहीं है इसलिए जेएसईबी संयुक्त ऊर्जा खपत, जिसमें कार्यालय इमारत के साथ-साथ आवासीय मकानों की खपत शामिल है, पर बिजली के बिल प्रस्तुत करता है। सीएमपीएफओ, बदले में अपने कर्मचारियों से विभिन्न प्रकार के मकानों हेतु लागू निर्धारित दरों के अनुसार अपनी आवासीय खपत हेतु ऊर्जा प्रभारों की वसूली करता है। सीएमपीएफओ जेएसईबी से विद्युत आपूर्ति की बाधा के दौरान 500 केवीए के अपने स्वंय के डी जी सेटो के माध्यम से अपने आवासीय मकानों को विद्युत बैंकअप सुविधा भी प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2015) कि अपने कर्मचारियों से विद्युत प्रभारों की प्रभावी वसूली के लिए सीएमपीएफओ ने आवासीय मकानों में बिजली की वास्तविक खपत को दर्ज करने के लिए कभी मीटर लगाने का कोई लाभकारी कार्य प्रारम्भ नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सीएमपीएफओ द्वारा आम सुविधाओं हेतु बिजली की खपत का पता लगाने के लिए आज तक कोई निर्धारण नहीं किया था। जनवरी 2010 तक, इसके आवासीय मकानों के बिजली प्रभारों का विभिन्न प्रकार के मकानों हेतु ₹4 से ₹15 प्रति माह की बहुत मामूली दर पर संग्रहण किया जा रहा था। बाद में, सीएमपीएफओ ने फरवरी 2010 से पूर्व प्रभावी विभिन्न प्रकार के मकानों हेतु बिजली प्रभारों की वसूली की निर्धारित दरों का संशोधन (मार्च 2010) किया जो ₹250 से ₹700 प्रतिमाह के बीच थी।

बिजली प्रभारों की वसूली की निर्धारित दरों में ऐसी वृद्धि के बावजूद कई वर्षों से आवासीय खपत हेतु जेएसईबी को अदा किए गए ऊर्जा प्रभारों तथा अपने कर्मचारियों से इसकी वसूली में बड़ा अंतर था। अभिलेखों ने प्रकट किया कि 2014-15 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएमपीएफओ ने कार्यालय तथा आवासीय मकानों हेतु बिजली की खपत के प्रति जेएसईबी को ₹3.33 करोड़ अदा किए। आवासीय उद्देश्य हेतु 80.59 प्रतिशत के विद्युत भार को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्षों के लिए आवासीय मकानों में बिजली की खपत हेतु किया गया व्यय ₹2.68 करोड़ (₹3.33 करोड़ का 80.59 प्रतिशत) था। फिर भी, सीएमपीएफओ ने अपने कर्मचारियों से उनकी आवासीय बिजली खपत हेतु 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तव में ₹0.52 करोड़ का संग्रहण किया था जो फरवरी 2010 से लागू वसूली की निर्धारित दरों पर आधारित था। इस प्रकार, ऊर्जा की आवासीय खपत को दर्ज करने हेतु बिजली के मीटर न लगाने तथा निर्धारित बहुत मामूली दरों पर ऊर्जा प्रभारों के परिणामी संग्रहण के कारण, सीएमपीएफओ ने 2014-15 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹2.16 करोड़ (₹2.68 करोड़- ₹0.52 करोड़) का परिहार्य व्यय किया।

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2005 का सं. 4 (सिवल) तथा 2008-09 की सीए 15) के माध्यम से कई अवसरों पर मामले को उजागर किया था जिसमें ऐसे परिहार्य व्यय पर आपत्ति जताई गई थी तथा इस प्रत्याशा के साथ कि इसको दोबारा होने से रोकने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, के साथ

संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ऐसी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रकाश में कोयला मंत्रालय ने सीएमपीएफओ को आवासीय मकानों में बिजली के मीटर लगाने का भी अनुदेश (मई 2007) दिया था तथा निर्देश दिया कि संगठन को अपने स्वंय के स्टाफ तथा अधिकारियों द्वारा उपभोग की गई बिजली पर व्यय को वहन नहीं करना चाहिए। जेएसईबी ने जनवरी/फरवरी 2012 में अपेक्षित आवेदन शुल्क सहित निर्धारित आवेदन प्रपत्र में घरेलू उद्देश्य हेतु अलग मीटर के लिए आवेदन करने हेतु सीएमपीएफओ को अनुरोध भी किया था। फिर भी, सीएमपीएफओ आज तक अपने आवासीय मकानों पर बिजली के मीटर लगाने हेतु जेएसईबी की उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर सका था तथा इसलिए अपने कर्मचारियों से ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली अभी भी जारी है।

तथ्यों को स्वीकार करते समय प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2015) कि सीएमपीएफओ ने जेएसईबी, धनबाद को सीएमपीएफओ कालोनी के स्टाफ/अधिकारियों के सभी 243 आवासीय मकानों हेतु अलग विद्युत वाट बिजली मीटर को लगाने हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र हेतु सिफारिश (नवम्बर 2015) की थी।

इस प्रकार, धनबाद में आवासीय मकानों में बिजली के मीटर लगाने हेतु वर्षों तक सीएमपीएफओ प्रबंधन की ओर से निष्क्रियता तथा उस पर अपने कर्मचारियों से वास्तविक ऊर्जा प्रभारों की वसूली करने में विफलता का परिणाम 2010-11 से 2014-15 तक बिजली की खपत पर ₹2.16 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

4.2 हैदराबाद में आठ वर्षों से अधिक अवधि तक खाली पड़े कार्यालय स्थल तथा आवासीय परिसर का उपयोग करने में विफलता

जुलाई 2007 में हैदराबाद से गोदावरीखानी में कार्यालय के परिवर्तन से कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने हैदराबाद के सर्वोत्तम स्थान में स्थित अपने खाली कार्यालय स्थल तथा आवासीय परिसर का लाभकारी उपयोग करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होने मार्च 2014 से दिसंबर 2015 तक की अवधि के लिए अप्रयुक्त स्थान से ₹66.46 लाख का किराया प्राप्त करने के अवसर को गँवाया।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), एक स्वायत्त निकाय की स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के

तहत की गई थी। इसका मुख्य कार्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना का नियंत्रण, बचतों की भावना को मन में बैठाना तथा सेवानिवृति पर कोयला खान श्रमिकों को अथवा अकाल मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों के भविष्य हेतु प्रावधान करना है। सीएमपीएफओ का ट्रस्टी बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा यह कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। सीएमपीएफओ का धनबाद में अपना मुख्यालय है जिसका संचालन पूरे देश में स्थित 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

हैदराबाद में सीएमपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय ने कोथपेटु हैदराबाद में स्थित एक सर्वोत्तम स्थान, में 1995 दौरान निर्मित अपनी स्थायी कार्यालय ईमारत तथा स्टाफ मकानों, जिसमें 51,230 वर्गफुट का आवृत्त स्थान शामिल है, से कार्य करना प्रारम्भ किया। सीएमपीएफओ ने कथित सुविधाओं के निर्माण हेतु ₹4 करोड़ की राशि का व्यय किया।

गोदावरीखानी तथा बल्लमपल्ली क्षेत्रों में कार्य कर रहे सिंगंरेनी कोलैरिस कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) के कर्मचारियों के दावों तथा अन्य मामलों के तीव्र निपटान को सरल बनाने के लिए सीएमपीएफओ ने बाद में क्षेत्रीय कार्यालय को हैदराबाद से गोदावरीखानी में ले जाने का निर्णय (मार्च 1999) लिया। नए स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन हेतु एससीसीएल ने जूलाई 2007 में सीएमपीएफओ को किराया आधार पर कार्यालय स्थान तथा आवासीय मकानों हेतु अपेक्षित अवसरंचना की सुपुदर्गी की तथा तब से सीएमपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय गोदावरीखानी से कार्य कर रहा है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2015) कि हैदराबाद से गोदावरीखानी में क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान परिवर्तन के पश्चात, सीएमपीएफओ हैदराबाद में उपलब्ध 20,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान में से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डाटा संसाधन केन्द्र, सीएमपीएफओ की एक इकाई, के कार्य को चलाने हेतु केवल 10,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान का उपयोग कर रहा था तथा शेष 10,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान अप्रयुक्त रहा। इसी प्रकार, 46 आवासीय मकानों हेतु उपलब्ध 31,229 वर्ग फुट में से केवल 6 मकान (7663 वर्ग फुट) आधिकृत था तथा शेष 23,566 वर्ग फुट खाली रहा क्योंकि अधिभोक्ताओं का गोदावरीखानी में

स्थानांतरण हो गया था। यद्यपि, कार्यालय के स्थान परिवर्तन के पश्चात उपरोक्त अवसरंचना के बाड़े भाग की आवश्यकता नहीं थी तथा अप्रयुक्त रहा फिर भी सीएमपीएफओ ने उसके उपयोग हेतु किसी योजना पर विचार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, आठ वर्षों से अधिक के बीत जाने के बावजूद वह अपने स्वंय के प्रयोजन हेतु उपरोक्त खाली स्थान का कोई लाभकारी उपयोग करने में विफल रहा तथा इस तथ्य के बावजूद कि स्थान हैदराबाद के सर्वोत्तम स्थान पर स्थित था, इसने खाली स्थान को किराए पर देने के अवसर का अन्वेषण भी नहीं किया था। केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के 2434 वर्ग फुट के उपयोग हेतु जून 2014 में प्राप्त प्रस्ताव को भी प्रभावशाली रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे बढ़ाया कि सीएमपीएफओ के उच्च प्रबंधन ने भी जुलाई 2007 में कार्यालय के स्थान परिवर्तन से कभी भी व्यर्थ कार्यालय तथा आवासीय स्थान के लाभकारी उपयोग की संभाव्यता पर विचार नहीं किया था तथा आज तक सीएमपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों में इसकी कभी चर्चा नहीं की गई थी। 2014-15 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, सीएमपीएफओ ने हैदराबाद में कार्यालय तथा आवासीय परिसर के लिए अनुरक्षण, सुरक्षा, बिजली तथा जल प्रभारों, नगरपालिका कर आदि हेतु ₹108.09 लाख का व्यय किया था तथा इसी अवधि के दौरान सीएमपीएफओ ने गोदावरीखानी में कार्यालय तथा आवासीय स्थान का अधिग्रहण करने के लिए एससीसीएल को किराए के रूप में ₹25.63 लाख अदा किया। इस प्रकार, सीएमपीएफओ द्वारा निर्मित हैदराबाद में कार्यालय स्थान तथा आवासीय परिसर अनुरक्षण व्यय के कुछ भाग की पूर्ति करने की पूर्वोल्लेखित संभाव्यता के अतिरिक्त आठ वर्षों से अधिक के लिए सगंठन के किसी उद्देश्य को पूरा किए बिना व्यर्थ पड़ा था। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति के यथोचित किराए, जैसा कि मार्च 2014 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अति संतुलित अनुमान द्वारा, निर्धारित किया गया था, के उपलब्ध अभिलेखों पर विचार करते हुए सीएमपीएफओ ने ₹66.46 लाख¹ का किराया, मार्च 2014 से दिसंबर 2015 तक, जब से हैदराबाद के सर्वोत्तम स्थान पर स्थान अप्रयुक्त पड़ा था, पिछले 22 महीनों के लिए परिकलित किया गया, प्राप्त करने के

¹ खाली कार्यालय तथा आवासीय स्थान (10000 वर्ग फुट +23566 वर्ग फुट) ₹9 प्रति वर्ग फुट×22 माह

अवसर को खोया। पहले की अवधि हेतु पुर्वानुमानित किराया स्पष्ट किराया सूची के अभाव में निर्धारित करने योग्य नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2015) कि हैदराबाद कार्यालय की ईमारत को एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इस उद्देश्य हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव ट्रस्टी बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रबंधन का तर्क प्रत्यायक नहीं है क्योंकि हैदराबाद में कार्यालय तथा आवासीय परिसर 2007 से खाली पड़ा था तथा पिछले आठ वर्षों के दौरान हैदराबाद में खाली स्थान के लाभकारी उपयोग हेतु कोई लाभदायक कार्य नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में सुविधाओं के लाभकारी उपयोग हेतु सीएमपीएफओ द्वारा की गई पहल के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।

इस प्रकार, सीएमपीएफओ की ओर से आठ वर्षों से अधिक के लिए खाली पड़े अपने कार्यालय स्थान तथा आवासीय परिसर का लाभकारी उपयोग करने करने हेतु पहल की कमी के कारण सीएमपीएओ ने हैदराबाद के सर्वोत्तम स्थान पर स्थित अवसरंचना के लाभों से अपने आप को वंचित रखा तथा मार्च 2014 से दिसंबर 2015 तक की अवधि के लिए अप्रयुक्त स्थान से ₹66.46 लाख का किराया प्राप्त करने का अवसर भी खोया।

अध्याय V : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण

5.1 सेवा कर के गैर-संग्रहण के कारण परिहार्य व्यय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों तथा वकीलों, जिनसे इसके द्वारा विधिक सेवाएं प्राप्त की गई थी, से सेवा कर के गैर-संग्रहण का परिणाम ₹6.15 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) की भारत सरकार द्वारा 'कृषीय एवं संसाधित खद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985' (अधिनियम) के तहत 13 फरवरी 1986 को स्थापना की गई थी। एपीईडीए की अनुसूचित उत्पादनों (कुछ कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादनों को शामिल करके) के निर्यात के विकास तथा प्रोत्साहन हेतु गठित किया गया था। अपने उद्देश्यों के वृद्धि में एपीईडीए कुछ शुल्कों के बदले में अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों को विभिन्न सेवाएं अर्थात् निर्यातकों का पंजीकरण, तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणन, व्यवसाय प्रदर्शनी सेवाएं, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है।

अक्तूबर 2014 में, सेवा कर प्राधिकारियों ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए उपरोल्लेखित सेवाओं के संबंध में सेवा कर देयता के रूप में एपीईडीए पर ₹12.02 करोड़ की मांग प्रस्तुत की। एपीईडीए ने, सेवा कर प्राधिकरण के मांग के प्रत्युत्तर में, सेवाओं के प्राप्तकर्त्ताओं/प्रदात्ताओं से इसका संग्रहण किए बिना, जुलाई 2012 से मार्च 2014 की अवधि के लिए सेवा कर के रूप में ₹3.17 करोड़ जमा कराया।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2015) कि वित्त अधिनियम, 1994, जैसा वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से संशोधन किया गया, के अनुसार, एपीईडीए निर्यातकों को प्रदान की गई उपरोल्लेखित सेवाओं पर तथा इसके द्वारा वकीलों

से विधिक तथा व्यवसायिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय पर भी सेवा कर का संग्रहण करने का उत्तरदायी था। तथापि, एपीईडीए ने अधिनियम के तहत कर योग्य सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं/प्रदाताओं से सेवाकर का संग्रहण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, इसको अपने स्वयं के साधनों से ₹3.17 करोड़ का सेवा कर जमा करना था। सेवा कर प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांग को ₹8.85 करोड़ के बचे हुए शेष को वर्ष 2014-15 के लिए एपीईडीए की लेखापुस्तिकाओं में आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकृत किया गया था। एपीईडीए ने आगे अपने लेखाओं में 2014-15 तथा 2015-16 (28 जून 2015 तक) की अवधि के लिए ₹2.98 करोड़ की सेवा कर देयता हेतु प्रावधान किया है। बाद में, 2 जून 2015 को हुई एपीईडीए प्राधिकरण की 84वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एपीईडीए ने 29 जून 2015 से निर्यातकों से सेवा कर का संग्रहण करना प्रारम्भ किया है तथा 30 सितंबर 2015 तक सेवा कर प्राधिकारियों को ₹0.74 करोड़ जमा किया है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (सितंबर 2015) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹3.17 करोड़ की राशि सेवा कर प्राधिकारियों को अपने स्वयं के साधनों से अदा की गई है। एपीईडीए ने यह भी सूचित किया कि एपीईडीए द्वारा निर्यातकों को प्रदान की जा रही सेवा को सेवा कर से मुक्त कराए जाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय (एपीईडीए का प्रशासनिक मंत्रालय) ने वित्त (एमओएफ) को एपीईडीए द्वारा प्रस्तुत गतिविधियों को वित्त अधिनियम 2012 द्वारा प्रारम्भ की गई नकारात्मक सूची में शामिल करने का अनुरोध किया (सितंबर 2014) था; फिर भी अब तक (सितंबर 2015) एमओएफ से कोई उत्तर नहीं मिला था।

तथ्य है कि एपीईडीए द्वारा प्रदान की गई सेवाएं वित्त अधिनियम 1994, जिसका वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से किया गया, के तहत सेवा कर के अधीन थीं परंतु एपीईडीए ने 28 जून 2015 तक सेवा कर का संग्रहण नहीं किया था। इस प्रकार, एपीईडीए द्वारा अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों तथा^w वकीलों, जिनसे इसके द्वारा विधिक सेवाएं प्राप्त की गई थीं; से सेवा कर के गैर-संग्रहण का परिणाम ₹6.15 करोड़¹ के परिहार्य व्यय में हुआ। इसके

¹ लेखा खाते में ₹3.17 करोड़ सहित ₹2.98 करोड़ दिए गए।

अतिरिक्त ₹8.85 करोड़ के अतिरिक्त परिहार्य व्यय की संभावना है, जिसके लिए एपीईडीए द्वारा पहले ही अपने लेखाओं में आकस्मिक देयता स्वीकृत की गई है।

अध्याय VI : संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान

6.1 विलंब तथा मंत्रालय के अनिर्णय का परिणाम राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान की इमारत के निर्माण लागत में पाँच गुणा से अधिक की वृद्धि में हुआ।

संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत के लिए निर्माण अभियान के अनुमोदन में एक दशक से भी अधिक का विलंब किया, जिसके परिणामस्वरूप लागत में ₹75.40 करोड़ की वृद्धि हुई तथा नोएडा प्राधिकरण को ₹52.80 लाख के जुर्माने का भुगतान हुआ।

राष्ट्रीय कला इतिहास, संरक्षण तथा म्यूज़्योलोजी संग्रहालय संस्थान (एन.एम.आई.) को जनवरी 1989 में संस्कृति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित किया गया तथा अप्रैल 1989 में सम विश्वविद्यालय¹ घोषित किया गया।

एन.एम.आई. ने नवम्बर 2001 में ₹45.38 लाख के एकमुश्त पट्टा किराया के लिए नोएडा प्राधिकरण से 12000 वर्ग मीटर के माप की भूमि के खरीद के लिए एक पट्टा विलेख लागू किया। पट्टा विलेख के अनुसार, इमारत का निर्माण बीमा किस्त का पाँच वर्षों (अर्थात्, नवम्बर 2006) तक किया जाना था, ऐसा न करने पर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत का जुर्माना भुगतान किया जाना था।

एन.एम.आई. ने संस्कृति मंत्रालय के समक्ष छात्रावास, अतिथि-गृह एवं कर्मचारी आवासों के निर्माण हेतु जनवरी 2003 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मंत्रालय ने फरवरी 2003 में, प्रारंभिक रूप से यह कार्य भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) को सौंपने का निर्णय लिया, जिन्होंने जनवरी 2004 में ₹15 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया था। दिसंबर 2004 में, हालाँकि, मंत्रालय ने निर्माण-कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के द्वारा करवाने का निर्णय लिया, जिसने नवंबर 2006 में ₹26.62 करोड़ का अनुमान और अक्टूबर 2008 में ₹33.39 करोड़ का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया था।

¹ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसाओं पर।

मार्च 2010 में मंत्रालय ने एक बार फिर अपना निर्णय बदला और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन.सी.एस.एम.) को इस परियोजना हेतु एक संकल्पित योजना बनाने का निर्देश दिया। एन.सी.एस.एम. ने अक्टूबर 2010 में ₹61.02 करोड़ के अनुमान के साथ संकल्पित योजना प्रस्तुत किया। जून 2011 में एन.सी.एस.एम परियोजना से हट गया। अक्टूबर 2013 में मंत्रालय के अनुरोध पर, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने ₹82.27 करोड़ का नया अनुमान दिसंबर 2013 में प्रस्तुत किया, जिसे मार्च 2014 में सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में गठित स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) के द्वारा ₹90.40 करोड़ में संशोधित किया गया। मंत्रालय ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी और अगस्त 2014 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को धनराशि संस्वीकृत कर दी थी। इसी बीच, जुलाई 2014 में, नोएडा प्राधिकारियों ने पट्टा अनुबंध होने के पाँच वर्षों के भीतर भवन का निर्माण पूरा नहीं करने के लिए एन.एम.आई. पर ₹52.80 लाख का दण्ड लगा दिया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि धन की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, चूंकि, फरवरी 2007 में भी, परियोजना के लिए ₹50 लाख का आबंटन हुआ था, और मंत्रालय को मसौदा व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) प्रस्ताव (फरवरी 2007) यह संकेत करता था कि धनराशि 2006-07 से 2009-10 तक चरणवद्ध तरीके से उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के विवेचना सं संबंधित किसी भी दस्तावेज में धन की अनुपलब्धता का जिक्र नहीं किया गया था।

इस प्रकार, संस्कृति मंत्रालय के निष्पादन अभिकरण के चयन पर एक दशक से अधिक तक निर्णय नहीं लेने और राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान भवन के निर्माण कार्य को नहीं सौंपने के परिणामस्वरूप लागत मूल्य ₹15 करोड़ से बढ़कर ₹90.40 करोड़ पर पहुँच गया और जिसके परिणामस्वरूप नोएडा प्राधिकरण द्वारा ₹52.80 लाख का दण्ड भी लग गया।

कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान

6.2 कूथम्बलम के नवीकरण पर निष्फल व्यय

खराब योजना तथा एफसी की स्वीकृति के बिना कार्य के क्षेत्र में वृद्धि का परिणाम ₹1.41 करोड़ से ₹7.63 करोड़ तक व्यय की प्रबल वृद्धि में हुआ तथा ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का परियोजना की समाप्ति हेतु निर्धारण किया गया था।

भारत कलाक्षेत्र सभागार जिसे कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान (के.एफ.) का “कूथम्बलम” कहा जाता है, का वर्ष 1985 में निर्माण तथा उद्घाटन किया गया था। के.एफ. ने ₹63 लाख की अनुमानित लागत पर ध्वनि एवं प्रकाश उपकरणों का सुधार करने का निर्णय लिया (फरवरी 2006)। बाद में वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित बजट अनुमानों की स्वीकृति के समय जी.बी. ने सभागार के अन्य सुधारों को भी स्वीकृत किया (सितंबर 2006) तथा वित्त समिति (एफ.सी.) के निर्देशों के तहत ₹140.55 लाख (₹80.55 लाख सरंचना सुधार हेतु तथा ₹60 लाख ध्वनि प्रणाली का सुधार करने के लिए) का प्रावधान किया। मामले को एफ.सी. द्वारा आस्थागित (जून 2007) कर दिया गया था परंतु इसे जुलाई 2008 में एफ.सी. द्वारा फिर से स्वीकृत किया गया था।

मई 2009 में जी.बी. ने एक सिविल निर्माण कार्य सलाहकारी समिति (सी.डब्ल्यू.ए.सी.) का गठन करने का निर्णय लिया। सी.डब्ल्यू.ए.सी. के सभी प्रस्तावों को निविदों की मांग करने से पूर्व स्वीकृति हेतु एफ.सी. तथा जी.बी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। सी.डब्ल्यू.ए.सी. ने के.एफ. में सुधार करने/विभिन्न परियोजनाओं के विस्तार हेतु सलाहकार वास्तुकार के रूप में वास्तुशिल्पीय अनुसंधान एवं डिजाईन केन्द्र (मैसर्स कार्ड) को नियुक्त किया (सितंबर 2009)। सलाहकार वास्तुकार को अनुबंध की धारा 2.09 के तहत निविदाओं को आमंत्रित करने, प्राप्त करने तथा विश्लेषण करने और ठेकेदारों की नियुक्ति पर के.एफ. को सलाह देने की शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। सलाहकार वास्तुकार की सिफारिशों पर (तीन ठेकेदारों से सीमित निविदा पूछताछ करने के पश्चात) के.एफ. ने ₹2.19 करोड़ की लागत पर कूथम्बलम के वृद्धि, सुधार कार्य तथा सिविल निर्माण कार्य को मैसर्स चैन्नई इंजीनियर्स को सौंपा (जुलाई 2010)।

के.एफ. ने नामांकन आधार पर ध्वनि प्रणाली के सुधार, शिला प्रतिमा कार्य तथा मंच प्रकाशन प्रणाली के सुधार हेतु तीन सलाहकारों² को नियुक्त किया। बाद में तापन, संवाती एवं वातानुकूलन कार्य (एच.वी.ए.सी.) तथा विधुत कार्य हेतु उप-सलाहकार की मैसर्स कार्ड द्वारा नियुक्ति की गई थी। इन पांच सलाहकारों ने बदले में सीमित निविदा आधार पर विभिन्न ठेकेदारों/आपूर्ति के माध्यम से विभिन्न कार्यों को निष्पादित किया। सौंपे गए कार्य का कुल मूल्य ₹7.63 करोड़ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2013) ने प्रकट किया कि:

- सलाहकार वास्तुकार को संकल्पना डिजाईन चरण पर सरंचनात्मक स्थिरता पर रिपोर्ट तैयार करनी है जैसा अनुबंध के पैरा 2.02 में अभिकल्पना की गई है। तथापि, सरंचनात्मक स्थिरता जांच सिविल निर्माण कार्य (जुलाई 2010) के प्रारम्भ होने के काफी बाद की गई थी (सितम्बर 2010) जिसका परिणाम अत्यधिक परिवर्तनों में हुआ।
- सलाहकारों द्वारा तैयार अनुमान की जांच करने/प्राधिकृत करने की सी.डब्ल्यू.ए.सी. की कार्यवाही अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी तथा निविदा की मांग करने से पूर्व स्वीकृति हेतु एफ.सी. को प्रस्तुत भी नहीं किया गया था।
- नियुक्त सलाहकारों ने विभिन्न ठेकेदारों को निर्माण कार्य सौंपने के लिए जी.एफ.आर. के नियम 150 के उल्लंघन में सीमित निविदा पुछताछ का अनुपालन किया था।
- अक्तूबर 2010 में प्राप्त किए गए मंच प्रकाशन एवं पर्दा प्रणाली के सुधार हेतु उपसाधनों (₹0.70 करोड़), एच.वी.ए.सी. उपकरण (₹0.84 करोड़), विद्युत उपकरण (₹0.23 करोड़) को सिविल निर्माण कार्यों के गैर-समापन के कारण अभी भी उपयोग में लाया जाना था।
- सिविल निर्माण कार्य के प्रारम्भ (जुलाई 2010) से काफी पहले प्राप्त किए गए (नवम्बर 2009 से मार्च 2011) ₹1.46 करोड़ की लागत के

² मैसर्स साउंड विजार्ड (ध्वनि प्रणाली का सुधार), उमापती आचार्य (शिला प्रतिमा कार्य), श्री गौतम भट्टाचार्य (मंच प्रकाशन प्रणाली तथा पर्दा प्रणाली का सुधार)

ध्वनि उपकरण जिनकी वारंटी अवधि समाप्त हो गई थी तथा उनका अन्य सभागार में आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

- यद्यपि जी.बी. ने ₹140.55 लाख स्वीकृत (सितंबर 2006) किए थे फिर भी एफ.सी. की स्वीकृति के बिना विभिन्न ठेकेदारों को कुल ₹7.63 करोड़ का कार्य सौंपा गया था। के.एफ. ने जी.बी. से निर्माण कार्य, जिस पर पहले ही ₹7.02 करोड़ का व्यय किया गया था, हेतु कार्योत्तर स्वीकृति की मांग (अप्रैल 2012) की। तथापि जी.बी. ने निश्चय किया कि कूथम्बलम में आगे के कार्य को बंद किया जाएगा क्योंकि प्रस्ताव में नवीकरण की आवश्यकता, शासी मंडल से विशिष्ट स्वीकृतियों, वास्तुकार/सलाहकार के चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, जी.एफ.आर. के अनुरूप प्रक्रियाओं को न अपनाए जाने के औचित्य आदि के संबंध में पर्याप्त सूचना नहीं थी।
- के.एफ. ने कूथम्बलम परियोजना के अंतर्गत शेष कार्य के समापन हेतु ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का निर्धारण (जून 2014) किया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2015) में जी.एफ.आर. मापदण्डों की गैर-अनुपालना तथा प्रारम्भ किए जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में प्रारम्भ में स्पष्ट धारणा के अभाव को स्वीकृत किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि यद्यपि वास्तुकार ने विशिष्टताएं, कार्यकारी आरेखन तथा संक्षेप अनुमान प्रस्तुत किए थे फिर भी अनुमान में सी.पी.डब्ल्यू.डी. प्रारूप के अनुसार प्रमात्रा व्युत्पत्ति तथा दर विश्लेषण शामिल नहीं था। तथापि उत्तर सी.डब्ल्यू.ए.सी. द्वारा निविदाओं की मांग करने से पूर्व एफ.सी. को निर्माण कार्य अनुमान के गैर प्रस्तुतीकरण के संबंध में मौन है।

इस प्रकार खराब योजना तथा एफ.सी. की स्वीकृति के बिना कार्य के क्षेत्र में वृद्धि का परिणाम ₹1.41 करोड़ से ₹7.63 करोड़ तक व्यय की प्रबल वृद्धि में हुआ तथा ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का परियोजना की समाप्ति हेतु निर्धारण किया गया था।

सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

6.3 निष्क्रिय निवेश एवं किराए का परिहार्य भुगतान

सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र को 1998 में उदयपुर, राजस्थान में अपने क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि का एक प्लॉट आवंटित किया गया था। हालांकि, परियोजना पर ₹3.09 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी निर्माण कार्य अभी शुरू होना था जिसके कारणवश निधियाँ अवरुद्ध हुई थीं। इसी बीच किराए पर दिए गए परिसरों के माध्यम से सी.सी.आर.टी. की गतिविधियों के कारणवश ₹1.19 करोड़ तक के किराए का परिहार्य व्यय हुआ था।

सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी.सी.आर.टी.) ने विविधता लाने, विकेन्द्रित करने तथा अपनी गतिविधियों में वृद्धि करने की दृष्टि से किराए के परिसर में 1994-95 में उदयपुर राजस्थान में क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की थी। सी.सी.आर.टी.के निवेदन के आधार पर (दिसम्बर 1995), राज्य सरकार ने ₹2.64 लाख की लागत पर पट्टे पर 2.28 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी (मार्च 1998)। सी.सी.आर.टी. एवं राजस्थान सरकार के बीच पट्टे विलेख पर हस्ताक्षर (अगस्त 1998) इस शर्त के साथ हुए थे कि भूमि के आवंटन की तिथि से एक वर्ष के भीतर इमारत का निर्माण कार्य की शुरूआत हो जानी चाहिए।

सी.सी.आर.टी. ने ₹7.44 लाख की लागत पर जून 1999 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से चारदिवारी का निर्माण संस्वीकृत किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2001 में चारदीवारी के निर्माण के पश्चात्, 2005 तक सी.सी.आर.टी. द्वारा आगे कोई प्रगति नहीं हुई थी जब उसने उदयपुर में इमारत के निर्माण को संस्वीकृति दी थी (मई 2005)। तदुपरांत सी.सी.आर.टी. के निवेदन पर, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने जुलाई 2005 में उदयपुर में इमारत के निर्माण हेतु ₹3.85 करोड़ की अनुमानित लागत (लगभग) को सूचित किया था।

राज्य सरकार ने भूमि के आवंटन के रद्दीकरण हेतु सी.सी.आर.टी. को नोटिस दिया (मई 2006) था क्योंकि आवंटित भूमि पर कोई निर्माण नहीं हुआ था। सी.सी.आर.टी. ने विलंब के कारणों को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार से नोटिस को वापस लेने का निवेदन किया था। हालांकि, सी.सी.आर.टी., राज्य सरकार की

प्रतिक्रिया को प्राप्त किए बिना इमारत के निर्माम हेतु मार्च 2008 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ स.जा. कर लिया तथा मार्च 2008 से अप्रैल 2010 की अवधि के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. को ₹2.71 करोड़ जारी कर दिए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसी दौरान, 2007 में भूमि का हस्तांतरण शहरी विकास न्यास (श.वि.न्या.) को कर दिया गया था।

जब सी.सी.आर.टी. बोरवेल की खुदाई हेतु संस्वीकृती प्राप्त करने के लिए शहरी विकास न्यास के पास पहुँची (अक्टूबर 2014) तो उस ने पाया कि 2007 में ही यू.आई.टी. को भूमि को हस्तांतरित कर दिया गया था। तत्पश्चात्, सी.सी.आर.टी./मंत्रालय ने वापिस अपने नाम पर भूमि को करने के लिए मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाया। मार्च 2015 में, राज्य सरकार ने ₹21.10 लाख के भुगतान पर सी.सी.आर.टी. को भूमि वापस देने का निर्णय लिया था। जून 2015 में ₹21.10 लाख के भुगतान करने के पश्चात् सी.सी.आर.टी. को भूमि का अधिकार औपचारिक रूप से प्रदान कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यू.आई.टी. से सितम्बर 2015 तक ड्राइंगों की अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि वह मौजूदा उपनियमों के अनुसार नहीं थे। संशोधित ड्राइंग संस्वीकृति हेतु अभी तक प्रस्तुत किया जाना शेष था (दिसम्बर 2015)। सी.सी.आर.टी. ने भूमि की लागत, चारदीवारी के निर्माण तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. को भुगतान के प्रति ₹3.09 करोड़ का व्यय कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय केन्द्र किराए के आवास से कार्य कर रहा था और अप्रैल 1998 से दिसम्बर 2015 तक किराए के प्रति ₹1.19 करोड़ का व्यय कर दिया गया था। यदि आबंटित भूमि पर क्षेत्रीय केन्द्र का कार्य किया जाता तो इससे बचा जा सकता था।

इस प्रकार, भूमि के आवंटन के 17 वर्षों से अधिक बीत जाने तथा अक्टूबर 2015 को ₹3.09 करोड़ की भूमि की लागत के बावजूद, निर्माण गतिविधि की शुरुआत अभी तक की जानी थी। परिणामस्वरूप, सी.सी.आर.टी. को किराए की इमारत के लिए ₹1.19 करोड़ तक के किराए का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सी.सी.आर.टी. ने बताया (सितम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015) कि जून 2006 के रद्दीकरण आदेशों की प्रति मंत्रालय या सी.सी.आर.टी. द्वारा प्राप्त नहीं हुआ

था। हालांकि, जून 2015 में यू.आई.टी. को भुगतान करने के पश्चात्, भूमि का अधिकार सी.सी.आर.टी. को वापस मिल गया था। उसने यह भी बताया कि शीघ्रतिशीघ्र निर्माण की शुरूआत करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे थे।

यह तथ्य कि 2014 तक सी.सी.आर.टी. को भूमि की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं था जो दर्शाता है कि वह परियोजना के कुशल संचालन में विफल रहे। इसके कारण ₹3.09 करोड़ का निष्फल निवेश तथा किराए के प्रति ₹1.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

मंत्रालय को मामले की सूचना दे दी गई थी (नवम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

अध्याय VII : विदेश मंत्रालय

- 7.1 नागरिकता के परित्याग तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग के प्रति प्रभारित शुल्कों/दण्डों पर विनिमय दर के गलत अभिग्रहण के कारण राजस्व का कम संग्रहण किया गया

जून 2010 में भारतीय उच्चायोग (एच.सी.आई.) ओटावा तथा टोरंटो एवं बेनकोवर में इसके वाणिज्य दूतावासों द्वारा वीज़ा शुल्कों हेतु विनिमय दर, जैसी नियमपुस्तिका के अंतर्गत अपेक्षित है, के बावजूद प्रचालित विनिमय दर के गलत अभिग्रहण तथा बाद में मार्च 2013 में भारतीय नागरिकता के परित्याग हेतु सेवा शुल्कों तथा पासपोर्टों के दुरुपयोग पर दण्ड के अनुचित अधोमुखी संशोधन के परिणामस्वरूप ₹27.01 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

नागरिकता नियमावली 2009 जो 25 फरवरी 2009 से लागू हुई, की सारणी-IV तथा पासपोर्ट नियमपुस्तिका 2010 (अध्याय 29 पैरा 5(ii)) के अनुसार, विदेश में नागरिकता के परित्याग हेतु ₹7,000 का सेवा शुल्क प्रभारित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट नियमपुस्तिका 2010 (अध्याय 29 पैरा 5(iv के तथा छ)) विदेशी पासपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात तीन वर्ष तक पासपोर्ट का अवृद्धिर्पेण न करने परंतु उसका एक बार यात्रा हेतु उपयोग किए जाने हेतु अथवा जब पासपोर्ट तीन वर्षों से अधिक के लिए रखा गया है तो ₹10,000 के दण्ड को निर्धारित करती है। नियमपुस्तिका आगे प्रावधान करती है कि लागू स्थानीय मुद्रा में दण्ड के संग्रहण हेतु विनिमय की दर परिकलन/वीज़ा परिवर्तन/अन्य वाणिज्यदूतीय सेवाओं हेतु उपयोग की जा रही विनिमय दर के बराबर थी। इसके अतिरिक्त, मिशन द्वारा परित्याग शुल्कों हेतु अपनाई गई विनिमय दर पासपोर्ट के दुरुपयोग हेतु दण्ड के लिए उपयोग की गई दर के बराबर है।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2014) कि एच.सी.आई., ओटावा तथा टोरंटो एवं बेनकोवर में इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दो वाणिज्य दूतावासों द्वारा वीज़ा सेवाओं हेतु उपयोग की गई विनिमय दर 1 कनाडियन डॉलर (सी \$)=₹29.23¹ थी। तथापि, वीज़ा सेवाओं हेतु उपयोग की जा रही उपर्युक्त विनिमय दर, जैसी पासपोर्ट नियमपुस्तिका के अंतर्गत निर्धारित की गई है, को अपनाने के बजाए

¹ वीज़ा सेवाओं हेतु उपयोग की गई 1 मार्च 2002 से 30 सितम्बर 2012 तक 1 सी \$=₹29.23

इन मिशनों/पोस्टों ने दण्ड तथा परित्याग शुल्क दोनों हेतु स्थानीय मुद्रा के लिए जून 2010 में 1 सी \$=₹41.66² पर प्रचलित सरकारी विनिमय दर को लागू किया था। तदनुसार, एच.सी.आई., ओटावा ने वीज़ा सेवाओं हेतु उपयोग किए जा रही विनिमय की दर के अनुसार परित्याग शुल्क हेतु सी \$240 (₹7000/₹29.23) तथा दण्ड हेतु सी \$343 (₹10,000/₹29.23) के स्थान पर परित्याग शुल्क को सी \$168 (₹7000/₹41.66) पर निर्धारित किया (जून 2010) तथा दण्ड सी \$240 (₹10,000/₹41.66) पर प्रभारित किया जाना था। जून 2010 से फरवरी 2013 तक की अवधि के दौरान गलत शुल्क 17,664 परित्याग मामलों तथा 797³ पासपोर्ट दुरुपयोग मामलों में लगाया गया था। इसका परिणाम सी \$13,53,899 (₹6.05 करोड़⁴) के राजस्व की हानि में हुआ है।

मंत्रालय ने मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पासपोर्ट शुल्क तथा पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को संशोधित (अक्तूबर 2012) किया था। मंत्रालय ने, संशोधित पासपोर्ट शुल्क तथा संबंधित शुल्कों का संदर्भ लेते हुए, यह बताते हुए आगे स्पष्टीकरण (अक्तूबर 2012/दिसम्बर 2012) जारी किए कि उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना में केवल पासपोर्ट शुल्क तथा पासपोर्ट संबंधित सेवाएं शामिल थीं जैसा इसमें प्रगणित की गई है तथा इसलिए वाणिज्यदूतीय शुल्क की संरचना अपरिवर्तित रहेगी। मंत्रालय ने मिशन को सलाह (अक्तूबर 2012) भी दी की यदि स्थानीय मुद्रा का यूएस डॉलर के प्रति 10 प्रतिशत तक अथवा अधिक के मूल्यहास होता है तो शुल्क का स्थानीय मुद्रा के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2014) कि एच.सी.आई., ओटावा तथा बेनकोवर एवं टोरंटो में इसके वाणिज्य दूतावासों ने मंत्रालय द्वारा जारी उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बावजूद अक्तूबर 2012⁵ की सरकारी विनिमय दर (1 सी \$=₹018) का प्रयोग करके मार्च 2013 में परित्याग हेतु सेवा शुल्क का सी \$168 से सी \$126 तक तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग पर दण्ड का सी \$240 से सी \$180 तक फिर से अधोमुखी संशोधन किया था। सेवा शुल्क का अधोमुखी संशोधन 1 मार्च

² 1 सी \$=₹41.66 जून 2010 में प्रचलित विनिमय दर

³ भारत के महावाणिज्य दूतावास, बेनकोवर ने जून 2010 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि हेतु पासपोर्ट के दुरुपयोग पर डाटा प्रदान नहीं किया था।

⁴ जून 2010 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान रूपये के अनुसार राजस्व की हानि का परिकलन करने हेतु मई 2011 माह के न्यूनतम विनिमय दर 1 सी \$=₹44.69 को माना गया है।

⁵ 1 सी \$=₹018 अक्तूबर 2012 में प्रचलित विनिमय दर

2013 से 22 जनवरी 2015 की अवधि के दौरान 27,057 परित्याग मामलों तथा 5,125 पासपोर्ट दुरुपयोग मामलों पर लागू किया गया था। इस प्रकार, प्रचलित सरकारी विनिमय दर पर आधारित परित्याग शुल्कों तथा दण्ड पर ऐसे गलत अधोमुखी संशोधन के कारण मिशन ने सी \$39,19,873 (₹20.96 करोड़⁶) के राजस्व की हानि वहन की।

उत्तर में, मिशन ने बताया (जनवरी 2015) कि पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क तथा संबंधित दण्ड के पुनर्निधारण में चूक न तो साभिप्राय थी और न ही मिशन की ओर से एक अनभिप्रेत गलती थी बल्कि मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों में अस्पष्टता तथा इस मामले पर स्पष्टीकरण हेतु मिशन के अनुरोध (अक्तूबर 2014) का उत्तर देने में मंत्रालय द्वारा विलम्ब के कारण थी। मिशन ने आगे बताया (सितम्बर 2015) कि शुल्कों का संशोधन 22 जनवरी 2015 को मंत्रालय से स्पष्टीकरण की प्राप्ति के पश्चात किया गया था।

मिशन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिशन को मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पासपोर्ट नियमपुस्तिका के प्रावधान अपनाए जाने वाले विनिमय दर पर स्पष्ट थे। इसके अतिरिक्त, तथ्य कि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए अन्य मिशनों ने परित्याग शुल्क तथा पासपोर्ट दुरुपयोग हेतु दण्ड के लिए विनिमय दर को लागू करने में पासपोर्ट नियमपुस्तिका के प्रावधानों की अनुपालना की थी जो यह भी दर्शाता है कि नियमपुस्तिका के प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं थी जिसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।

मिशन ने लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर मंत्रालय के स्पष्टीकरण की अनुपालना करते हुए 23 जनवरी 2015 से परित्याग शुल्क तथा पासपोर्ट दुरुपयोग हेतु दण्ड का सही प्रकार से संशोधन किया।

इस प्रकार, जून 2010 में कर्नाटा में मिशन तथा पोस्ट द्वारा प्रचलित सरकारी दर के अनुचित अभिग्रहण तथा बाद में मार्च 2013 में भारतीय नागरिकता के परित्याग हेतु सेवा शुल्कों, पासपोर्टों के दुरुपयोग पर दण्डों के अनुचित अधोमुखी

⁶ रूपये के अनुसार राजस्व की हानि का परिकलन करने हेतु मार्च 2013 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान माह अप्रैल 2013 को सबसे कम विनिमय दर सी \$=₹53.47 पर विचार किया गया है।

शोधन का परिणाम ₹27.01 करोड़ (₹6.05 करोड़ + ₹20.96 करोड़) के राजस्व की हानि में हुआ।

7.2 सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ

सामान्य सेवा प्रभार जी.बी.पी. 7.70 के स्थान पर विवेकाधीन दर (ग्रेट ब्रिटेन पांडड 25) पर सेवा प्रभार पर फास्ट ट्रैक व्यापार वीजा के नियंत्रण की स्वीकृति देने के कारणवश मार्च 2010 से फरवरी 2015 के दौरान सेवा प्रदाता को ₹10.72 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

वित्तीय नियमावली परिकल्पित करती है कि सार्वजनिक हित में माल प्रापण की वित्तीय शक्तियों वाले प्रत्येक प्राधिकरण के पास सार्वजनिक प्रापण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा आपूतिकर्त्ताओं के उचित एवं समान दर्जा देने हेतु और सार्वजनिक प्रापण से संबंधित मामलों में प्रभावकारिता, अर्थव्यवस्था लाने के लिए जिम्मेदारी एवं जवाबदेही होगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय या विभाग अर्थव्यवस्था के हित में कुछ सेवाओं को ऑउटसोर्स कर सकते हैं और वह निर्दिष्ट मूल दिशानिर्देशों (सेवाओं की ऑउटसोर्सिंग, नियम 178) का उल्लंघन किए बिना इस उद्देश्य हेतु विस्तृत दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकते हैं।

5 जुलाई 2006 दिनांक के परिपत्र सं.,005/सी.आर.डी./19 के माध्यम से सी.वी.सी. ने निर्धारित किया कि सभी मंत्रालयों को निर्माण कार्यों/क्रय/परामर्शों संविदाओं में पारदर्शिता रखनी चाहिए और बताया कि संविदा प्रक्रिया अथवा सार्वजनिक निलामी, किसी अन्य पद्धति की तरह, किसी भी सरकारी अभिकरण द्वारा संविदा प्रदान करने हेतु एक मूल आवश्यकता है जो सामानता के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14, जो सभी इच्छुक दलों हेतु सामानता का अधिकार लागू करता है।

भारतीय उच्चायोग, लंदन (मिशन) ने 24 जनवरी 2008 को पांच वर्षों के लिए विभिन्न वीजा सहायता सेवाओं हेतु वी.एफ. सेवा (यू.के.) लिमि., सेवा प्रदाता (एस.पी.) के साथ अनुबंध किया था। अनुबंध का परिचालन 29 मई 2008 को किया गया था।

अनुबंध के अनुसार, एस.पी., अन्य के साथ, वीजा आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिए, वीजा शुल्क स्वीकार करने के लिए तथा मिशन के बैंक खाते में मिशन को देय शुल्क का भुगतान करने के लिए, संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए वीजा आवेदनों की संवीक्षा करने, प्रत्येक दिन में दो बार मिशन को पासपोर्ट के साथ पूरे आवेदन पत्र प्रेषित करने, प्रत्येक दिन दो बार मिशन से संसाधित आवेदन एकत्रित करने, आवेदनकर्ताओं को पासपोर्ट वापसी करने, उचित अभिलेखों, खातों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षा, टेलीफोन पूछताछ प्रणाली, प्रगति ट्रैकिंग प्रणाली तथा आकस्मिता योजना को अनुरक्षित करने लिए जिम्मेदार है। अनुबंध के अनुसार, पासपोर्ट धारकों के प्रभार प्रत्येक पासपोर्ट हेतु उचित निर्धारित वीजा शुल्क के साथ एस.पी. सेवा प्रभार जो कि प्रत्येक वीजा आवेदन पर जी.बी.पी. 6.90 से अधिक नहीं होना चाहिए। एस.पी. के सेवा प्रभार की राशि, अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए निर्धारित रहनी थी तथा इसमें केवल तभी परिवर्तन किया जा सकता था जब स्थानीय करों या वैट में कोई परिवर्तन हुआ हो। तदनुसार, सितम्बर 2011 में एस.पी. का सेवा प्रभार जी.बी.पी. 7.70 तक बढ़ा दिया गया था।

मिशन ने फास्ट ट्रैक व्यापार वीजा (एफ.टी.बी.वी) की सेवा शुरू की (मार्च 2010) जिसमें अतिरिक्त वीजा शुल्क तथा सेवा प्रभार का भुगतान करके व्यापार वीजा उसी दिन जारी कर दिया जाएगा। सेवा प्रभारों को एस.पी. द्वारा एकत्रित तथा अपने पास रखना था। मिशन ने प्रत्येक ऐसे वीजा हेतु जी.बी.पी. 25 का सेवा प्रभार निर्धारित किया था। एस.पी. को उपरोक्त अतिरिक्त कार्य देने के कारणवश एस.पी. को निम्नलिखित कारणों से अनुचित लाभ हुआ।

- प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा मूल्य पता लगाना जो कि सामान्य वित्तीय नियमावली तथा सी.वी.सी. दिशानिर्देशों द्वारा अधिदेशाधीन किया गया था, उसके बिना ही मौजूद एस.पी. (ठेकेदार) को अतिरिक्त कार्य दिया गया था;
- आरंभ में बिना प्रतिस्पर्धा एवं मूल्य का पता लगाए, एफ.टी.बी.वी. को दिए गए अतिरिक्त कार्य की समीक्षा 5 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान

नहीं की गई थी। मंत्रालय के जून 2013⁷, अगस्त 2013⁸ एवं मई 2014⁹ में अपने संदेह प्रकट करने के बावजूद मिशन वर्तमान दर (प्रति आवेदन जी.बी.पी. 25) पर इस कार्य की आउटसोर्सिंग करता रहा। मंत्रालय आवश्यक रूप से एफ.टी.बी.वी. की आउटसोर्सिंग से समर्थन नहीं करता था तथा चाहता था कि ऐसे वीजाओं पर मिशन स्वयं काम करे;

- सेवा प्रभारों का अनुमान लगाते समय मिशन ने यथोचित परिश्रम नहीं किया था। प्रारंभ में, इसने जी.बी.पी. 50 का सेवा प्रभार प्रस्तावित किया था (अगस्त 2008) जिसे बाद में बिना विस्तृत लागत के अनुमान, बाजार के सर्वेक्षण और अध्ययन, तथा विक्रेता के साथ बातचीत किए बिना ही जी.बी.पी. 25 तक कम कर दिया गया था (अक्टूबर 2009)। यह तथ्य कि 15 मार्च 2010 से फरवरी 2015 के दौरान जी.बी.पी. 25 (नया अनुबंध) से प्रभावी सामान्य सेवा प्रभारों (जी.बी.पी. 7.44) पर उसी सेवा को प्रदान करने के लिए एस.पी. सहमत था जो यह इंगित करता है कि मिशन ने स्वेच्छा से मार्च 2010 में जी.बी.पी. 25 का सेवा प्रभार निर्धारित किया था।
- एफ.टी.बी.पी. को अतिरिक्त कार्य सौंपा जाना, एस.पी. पर किसी अतिरिक्त प्रक्रिया/गतिविधि का भार नहीं डालता था। एफ.टी.बी.वी. देने की प्रक्रिया में प्रत्येक दिन 1130 बजे तक आवेदनों को एकत्रित करना, मिशन तक इन आवेदनों का वितरण तथा उसी दिन 1600 बजे तक जारी किए गए वीजाओं को एकत्रित करना अपेक्षित था। इस अनुसूची में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एस.पी. पहले से ही आवेदनों के वितरण तथा प्रत्येक कार्य दिवस में दो बार पासपोर्टों को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार था (मिशन द्वारा समय निर्धारित किया जाना था)। उसी दिन वीजा जारी करने का अतिरिक्त भार, यदि कोई हो तो, मिशन पर था क्योंकि उन्हे प्रतिदिन आधार पर ऐसे मामलों का निपटान करना पड़ता था।

⁷ मंत्रालय के इं ग्राम सं.104 दिनांक 28 जून 2013

⁸ मैं के इं ग्राम सं. 132 दिनांक 13 अगस्त 2013

⁹ मंत्रालय की इं मेल सं.2154/जे.एस.(सी.पी.वी.)/2014 दिनांक 8 मई 2014

- जुलाई 2013 में वीजा कार्य के लिए नई निविदा करते समय मिशन ने कार्य के इस मद को शामिल नहीं किया। इससे मूल्य का पता लगाने में बाधा उत्पन्न हुई तथा सेवाओं की निरंतरता में अनिश्चितता हुई थी।

जब लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त तथ्यों को इंगित किया गया (अगस्त 2015), मिशन ने सेवा प्रभार के लगाए जाने को यह कहते हुए सही ठहराया कि जी.बी.पी. 25 को मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिली थी। मिशन का तर्क निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

- अतिरिक्त कार्य देने का निर्णय सामान्य वित्तीय नियमावली एवं सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।
- उसी स्तर (जी.बी.पी. 25) पर सेवा प्रभार के साथ एस.पी. के माध्यम से एफ.टी.बी.वी. हैंडलिंग के लिए वर्तमान व्यवस्था को निरंतर रखने के मिशन के प्रस्ताव के साथ मंत्रालय भी सहमत नहीं था (जुलाई 2013)।

इस प्रकार, जी.बी.पी. 7.70 के सामान्य सेवा प्रभार के स्थान पर प्रति मामला जी.बी.पी. 25 के वर्धित सेवा प्रभार पर एफ.टी.बी.वी. मामलों पर कार्य करने के लिए मिशन के निर्णय के परिणामस्वरूप मार्च 2010 से फरवरी 2015 तक एस.पी. को ₹10.72¹⁰ करोड़ का अनुचित लाभ हुआ था।

7.3 एक संदिग्ध फर्म को कार्य देना

भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डी सी द्वारा निर्धारित प्रापण प्रक्रिया के अनुपालना में विफल रहने के परिणामस्वरूप आई.टी. उपकरण के वार्षिक रखरखाव का ठेका एक संदिग्ध फर्म को दिया गया तथा फलस्वरूप मिशन द्वारा ₹136.55 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। सेवा वितरण जिसके लिए भुगतान किया गया था का कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं था जो कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण की ओर संकेत करता है।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर) 2005 अनुबद्ध करता है कि विज्ञापन (खुली निविदा) द्वारा निविदा का आमंत्रण माल या सेवाओं के प्रापण के लिए

¹⁰ प्रति आवेदन सेवा प्रभार के रूप में 72006 आवेदनों को जी.बी.पी. 17.3(25 में से 7.70 घटाकर) द्वारा गुणा करना जी.बी.पी. 124570.80 या आई.एन.आर. 107155440.87 के बराबर है (2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए विनिमय की औसत अधिकृत दर को जी.बी.पी. 1 पर परिकलित = ₹86.02)

किया जाना चाहिए, जिसकी लागत अनुमानित मूल्य ₹25 लाख या अधिक हो। विज्ञापन का प्रकाशन कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा संगठन के वेबसाईट पर किया जाना चाहिए।

भारतीय दूतावास (मिशन), वाशिंगटन डी.सी. के जनवरी 2014 से फरवरी 2015 अवधि के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा सेवीक्षा से प्रकट किया (मार्च 2015) कि मिशन ने निम्नलिखित दो मामलों में जिसमें प्रत्येक कार्य का मूल्य ₹25 लाख से अधिक था खुली निविदाएं आमंत्रित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, दोनों मामलों में एक फर्म को कार्य सौपा गया तथा भुगतान किया गया, जिसका पताठिकाना प्रमाणनीय नहीं था:

7.3.1 कॉन्सूलर अनुभाग में दो सर्वरों तथा 16 डेस्कटॉप का वार्षिक अनुरक्षण ठेका:

मिशन ने कॉन्सूलर विंग (एच.पी. प्रोलिंट एम.एल.370G5) में स्थापित अगस्त 2007 में खरीदे गए दो सर्वरों का वार्षिक अनुरक्षण ठेका का प्रस्ताव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी) नई दिल्ली को भेजा (फरवरी 2012)। जिसने सर्वरों के ऑनसाईट व्यापक वारंटी के लिए सलाह दी (मार्च 2012)।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मिशन ने सामान्यतः खुली बोली आमंत्रित करने के स्थान पर तीन फर्मों जैसे मै. एडवांस टेकनॉलोजी कॉन्सेप्ट्स (मै. ए.टी.सी.), मै. गीक्स एवरीवेयर तथा मै. गीक्स आर एक्स से बोली आमंत्रित की तथा जी एफ आर के प्रावधानों के अनुसार टेन्डर मूल्यांकन समिति का गठन किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विक्रेता को मिशन की विशेष आवश्यकता से संबंधित कोई बोली प्रक्रिया दस्तावेज नहीं भेजा गया था। लेखापरीक्षा ने उपर्युक्त फर्मों से मिशन द्वारा प्राप्त निवेदित दर से यह भी पाया कि दो फर्मों के पत्ते समान थे। तीसरे फर्म के संबंध में इंटरनेट सर्च से लेखापरीक्षा ने पाया कि बोली में वर्जित पते पर इस नाम का कोई फर्म मौजूद नहीं था। मै. ए.टी.सी. द्वारा यू.एस. \$4,470¹¹ की राशि को कम माना गया था तथा उसे ठेका 23 अप्रैल 2012 को दिया गया।

¹¹ दो सर्वरों के लिए 595 यू.एस. & प्रति माह तथा 16 डेस्कटॉप के लिए 875 यू.एस. & प्रति माह

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि मै. ए.टी.सी. एक आई.टी. कंपनी थी, न तो इसकी अपनी वेबसाईट थी न ही प्राप्त बीजक पर छपे ईमेल द्वारा इससे संतर्क किया जा सकता था। निगमीकरण प्रमाणपत्र संघीय कर आई.डी. संख्या, आई.टी. सुरक्षा प्रमाणपत्र, मै. ए.टी.सी. के सेवा अभियंताओं की योग्यता की कोई प्रतिलिपि नहीं थी। मै. ए.टी.सी. द्वारा साइन इन-शीट नियमित रूप से मिशन ने उन सेवा अभियंताओं के जो वास्तव में साइट पर गए थे के बिना हस्ताक्षर था विवरण के प्रतिमाह दो दौरों की ओर संकेत करते थे। दूतावास परिषर में मै. ए.टी.सी. के सेवा अभियाताओं के प्रवेश विवरण का रिकार्ड देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के साक्ष्य के अभाव में, उनके द्वारा दी गई सेवायें अप्रमाणित रहीं। मै. ए.टी.सी. (मई 2012 से मार्च 2015) को दो सर्वरों के ए.एम.सी. तथा 16 डेस्कटॉप की ओर से यू एस \$1,56,450 ($\text{₹}97.94$ लाख¹²) की राशि भुगतान की गई। अगस्त 2007 में खरीदे गए दो सर्वरों का मूल्य यू एस \$6,118 था। इस प्रकार सर्वर कार्य के वार्षिक अनुरक्षण की वर्तमान कीमत सर्वर के मूल्य की 705 प्रतिशत¹³ है, जो कि ज्यादा है। इसके अलावा, यह पाया गया कि मंत्रालय ने अगस्त 2012 में एक वर्ष अर्थात् 2012-13 के लिए दो सर्वरों के ए.एम.सी तथा 16 डेस्कटॉप के लिए यू एस \$53,640 के खर्च के लिए मंजूरी दी थी। फिर भी, मिशन ने बिना मंत्रालय की स्वीकृति के अप्रैल 2013 से मार्च 2015 तक अवधि के लिए यू एस \$4,470 प्रतिमाह का अप्राधिकृत व्यय कुल यू एस \$1,07,280 प्रति माह अर्थात् ₹67.16 लाख करना जारी रखा (नवंबर 2015)।

7.3.2 कनेक्टिविटी (सी.आई.एस.सी.ओ. ए.एस.ए. 5510) तथा ऑनसाईट सपोर्ट के लिए उपकरणों की खरीद

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (नवंबर 2015) विकेंद्रीकृत वीजा जारी करने वाले साइटों के स्वचालित काली सूची के उन्नयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जहाँ कि पांच साल की व्यापक वारंटी और ऑन साईट सपोर्ट के साथ मिशन द्वारा तत्काल आधार पर आप्रवास में भारतीय मिशनों की संयोजकता के लिए आवश्यक उपकरण, वीजा तथा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आई वी एफ आर टी) परियोजना खरीदी जानी थी।

¹² मार्च 2015 में अधिकारिक विनिमय दर एक यू एस &= ₹62.60 था।

¹³ ए एम सी @ 3595*12/6,118 (दो सर्वरों की कीमत)

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन ने तीन फर्मों अर्थात् मै. ए.टी.सी, मै. न्यूयॉर्क बिजनेस सिस्टम तथा मै. आई.जी एस डिजिटल से कनेक्टिविटी तथा ऑन साईट सपोर्ट के लिए उपकरणों की बोली बिना अपेक्षित खुली निविदा प्रक्रिया अपनाए तथा मूल्यांकन किए प्राप्त की जबकि सेवा का खरीद मूल्य यू एस \$1,57,270.86 अर्थात् ₹98.45 लाख¹⁴ था। ठेका सबसे कम बोली लगाने वाले मै. ए.टी.सी. को उपकरणों की आपूर्ति के लिए ₹11.77 लाख (यू एस \$18,670.86) तथा ऑन साईट सपोर्ट के लिए ₹1.43 लाख (यू एस \$2310) प्रति माह के हिसाब से पांच वर्ष के लिए दिया गया था (नवंबर 2013)। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मिशन ने सितम्बर/अक्टूबर 2013 में उपकरणों की खरीद के लिए ₹11.77 लाख तथा नवम्बर 2013 से मार्च 2015 तक ऑनसाईट सपोर्ट के लिए ₹26.84 लाख का भुगतान किया। सी.आई.एस.सी.ओ. प्रणाली के ऑनसाईट सपोर्ट को पूरा करने के लिए दूतावास परिसर में दी गई सेवाओं के लिए साइन-इन शीट तथा मै. ए.टी.सी. के सेवा अभियंता का प्रवेश विवरण नहीं थे। इन विवरणों की अभाव में मै. ए.टी.सी. द्वारा दी गई अनुरक्षण सेवायें अप्रमाणित रहीं।

इसके अलावा यह भी पाया गया कि गृह मंत्रालय ने ऑनसाईट सपोर्ट के लिए एक साल अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के लिए संस्वीकृति दी थी तथा 31 मार्च 2014 के पश्चात् कोई अतिरिक्त संस्वीकृति जारी नहीं की गई थी। फिर भी, मिशन द्वारा मार्च 2014 से मार्च 2015 के बाद आनसाईट सपोर्ट के लिए बिना किसी संस्वीकृति के ₹17.51 लाख का व्यय किया गया जो कि अप्राधिकृत था (नवंबर 2015)।

उपरोक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रतिक्रिया में, मिशन ने मार्च 2015 के बाद दोनों ठेकों के लिए मै. ए.टी.सी. को भुगतान बंद कर दिया। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में कि फर्म के पास कोई उचित ई-मेल आई.डी. नहीं है, मिशन ने स्वीकार किया कि मार्च 2015 से उस फर्म से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। मिशन ने आगे बताया (अक्टूबर 2015) लेखापरीक्षा के वृष्टांतों पर उसके द्वारा खरीद के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था तथा सी.वी.सी. के दिशा-निदेशों और जी.एफ.आर. प्रावधानों के अनुपालना के लिए सख्त निर्देश जारी किया गया था। मै. ए.टी.सी. को अधिक भुगतान के लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के

¹⁴ उपकरण की लागत के साथ पाँच वर्ष ऑन साईट अनुरक्षण ठेका

संबंध मे, मिशन ने बताया कि वह ठेके के कीमत मूल्यांकन के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित नहीं थी तथा ठेका एन.आई.सी. के सुझाव पर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों कि एन.आई.सी. से केवल तकनीकी सलाह ली गयी थी तथा अभिकरण निवेदित दरों के मूल्यांकन मे शामिल नहीं था। सेवा प्रदाता के लिए साक्ष्यों के अभाव पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में, मिशन ने उत्तर दिया कि एक स्थानीय कर्मचारी जो कि विक्रेता के लिए ठेके का केन्द्र बिन्दू था विक्रेता को दूतावास के अन्दर लाते समय लॉग एन्ट्री नहीं की थी। मामले को लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने के बाद, मिशन ने अनुपालना के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा बनाई। इसके अलावा, मिशन सेवा अभियंताओं के विवरण जो अनुरक्षण तथा निगमीकरण प्रमाण पत्र, संघीय कर, आई.डी. संख्या, तथा मै. ए.टी.सी. के आई.टी. सुरक्षा प्रमाणन प्रदान नहीं कर सका। फर्म का अस्तित्व जिन्हे भुगतान किया गया था तथा सेवाओं का वितरण, अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार, मिशन पारदर्शी, प्रतियोगी तथा उचित खरीद प्रक्रिया जैसा कि जो एफ आर के प्रावधानों मे अपेक्षित है के अनुसरण मे विफल रहा जिसका परिणाम संदिग्ध फर्म को ठेका देने मे हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹136.55 लाख का अत्यधिक भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, सर्वरों के ए.एम.सी., डेस्कटॉप तथा नेटवर्किंग उपकरणों पर ₹84.67 लाख का व्यय किया गया जो मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत नहीं था तथा यह अप्राधिकृत था।

7.4 पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क के संशोधन न होने के कारण राजस्व की हानि

भारतीय उच्चायोग, कोअलालमपूर द्वारा पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क के संशोधन पर मंत्रालय के अनुदेशों की अनुपालना में विफलता का परिणाम ₹63.28 लाख की हानि में हुआ।

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना (सितंबर 2012) के माध्यम से पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्कों का संशोधन किया जिसे 01 अक्तूबर 2012 से लागू किया जाना था। इसके पश्चात, मंत्रालय ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) कि शुल्क को विनियम की सरकारी दर अथवा वाणिज्यिक/बैंक विनियम दर, जो भी सरकार हेतु लाभकारी हो, को अपनाकर स्थानीय मुद्रा में निर्धारित किया जा

सकता है। बाद में यह बताया था कि शुल्क को स्थानीय मुद्रा में संशोधित किया जाएगा यदि स्थानीय मुद्रा का यू.एस. डालर के प्रति 10 प्रतिशत अथवा अधिक तक मूल्यहास होता है।

मिशन ने 1 यू.एस.डी.= आर.एम. 3.04 की विनियम दर को अपनाते हुए अक्टूबर 2012 में पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क को निर्धारित किया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि अक्टूबर 2012 के पश्चात की अवधि में, यू.एस.डी. के प्रति मुद्रा में मूल्यहास ने जनवरी 2015 में पहली बार आर.एम. 3.38¹⁵ के 10 प्रतिशत चिन्ह का उल्लंघन किया था। इस प्रकार, एम.ई.ए. के अनुदेशों की अनुपालना में पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क को मिशन द्वारा जनवरी 2015 की विनियम दर अर्थात् 1 यू.एस.डी.= आर.एम. 3.50 को अपनाकर संशोधित किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पाया कि शुल्क का संशोधन करने के लिए मिशन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मिशन ने लेखापरीक्षा अनुकूलित को स्वीकार किया (जुलाई 2015) तथा बताया कि शुल्क का मिशनाध्यक्ष से अनुमोदन के पश्चात संशोधन किया जाएगा। उसने आगे बताया कि शुल्क का संशोधन नहीं किया जा सका था क्योंकि अनजाने में मिशन ने यह महसूस नहीं किया था कि स्थानीय मुद्रा का 10 प्रतिशत से अधिक तक मूल्यहास हुआ था। शुल्क का 01 जुलाई 2015 को विनियम दर अर्थात् 1 यू.एस.डी.= आर.एम. 3.76 को अपनाकर 16 जुलाई 2015 से संशोधन किया गया था।

इसलिए, 01 जनवरी 2015 से पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क का संशोधन करके मिशन जनवरी 2015 से 15 जुलाई 2015 की अवधि के दौरान ₹63.28 लाख का अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकता था यदि यह अधिक जागरूक होता तथा इसने उपयुक्त जांच की होती।

पैरा अक्टूबर 2015 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।

¹⁵ (3.38-3.04)/ 3.38×100=10.06 प्रतिशत

भारतीय हज समिति, मुंबई

7.5 सेवा कर का भुगतान न होना

भारतीय हज समिति ने न तो स्वयं को सेवा कर विभाग के साथ पंजीकृत किया और न ही हज यात्रियों को प्रदान की गई सहायक सेवाओं पर कुल ₹7.09 करोड़ का सेवा कर अदा किया।

01 जुलाई 2012 से लागू वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 बी सभी सेवाओं, उन सेवाओं को छोड़कर जिन्हे नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट किया गया है, के मूल्य पर सेवा कर के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। बाद में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना सं. 17/2014 दिनांक 20/08/2014 जारी की है जो हज समिति सहित एक विनिर्दिष्ट संगठन द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मदद प्राप्त एक धार्मिक यात्रा के संबंध में सेवाओं हेतु सेवा कर के भुगतान से उचित प्रकार से छूट प्रदान करता है। अधिसूचना को जारी करना सूचित करता है कि एचसीओआई 01 जुलाई 2012 से 19 अगस्त 2014 के बीच की अवधियों हेतु सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी था क्योंकि यह नकारात्मक सूची में शामिल नहीं था तथा 20.08.2014 के पश्चात यह सेवा पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है।

भारतीय हज समिति (एच सी ओ आई) का मुस्लिमों की हज यात्रा तथा इससे संबंधित मामलों हेतु प्रबंधन करने के लिए 1959 के हज समिति अधिनियम जिसे 2002 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के तहत गठन किया गया था। यात्रियों से इधर-उधर से हवाई किराया, परिवहन तथा अन्य विनिर्दिष्ट आवास प्रभारों का संग्रहण करने के अलावा समिति कार्यालय लोजिस्टिक्स, यात्रियों के आवास तथा बुकिंग आदि पर अपने व्यय को चुकाने हेतु प्रत्येक यात्री से ₹1000/- की राशि रखता है जो यात्रियों से अपनी सेवाओं हेतु फैसिलिटेटर के रूप में प्रस्तुत होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एच सी ओ आई 2012-13 से 2014-15 (मई 2014 तक) के दौरान सहायक प्रबंधन प्रदान करने हेतु हज यात्रियों से ₹57.36 करोड़ के शुल्क को रखा था। चूंकि यह सेवाएं न तो किसी नकारात्मक सूची के अंतर्गत शामिल थीं और न ही अगस्त 2014 तक वित्त मंत्रालय द्वारा कोई छूट जारी

की गई थी इसलिए एच.सी.ओ.आई. कुल ₹7.09 करोड़ का सेवा कर अदा करने का उत्तरदायी था। तथापि, यह पाया गया था कि एच.सी.ओ.आई. न तो सेवा कर विभाग के साथ पंजीकृत था और न ही उसने कोई सेवा कर अदा किया था।

विदेश मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि मामले को हज यात्रियों को प्रदान की गई सेवाओं पर पूर्व प्रभावी तिथि अर्थात् 1 जुलाई 2012 से सेवा कर के भुगतान से एच.सी.ओ.आई. को छूट प्रदान करने की उपयुक्त अधिसूचना जारी करने हेतु राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

अभी तक (जनवरी 2016) कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

अध्याय VIII : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

8.1 निधियों का अवरोधन तथा उपकरण का अनुपयोग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अवसंरचना की तैयारी को सुनिश्चित किए बिना आगे बढ़ा तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में आपातकालीन देखभाल केन्द्र हेतु ₹15.93 करोड़ की कीमत के विभिन्न चिकित्सा उपकरण का प्रापण किया। इनमें से ₹2.40 करोड़ की कीमत वाले दो उपकरण को दिसम्बर 2015 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका था।

सामान्य वित्तीय नियमावली¹ (जी.एफ.आर.) अनुबंध करती है कि लोक हित में माल/सेवाओं का प्रापण करने की वित्तीय शक्तियों से प्रत्यायुक्त प्रत्येक प्राधिकरण लोक प्रापण से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययता तथा पारदर्शिता लाने का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर से आपातकालीन देखभाल बिल्डिंग के निर्माण हेतु मैसर्स होसमैक प्रोजेक्ट्स के साथ एक संविदा की (मई 2010)। निर्माण कार्य को अक्तूबर 2010 तक समाप्त किया जाना निर्धारित था तथा उसे राष्ट्रमंडल खेल के खिलाड़ियों हेतु आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तथा वर्तमान दिन की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला जाना प्रत्याशित था। निर्माण कार्य को अवसंरचनात्मक डिजाइनों में परिवर्तन, ठेकेदारों द्वारा डिजाइनों के प्रस्तुतीकरण तथा अंतिम रूप देने में विलम्ब आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सका था।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (इस कार्य हेतु मंत्रालय द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता) ने मंत्रालय को निर्माण कार्य की धीमी गति के संबंध में अवगत किया (अगस्त 2011)। निर्माण कार्य की स्थिति से अवगत होने के बावजूद मंत्रालय के प्रापण कक्ष ने अस्पताल में आपातकालीन देखभाल केन्द्र हेतु विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु 24 फर्मों को

¹ जी.एफ.आर. का नियम 137 तथा 160

दिसम्बर 2011 में अधिनिर्णय अधिसूचना (एन.ओ.ए.) जारी की। अस्पताल ने बाद में 22 मर्दों की आपूर्ति हेतु संबंधित फर्मों को आपूर्ति आदेश जारी किए (मार्च 2012 तथा जून 2012) यह उपकरण अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 के दौरान प्राप्त किए गए थे। दो मर्दों² के संबंध में साख पत्र फरवरी/मार्च 2013 में खोले/स्थापित किए गए थे तथा यह मर्दे जुलाई 2013 तथा सितम्बर 2013 के बीच प्राप्त किए गए थे। उपकरण प्राप्ति का कुल मूल्य ₹15.93 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने प्राप्ति किए गए चिकित्सा उपकरणों के उपयोग में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई थीं:-

| क्र.सं. | विसंगति की प्रकृति | मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---------|---|-------------------------------|
| 1. | उपकरणों का अन्य विभागों/स्कंधों को जारी किया जाना | 5.66 |
| 2. | अन्य विभागों/स्कंधों को अस्थायी आधार पर जारी सात प्रकार के उपकरणों की वारंटी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी | 1.22 |
| 3. | दो उपकरण ³ दिसम्बर 2015 तक भण्डार में बिना स्थापित किए पड़े थे। | 2.40 |

इस प्रकार, उपकरण को स्थापित करने हेतु अवसंरचना की तैयारी को सुनिश्चित करने में विफलता 20 महीनों से 36 महीनों के बीच की अवधि तक दो उपकरण के अनुपयोग का कारण बनी। यहाँ तक कि जहां उपकरणों का उपयोग किया गया था वहां इनका विपथन किया गया था तथा इनका आपातकालीन देखभाल के प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अन्य विभागों/स्कंधों को अस्थायी आधार पर जारी सात प्रकार के उपकरणों की वारंटी अवधि एन.ई.सी.सी. में उपयोग किए बिना ही पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मरीज इन उपकरणों के माध्यम से प्रत्याशित अच्छी देखभाल सुविधाओं से वंचित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2015) कि उपकरणों को एन.ई.सी.सी. के निर्माण में विलम्ब के कारण समय पर स्थापित नहीं किया जा सका था। उसने आगे बताया कि भण्डारों में पड़े के साथ-साथ अन्य विभागों को विपथन किए गए उपकरण को एन.ई.सी.सी. जब पूर्णतः

² आई.सी.यू. बैड उन्नत मॉडल (सं. 39) तथा ई.सी.जी. मॉनीटर सहित डिफैब्रिलेटर (सं. 10)

³ ए.नवजात के लिए सं. सहायक उपकरणों सहित खुली देखभाल प्रणाली (18 ज. ₹1.66 करोड़) और पूर्ण देखभाल प्रणाली (01 इकाई केन्द्रीय स्टेशन का एवं 18 मॉनीटर ₹74.21 लाख)

क्रियात्मक हो जाएगा तो उसको पुनः स्थापित किया जाएगा। उत्तर स्थापित करता है कि अस्पताल ने प्रापण प्रक्रिया को निर्माण कार्य के साथ इसका मिलान किए बिना किया गया था तथा इसलिए उपकरण को प्रत्याशित उपयोग में नहीं लाया जा सका था।

सफदरजंग अस्पताल

8.2 सेवा प्रभारों का अधिक भुगतान

सफदरजंग अस्पताल द्वारा संपत्ति कर पर सेवा प्रभारों के गणना के लिए ‘उपयोग कारक’ के गलत निर्धारण के फलस्वरूप नई दिल्ली नगर निगम को ₹4.60 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) (वार्षिक किराये का निर्धारण), उप-नियमों, 2009 जो कि 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी है, प्रत्येक संपत्ति मालिक से अपेक्षा करता है कि संपत्ति कर के भुगतान के लिए अपने संपत्ति का स्व-मूल्यांकन करें। शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) ने दिसंबर 2009 में निर्देशित किया कि भारत संघ एवं इसके विभाग नगर निगम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों का भुगतान करेंगे। भारत संघ को किसी संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया जाएगा लेकिन सेवा प्रभारों की गणना लगाये गए संपत्ति कर के 75 प्रतिशत 50 प्रतिशत या 331/3 प्रतिशत की दर से की जाएगी जिसका भुगतान संपत्ति मालिक द्वारा किया जाएगा, जो कि सेवाओं के पूर्ण, आंशिक या शून्य उपयोग पर निर्भर होगा।

इसके अतिरिक्त एनडीएमसी वार्षिक किराया उप-नियम, 2009⁴ के उप-नियम 3 के अनुसार भूमि के लिए ‘उपयोग कारक’ को संपत्ति कर की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा। उपयोग की गई भूमि के लिए ‘उपयोग कारक’ की गणना निम्न प्रकार से की गई थी:

| उपयोग | कारक |
|---|------|
| आवासीय, सार्वजनिक उद्देश्य, विधालय, कॉलेज, हास्टल एवं अस्पताल | 1 |
| सार्वजनिक उपयोगिता, सरकारी कार्यालय एवं दूतावास | 2 |

⁴ स्व-मूल्यांकन संपत्ति कर फार्म सं. 1 के अनुसार

सफदरजंग अस्पताल से संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच ने प्रकट किया कि इसने 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान स्व-मूल्यांकन के आधार पर, ओपीडी-III के दायें तथा बायें विंग के संबंध में सेवा प्रभारों का भुगतान किया था। सेवा प्रभारों की गणना के दौरान, उसने अस्पताल भूमि के लिए प्रयोज्य कारक 1 की जगह 2 को उपयोग कारक के रूप में अपनाया। इस प्रकार, ‘उपयोग कारक’ के गलत अंगीकरण के परिणामस्वरूप 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान एनडीएमसी को ₹4.60 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, अस्पताल ने इस मामले को एनडीएमसी के साथ (जून 2013 से फरवरी 2015) उठाया जिसने ₹4.60 करोड़ के अधिक भुगतान को स्वीकार (मार्च 2015) किया तथा कहा कि वह इसे भविष्य की मांगों से समायोजित करेगा। मंत्रालय ने (जनवरी 2016) अस्पताल के उत्तर (दिसंबर 2015) को पृष्ठांकित किया जिसमें स्थिति को दोहराया गया। मंत्रालय विभिन्न परिसरों के सेवा प्रभारों के भुगतान के लिए सही दर के उपयोग के संबंध में उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करे।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता

8.3 वजीफे का अधिक भुगतान

संस्थान ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) अधिनियम में पाठ्यक्रम निर्धारित होने को सुनिश्चित किए बिना दो पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम नामतः औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डी.आई.एच.) और मातृत्व और बाल कल्याण के क्षेत्र में डिप्लोमा (डी.एम.सी.डब्ल्यू) के विद्यार्थियों को उच्चतम दर पर वजीफा भुगतान करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप जून 2005 से जुलाई 2014 तक की अवधि में ₹3.63 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (संस्थान) जन स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान के विविध विषयों के शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित है। संस्थान विभिन्न डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (डब्ल्यू.बी.यू.एच.एस.) के साथ संबंधित है संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट (पी.जी.) मेडिकल छात्र सहित सभी छात्रों को एक समान ₹800 प्रति माह की दर से वजीफा मिलता था।

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अधिनियम, 2000 (अधिनियम) के पैरा 13.3 के अनुसार किसी संस्थान के पी.जी. छात्रों का पारिश्रमिक उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान के पी.जी. छात्रों के समान मिलेगा। चूंकि पश्चिम बंगाल के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी.जी. छात्रों को वजीफा क्रमशः ₹6340, ₹6840 और ₹7340 प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए मिलता है, संस्थान ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) को एम.सी.आई. अधिनियम उल्लिखित वजीफा समानता के लिए प्रस्ताव भेजा (जून 2004)। मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने (जून 2005) पर संस्था ने पी.जी. छात्रों के वजीफा को ₹800 से बढ़ाकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए क्रमशः ₹6340, ₹6840 और ₹7340 कर दिया आगे संस्थान ने समय-समय पर अपने पी.जी. छात्रों हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अनुमत वजीफा के अनुरूप में वृद्धि किया।

संस्थान ने मई 2011 में एम.सी.आई. से अपने चार पी.जी. मेडिकल पाठ्यक्रमों⁵ की प्रवेश संख्या में वृद्धि को सुगम बनाने के लिए निरीक्षण का प्रस्ताव भेजा। लेकिन एम.सी.आई. ने सितम्बर 2012 में दो पी.जी. पाठ्यक्रम नामतः डी.आई.एच.⁶ तथा डी.एम.सी.डब्ल्यू.⁷ का इस आधार पर निरीक्षण करने से इंकार कर दिया कि ये पाठ्यक्रम एम.सी.आई. अधिनियम में निर्धारित नहीं थे। चूंकि पाठ्यक्रम एम.सी.आई.अधिनियम में निर्धारित नहीं थे इसलिए इन पाठ्यक्रमों के छात्र केवल ₹800 प्रतिमाह वजीफा के हकदार थे। मई 2013 में, लेखापरीक्षा ने इंगित किया था कि वजीफा का भुगतान उच्चतर दर पर किया जा रहा था। जबकि दो पाठ्यक्रम एम.सी.आई. में निर्धारित नहीं थे। फिर भी संस्थान ने उच्चतर दर पर वजीफा भुगतान करना जारी रखा और जून 2005 से जुलाई 2014 तक कुल ₹3.63 करोड़ अधिक वजीफा का भुगतान किया।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि डी.एम.सी.डब्ल्यू. और डी.आई.एच. पाठ्यक्रम एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हैं और उन्होंने एम.सी.आई. के एक आर.टी.आई. उत्तर⁸ को संदर्भित किया जिसमें कहा गया है कि ये पाठ्यक्रम

⁵ एम.डी. (समुदायिक चिकित्सा),डी.आई.एच. डी.एम.सी.डब्ल्यू और डी.पी.एच.

⁶ औद्योगिकग स्वास्थ्य में डप्लोमा

⁷ मातृत्य और बाल कल्याण के क्षेत्र में डिप्लोमा

⁸ सूचना अधिकार कानून-2005 के अंतर्गत उत्तर दिया गया।

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उत्तर मान्य नहीं था अक्टूबर 2000 में अधिसूचित एम.सी.आई. अधिनियम में दो पाठ्यक्रम शामिल नहीं थे, जिसमें निर्धारित था कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले स्थापित डिप्लोमा पाठ्यक्रम छात्रों द्वारा उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद बंद हो जाएंगे और इस तरह एम.सी.आई. अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम अक्टूबर 2000 के बाद वैध नहीं रह जाते। इसलिए संस्थान को वर्ष 2000 में पाठ्यक्रम प्रवेश लिए हुए छात्रों की पढ़ाई 2002⁹ तक पूरा होने के बाद इन पाठ्यक्रमों को बंद कर देना चाहिए था। चूंकि अधिनियम के उपबंधों के अधीन वजीफा का भुगतान किया गया था, इसलिए उन पाठ्यक्रमों के लिए वजीफा नहीं दिया जाना चाहिए जो पाठ्यक्रम अधिनियम में शामिल नहीं थे।

इस प्रकार, संस्थान ने एम.सी.आई. अधिनियम में पाठ्यक्रम निर्धारित होने को सुनिश्चित किए बिना दो पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम नामतः डी.आई.एच. और डी.एम.सी.डब्ल्यू. के विद्यार्थियों को उच्चतम दर पर वजीफा भुगतान करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप जून 2005 से जुलाई 2014 तक की अवधि में ₹3.63 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

8.4 सेवा कर के अनियमित भुगतान की वापसी की वसूली न होना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-जोधपुर ने आउटसोर्स की गई सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया था जबकि यह सेवाएं ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार ने सहायक शैक्षणिक सेवाओं के माध्यम से एक शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की गई कुछ सेवाओं को 1 जूलाई 2012 से (अधिसूचना सं.25/2012 सेवा कर दिनांक 20 जून 2012) सेवा कर छूट प्रदान की थी। अधिसूचना ने स्पष्ट किया कि छूट प्राप्त सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी ऐसी सेवाएं शामिल हैं जिन्हे शैक्षणिक संस्थान आमतौर पर स्वयं करते हैं परंतु इन्हे किसी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स की गई

⁹ दो वर्ष के पाठ्यक्रम

सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकेगा। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि नकारात्मक सूची में प्रेवश की विशेषता से यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाएं सेवा कर से छूट प्राप्त हैं (परिपत्र सं.172/7/2013 - एस.टी. दिनांक 19 सितंबर 2013)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपूर (संस्थान) ने श्रम शक्ति सेवाओं¹⁰ सुरक्षा सेवाओं, परिवहन सेवाओं¹¹ तथा खान-पान सेवाओं¹² को आउट सोर्स किया तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान उस अवधि के दौरान प्रदत्त सेवाओं के लिए कुल ₹63.13 लाख की राशि का अनियमित सेवा कर अदा किया।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि शब्द “सहायक शिक्षा सेवाएं” स्पष्ट नहीं था कि क्या श्रम शक्ति आउटसोर्सिंग, सुरक्षा, खान-पान, परिवहन आदि जैसी विभिन्न सेवाएं सेवा कर देयता की सीमा से बाहर होगी या नहीं। वैधिक देयता होने से किसी के पास सेवा कर के गैर-भुगतान का कोई विकल्प नहीं है जब तक कि सेवा कर की छूट की अभिपुष्टि न हो। तथापि, वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण के पश्चात् संस्थान ने विभिन्न अभिकरणों की संस्थान को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा कर अदा करना रोक दिया।

मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि विधि/नियमावली पर केवल स्पष्टीकरण उस विधि/नियमावली को यथार्थ प्रकृति को बदल नहीं सकती। चूंकि सहायक शिक्षा सेवाओं पर सेवा कर से छूट संस्थान को जून 2012 से उपलब्ध थी इसलिए संस्थान ने सेवा कर विभाग से ₹63.13 लाख की वापसी का दावा नहीं किया है।

¹⁰ मैसर्स इंटेलिजेंस सिक्योरिटी आफ इण्डिया

¹¹ मैसर्स बालाजी ट्र

¹² मैसर्स किसान कैटरिंग, एवं मैसर्स किसान कैटरिंग, जोधपूर

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

8.5 यात्रा भत्ते का अतिरिक्त भुगतान

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 'जी' वैज्ञानिकों को यात्रा भत्ते का गलत रूप से भुगतान किया गया था जिससे ₹58.44 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने कार्यालय ज्ञापन¹³ के माध्यम से छठे वेतन आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर यात्रा भत्ते की दरें निर्धारित की थी (अगस्त 2008)। और इसके अनुसार ₹5400 से अधिक के ग्रेड वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की दर को ₹3200 और उस पर महंगाई भत्ता पर निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, का.जा. के पैरा 3 के अनुसार ₹10,000 एवं ₹12,000 का ग्रेड वेतन आहरित करने तथा एच.ए.जी+वेतनमान वाले अधिकारी जोकि दिनांक 28.जनवरी.1994 के का.जा.सं. 20(5)-ई-II (ए)/93 की शर्तों में कार्यालय की गाड़ी का उपयोग करने के लिए हकदार है, उन्हें मौजूदा सुविधा का स्वयं उपयोग करने या प्रतिमाह ₹7,000 और उस पर दिए गए महंगाई भत्ते की दर पर यात्रा आहरित करने का विकल्प दिया जाएगा। जनवरी 1994 के का.जा. अनुबंध करता है कि संयुक्त सचिव और उससे अधिक के स्तर वाले अधिकारी जिन्हें निर्धारित भुगतान आधार पर कार्यालय एवं निवास के बीच आने के लिए स्टाफ गाड़ी की सुविधा प्रदान की गई है, उन्हें या तो मौजूदा सुविधा का उपयोग करने या इन आदेशों के अंतर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ते का भुगतान लेने का विकल्प दिया जाएगा। 1994 के आदेशों ने केवल सांविधिक/स्वायत्त निकायों के मुख्य कार्यकारियों को स्टाफ की गाड़ी की सुविधा का उपयोग करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के विभागों के अध्यक्ष/भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के समकक्ष माना था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के अभिलेखों नमूना जांच से पता चला कि ₹10,000 एवं अधिक का ग्रेड वेतन आहरित करने वाले 'जी' वैज्ञानिकों को ₹7000 प्रतिमाह समेत उस पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वायत्त निकायों के मुख्य कार्यकारी न होने

¹³ का.जा. 21(2)/ 2008-ई-II (बी.) दिनांक 29 अगस्त, 2008

के कारण वैज्ञानिक स्टाफ कार सुविधा के हकदार नहीं थे और वह केवल ₹3200 (म.भ.समेत) की दर पर यात्रा भत्ते के भुगतान के ही हकदार थे। सितम्बर 2008 से जुलाई 2015 के दौरान, ‘जी’ वैज्ञानिकों को इन दरों पर ₹107.66 लाख तक के कुल यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया था। नियमावली के गलत अर्थ के कारण ‘जी’ वैज्ञानिकों को 58.44¹⁴ लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

लेखापरीक्षा में मुद्दे को उठाए जाने के पश्चात् (मई 2015), आई.सी.एम.आर. ने 1 अगस्त 2015 से वैज्ञानिकों को प्रतिमाह ₹7000 की दर पर यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया था। आई.सी.एम.आर ने यह भी बताया (जनवरी 2016) कि उसने वैज्ञानिकों को भुगतान किए गए यात्रा भत्ते के अतिरिक्त राशि वसूली की छूट हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा था।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

¹⁴ आहरित राशि- ₹107.66 लाख, बकाया राशि- ₹49.22 लाख, अतिरिक्त भुगतान- ₹58.44 लाख

अध्याय IX : गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

9.1 खराब योजना के कारण निष्फल व्यय

मंत्रालय द्वारा मौजूदा दो संस्थानों का विलय करके राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया अकादमी को स्थापित करने की कार्रवाई, भूमि के स्वतंत्र प्लॉट पर अकादमी को स्थापित करने के पूर्व के निर्णय से भिन्न था। खराब योजना के परिणामस्वरूप एन.डी.एम.ए. को लागत में वृद्धि की वजह से ₹2.48 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था। इसके अलावा भूमि के क्रय पर किया गया ₹18.61 करोड़ का समस्त व्यय निष्फल हो गया।

सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से निपटने की क्षमता के साथ विशेषज्ञ बल के रूप में जनवरी 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ.) का गठन हुआ था। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों¹ के आठ मानक पलटनों में सुधार एवं परिवर्तन करके एन.डी.आर.एफ. का निर्माण हुआ था। वर्तमान में, एन.डी.आर.एफ. 10 बटैलियन के साथ कार्य कर रही है क्योंकि अक्टूबर 2010 में दो अतिरिक्त बटैलियन बनाए गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शीर्षस्थ एन.डी.आर.एफ. अकादमी, जहां प्रतिक्रिया करने वालों को किसी आपदा से संबंधित सभी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) ने नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2007)। इस अकादमी को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पड़ोसी देशों के लिए संसाधन संस्थान के रूप में भी कार्य करना था। इस संदर्भ में एक अवधारणा नोट एन.डी.आर.एफ. द्वारा एन.डी.एम.ए. को अग्रेषित किया गया था (अगस्त 2010) जिसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जनवरी 2011 में गृह मंत्रालय (मंत्रालय) को भेजा गया था।

¹ सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस एवं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रत्येक से दो।

नवम्बर 2007 में एन.डी.एम.ए. के अनुरोध पर, महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2011 में अकादमी की स्थापना के लिए नागपुर में 62.03 हेक्टेयर भूमि आबंटित की थी। परिणामस्वरूप, एन.डी.एम.ए. और नागपुर के जिला प्राधिकारियों के बीच आगे के पत्राचार के आधार पर नागपुर के जिला प्राधिकारियों ने बताया (जुलाई 2011) कि भूमि की लागत ₹16.13 करोड़ थी तथा एन.डी.एम.ए. को नियम एवं शर्तों की स्वीकृति तथा भूमि हेतु अधिभोग कीमत का भुगतान करने की इच्छा को दर्शाते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.डी.एम.ए. द्वारा जिला प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों का प्रत्युत्तर देने में विलंब के कारण फरवरी 2012 में भूमि लागत में ₹18.61 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई थी।

एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए आवधारणा नोट को समय पर अंतिम रूप नहीं दिया गया था और इससे भूमि की लागत में वृद्धि हुई थी। मंत्रालय ने जुलाई 2012 में नागपुर में अकादमी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन प्रदान किया। यदि 2011 में ही अनुमोदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया होता तो ₹2.48 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान से बचा जा सकता था।

आबंटित भूमि के सीमांकन के दौरान (जनवरी 2013), यह पाया गया कि 62.03 हेक्टेयर की आबंटित भूमि में से, 34.03 हेक्टेयर अन्य दलों के अधिकार में था। राज्य प्राधिकारियों ने फरवरी 2014 में आगामी सन्निहित भूमि को आबंटित किया था जिसके लिए मार्च 2014 में एन.डी.आर.एफ. द्वारा ₹42,000/- के सीमांकन शुल्क का भुगतान किया गया था। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में और अधिक विलंब हुआ।

मार्च 2014 में भूमि अधिग्रहण के पश्चात्, एन.डी.एम.ए. ने मंत्रालय के समक्ष ₹95.17 करोड़ की लागत पर अकादमी की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा था।

मंत्रालय में मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। तदुपरांत, यह निर्णय लिया गया था (मई 2015) कि अलग राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया अकादमी को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसके बजाय नागपुर में राष्ट्रीय सिविल रक्षा महाविद्यालय (एन.सी.डी.सी.) तथा राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय (एन.एफ.एस.सी.) में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं का प्रस्तावित नई अकादमी के साथ समंजस्य बिठाया जा सकता था।

तदुपरांत, मंत्रालय ने एन.सी.डी.सी. एवं एन.एफ.एस.सी. का विलय करके नागपुर में एन.डी.आर.एफ. अकादमी के सृजन को अनुमोदित किया था (जून 2015)। इन महाविद्यालयों की मौजूदा चल-अचल परिसंपत्तियों को एन.डी.आर.एफ. अकादमी नामक नए संस्थान के साथ विलय किया जाना था।

प्राप्त भूमि के उपयोग न किए जाने के मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि यह प्रस्तावित किया गया था कि एन.एफ.एस.सी. एवं एन.सी.डी.सी. के विलय द्वारा एन.डी.आर.एफ. अकादमी की स्थापना के पश्चात, अलग एन.डी.आर.एफ. अकादमी के लिए अधिग्रहित भूमि को भविष्य में वृद्धि एवं एन.डी.आर.एफ. अकादमी के उपयोग के लिए रिजर्व में रखा जा सकता था।

मंत्रालय का उत्तर, 2007 में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने में मंत्रालय तथा एन.डी.एम.ए. में विभिन्न स्तरों पर शामिल विलंबों के प्रमुख मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता जिसके कारणवश भूमि के अधिग्रहण में ₹2.48 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ और अपेक्षित उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत भूमि के कुल मूल्य के ₹18.61 का उपयोग नहीं हुआ था। भावी प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत भूमि को आरक्षित के रूप में रखने की प्रस्तावित कार्रवाई स्पष्ट रूप से एक सम्पन्न कार्य है।

9.2 निष्फल व्यय

गृह मंत्रालय ने मार्च 2009 में भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया। चूंकि परियोजना को विलम्ब का सामना करना पड़ा इसलिए मंत्रालय ने प्रशिक्षणों का आयोजन करने हेतु प्री-फैब्रीकेटिड सरंचनाओं का निर्माण करने का निर्णय लिया। तथापि, यह कदम भी निष्फल साबित हुआ क्योंकि इन सरंचनाओं में विभिन्न कारणों जैसे कि दूरवर्ती स्थान, सुरक्षा प्रबंधनों की कमी आदि के कारण किसी प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जा सका था जो इनके निर्माण पर ₹10.13 करोड़ के निष्फल व्यय का कारण बना।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने ₹47.14 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय पर भोपाल में एक केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना का

अनुमोदन किया (मार्च 2009)। अकादमी को राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों तथा सीधे भर्ती राज्य पुलिस उपाधीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने सीएपीटी की स्थापना करने हेतु पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.डी.), गृ.मं. को मुफ्त में 400 एकड़ भूमि का आबंटन किया (अगस्त 2009)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान कार्यान्वित किए जाने की अभिकल्पना की गई थी उसे अतिक्रमणों, अपूर्ण सङ्क संयोजकता, अपर्याप्त बिजली तथा प्रस्तावित भूमि में क्षेत्र का सीमांकन करने में ग्रामवासियों द्वारा प्रतिरोध से संबंधित मामलों के कारण 11वीं योजना में प्रारम्भ नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कार्य के विस्तार को संशोधित करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2012) क्योंकि पूर्व-संशोधित अनुमानों में स्थल के विकास, आरसीसी से तैयार सरंचना आदि के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल नहीं थे। परिणामस्वरूप सीएपीटी की स्थापना की लागत को आगे अक्टूबर 2012 में व्यय वित्त समिति द्वारा मार्च 2016 को समाप्त की निर्धारित तिथि सहित ₹281.00 करोड़ तक संशोधित किया गया था। इसे बाद में दिसंबर 2016 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना ने पर्याप्त गति नहीं पकड़ी थी तथा भौतिक प्रगति केवल 20 प्रतिशत तक पहुंची थी तथा मंत्रालय द्वारा जून 2015 तक ₹76.75 करोड़ जारी किए गए थे। दिसंबर 2015 तक परियोजना पर ₹72.96 करोड़ का व्यय किया गया था। इस प्रकार, मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को समाप्त करने की स्थिति में नहीं था।

इसी बीच, नवम्बर 2010 में बी.पी.आर.डी. द्वारा मंत्रालय को सूचित किया गया था कि स्थायी सरंचना के निर्माण में समय लगेगा क्योंकि कई मामलों को सुलझाया जाना था तथा इसलिए प्रशिक्षण को प्री-फैब्रिकेटिड सरंचनाओं (पीएफ) का निर्माण करके जल्दी आरम्भ किया जा सकता था। गृह मंत्री ने भी निर्देश दिया कि समय सीमाओं की अनुपालना का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए तथा प्रशिक्षण अप्रैल 2011 तक आरम्भ किया जाना चाहिए।

इसका अनुपालन करते हुए, जनवरी 2011 में, बी.पी.आर.डी. ने मंत्रालय को ₹7.60 करोड़ की लागत वाले पीएफएस के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव भेजा। मंत्रालय ने सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से ₹7.60 करोड़ की लागत पर 91 पीएफएस के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया (जून 2011)। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार, पीएफएस के निर्माण का कार्य स्वीकृतियों की प्राप्ति के पश्चात सात सप्ताहों के भीतर पूरा किया जाना था।

तथापि, कार्य को ₹10.13 करोड़ की संशोधित लागत पर केवल सितंबर 2013 में जाकर ही पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 90 पीएफएस का निर्माण किया गया था तथा अक्टूबर 2013 तथा जून 2014 के बीच सीएपीटी, भोपाल को सौंपा गया था। ₹2.50 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति फरवरी 2014 में प्रदान की गई थी।

हमने यह भी पाया कि इन पीएफएस में अकादमी की दूरवर्ती स्थिति, पहुंच सड़क की अनुपलब्धता, सुरक्षा प्रबंधनों की कमी तथा स्थायी संकाय एवं सहायक स्टाफ की भर्ती न होने के कारण किसी प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया था। 90 पीएफ में से 20 प्रशासनिक उद्देश्य, आठ का सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण गतिविधियों की मॉनीटरिंग हेतु उपयोग किया गया था तथा 62, जून 2015 तक उपयोग में नहीं थे/ बंद थे।

इसी बीच, सीएपीटी की जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर, मध्यप्रदेश के परिसर में स्थापना की गई थी (सितंबर 2011)। इसे मार्च 2012 में भोपाल में राज्य सरकार के अन्य स्थान पर ले जाया गया था। सीएपीटी ने 511 भागीदारों के लिए 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा 2012-13 से 2014-15 के दौरान इन प्रशिक्षणों के प्रबंधनों पर ₹42.47 लाख का व्यय किया।

मंत्रालय ने परियोजना के समापन में विलम्ब को सीपीडब्ल्यूडी को आरोपित (जनवरी 2016)। इसने आगे बताया कि अकादमी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इन पीएफ हट्स की सुपुर्दग्गी में विलम्ब, सुरक्षा प्रबंधनों के अभाव तथा श्रमशक्ति की कमी के कारण पीएफ हटों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में समर्थ नहीं थी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जून 2014 में सभी पीएफ हटों की सुपुर्दग्गी किए जाने के पश्चात भी इन्हें प्रत्याशित उपयोग में नहीं लाया जा सका था। इस प्रकार, जबकि एक केन्द्रीय अकादमी की

स्थापना करने का अभिकल्पित उद्देश्य बिना पूरा हुए रहा फिर भी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में विलम्बों का सामना करने हेतु पीएफएस का निर्माण करने का कदम भी समय एवं लागत वृद्धि के बावजूद निष्फल साबित हुआ। यह आखिरकार इनके निर्माण पर ₹10.13 करोड़ के निष्फल व्यय का कारण बना।

वायु संधि, सीमा सुरक्षा बल

9.3 परिसमाप्त क्षतियों की वसूली न होना

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) ने आठ हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) को आपूर्ति आदेश दिया (मार्च 2009)। मार्च 2011 तक दो लॉटों में सुपुर्दगी की जानी थी। आपूर्तिकर्ता को किसी विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराने से परिसमाप्त क्षतियों की वसूली होनी थी। एच.ए.एल. ने 19 महीनों के विलंब के पश्चात् आठवें हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की थी। हालांकि, सीमा सुरक्षा बल अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ₹2.18 करोड़ की परिसमाप्त क्षतियां वसूल करने में विफल हुआ था।

गृह मंत्रालय ने ₹413.30 करोड़ की कुल लागत पर मैसर्ज हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल) से आठ ध्रुव हेलीकॉप्टरों के प्रापण हेतु सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) को स्वीकृति प्रदान की थी (मार्च 2009)। यह प्रापण, मंत्रालय एवं एच.ए.एल. के बीच किए गए अनुबंध (मार्च 2009) द्वारा नियंत्रित था।

अनुबंध के अनुसार, हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी दो लॉटों में की जानी थी। चार हेलीकॉप्टरों के प्रथम लॉट का मार्च 2010 तक और दूसरे लॉट की सुपुर्दगी मार्च 2011 तक की जानी थी।

अनुबंध में आगे प्रावधान किया गया था कि विक्रेता द्वारा स्टोरों को पहुँचाने में विलंब होने की स्थिति में क्रेता के पास विलंब के प्रत्येक हेतु विलंबित/अवितरित स्टोरों के अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर या कुछ हिस्सा विलंबित स्टोर के अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत तक पर परिसमाप्त क्षतियां लगाने का रखता है, क्रेता की किसी कार्रवाई या कार्रवाई न की जाने की घटना परिस्थितियों

के कारण विलंब के मामले में किसी प्रकार की परिसमाप्त क्षतियाँ लगाई नहीं जा सकती।

एच.ए.एल. ने अक्टूबर 2009 तक तीन हेलीकॉप्टरों का प्रथम लॉट और मई 2010 में 37 दिनों के विलम्ब के पश्चात् चौथे हेलीकॉप्टर की सुपुर्दगी की। मंत्रालय के कहने पर बी.एस.एफ. ने विलंब हेतु ₹25.95 लाख की परिसमाप्त क्षतियाँ लगाई थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एच.ए.एल. ने तीन हेलीकॉप्टरों का दूसरा लॉट अक्टूबर 2010 अर्थात् निर्धारित समय सीमा में प्रदान किया था, जबकि 19 महीनों² के विलंब के पश्चात् अक्टूबर 2012 में चौथा हेलीकॉप्टर पहुंचाया था।

बी.एस.एफ. ने दिसम्बर 2012 में आठवें हेलीकॉप्टर को प्राप्त करने पर एच.ए.एल. को ₹37.13 करोड़ के अग्रिम भुगतानों को समायोजित करने के पश्चात् ₹12.89 करोड़ का भुगतान किया था। हालांकि, उसने देरी के लिए परिसमाप्त क्षतियाँ नहीं लगाई थीं। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एच.ए.एल. ने, यह दर्शाते हुए कि विलम्ब विक्रेता की ओर से था, सुपुर्दगी अवधि को बढ़ाने के लिए बी.एस.एफ. से सम्पर्क नहीं किया था। अनुबंध के प्रवधानों को लगाने में बी.एस.एफ. की विफलता के कारण ₹2.18 करोड़³ की परिसमाप्त क्षतियों की वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह मुद्दा उठाए जाने पर गृ.मं. ने नवम्बर 2015 में बी.एस.एफ., वायु स्कंध को सं.ज्ञा. में निहित प्रावधान के अनुसार परिसमाप्त क्षतियों के लिए कार्रवाई आरंभ करने के लिए अनुदेश जारी किए। तदुपरांत बी.एस.एफ., वायु स्कंध ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ₹2.18 करोड़ के प.क्ष. लगाए जाने के लिए एच.ए.एल. के साथ मामला उठाया था।

तथापि, पैरे पर मंत्रालय का औपचारिक उत्तर जनवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।

² 19 महीनों का विलंब (अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2012)

³ अनुबंध कीमत के 0.5 प्रतिशत दर पर एल.डी. लगाने योग्य था (करों के बिना प्रत्येक हेलीकॉप्टर हेतु ₹43.68 करोड़) अनुबंध मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक (₹43.68 करोड़ का 5 प्रतिशत= ₹2.18 करोड़)

अध्याय X : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

10.1 छात्रावास ब्लॉक की क्षति के कारण ₹5.97 करोड़ की हानि

ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण पाइलिंग कार्य करने के कारण छात्रावास ब्लॉक में झुकाव हो गया जिस कारण 144 कमरे और दो प्रसाधन ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए। यद्यपि विशेषज्ञों द्वारा ठेकेदार की विफलता स्थापित की गई फिर भी आई.आई.टी.जी. इन क्षतिग्रस्त कमरों और प्रसाधन ब्लॉक जो अप्रयुक्त रह गए, के निर्माण पर हुए ₹5.97 करोड़ का व्यय वसूल नहीं कर पाया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (आई.आई.टी.जी) ने ₹26.09 करोड़ की कुल लागत पर लड़कों के छात्रावास के निर्माण के लिए ठेकेदार¹ को कार्य सौंपा (दिसम्बर 2007)। अनुबंध में यह निर्धारित था कि ठेकेदार 504 कमरों वाला लड़कों के छात्रावास का निर्माण जून 2010 तक पूरा कर लेगा।

कार्य निष्पादन के दौरान, आई.आई.टी.जी. ने पाया (मई 2010) कि छात्रावास भवन के 'दो प्रसाधन ब्लॉक एवं समीपस्थ ब्लॉक' में एक डिग्री (1°) का झुकाव है। झुकाव के साथ-साथ, छात्रावास समीपस्थ ब्लॉक धूंस गया तथा 78 कमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसलिए, आई.आई.टी.जी. ने जुलाई 2010 में एक फर्म को 'पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट और हाई स्ट्रैन डाइनोमिक टेस्ट'² करने के लिए नियुक्त किया। आगे, उन्होंने एक अन्य फर्म को इन जाँच के परिणामों के अध्ययन करने और पाइलिंग कार्य का पुनः डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया (जनवरी 2011)। जाँच के परिणामों का अध्ययन करने के बाद दूसरे फर्म ने विचार दिया³ कि पाईल नींव 36 मिट्रिक टन (एम.टी.) के डिजाइन भार को वहन करने में सक्षम नहीं हैं और घटिया प्रकार के पाइलिंग कार्य को इसका कारण बताया।

¹ मैसर्स प्रागञ्योत्तिष कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी जो बाद में मैसर्स राजशेखर कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है।

² एक जाँच जो पाइलिंग की क्षमता और प्रमाणिकता जांच के आकलन के लिए है।

³ 02 फरवरी 2011 को और 12 फरवरी 2012 को

आई.आई.टी.जी. के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एक प्रोफेसर, जिसे आगे के तथ्यों की जांच करने का भार सौंपा गया था, ने भी क्षति के लिए घटिया निर्माण कार्य को दोषी माना। अपने रिपोर्ट में उन्होंने आगे बताया कि क्षतिग्रस्त ब्लॉक का निर्माण क्षेत्र एक नाला⁴ को भरकर विकसित किया गया था और क्षतिग्रस्त ब्लॉक का पाइल कार्य की जांच नहीं की गई थी। तदनुसार, आई.आई.टी.जी. ने ब्लॉक को आगे और अधिक झुकने से रोकने के लिए ठेकेदार को अपने खर्च पर, रिट्रोफिटिंग करने का, निर्देश दिया (अगस्त 2012)। इसी बीच, आई.आई.टी.जी. ने छात्रावास के कमरों की संख्या 504 से घटा कर 450⁵ कर दी। ठेकेदार ने सितम्बर 2013 तक रिट्रोफिटिंग सहित छात्रावास भवन निर्माण पूरा कर दिया। आई.आई.टी.जी. ने झुके ब्लॉक सहित भवन का अधिग्रहण कर लिया और दिसम्बर 2015 तक ठेकेदार को ₹25.68 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया।

चूंकि आई.आई.टी.जी. द्वारा 78 क्षतिग्रस्त कमरे का उपयोग नहीं किया जा रहा था और ठेकेदार से ₹2.43 करोड़ की निर्माण लागत राशि की वसूली नहीं की गई थी, लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2015 में मंत्रालय और आई.आई.टी.जी. को इस मामले के संबंध में उनके विचार पूछे। उत्तर में, आई.आई.टी.जी. (दिसम्बर 2015) ने कहा कि उन्होंने निर्णय लिया है कि अप्रयुक्त 78 कमरों के एवज में ₹2.43 करोड़ ठेकेदार से वसूल करेगी लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह इसे कैसे वसूल करेगी। परवर्ती लेखापरीक्षा जांच (दिसम्बर 2015) में पाया गया कि अन्य सम्बद्ध छात्रावास ब्लॉक भी झुक गए थे जिसने अतिरिक्त 66 कमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आई.आई.टी.जी. को इन कमरों को भी खाली रखना पड़ा। इस कारण से, आई.आई.टी.जी. को झुके हुए ब्लॉक पर स्थित 144 कमरे और 2 प्रसाधन ब्लॉक के निर्माण पर हानि ₹5.97 करोड़⁶ तक बढ़ गई थी।

इस प्रकार, ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण पाइलिंग कार्य करने के कारण छात्रावास ब्लॉक में झुकाव हो गया जिस कारण 144 कमरे और दो प्रसाधन ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए। यद्यपि विशेषज्ञों द्वारा ठेकेदार की विफलता स्थापित की गई फिर भी

⁴ पानी की धारा या एक कृत्रिम नहर

⁵ खराब मिट्टी के कारण 14 कमरे और ठेकेदार द्वारा कार्य नियत समय पर पूरा करने में असमर्थ रहने के कारण अन्य 40 कमरे

⁶ जैसा कि आई आई टी जी द्वारा यू.ओ. दिनांक 30 दिसम्बर 2015 के माध्यम से सूचित किया गया।

आई.आई.टी.जी. इन क्षतिग्रस्त कमरों और प्रसाधन ब्लॉक जो अप्रयुक्त रहे, के निर्माण पर हुए ₹5.97 करोड़ के व्यय को वसूल नहीं कर पाया था।

इस मामले को मंत्रालय को अक्टूबर 2015 में सूचित किया गया; दिसम्बर 2015 तक उत्तर प्रतिक्षित था।

10.2 ब्याज की हानि

निवेश नीति तैयार न करने तथा बचत/चालू बैंक खाते में आधिक्य निधि को रखने का परिणाम ₹4.36 करोड़ के ब्याज की हानि में हुआ।

आधिक्य निधि का ब्याज उत्पन्न करने वाले सुरक्षित मार्गों में निवेश रोकड़ प्रबंधन का एक प्राथमिक पहलू है। इसके अतिरिक्त, एन.आई.टी. (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 21(2) तथा आई.आई.एम. रांची के संघ जापन की धारा 3 जे (vi) निर्धारित करती है कि प्रत्येक संस्थान की निधि में क्रेडिट किए गए सभी धन को ऐसे बैंक में जमा अथवा इस प्रकार से निवेश किया जाएगा जिसका संस्थान केन्द्र सरकार की स्वीकृति से निर्णय करे।

लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी) जमशेदपुर तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.), रांची ने अपनी निवेश नीति तैयार नहीं की थी तथा 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान ₹19.75 करोड़ के अव्ययित शेष को बचत बैंक खाते में रखा जिसने चार प्रतिशत की दर पर ब्याज उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि 2014-15 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ने ₹54.25 करोड़ की आधिक्य निधि को चालू खाते में रखा था जिसे कोई ब्याज नहीं मिला।

यदि संस्थानों ने अवधि जमा प्राप्तियों (टी.डी.आर) में अव्ययित शेषों का निवेश किया होता तो वह 8 से 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष (लगभग) के बीच की ब्याज दर पर ₹4.36 करोड़ की ब्याज राशि प्राप्त कर सकते थे।

एन.आई.टी., जमशेदपुर ने बताया (नवम्बर 2015 तथा फरवरी 2016) कि वह सावधि जमा में आधिक्य निधि का निवेश करने हेतु कदम उठा रहे हैं जबकि आई.आई.एम., रांची ने बताया (जनवरी 2016) कि वर्तमान में ₹2.69 करोड़

एच.डी.एफ.सी. बचत बैंक खाते में बचे हैं तथा लेखापरीक्षक के संकेत को भविष्य में कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया है।

एन.आई.टी, पटना ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि चालू खातों को मई 2015 के दौरान पहले ही बचत खाते में परिवर्तित कर दिया गया था।

इस प्रकार, संस्थाओं द्वारा निवेश नीति तैयार न करने तथा बचत बैंक खाते एवं चालू खाते में आधिक्य निधि को रखने के परिणामस्वरूप ₹4.36 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (8 फरवरी 2016); उनका उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2016)।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

10.3 निष्फल व्यय

डी एस टी द्वारा निर्धारित परियोजना, की पूर्व शर्तों को पूर्ण करने में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की विफलता एवं एम एच आर डी को परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का संवर्धन संस्करण प्रस्तुत न किये जाने का परिणाम परियोजना को बंद करने तथा ₹1.41 करोड़ का निष्फल व्यय में हुआ।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संस्थान), इलाहाबाद के राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी परिसर में “ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु एस एवं टी डिस्कवरी पार्क” नामक परियोजना हेतु कुल ₹2.42 करोड़ दो वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन (नवम्बर 2008) किया गया। तत्समय इस आशय के साथ कि परड्यू यूनिवर्सिटी (पी.यू.), यू.एस.ए. के साथ अनुबन्ध/संयोजन हस्ताक्षर; तकनीकी प्रदर्शन में मुख्य हितधारकों, यथा किसानों की प्रतिभागिता एवं उपकरणों का क्रय सामान्य वित्तीय नियमावली में सन्निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा, प्रथम किस्त ₹1.50 करोड़ को भी स्वीकृत कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रकार का कोई अनुबंध पी.यू., यू.एस.ए. के साथ हस्ताक्षरित नहीं हुआ था। इसके अलावा, कार्यकारिणी द्वारा डिस्कवरी पार्क परियोजना के संवर्धन (एम एच आर डी) संस्करण के स्वीकृति हेतु मानव संसाधन

विकास मंत्रालय से संपर्क करने के लिए अनुमोदन (अगस्त 2009) किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान द्वारा मंत्रालय से कभी भी संपर्क नहीं किया गया था सितम्बर 2012 में संस्थान ने डी एस टी को अवगत कराया कि पी.यू.यू.एस.ए. के साथ पांच वर्ष की अवधि की वैधता वाला अनुबंध किया गया और डी एस टी से अनुरोध किया गया कि नवम्बर 2008 में स्वीकृत अनुदान को जारी करें साथ ही यह भी सूचित किया गया कि परियोजना पर जुलाई 2009 से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जबकि डी एस टी द्वारा कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

यद्यपि परियोजना अवधि वर्ष 2010 में समाप्त हो गयी थी, किन्तु संस्थान द्वारा डी एस टी की शर्तों को पूर्ण किये बिना परियोजना को जारी रखा गया। मई 2014 में प्रबंध-बोर्ड ने परियोजना को बंद किये जाने का निर्णय लिया। परियोजना पर डी एस टी से अनुदान प्राप्त किये बिना संस्थान द्वारा वर्ष 2015-16 तक अपने स्त्रोतों से ₹1.41 करोड़ व्यय किया गया।

इस प्रकार, परियोजना पर डी एस टी द्वारा अनुमोदित शर्तों को पूर्ण न करने और एम एच आर डी को परियोजना के संवर्धन संस्करण का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.41 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

एम एच आर डी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2015) कि परियोजना अनुदान की प्रथम किस्त प्राप्त किये बिना ही जारी रखी गयी जबकि प्रारंभिक स्वीकृति वर्ष 2010 में ही समाप्त हो गयी थी और डिस्कवरी पार्क परियोजना के संवर्धन संस्करण का प्रस्ताव भी एम एच आर डी को प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्थान प्रबंधन बोर्ड ने परियोजना को अलाभकारी पाया तथा परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया। डी एस टी ने भी परियोजना को बिना निधि स्वीकृत किए बंद कर दिया (अक्तूबर 2014)।

तथापि, तथ्य यह है कि संस्थान ने पूर्व शर्तों को पूरा किए बिना परियोजना को जारी रखा तथा डी एस टी से बिना कोई निधि प्राप्त करने के फलस्वरूप ₹1.41 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

10.4 अनियमित प्रतिपूर्ति

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (आई.आई.टी.के.) ने, एल.टी.सी. नियमों का उल्लंघन करते हुए एल.टी.सी. के उपयोग करते समय निजी वाहन से यात्रा करने पर भी अपने संकाय सदस्य और स्टाफ को ₹62.03 लाख राशि प्रतिपूर्ति की।

सी.सी.एस. (एल.टी.सी.)⁷ का नियमावली 1988 का नियम 12(2) प्रावधान करता है कि यदि यात्रा निजी कार (स्वामित्व, उधार या किराए की) या निजी ऑपरेटर की स्वामित्व वाली बस वैन या अन्य वाहन के उपयोग से की जाती है तो प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। आगे, छठे वेतन आयोग की संस्तुति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप कार्मिक एवं प्रशिक्षण (डी.ओ.पी.टी.) ने सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियमावली 1988 में यह भी जोड़ा (सितम्बर 2008) कि एल.टी.सी. केवल तभी देय होगा जब यात्रा सरकार द्वारा प्रचालित वाहनों या सार्वजनिक क्षेत्र के कोई कॉरपोरेशन जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित वाहनों के द्वारा की गई है।

अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के एल.टी.सी. बिलों की नमूना जॉच (दिसम्बर 2014 और नवम्बर 2015) ने प्रकट किया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (आई.आई.टी.के.) ने स्टाफ को अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के दौरान 569 मामलों में एल.टी.सी. का उपयोग करते समय संकाय सदस्य और स्टाफ को सड़क द्वारा निजी वाहनों से यात्रा करते हुए व्यय हेतु ₹62.03 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की।

अतः आई.आई.टी.के. ने, एल.टी.सी. नियमों का उल्लंघन करते हुए, एल.टी.सी. का उपयोग करते समय निजी वाहनों से यात्रा करने पर भी अपने संकाय सदस्य और स्टाफ को ₹62.03 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि आई.आई.टी.के. से निकटतम हवाई अड्डे की दूरी 150 किलोमीटर है और कोई सीधे सरकारी सड़क परिवहन उपलब्ध नहीं

⁷ केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश यात्रा रियायत)

है। रेलवे द्वारा हवाई अड्डे तक की यात्रा बहुत ही समय लगने वाली और खर्चीली है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आई.आई.टी.के. ने सङ्क द्वारा यात्रा करने पर वास्तविक व्यय, हकदार श्रेणी का रेलवे किराया और एल.टी.सी. नियम के अनुसार रोड माइलेज में जो भी कम हो, से सीमित करने की नीति बनाई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियमावली, 1988 के अनुसार निजी साधनों से यात्रा करने पर प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है।

शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

नवोदय विद्यालय समिति

10.5 निधियों का अवरोधन

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वन विभाग से निर्बाधता प्राप्त किये बिना कार्य दिए जाने के परिणामस्वरूप समय से पहले कार्य बंद करना पड़ा एवं ₹171.80 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश (जनवरी 2011) के द्वारा संशोधित वन मंत्रालय संरक्षण अधिनियम 1980 के पैरा 4.4 के अनुसार यदि कोई परियोजना वन एवं गैर-वन भूमि को सम्मिलित करती है तो गैर वन भूमि पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा उक्त वन भूमि को अवमुक्त न किया जाये। पुनः सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल पैरा 15.1(2) (i) के अनुसार निविदा आमंत्रित सूचना (एन.आई.टी.) करने के पूर्व विवादमुक्त कार्यस्थल का होना वांछनीय है।

बिहार राज्य सरकार द्वारा ग्राम माकपा जिला जहानाबाद (बिहार) में 27.50 एकड़ मूल्य रहित भूमि नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) को जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.यू.) के निर्माण हेतु आबंटित की गयी (जुलाई 2001)। जे.एन.यू. ने जुलाई 2001 में विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि पर कब्जा प्राप्त किया। राज्य सरकार को विद्यालय निर्माण हेतु विवाद मुक्त भूमि प्रदान करनी थी। एन.वी.एस. ने वांछित कार्य करने के पूर्व भूमि की स्थिति का सत्यापन नहीं किया और एन.वी.एस. ने नवम्बर 2001 में ₹505.02 लाख के फेस ए के कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की तथा के.लो.नि.वि., पटना को कार्य स्वीकृत की तिथि के पंद्रहवें दिन से 15 माह में कार्य समाप्त करने की शर्त पर कार्य सौंपा।

यद्यपि सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल के अनुसार कार्य का टैंडर आमंत्रित करने के पूर्व विवाद मुक्त भूमि वांछनीय है, तथापि सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा एक एजेंसी के माध्यम से अक्टूबर 2002 में कार्य प्रारंभ किया गया तथा जनवरी 2001 से फरवरी 2006 के मध्य ₹171.80 लाख का व्यय किया गया।

निर्माण कार्य को वन विभाग द्वारा अगस्त 2004 में रोक दिया गया क्योंकि जे.एन.यू. द्वारा वन विभाग की भूमि पर पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ही विद्यालय का निर्माण किया जा रहा था। चूंकि, राज्य सरकार को मूल्य रहित, विवाद मुक्त भूमि एन.वी.एस. को उपलब्ध करानी थी, राज्य सरकार द्वारा वन विभाग की देयताओं का अप्रैल 2011 में भुगतान कर दिया गया था।

शेष निर्माण कार्य के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. से संपर्क किया गया तथा उनसे शेष कार्य के लिए आँकलन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। यद्यपि समिति द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मार्च, जुलाई, अक्टूबर और दिसम्बर 2014 में निवेदन किया गया था परन्तु सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने आकलन प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. शेष कार्य के लिए आकलन प्रस्तुत करने में असफल रहा, इसलिए समिति द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से आबंटित कार्य जून 2015 में वापस ले लिया गया और कार्य अभी तक अपूर्ण रहा।

इस प्रकार एन.वी.एस. द्वारा वन विभाग से भूमि के लिए निर्बाध्यता प्राप्त किये बिना सी.पी.डब्ल्यू.डी. को विद्यालय के निर्माण हेतु कार्य सौंपने और सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा विवाद मुक्त भूमि की उपलब्धता की जाँच किये बिना कार्य की निविदा जारी करने के परिणामस्वरूप बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण कार्य को बंद किये जाने के कारण ₹171.80 लाख की धनराशि का अवरोधन हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2016)।

10.6 निष्फल व्यय

स्टेट मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उसकी सहमति के बिना आर एम सी की भूमि के हस्तांतरण पर आपत्ति उठाये जाने के बाद भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण ₹90.25 लाख निष्फल व्यय हुआ।

पश्चिम बंगाल सरकार (जी.डब्ल्यू.बी.) ने तूफानगंज, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.यू.) की स्थापना करने का निर्णय (2005 में) लिया और जी.डब्ल्यू.बी. एवं नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) द्वारा निरीक्षण के पश्चात् (जनवरी 2006) ऐसी मार्केटिंग विभाग के अन्तर्गत तूफानगंज रेगुलेटेड मार्केटिंग कमेटी (आर एम सी) की अनुपयोगी भूमि का चयन किया गया तथा ब्लाक लैंड एवं लैंड रिफार्म ऑफिसर तूफानगंज, जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा 10.00 एकड़ भूमि प्रधानाचार्य जे.एन.वी., कूच बिहार को हस्तांतरित की गयी (जुलाई 2007)।

अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2015) में पाया गया कि एन.वी.एस. द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. को साईट क्लियरेंस के बिना कार्य के लिए ₹672.77 लाख के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई (अगस्त 2007) जो सी.पी.डब्ल्यू.डी. वर्कस मैनुअल 2014 के सेक्शन 4.2 के विरुद्ध था जिसके अनुसार प्रस्ताव के प्रायोजन विभाग/मंत्रालय से बाधा रहित भूमि की उपलब्धता का आश्वासन प्राप्त किये जाने के बाद ही विस्तृत अनुमान, ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार किए जाना चाहिए। तत्पश्चात्, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ने बिना उसकी सहमति के आर एम सी भूमि के हस्तांतरण पर आपत्ति उठाई (अगस्त 2007) तथा हॉट संग्राम समिति द्वारा जे.एन.वी. निर्माण के विरोध में एक स्थानीय आन्दोलन शुरू किया गया (अगस्त 2007)। क्लियर साईट की अनुपलब्धता के बावजूद सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने पुलिस अभिरक्षा में चार दीवारी का निर्माण शुरू किया (जनवरी 2008) तथा पूर्ण कर दिया (जुलाई 2008) तथा नवम्बर 2008 तक निर्गत धनराशि ₹303.77 लाख में से ₹90.25 लाख उस पर व्यय किया गया। तत्पश्चात्, हॉट संग्राम समिति के प्रतिरोध के कारण कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा सका था एवं भूमि विवाद हल नहीं हो सका था (जून 2015)।

परिणामस्वरूप, एन.वी.एस. द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से तत्काल प्रभाव से कार्य वापस लेने का निर्णय लिया गया (जून 2015) तथा जे.एन.वी., बारोविशा के दूसरे कार्य में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा शेष⁸ धनराशि को समायोजित कर लिया गया।

इस प्रकार, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड द्वारा आर एम सी की भूमि के हस्तांतरण में आपत्ति उठाये जाने (अगस्त 2007) के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण ₹90.25 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2015 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2016)।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर

10.7 डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण में परिहार्य व्यय

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर ने (.टी.आई.एन.एम) .टी.आई.एन.एम के डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण के कार्य को सामान्य वित्तीय नियमावली तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) दिशानिर्देशों के उल्लंघन में नामांकन आधार पर आवास विकास लिमिटेड जयपुर को सौंपा जिसका परिणाम (एवीएल) ₹138.13 लाख के परिहार्य व्यय में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 के नियम 126(2) के अनुसार, एक मंत्रालय अथवा विभाग, अपने स्वयं निर्णय से, ₹30 लाख से अधिक की अनुमानित लागत के मरम्मत निर्माण कार्य तथा किसी भी मूल्य के मूल निर्माण कार्य को किसी लोक निर्माण संगठन जैसे कि सी.पी.डब्ल्यू.डी., राज्य निर्माण प्रभाग, जन्य सरकारी संगठन जो सिविल अथवा विद्युत निर्माण कार्य को करने हेतु प्राधिकृत है जैसे कि मिलीट्री इंजीनियरिंग सर्विस, सीमा सङ्क संगठन आदि, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सिविल अथवा विद्युत निर्माण कार्य करने हेतु स्थापित लोक क्षेत्र उपक्रम अथवा अन्य केन्द्र/राज्य सरकारी संगठन/पीएसयू, जिसे शहरी विकास मंत्रालय को अधिसूचित किया गया हो, को उनकी वित्तीय दृढ़ता तथा तकनीकी सम्पन्नता का मूल्यांकन करने के पश्चात सौंप सकेगा।

⁸ विद्युत प्रभाग, सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पास ₹10 लाख छोड़कर

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (एम.एन.आई.टी.) ने एम.एन.आई.टी. के डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण के कार्य को नामांकन आधार पर आवास विकास लिमिटेड (एवीएल) जयपुर को सौंपा (18 अक्टूबर 2011)। निर्माण की प्रारम्भिक लागत ₹1200.00 लाख थी जिसे बाद में जुलाई 2012 में डिजाईन केन्द्र को अतिरिक्त विशिष्टताओं के कारण ₹1672.87 लाख तक संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य को सौंपने के समय (18 अक्टूबर 2011) एवीएल कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी नहीं थीं। इस प्रकार एवीएल खुली निविदा प्रक्रिया को अपनाए बिना नामांकन आधार पर कार्य को सौंपने हेतु एक योग्य अभिकरण नहीं था। कार्य को सौंपना सीवीसी के कार्यालय आदेश दिनांक 5 जुलाई 2007 के उल्लंघन में भी था जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दोहराता है, जो अनुबंध करता है कि राज्य, इसके निगमों, सहायकों तथा अभिकरणों द्वारा संविदाएं सार्वजनिक नीलामी/ सार्वजनिक निविदा के माध्यम से सामान्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए तथा विशेष मामलों में, उदाहरणार्थ प्राकृतिक आपदा तथा सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान, इस सामान्य नियम को नष्ट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका की धारा 12 के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी केन्द्र सरकारी निर्माण कार्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के निर्माण कार्य हेतु किसी विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण नहीं करता है। तथापि, एमओयू (एमएनआईटी तथा एवीएल के बीच किए गए) की धारा 2 अनुबंध करती है कि एवीएल निर्माण की वास्तविक लागत के 9 प्रतिशत को अभिकरण प्रभारों के रूप में प्रभारित करेगा। यदि जमा कार्य सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया होता तो एमएनआईटी ₹138.13 लाख⁹ की बचत कर सकता था जिसमें से ₹117.39 लाख पहले ही अदा किया जा चुका है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर एमएनआईटी ने बताया (जून 2015) कि एवीएल को कार्य सौंपना जीएफआर 2005 के नियम 126(2) के अनुसार पूर्णतया नियमित था तथा इस कारण कोई परिहार्य व्यय नहीं था। प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने उत्तर के समर्थन में निम्नलिखित कारण प्रेषित किए थे:

⁹ एवीएल को देय ₹1534.74 लाख के 9 प्रतिशत अभिकरण प्रभार होने से

- एवीएल 20 सितंबर 2011 को एक सरकारी कम्पनी थी क्योंकि एवीएल की अंश पूँजी में सरकारी निवेश करने का निर्णय 20 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा लिया गया था।
- सीपीडब्ल्यूडी को कार्य करने का अनुरोध किया गया था परंतु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।
- कथित कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को नहीं सौंपा गया था क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा उद्ग्रहित अभिकरण प्रभार कार्य की लागत का 16 प्रतिशत था जो एवीएल द्वारा प्रभारित दर अर्थात् 9 प्रतिशत से स्पष्ट रूप से अधिक था।
- छात्रों को कोई अतिरिक्त हानि से बचने के लिए आधुनिक कम्प्यूटर केन्द्र-सह-डिजीटल पुस्तकालय की अति आवश्यकता थी।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि

- शहरी विकास विभाग, राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को राजस्थान सरकार के मंत्रीमण्डल द्वारा 28 नवम्बर 2011 को स्वीकृत किया गया था। कम्पनी पंजीयक द्वारा निगमीकरण का एक नया प्रमाण पत्र 21 मई 2012 को जारी किया गया था तथा इस तिथि का केवल एवीएल के एक सरकारी कम्पनी के रूप में होने की तिथि के रूप में माना जा सकता है।
- एमएनआईटी ने सीपीडब्ल्यूडी को आठ निर्माण कार्यों को करने हेतु माह अगस्त 2011 में पत्र लिखा था। आठ निर्माण कार्यों में से सात कार्यों को सीपीडब्ल्यूडी से करवाया गया था तथा यह कार्य एवीएल के माध्यम से किया गया था। यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं था कि सीपीडब्ल्यूडी ने डिजाईन केन्द्र के कार्य का निष्पादन करने से इंकार किया था।
- पूर्ण कार्य को 18 मार्च 2013 अर्थात् एमओयू दिनांक 18 अक्टूबर 2011 की तिथि से 15 महीनों तक समाप्त किया जाना था, परंतु कार्य को फरवरी 2015 तक समाप्त नहीं किया जा सका था इसलिए कार्य की अति आवश्यकता का आधार उचित प्रस्तुत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, एम.एन.आई.टी. ने एवीएल के साथ किए एमओयू की शर्तों के अनुसार कार्य के समापन में विलम्ब हेतु कोई जुर्माना भी नहीं वसूल किया गया है।

इस प्रकार, एवीएल को सिविल कार्य के अनियमित सौंपे जाने के अतिरिक्त, एमएनआईटी ने डिजाईन केन्द्र में प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण में कार्य की वास्तविक लागत की 9 प्रतिशत की दर पर अभिकरण प्रभार होने से ₹138.13 लाख का परिहार्य व्यय भी किया।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (मार्च 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2016)।

उच्चतर शिक्षा विभाग

हैदराबाद विश्वविद्यालय

10.8 श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली न होना

स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज भवन और पांच अन्य भवनों के निर्माण कार्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के बिल से ₹77.28 लाख के श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली न करने के परिणामस्वरूप अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं हुआ और ब्याज एवं दंड भुगतान की जिम्मेदारी बनी।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) यह प्रावधान करता है कि नियोजक द्वारा निर्माण पर खर्च की गयी लागत पर उस दर जो न दो प्रतिशत से अधिक हो और न ही एक प्रतिशत से कम होसे उपकर लगाया एवं वसूला जाए। अधिनियम के तहत, आन्ध्र प्रदेश सरकार (जी.ओ.ए.पी.) ने 26 जून 2007 के आगे से ठेकेदारों/अभिकरणों को उनके द्वारा निष्पादित भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों (भूमि की लागत को छोड़कर) के संबंध में अदा किए गए सभी बिलों पर एक प्रतिशत उपकर की कटौती करने के निर्देश (अप्रैल 2007) जारी किए। फलस्वरूप, अप्रैल 2007 में आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना की गयी थी।

अधिनियम के तहत निर्मित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम 4(3) के अनुसार यदि उपकर का उद्ग्रहण सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपकर के भवन या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित हो तो वह सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपकर ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए जाने वाले बिलों से अधिसूचित दर पर उपकर की कटौती करेगा या करवाएगा। इसके

अतिरिक्त, नियम 5(3) के अनुसार, ऐसी वसूल की गयी राशि को वसूली के 30 दिनों के अन्दर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड को अंतरित कर दिया जाएगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जिस तारीख को भुगतान देय था उसके बाद प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए उपकर की राशि के समतुल्य दंड के साथ-साथ दो प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान की भी जिम्मेदारी होगी।

विश्वविद्यालय ने “स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज¹⁰ के लिए भवन निर्माण” कार्य का ठेका ₹47.72 करोड़ के प्रारंभिक सहमत संविदा मूल्य पर मै. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद (ठेकेदार) को दिया (मार्च 2008)।

तत्पश्चात् ₹33.80 करोड़ का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को दिया गया (जुलाई 2009)। वर्धित संविदा मूल्य पर अतिरिक्त कार्य के साथ पूरे कार्य का मूल्य ₹81.52 करोड़ हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किया गया कि कार्य 30.11.2011 को पूर्ण हुआ और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का मूल्य CCXIII एवं भाग बिल ₹77.49 करोड़ था। विश्वविद्यालय द्वारा कुल ₹77.28 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को किया गया (मार्च 2012 तक)। अंतिम बिलों का निपटान अभी तक किया जाना बाकी था।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के बिलों से ₹77.28 लाख¹¹ राशि के वैधानिक उपकर की कटौती कर के बोर्ड के पास जमा नहीं की गयी। इस प्रकार, श्रमिक कल्याण उपकर की कटौती एवं उसको बोर्ड के पास जमा करने में विफलता से अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ एवं यह जिम्मेदारी बनी कि वसूल न की गयी ₹77.28 लाख की राशि का ब्याज एवं दंड के साथ भुगतान किया जाए।

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2015) कि उसने निर्णय लिया है कि उसके पास विद्यमान ठेकेदार के बकाया बिलों/जमानत से श्रमिक कल्याण उपकर की ₹77.28 लाख की राशि को उस पर लागू ब्याज एवं उस पर दंड के साथ वसूल किया जाएगा। यह भी बताया गया कि इस प्रकार से वसूल की गयी राशि को बोर्ड को प्रेषित कर दिया जायेगा।

¹⁰ वातानुकूलित कार्यों सहित, लड़कों के छात्रावास के द्वितीय तल का विस्तार, स्टडी इंडिया प्रोग्राम (एस.आई.पी.) भवन, ए और बी प्रकार के क्वार्टर और शिक्षक फ्लैट्स, पी 3 सुविधा भवन, छात्रावास भवन (दो खण्ड) और विश्वविद्यालय परिसर (कार्य) में केंद्रीय रसोई।

¹¹ किए गए कार्य के मूल्य (₹77.28 करोड़) पर एक प्रतिशत की निर्धारित दर से

मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर को पृष्ठांकित किया (दिसम्बर 2015) और बताया कि मामले को विश्वविद्यालय के साथ उठाया गया है और विश्वविद्यालय को नियमानुसार श्रमिक कल्याण उपकर की ₹77.28 लाख की राशि को लागू ब्याज एवं उस दंड के साथ वसूल करने के लिए सूचित कर दिया है।

10.9 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 'ग्रंथना विभाग, विश्व भारती कोलकाता के प्रकाशन गतिविधियां

जी.वी. की वित्तीय क्षमता उच्चतर माध्यमिक परिषद से अनुबंध के अप्रैल 2013 में खत्म होने के बाद से गिर रही है तथा जी.वी. ने इसे सुधारने के लिए कोई प्रभावशाली योजना नहीं बनाई। इसके अतिरिक्त जी.वी. प्रकाशन से पहले मार्केटिंग आकलन के अभाव में निर्धारित समय के भीतर प्रकाशित ग्रंथों को नहीं बेच सकी। उच्च माध्यमिक परिषद की किताबें परिषद के अनुमति के बिना प्रकाशित हुई जिससे निष्फल व्यय हुआ। पर्याप्त सेल ऐंजेंटों को नहीं तैनात किया गया और निष्क्रिय ऐंजेंटों को नहीं हटाया गया। जी.वी. का स्टोर मैनेजमेंट अक्षम था जिसके कारण किताबों की क्षति हुई तथा कम बिकने वाली किताबों का निपटान नहीं हुआ।

10.9.1 रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती (वी.बी.) का ग्रंथना विभाग (जी.वी.) प्रारंभ अर्थात् 1923 से ही स्वायत्त स्व-वित्तपोषित संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में जी.वी., ग्रंथन विभाग मैनेजमेंट कमेटी (जी.वी.एम.सी.) द्वारा चलाई जा रही है, इसकी स्थापना मार्च 1984 में वी.बी. के कर्मा समिति (के.एस.) द्वारा की गई। जी.वी. टैगोर पर/टैगोर की किताबें, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद (काउंसिल) की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता तथा बेचता है। सीएजी के डीपीसी एक्ट 1971 की धारा 19(2) के तहत जून से अगस्त 2015 के दौरान वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए जी.वी. के प्रकाशन गतिविधियों पर लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी.वी. ने न तो प्रकाशन नीति बनाई और न ही प्रकाशन गतिविधियों को कुशल, प्रभावशाली तथा आर्थिक तौर पर निष्पादित किया जिससे कि जी.वी. की व्यावसायिक क्षमता प्रभावित हुई जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों से स्पष्ट होता है।

10.9.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

10.9.2.1 टैगोर पर/टैगोर की किताबों का प्रकाशन

वर्ष 2012-15 की अवधि के दौरान, जी.वी. ने कुल 141 शीर्षक प्रकाशित किये जिसमें से 25 नए (8 वी.बी. पत्रिका सहित) और 116 दुबारा प्रकाशित शीर्षक हैं। प्रकाशन में पाई गई कमियाँ नीचे वर्णित हैं।

(i) प्रकाशन की पुस्तकों के चयन और निर्धारण की कोई नीति नहीं होना।

- नये शीर्षकों के प्रिंट वाल्यूम के निर्णय के लिए न कोई मानक था और न ही जी.वी. ने प्रकाशन से पहले नई शीर्षकों के बिक्री-योग्यता का आकलन किया। जी.वी. के निदेशक ने बिना किसी औचित्य के प्रिंट होने वाले नए शीर्षकों का वाल्यूम नियत किया। मुद्रित पुस्तकों को अगले तीन वर्षों में बेचा जाना अपेक्षित था। वर्ष 2012-15 में 17 नए मुद्रित शीर्षकों की नमूना जांच करने पर पाया गया कि 17200 मुद्रित प्रतियों में से मात्र 1929 प्रतियों (11 प्रतिशत) को बेचा गया। इन 17 शीर्षकों में से, दो शीर्षकों 2012-13 में प्रकाशित किये गए। यद्यपि मुद्रित किताबों को अगले तीन वर्षों के दौरान बेचा जाना अपेक्षित था लेकिन इन दो किताबों के प्रकाशन के अगले तीन वर्ष के दौरान केवल 12 और 29 प्रतिशत ही बेचा गया। अतः वर्ष 2012-13 के दौरान प्रकाशित दो शीर्षकों के 2634 प्रतियाँ नहीं बेचे जाने से इनके प्रकाशन पर ₹4.80 लाख राशि अवरुद्ध हो गई।
- जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि स्वीकार्य चलन के अनुसार सामान्यतः अंग्रेजी किताबों की 1100 प्रतियाँ और बांग्ला किताबों की 600 प्रतियां मुद्रित हुई। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जी.वी. में एक बांग्ला किताब की 2100 प्रतियां और अन्य चार बांग्ला किताब की 1100 प्रतियां मुद्रित की। यहां तक कि मुद्रण के लिए नियत 1100 तथा 600 किताबों का परिणाम काफी ज्यादा है क्योंकि मार्च 2015 तक केवल 11 प्रतिशत किताबें ही बेची जा सकी।
- पुनः मुद्रण आदेश हेतु मानक था कि जब किसी विशेष किताब की स्टॉक में 100 प्रतियां शेष रह जाती हैं तो पुनः मुद्रण के लिए आदेश दिया जाता है। वर्ष 2012-15 के दौरान 116 पुनः मुद्रित शीर्षकों में से 19 शीर्षकों का नमूना जांच में पाया गया कि सात मामलों में किताबों का पुनः मुद्रण किया

गया जबकि स्टॉक 100 से ज्यादा प्रतियां (155 से 1200 प्रतियों के बीच) मौजूद थी। जी.वी. ने पुनः आदेश के स्तर उल्लिखित किए बिना (दिसंबर 2015) बताया कि कुछ शीर्षकों विशेष रूप से स्वाराबितन क्रम का पुनः मुद्रण किया गया जबकि स्टॉक 100 से ज्यादा था क्योंकि उन किताबों की बिक्री ज्यादा थी। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छ: शीर्षकों और हैं जहाँ स्टॉक में 100 से ज्यादा प्रतियां हैं और यहाँ तक कि दो मामलों में पुनः मुद्रण के आदेश के समय 1000 और 2000 स्टॉक पाया गया।

(ii) नई शीर्षकों की मंजूरी नहीं होना

नई शीर्षकों का प्रकाशन तभी शुरू किया जा सकता है जब पांडुलिपि विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षित तथा मंजूरी प्रदान की गई हो। समीक्षकों के चयन का कोई नियम नहीं है। पांडुलिपि को किसी विशेष समीक्षक के पास भेजने का औचित्य अभिलेख में मौजूद नहीं है। लेखापरीक्षा में पाया कि कुल 17 नए शीर्षकों में से-

- छ: शीर्षकों की 5600 प्रतियां विशेषज्ञ/समिति के पुनरीक्षण/अनुमोदन के बिना प्रकाशित हुई और मार्च 2015 तक केवल 705 प्रतियां बेची गई। प्रत्येक शीर्षक के बिक्री का प्रतिशत चार और 29 प्रतिशत के बीच रहा। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि विश्व भारती प्रकाशन के लेखक और समीक्षक इतने विख्यात हैं कि प्रत्येक शीर्षक के लिए अलग औचित्य की आवश्यकता नहीं हुई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जी.वी.एम.सी. ने किसी लेखक/शीर्षक का उल्लेख नहीं किया जो समीक्षा/अनुमोदन के परे है।
- जी.वी.एम.सी. के अनुशंसा के बिना ₹5.50 लाख मूल्य के तीन शीर्षकों की 2300 प्रतियां वर्ष 2013-15 के दौरान प्रकाशित की गई थीं। जिसमें से केवल 500 प्रतियां मार्च 2015 तक ₹1.40 लाख की विक्रय मूल्य पर बेची गई। जी.वी. ने बताया (अगस्त 2015) कि क्योंकि जी.वी.एम.सी. मीटिंग नहीं होने के कारण, पांडुलिपियों को अनुशंसा के लिए नहीं भेजा गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जी.वी.एम.सी. की कार्यात्तर मंजूरी प्राप्त नहीं की गई।
- जी.वी.एम.सी. द्वारा नई शीर्षकों के प्रकाशन के प्रिंटिंग के लिए निर्धारित अवधि का कोई मानक नियम नहीं तय किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2012 से अक्टूबर 2014 के दौरान जी.वी.एम.सी. ने 28 नए

शीर्षकों के प्रकाशन की अनुशंसा की जिसमें से केवल 8 प्रकाशित हुए और बाकी 20 शीर्षक जी.वी.एम.सी. के अनुशंसा के 12 से 43 महीने (नवंबर 2015) बीत जाने के बावजूद प्रकाशित नहीं हुए। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(iii) मुद्रण की दरों में प्रतिस्पर्धा का अभाव

चार मुद्रण प्रौद्योगिकीविदों की टीम ने (दिसंबर 2012) विभिन्न घटकों जैसे रचना, प्रिंटिंग, जिल्डसाजी, इत्यादि की दरें विहित की। उक्त प्रौद्योगिकीविदों द्वारा सात प्रेसों की सूची बनाई गई और जी.वी. ने उस दर को स्वीकार किया और तदनुसार प्रेसों को भुगतान कर दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार शीर्षकों वर्ष 2013-15 के दौरान सूची से बाहर के प्रेसों में मुद्रित हुए। दो मामलों में किताबें तय दरों से उच्च दरों पर मुद्रित की गई तथा उच्च दरों के कारण ₹2.66 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि सूची में नहीं शामिल प्रेसों को बाद में अनुमोदित सूची में शामिल किया गया। तथापि तथ्य यह है कि किताबे सूची में शामिल न हुई प्रेसों से उच्च मूल्य पर प्रकाशित हुई।

(iv) प्रेस द्वारा सुपुर्दगी में देरी

प्रेसों को दिए जाने वाले कार्य आदेश जारी होने के बाद की तिथि से 30 से 60 दिनों के अंदर किताबों की सुपुर्दगी अनुबंधित करता है जिसके विफल होने पर जी.वी. द्वारा उचित अर्थदंड लगाया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किए गए 35 मामलों¹² में से 30¹³ मामलों में सुपुर्दगी में 2 से 150 दिनों के बीच की देरी हुई थी। यद्यपि, जी.वी. ने, कार्यादेश के उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि प्रिंटिंग आदेशों में विशेष लिकिवडेटेड डैमेज क्लाउस का समावेशन प्रक्रियाधीन है।

10.9.3 पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक किताबों का प्रकाशन

जी.वी. का पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद से 12 विभिन्न टाइटलों के उच्च माध्यमिक (एच.एस.) पुस्तकें मुद्रित, प्रकाशित और बेचने का 1988-89 से

¹² 18 नई टाइटल्स और 17 पुनः मुद्रित

¹³ 9 मामलों में सुपुर्दगी का विवरण मौजूद नहीं था।

अनुबंध था। मार्च 2010 में अंतिम अनुबंध 2010-13 की अवधि के लिए किया गया और उस अनुबंध को अप्रैल 2013 में समाप्त कर दिया गया। अनुबंध के अनुसार यदि अनुबंध के खत्म होने तक किताबें नहीं बेची जाती हैं तो परिषद को किताब के अंकित मूल्य 60 या 65 प्रतिशत की दर से उन किताबों को वापस खरीदना होगा और खराब हुई किताबों को काउंसिल द्वारा वहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अवधि 2010-13 के दौरान, जी.वी. ने परिषद से प्रिंटिंग के लिए सूचना प्राप्त किए बिना ₹4.53 करोड़ की दर पर 39.60 लाख किताबें मुद्रित की। अनुबंध के अंत में, जी.वी. के पास ₹1.48 करोड़ मूल्य के 15.52 लाख किताबों (9.94 लाख + 5.58 नष्ट किताबें)¹⁴ का स्टॉक था। इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए प्रस्ताव वास्तविक क्लोजिंग स्टॉक से न लेकर बिक्री नहीं हुए किताबों के अंतिम मुद्रण के शेष से ली गई थी। अतः प्रिंट होने के लिए किताबों की वास्तविक आवश्यकताओं का सही आकलन नहीं होने से अधिक किताबों की प्रिंटिंग हुई जो स्टॉक में पड़ी थी। काउंसिल को (मई 2013) 9.52 लाख बिक्री नहीं हुई प्रतियों के लिए ₹2.53 करोड़ का दावा अधिनामित किया गया और काउंसिल को अंतरिम प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट (दिसंबर 2014) के आधार पर 9.04 लाख बिक्री न हुई प्रतियों के लिए ₹2.36 करोड़ का संशोधित दावा भेजा गया था। चूंकि किताबें काउंसिल द्वारा जारी प्रिंट आदेश के बिना प्रकाशित हुई, काउंसिल से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2015)। आगे, अनुबंध के अनुसार काउंसिल ने नष्ट किताबों का मूल्य वहन नहीं किया जिससे जी.वी. को 5.58 लाख नष्ट किताबों का कुल नुकसान हुआ।

जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि वापस खरीदने के बदले कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, इसके लिए लगातार कोशिश की गई यहाँ तक कि काउंसिल के प्राधिकारी से विचार विमर्श के आधार पर किताबे पुनः मुद्रित हुई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि काउंसिल को किताबें मुद्रित करने की अनुमति के लिए पत्र भेजे गए थे लेकिन इसके लिए काउंसिल की अनुमति प्राप्त नहीं हुई।

¹⁴ पैरा 2.5 में स्टोर प्रबंधन का विवरण

10.9.4 किताबों की बिक्री

वर्ष 2012-15 के दौरान कुल बिक्री में एजेंटों, सेल्स आउटलेटों और पुस्तक मेलों द्वारा किया गया योगदान क्रमशः 70,17 और 13 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने बिक्री के क्रियान्वयन में कई खामिया पाई जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। जी.वी.एम.सी. ने निर्णय लिया (दिसंबर 2007) कि किताबों की बिक्री के लिए त्रिपुरा, उड़ीसा और दिल्ली के एजेंटों की पहचान की जाए लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर एजेंट नियुक्त करने में जी.वी असफल रहा। पश्चिम बंगाल में भी 19 जिलों में से केवल 11 जिलों में एजेंटों द्वारा बिक्री की व्यवस्था की जा सकी। मार्च 2015 तक, केवल 21 एजेंट थे (जून 1983 से सितंबर 2010 तक शामिल किए गए) जिसमें से केवल 7 कार्यकारी एजेंट हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-15 के दौरान, ऐजेंटों द्वारा किए गए कुल बिक्री गिरकर ₹406.66 लाख से ₹134.98 लाख रह गई। इसके अतिरिक्त यद्यपि ऐजेंटों के लिए बिक्री का न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य ₹5 लाख (मई 2011) सशर्त तय किया गया कि यदि लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा, 2014-15 के दौरान सात सक्रिय एजेंटों में से केवल पाँच ने न्यूनतम बिक्री लक्ष्य पूरा किया। दो एजेंटों का अनुबंध बिक्री लक्ष्य पूरा न होने के कारण अनुबंध रद्द नहीं किया गया। यह भी पाया कि जी.वी. ने न तो सितंबर 2010 के बाद नये एजेंटों की नियुक्ति के लिए कोई कार्रवाई की और ना ही लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले एजेंटों को हटाया। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि एजेंटों तथा अन्य राज्यों में संभावित खरीददारों को जोड़ने की शुरूआत की जा चुकी है।

जी.वी.एम.सी. ने दिसंबर 2007 में किताबों की ई-सेलिंग के लिए निर्णय लिया लेकिन (नवंबर 2015) तक शुरू नहीं की जा सकी। जीबी ने आगे कहा कि किताबों की ई-सेलिंग का कार्यक्रम की शुरूआत फरवरी 2016 से होगी।

10.9.5 जी.वी. की वित्तीय क्षमता नहीं होना

के.एस. ने एक प्रकाशन इकाई के रूप में जी.वी. की वाणिज्यिक क्षमता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक समिति ने पाया (2006) कि टैगोर का जी.वी. को स्थापित करने का उद्देश्य न केवल उनकी रचनाओं की अच्छी तरह से प्रकाशित करने का था बल्कि उससे उत्पन्न होने वाली आय से वी.बी. को लगातार वित्तीय मजबूती

प्रदान करना था। जी.वी. के लाभ हानि खाते बताते हैं कि कुल लाभ अन्य आय के समावेशन के कारण वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹2.52 करोड़, ₹(-)98.91 लाख और ₹1.72 करोड़ रहा, यद्यपि वर्ष 2012-15 के दौरान एक आपरेशनल नुकसान हुआ जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया।

| वर्ष | प्रत्यक्ष व्यय | अप्रत्यक्ष व्यय ¹⁵ | कुल व्यय | कुल बिक्री | अधिशेष ¹⁶ घाटा/घाटा/ |
|---------|----------------|-------------------------------|----------|------------|---------------------------------|
| 2012-13 | 165.16 | 311.95 | 477.11 | 522.92 | 45.81 |
| 2013-14 | 43.91 | 284.84 | 328.75 | 205.57 | (-) 123.18 |
| 2014-15 | 64.63 | 344.79 | 409.42 | 209.04 | (-) 200.38 |

अप्रत्यक्ष व्यय 10 प्रतिशत बढ़ गया जबकि विक्रय 60 प्रतिशत कम हो गया है। 2013-14 से घटे में वृद्धि का कारण अप्रत्यक्ष व्यय में वृद्धि है और एच.एस. काउंसिल के साथ अनुबंध समाप्त करने के कारण विक्रय में कमी थी। उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि 2013-15 के दौरान जी.वी. के प्रकाशन गतिविधियों को ₹3.24 करोड़ की हानि हुई। यद्यपि, जैसा जी.वी. स्टॉफ के वेतन पर व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा वहन किया गया था, तथापि जी.वी. वेतन पर हुए व्यय को छोड़कर इस अवधि के दौरान कुल घाटा ₹1.07 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि काउंसिल के साथ अनुबंध समाप्त करने के बाद जी.वी. ने अपनी वाणिज्यिक क्षमता को अधिक आय द्वारा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी। यह इसके वाणिज्यिकीय उद्देश्यों की गैर-पूर्ति में परिणत हुआ।

जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि यथेष्ट ऊपरी भार के साथ अंतर्निहित एक सरकारी व्यवस्था में जी.वी. को वाणिज्यिक क्षमता के साथ चलाना बहुत कठिन है। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि कर्मा समिति ने निर्णय लिया था कि जी.वी. को एक प्रकाशन इकाई के रूप में अपनी वाणिज्यिक क्षमता को बनाए रखना चाहिए।

¹⁵ अप्रत्यक्ष व्यय में स्थापना मूल्य, कार्यालय व्यय और जी.वी. स्टाफों का वेतन ₹85.99 लाख (2012-13), ₹94.82 लाख (2013-14), ₹122.15 लाख (2014-15) और अन्य व्यय शामिल हैं।

¹⁶ आंतरिक प्राप्ति अर्थात् निवेश पर ब्याज, विविध प्राप्तियों इत्यादि शामिल नहीं किये गये हैं।

10.9.6 स्टोर प्रबंधन

स्टोर प्रबंधन प्रणाली में पाई गई कमियों का विवरण नीचे है;

- जी.वी. का 31 मार्च 2015 तक स्टॉक-इन-ट्रैड का मूल्य (लागत मूल्य) ₹2.88 करोड़ था जिसमें 7.78 लाख प्रतियां थी। यद्यपि शून्य शेष सहित 54803 प्रतियां सम्मिलित हैं। जी.वी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और इन पुस्तकों की लागत को स्टोर विवरण में शामिल किया गया।
- जी.वी.एम.सी. ने “स्लो/नॉन-मूविंग बुक्स”¹⁷ को छांटने और उत्पादन लागत वसूलने और गोदाम स्थल बनाने के लिए उन किताबों को 50 प्रतिशत डिस्काउंट पर पूरे वर्ष बेचने का निर्णय (अप्रैल 2013) लिया। जी.वी. ने 2013-15 के दौरान पुस्तक मेले में ₹6.09 लाख के बिक्री मूल्य पर स्लो/नॉन-मूविंग बुक्स की 0.66 लाख प्रतियां बेची फिर भी मार्च 2015 तक ₹78.71 लाख मूल्य की स्लो/नॉन-मूविंग बुक्स¹⁸ की 2.44 लाख प्रतियां बेची नहीं जा सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जी.वी. ने किसी एजेंट या सेल्स आउटलेट के द्वारा बेचने की पहल न कर केवल पुस्तक मेले में ही बेचा। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि एजेंटों को स्लो/नॉन-मूविंग बुक्स बेचने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से संलग्न किया जाएगा। इसके अलावा,
- स्टोर डिवीजन के अभिलेख प्रबंधन की स्थिति दयनीय है क्योंकि विभिन्न गोदामों/ आउटलेटों में पड़ी हुई किताबों का कोई समेकित विवरण मौजूद नहीं है जिसके परिणामस्वरूप पुरानी प्रकाशित किताबे स्टॉक में ही पड़ी रह गई और नई किताबे बेच दी गई। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि दो गोदामों के स्टॉक रजिस्टरों का अच्छी तरह से अनुरक्षण किया जा रहा था। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि किसी विशेष किताब की समेकित स्टॉक स्थिति मौजूद नहीं थी क्योंकि बाकी दो गोदामों में मौजूद किताबों का विवरण अभी तक अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था।

¹⁷ किताबे तीन साल पहले प्रकाशित हुई लेकिन बिक्री प्रतिवर्ष 100 से भी कम थी।

¹⁸ नॉन मूविंग और स्लो मूविंग मदों का विश्लेषण वर्ष 2012-13 से 2014-15 के मद स्टॉक सूची में उपलब्ध मदों के नामों के आधार पर किया गया था।

जीएफआर के नियम 192 का उल्लंघन करते हुए वर्षों से किताबों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। अतः किताबों की प्रत्यक्ष मौजूदगी निश्चित नहीं की जा सकी है। जी.वी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि किताबों का प्रत्यक्ष सत्यापन अब तक प्रारंभ कर दिया गया है।

इस प्रकार, जी.वी. ने न तो कोई कुशल, प्रभावी और किफायती तरीके की प्रकाशन नीति बनायी और न ही प्रकाशन गतिविधि निष्पादित की, जो जी.वी. के वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रभावित करें।

यह मामला मंत्रालय को सूचित किया गया (नवंबर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2016)।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

10.10 आउटसोर्सिंग अभिकरण को ₹32.87 लाख का अधिक भुगतान तथा लेखापरीक्षा दृष्टांत पर आंशिक वसूली

2010-11 तथा 2014-15 के बीच, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने दिल्ली में अपने कार्यालयों की सुरक्षा को एक निजी अभिकरण को आउटसोर्स किया। आईसीएसएसआर ने निजी अभिकरण को ₹32.87 लाख अधिक अदा किए जिसमें से लेखापरीक्षा दृष्टांत पर ₹11.64 लाख की वसूली की गई थी।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने नई दिल्ली¹⁹ में अपने कार्यालयों की सुरक्षा को एक निजी अभिकरण को आउटसोर्स किया है। सुरक्षा अभिकरण ने आईसीएसएसआर को आवधिक रूप से इन्वाईस प्रदान की थीं जिसमें परिनियोजित सुरक्षा कार्मिक, कार्मिकों की दर, संख्या तथा परिनियोजित माह-दिवस के ब्यौरे शामिल थे जिसके आधार पर आईसीएसएसआर ने अभिकरण को भुगतान किया था।

अभिकरण द्वारा परिनियोजित कार्मिकों के उपस्थिति अभिलेखों की समीक्षा करते समय लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तव में परिनियोजित कार्मिकों की संख्या अभिकरण द्वारा किए गए दावे तथा आईसीएसएसआर द्वारा अदा किए गए से

¹⁹ अरुणा आसफ जली रोड पर मुख्यालय तथा एन.ए. एस.एस.डी.ओ.सी पुस्तकालय भवन फिरोज शाह रोड।

कम थी। यह मई 2010 तथा जून 2014 के बीच अभिकरण को ₹32.87 लाख के अधिक भुगतान का कारण बना।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, आईसीएसएसआर ने इस आधार पर कि शेष वसूलनीय नहीं था क्योंकि भुगतान उस समय की प्रचलित दरों तथा कुछ अतिरिक्त कार्य घट्टों के आधार पर किया गया था, अभिकरण से वसूली (फरवरी 2015) को ₹11.64 लाख तक सीमित किया गया। तथापि तथ्य है कि अभिकरण ने स्वयं अधिक मासिक दरों अथवा अतिरिक्त कार्य घट्टों का दावा नहीं किया था लेकिन इसकी बजाय अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिक की तैनाती के लिए प्रतिपूर्ति का गलत दावा किया। इसलिए आईसीएसएसआर द्वारा अधिक भुगतान स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, आईसीएसएसआर द्वारा अपर्याप्त सत्यापन का परिणाम सुरक्षा अभिकरण को ₹32.87 लाख के अधिक भुगतान में हुआ जिसमें से केवल ₹11.64 लाख की वसूली की गई है।

मामला नवम्बर 2015 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

अध्याय XI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड

11.1 केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का कार्य

केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड की लेखापरीक्षा में कई व्यवस्थागत कमियां पाई गईं जैसे कि प्रमाणन प्रक्रिया में अस्पष्टीकृत विलंब जो समिति द्वारा जांच के लिए फ़िल्मों का क्रम बदलना, प्रमाणित फ़िल्मों को ए से यू.ए./ए. श्रेणी इत्यादि में परिवर्तित करना इत्यादि। लेखापरीक्षा के सामने ऐसे साक्ष्य भी आए जो कि फ़िल्म प्रमाणीकरण के अभिलेखों को ट्रैक करने के लिए सी.बी.एफ.सी. के भीतर आंतरिक नियंत्रण की कमी भी दर्शाते हैं जिससे कॉपीराइट न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को एक भी फ़िल्म के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किए जाने का जोखिम उत्पन्न होता है।

केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (के.फि.प्र.बो.) सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1953 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत फ़िल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी को विनियमित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय था। यह फ़िल्मों, टेलिविजन कार्यक्रमों, टेलिविजन विज्ञापन को प्रमाणपत्र प्रदान करता है एवं भारत में फ़िल्मों की प्रदर्शनी, बिक्री या किराए पर लिए जाने के लिए प्रकाशन करता है। भारत में फ़िल्में सार्वजनिक रूप से केवल तभी प्रदर्शित की जा सकती हैं जब उन्हें केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है।

अधिनियम के अंतर्गत गठित बोर्ड में गैर-अधिकारिक सदस्य एवं अध्यक्ष (इनमें सभी केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं) शामिल हैं तथा मुम्बई में मुख्यालयों के साथ कार्य करता है। इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलौर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक एवं गुवाहाटी सब में एक हैं। फ़िल्मों की जांच में क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता सलाहकार पैनलों द्वारा की जाती है। पैनलों के सदस्यों को एक समय पर 2 वर्षों की अवधि के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का चयन करने केन्द्र सरकार द्वारा चयनित किया जाता है।

फिल्मों के प्रमाणीकरण हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं की नमूना जांच लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी जिसमें आंतरिक नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया में अंतरालों की ओर इंगित करते हुए बहुत से मुद्दे पाए गए थे जिस का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रमाणपत्रों को जारी करने में सामयिकता

सिनेमाटोग्राफ नियमावली का नियम 41, में निर्धारित है कि यदि आवेदनकर्ता फिल्म के पुनरीक्षण समिति द्वारा देखे जाने का आवेदन नहीं करता तब तालिका 1.1 में उल्लिखित 68 दिनों के बराबर की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के लिए भिन्न समय सीमाएं निर्धारित हैं।

तालिका 1.1

| प्रक्रिया | समय सीमा |
|--|----------|
| आवेदन की समीक्षा | 7 दिन |
| जांच समिति (जां.स.)* का गठन | 15 दिन |
| अध्यक्ष को जां.सं रिपोर्ट प्रेषित करना | 10 दिन |
| आवेदनकर्ता को आदेश के बारे में बताना | 3 दिन |
| निर्माता द्वारा कटों को प्रस्तुत करना | 14 दिन |
| कटों की जांच | 14 दिन |
| प्रमाणपत्र को जारी करना | 5 दिन |

* (सिनेमाटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियमावली 1983 के नियम 22 एवं 24 के अनुसार- लघु फिल्म के मामले में एक जांच समिति में सलाहकार पैनल का एक सदस्य और जांच अधिकारी (इनमें से एक महिला होगी) शामिल होंगे जबकि दीर्घ फिल्म के मामले में इसमें सलाहकार समिति के चार सदस्य और एक जांच अधिकारी (इनमें से दो महिला होंगी) शामिल होंगे। पुनरीक्षण समिति में एक अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड या सलाहकार पैनल के नौ सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, एक फिल्म के लिए जांच समिति का कोई सदस्य पुनरीक्षण समिति का हिस्सा नहीं होगा।)

11.1.2 इसके अतिरिक्त, सभी, फिल्मों को प्रथम आओ पहले पाओ के आधार पर प्रमाणीकृत करना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता से लिखित आवेदन

प्राप्त हुआ है तो क्षेत्रीय अधिकारी (क्षे.अ.) के पास फ़िल्म की जांच के अनुक्रम को बदलने का विवेकाधिकार है और क्षे.अ. को शीघ्र जांच की आवश्यकता लगेगी तो वह उसका विधिवत रिकॉर्ड रखेगा।

1 अप्रैल 2013 से 175 अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ -

- क्रम से पूर्व की 57 फ़िल्मों (32.57 प्रतिशत) में, विशेष विचार हेतु आवेदन करते हुए आवेदनकर्ता से पत्र या आवेदन को स्वीकार करने वाली यो.अ. की तर्कसंगतता अभिलेखों में नहीं पायी गई थी (अनुबंध क)
- स्पष्ट यू.यू.ए. या स्पष्ट ए. प्रमाणीकरण 135 फ़िल्मों के लिए किया गया था। हालांकि, प्रमाणीकरण प्रक्रिया के समापन के बावजूद, 49 फ़िल्मों (36 प्रतिशत) में प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए लिया गया समय 3 और 491 दिनों के बीच था तथा 26 दिनों का औसत समय लगा था। जां.स. द्वारा स्पष्ट प्रमाणपत्र की स्वीकृति के पश्चात् विलंब हेतु कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

इसके अतिरिक्त, 2013-14 और 2014-15 की अवधि के दौरान 31 मामलों में, फ़िल्म को प्रमाणीकृत करने में लिया गया समय 75 दिनों से लेकर 491 दिनों तथा औसत तक 169 दिनों तक था। विलंब हेतु कारण फाइल में रिकॉर्ड नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने जांच समिति द्वारा जांच हेतु फ़िल्मों के क्रम को बदलने के लिए कारणों को रिकॉर्ड न करने के लिए उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। जांच समिति की अनुमति के पश्चात् प्रमाणपत्र को जारी करने में विलंब के संदर्भ में, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि कुछ मामलों में जहां आवेदनकर्ता जांच समिति के निर्णय से सहमत नहीं हुए, उन्होंने पुनरीक्षण समिति को अपील की जिसकी अनुशंसा से प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। औपचारिकताओं अर्थात् सी.बी.एफ.सी. द्वारा लगाए गए कटों की स्वीकृति, प्रस्तुतीकरण या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्रमाणीकरण और अधिक विलंबित हो और ऐसे विलंब का कारण सी.बी.एफ.सी. नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उन मामलों में जहां स्पष्ट यू/यू.ए./ए. प्रमाणपत्र जां.स. द्वारा उन मामलों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को पहले से ही स्वीकृत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्माता को क्रम तोड़ने की अनुमति देने के लिए कारणों को रिकॉर्ड न करने या प्रमाणपत्र को जारी न करने में विलंब के कारण नियमों की गैर-अनुपालना और बोर्ड के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी थी।

मामले का अध्ययन

1/1/2009 से 31/12/2009 की अवधि के लिए श्रीमती वी.के. चावाक, अध्यक्ष के सचिव की 2012 में जांच की गई थी और नवंबर 2012 में सतर्कता अधिकारी द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट के अनुसार नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा पक्षपात एवं दस्तावेजों को बनाने के लिए दोषी माना था। उन्हें ऐसी 2 फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दोषी माना गया था जिन्हें जां.स. द्वारा पहले से रद्द कर दिया गया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सतर्कता स्कंध ने सलाह दी (जून 2014) कि चूंकि आरोप संगीन थे इसलिए सी.बी.एफ.सी. अधिकारी को सी.सी.एस.(सी.सी.ए.) नियमावली 1965 के नियम 14 के अंतर्गत बड़ी दंडात्मक कार्यवाही हेतु मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि श्रीमती चावक से संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकरण सी.बी.एफ.सी के पास ही है। मंत्रालय के सतर्कता स्कंध की सलाह पर निर्णय अप्रैल 2015 तक नहीं लिया गया था और लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के जारी करने के पश्चात् ही अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा अधिकारी को 12-10-2015 से निलंबित कर दिया गया था। यहां पर यह नोट करना उचित है कि इस विसंगति को प्रणाली द्वारा पता नहीं चल पाया था परंतु सी.वी.सी. द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर था।

11.1.3 फिल्म प्रमाणीकरण प्रक्रिया

अधिनियम की धारा 4 एवं 5क में फिल्मों की जांच का प्रावधान है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी फिल्म को प्रदर्शित करना चाहता है उसे उससे संबंधित प्रमाणपत्र हेतु बोर्ड के समक्ष आवेदनपत्र निर्धारित रूप से प्रस्तुत करना होगा,

और निर्धारित रूप से फ़िल्म का निरीक्षण करने या जांच करने के पश्चात् बोर्ड जैसा भी लगे वैसे यू., यू/ए, ए एवं एस. प्रमाणपत्र आवेदनकर्ता को प्रदान कर सकता है।

कथित अधिनियम की धारा 5क की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र संपूर्ण भारत में दस वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

फ़िल्मों के “ए” से “यू.ए”/“यू” में परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-15 के दौरान सी.बी.एफ.सी. ने 172 “ए” वर्ग की प्रमाणित फ़िल्मों को “यूए” वर्ग फ़िल्मों तथा “यूए” वर्ग की 166 फ़िल्मों को “यू” वर्ग फ़िल्मों को बिना किसी सहायक कानून या अधिनियम में प्रावधान को परिवर्तित कर दिया था। उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं जो कि पूर्व में प्रमाणित फ़िल्मों के पुनर्व प्रमाणीकरण को निषेध करता है। सक्षम प्रमाणीकरण प्राधिकरण के रूप में सी.बी.एफ.सी. द्वारा अनुसरण किया गया अभ्यास सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के नियम 21, 33 और 35 के अनुसार दिखता है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। न तो मंत्रालय द्वारा बताया गया अधिनियम और न ही नियम 21,33 और 35 पहले से प्रमाणित फ़िल्मों को पुनर्व प्रमाणित करने के लिए सी.बी.एफ.सी. को सशक्त करते हैं और इस उद्देश्य के लिए सी.बी.एफ.सी द्वारा कोई मानक एवं प्रक्रिया का निर्माण नहीं किया गया था जो कि सी.बी.एफ.सी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई किए बिना परिवर्तन के कार्य को स्वनिर्णयगत एवं गैर-पारदर्शी परिपाठी प्रस्तुत करता है।

11.1.4 आयातित फ़िल्मों का प्रमाणीकरण

सिनेमाटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियमावली, 1983 का नियम 21 प्रावधान करता है कि सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु फ़िल्म को प्रमाणित करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र को द्वितीय अनुसूची में निर्धारित आधार पर निर्धारित फार्म में लिखित में देना होगा। नियम-21 का उप-नियम 3(घ) आगे प्रावधान करता है कि यदि फ़िल्म के निर्माता या स्वत्वधिकारी से अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आवेदन करता है, तो फ़िल्म के निर्माता या

स्वत्वधिकारी से अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित उचित कीमत के स्टांप पेपर पर लिखित रूप में प्राधिकरण देना होगा। नियम-21 का उप-नियम 6 परिकल्पित करता है कि उस फ़िल्म के मामले में जो कि आयातित है, आवेदनकर्त्ता को कस्टम क्लीयरेंस परमिट के साथ आयातित लाइसेंस की मूल या प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत करना होगा और ऐसी फ़िल्म की भारत में सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु प्रमाणीकरण के लिए बोर्ड द्वारा तब तक जांच नहीं की जाएगी जब तक बोर्ड संतुष्ट नहीं होता कि फ़िल्म को सरकार की आयात विधि के अनुसार वैध रूप से आयातित किया गया है। सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए प्रत्येक संशोधित संस्करण या फ़िल्म के छोटे संस्करण को नई फ़िल्म के रूप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि:-

- सी.बी.एफ.सी ने आयातित लाइसेंस की प्रमाणित प्रति और कस्टम क्लीयरेंस परमिट को प्राप्त किए बिना भारत में आयातित विडियो फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु आवेदनकर्त्ताओं को प्रमाणपत्र जारी किए थे।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.बी.एफ.सी ने ऐसी फ़िल्मों को स्वीकार किया था जिन्हें पहले से ही प्रमाणपत्र दे दिए गए थे (अप्रैल 2015)। सी.बी.एफ.सी यह सत्यापित नहीं कर पाई कि यदि फ़िल्म पहले उनके द्वारा या किसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रमाणित की गई थी और इसलिए एक ही फ़िल्म के लिए दो या उससे अधिक प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने की संभावना थी।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि पहले यह ध्यान रखने के लिए मुविधा नहीं थी कि फ़िल्म प्रमाणित है कि नहीं परंतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण के कारण वर्तमान में वह यह पता लगा सकते हैं कि आवेदन के समय पर फ़िल्म प्रमाणित थी या नहीं और ऐसे मामलों को अब वह अस्वीकार कर देते हैं। मंत्रालय का उत्तर मंत्रालय द्वारा नकली प्रमाणपत्रों को जारी करने की संभावना को दूर करने के लिए फ़िल्म प्रमाणीकरण के अभिलेखों को ट्रैक करने के लिए सी.बी.एफ.सी में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी पर प्रकाश डालता है। प्रमाणित आयात लाइसेंस तथा कस्टम क्लीयरेंस

परमिटों के साथ मूल अधिकारों के अंतरण की जांच न करने के कारणवश मूल कॉपीराइट न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को उसी फ़िल्म के लिए जाली प्रमाणपत्र जारी कर दिए जा सकते हैं।

11.1.5 प्रमाणपत्रों की वैधता

सिनेमाटोग्राफ नियमावली 1983 के नियम 29 के अनुसार, फ़िल्म से संबंधित धारा 5क की उप-धारा(1) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। जिसमें फ़िल्म प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर इस संबंध में किए गए आवेदन पर अनुसूची ॥ में, जैसा भी मामला हो, निर्धारित प्रारूपों में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है तथा इस पर तभी कार्रवाई की जाएगी यदि वह मूल आवेदन था; प्रावधान किया कि यदि पूर्व में जारी किए गए रूप में प्रमाणपत्र को जारी करने हेतु आवेदन दिया गया है तो अध्यक्ष की पूर्व संस्वीकृति से क्षेत्रीय अधिकारी फ़िल्म की जांच कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने स्वत्वधिकारियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर केवल 10 वर्षों के लिए वैध प्रमाणपत्रों के पुनर्वैधीकरण के उदाहरण पाए थे। यह पाया गया था कि ऐसी फ़िल्मों की न तो जांच संचालित की गई थी और न ही जांच के साथ अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। साथ ही, फ़िल्म के मूल अधिकारों की जांच नहीं की गई थी और फ़िल्म की अवधि का ध्यान रखे बिना ही ₹1020/- की समान दर लगाई गई थी।

अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के नियम 29 के प्रावधानों के अनुसार सी.बी.एफ.सी. द्वारा प्रमाणपत्र का पुनर्वैधीकरण किया गया था। हालांकि, सू. एवं प्र. मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, (सितंबर 1984) केन्द्र सरकार ने उन सभी फ़िल्मों को छूट दे दी थी जिनका प्रमाणीकरण 10 वर्षों की वैधता से बोर्ड द्वारा किया गया या प्रदान किया गया हो तथा ऐसे प्रमाणपत्रों की वैधता इसलिए सतत थी।

यह उत्तर मंत्रालय की विफलता पर प्रकाश डालता है कि यद्यपि फ़िल्म प्रमाणपत्रों के पुनर्वैधीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी सी.बी.एफ.सी. प्रमाणपत्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु फ़िल्मों को स्वीकार करता था तथा उन पर शुल्क भी प्रभारित करता था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, पुनर्वैधीकरण

की प्रक्रिया की समीक्षा की गई थी तथा यह बताया गया कि इससे हटा दिया गया था।

निष्कर्ष

प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, सी.बी.एफ.सी. ने आवेदकों को प्रमाणपत्रों को जारी करने में असाधारण रूप से अधिक समय लिया। इसने समिति द्वारा दिए गए आदेशों को बिना कारण बताए बदल दिया तथा अधिनियम में बिना किसी प्रावधान के बावजूद प्रमाणित फ़िल्मों को 'ए' से यू.ए./यू. में बदल दिया। सी.बी.एफ.सी. ने, आवश्यक दस्तावेज तथा अनुमति प्राप्त किए बिना भी, आवेदकों को भारत में आयातीत वीडियो फ़िल्म के लोक प्रदर्शनी की अनुमति दी।

11.2 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता की शैक्षणिक गतिविधियाँ

सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एस.आर.एफ.टी.आई.) अपनी स्थापना के 20 वर्ष बाद भी अपने उद्देश्यों में उल्लिखित विभिन्न पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में असफल रहा। संस्थान की गतिविधियाँ पाठ्यक्रम की पूरा होने, में देरी, रिक्त सीट, अल्प शिक्षण घंटे और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में अंतर ने क्षतिग्रस्त कर दिया है।

11.2.1 प्रस्तावना

सत्यजीत रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एस.आर.एफ.टी.आई) की स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) के अंतर्गत एक पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में 1995 में हुई और यह पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। एस.आर.एफ.टी.आई. के मुख्य उद्देश्यों में पूर्वस्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन और फ़िल्म तथा टेलीविजन पर अनुसंधान शामिल है। भारत सरकार ने एस.आर.एफ.टी.आई. के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी एक सर्वोच्च निकाय, सोसाइटी का गठन किया। सोसाइटी शासी परिषद (जी.सी) द्वारा एस.आर.एफ.टी.आई. चलाती है। अध्यक्ष, जो जी.सी के सभापति हैं,

सोसाइटी के प्रमुख हैं। निदेशक एस.आर.एफ.टी.आई का कार्यकारी प्रधान होता है।

एस.आर.एफ.टी.आई. की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम-1971 की धारा 14 (I) के अंतर्गत की जाती है। 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु, एस.आर.एफ.टी.आई. के शैक्षणिक गतिविधियों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा निष्कर्ष की परवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

11.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

11.2.2.1 छात्रों का नामांकन

- i. एस.आर.एफ.टी.आई. पाँच विषयों में तीन साल की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन करता है। इसने पाठ्यक्रम डिजाइन और पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2010-13 और 2014-17 में नामांकन नहीं किया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने पुराने पाठ्यक्रमों को जारी रखने के बजाय पाठ्यक्रम पुनरीक्षण होने तक दो पूर्ण बैच में नामांकन नहीं करने का निर्णय लिया। दो वर्ष तक छात्रों का नामांकन नहीं होने के कारण ट्यूशन शुल्क, छात्रावास किराया, इंटरनेट शुल्क और पुस्तकालय शुल्क के रूप में एस.आर.एफ.टी.आई. को ₹1.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। साथ ही, छात्र, सिनेमा और टेलीविजन हेतु फिल्म बनाने का कला और शिल्प सीखने के मौके से वंचित रह गए।
- ii. 2011-14, 2012-15 और 2013-16 सत्र से संबंधित विदेशी कोटा के अंतर्गत 13 रिक्त सीटें थीं। परंतु एस.आर.एफ.टी.आई. ने रिक्त सीटों के मद्देनजर किसी भी भारतीय छात्र का नामांकन करने पर विचार नहीं किया यद्यपि इसने रिक्त विदेशी कोटा के स्थान पर 2008-11 और 2009-12 के सत्र में भारतीय छात्रों को नामांकन किया था। इस तरह, 13 भारतीय छात्रों का नामांकन नहीं होने से संपदा का न्यून उपयोग के साथ साथ छात्र शुल्क के रूप में ₹18.04 लाख की राजस्व हानि हुई।

- iii. 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान आरक्षित वर्ग¹ के अंतर्गत भी 14 खाली सीटें थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.आर.एफ.टी.आई. विद्यार्थियों के नामांकन के लिए तीन स्तर² का अनुसरण किया और लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची में सीमित संख्या में विद्यार्थियों को अगले स्तर की परीक्षा के लिए बुलावा भेजा। अंतिम मेरिट सूची सभी स्तरों के मूल्यांकन के अंकों के आधार पर बनाई गई थी। वर्ष 2013-14 के लिए प्रवेश से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 566 उत्तीर्ण छात्रों में से एस.आर.एफ.टी.आई. ने केवल 142 विद्यार्थियों को अगले स्तर की परीक्षा के लिए बुलावा भेजा लेकिन फिर भी आरक्षित वर्ग की चार सीटें खाली रह गई। रिक्तियों को भरने के लिए, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में किए जाने वाले द्वितीय/तृतीय मेरिट सूची निकालने की परिपाटी पर एस.आर.एफ.टी.आई. ने विचार नहीं किया।

एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसंबर 2015) कि उचित और समकालीन विषयों को पढ़ाने का ध्यान रखते हुए इन्होंने नई पाठ्यक्रम के युक्तिकरण को प्राथमिकता दी। एस.आर.एफ.टी.आई. ने ये भी कहा कि अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण विदेशी छात्रों की रिक्त सीटों को भारतीय छात्रों से भरा नहीं जा सका। उन्होंने आगे बताया कि अधिक संख्या में उन्मुखी पाठ्यक्रम में छात्रों के शामिल होने से छात्रों के आउट पुट गुणवत्ता और मूल्यांकन खतरे में पड़ सकता था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नयी बैच के आरंभ होने से पहले एस.आर.एफ.टी.आई. नया पाठ्यक्रम तैयार करने में असफल रहा। वर्ष 2011 में छात्रों की प्रवेश क्षमता प्रत्येक अध्ययन के विषय में 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया था जो यह इंगित करता है कि विदेशी छात्रों के रिक्त सीटें बुनियादी ढाँचे के अभाव में भरे नहीं जा सके, तर्कसंगत नहीं हैं। उन्मुखी कार्यक्रम हेतु अधिक छात्रों के चयन को मना करने का एस.आर.एफ.टी.आई. का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि छात्रों के प्रवेश क्षमता के विरुद्ध रिक्तियाँ थीं।

¹ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग

² लिखित, उन्मुखी पाठ्यक्रम और साक्षात्कार

11.2.2.2 पाठ्यक्रम कार्यान्वयन

टेलीविजन और फ़िल्म में पूर्व स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाना एस.आर.एफ.टी.आई. के उद्देश्य में शामिल है लेकिन एस.आर.एफ.टी.आई. ने कहा कि वह इन पाठ्यक्रमों को बुनियादी ढाँचे और जन शक्ति के अभाव में संचालन नहीं किया। फ़िल्म बनाने के पाँच विशेषज्ञता अध्ययन के विषय हेतु एस.आर.एफ.टी.आई. केवल तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाती है जो निर्देशन और स्क्रीनप्ले लेखन, सिनेमाटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और डिजाइन, संपादन और फ़िल्म और टेलीविजन के लिए प्रोड्यूसिंग। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यवहारिक कक्षाएँ शामिल हैं और परियोजना में लघु/डिप्लोमा फ़िल्म बनाना शामिल है, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के रूप में एस.आर.एफ.टी.आई. ने कार्यशाला भी आयोजित की थी।

11.2.2.3 पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में विलंब

पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की थी जिसमें विभिन्न स्तर थे यथा सामान्य अध्ययन, विशिष्ट अध्ययन, लघु/प्रायोगिक फ़िल्म पर परियोजना और कार्यशाला। हालाँकि एस.आर.एफ.टी.आई. ने 2 से 6 वर्षों की देरी के बाद सभी छात्रों का मूल्यांकन पूरा किया। पाठ्यक्रम पूरा होने में कुल देरी की नीचे तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2

| बैच/शोक्षणिक वर्ष | पाठ्यक्रम आरंभ होने की तिथि | अंतिम मूल्यांकन की तिथि | पाठ्यक्रम अवधि के तीन वर्ष के बाद विलंब की अवधि (वर्ष एवं महीनों में) |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| तीसरा (2001-04) | अगस्त 2001 | सितंबर 2010 | 6 वर्ष |
| चौथा (2002-05) | जून 2002 | अक्टूबर 2010 | 5 वर्ष 3 महीना |
| पाँचवाँ (2003-06) | अगस्त 2003 | फरवरी 2011 | 4 वर्ष 5 महीना |
| छठा (2005-08) | जून 2005 | अप्रैल 2012 | 3 वर्ष 9 महीना |
| सातवाँ (2007-10) | अगस्त 2007 | मई 2013 | 2 वर्ष 8 महीना |
| आठवाँ (2008-11) | नवम्बर 2008 | मई 2014 | 2 वर्ष 5 महीना |

पाठ्यक्रम में विलम्ब ने छात्रों के पेशेवर भविष्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने (मई 2013) में पाठ्यक्रम पूरा होने के कारणों को बुनियादी ढाँचे चिकित्सा आधार पर विलंब और क्रू सदस्यों के बीच तालमेल का अभाव के रूप में पहचान किया। हालाँकि एस.आर.एफ.टी.आई. ने विलंब के कारणों को जानते हुए भी विलंब के कारणों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेखापरीक्षा ने विलंब के कारणों का विश्लेषण किया और निम्नांकित बातें नोट कीं:-

- सातवीं और आठवीं बैच के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चलता है कि विलंब द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में होता है।
- एस.आर.एफ.टी.आई. के दिशानिर्देश के अनुसार, शूटिंग लगातार 12 दिनों में पूरा करना था तथा तीसरे वर्ष में दो यूनिटों को साथ साथ एक स्लॉट में फ़िल्म शूट करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 फ़िल्मों की शूटिंग एक समय में एक ही की गयी। सातवीं बैच के केवल दो फ़िल्मों की शूटिंग साथ-साथ की गई। परिणामस्वरूप, सभी फ़िल्मों की शूटिंग पूरा करने में चार महीने से अधिक का समय लगा, यदि दिशानिर्देशों का पालन किया गया होता तो इसमें आधा समय लगा होता।
- प्रोडक्शन के बाद का कार्य सम्पादन और साउंड विभाग द्वारा क्रमशः निर्धारित 15 से 20 लगातार शिफ्ट में किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.आर.एफ.टी.आई. ने दस फ़िल्मों में से आठ फ़िल्म पूरा करने के लिए सातवें बैच में 193 दिन आठवें बैच में 359 दिन अतिरिक्त लिये। इस तरह प्रोडक्शन के बाद सातवें और आठवें बैच के लिए क्रमशः 7 महीने और 11 महीने की देरी हुई।

एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसम्बर 2015) कि दसवाँ बैच सावधानीपूर्वक सुधारात्मक उपाय उठाये जाने के कारण तीन वर्ष छ: महीने में पूरा हो गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दसवां बैच जो 2011 में आरंभ हुआ था अभी भी अंतिम रूप से आकलन किया जाना है (दिसंबर 2015)।

11.2.2.4 कोई अनुसंधान नहीं किया गया

उद्देश्यों के अनुसार, एस.आर.एफ.टी.आई. को फ़िल्म एवं टेलीविजन में अनुसंधान आरंभ करना था लेकिन आज तक (अक्टूबर 2015) के अनुसंधान विभाग की स्थापना नहीं की गई। एस.आर.एफ.टी.आई. ने एक फ़िल्म अनुसंधान अधिकारी³ को मई 2011 में नियुक्त किया लेकिन उनकी सेवा का उपयोग प्रकाशन, उत्सव, असाइनमेंट, फ़िल्म स्क्रीनिंग आदि के लिए किया गया और उनके द्वारा कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया। संस्थान ने उसके वेतन पर ₹24.61 लाख व्यय किए। एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसंबर 2015) कि अपर्याप्त बुनियादी सुविधा के कारण अनुसंधान कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। लेकिन तथ्य यह है कि एस.आर.एफ.टी.आई. ने बुनियादी सुविधा और निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना श्रम शक्ति को अनुसंधान गतिविधि हेतु नियुक्त कर लिया। इस तरह, एस.आर.एफ.टी.आई. द्वारा उद्देश्य का अनुचित योजना के कारण फ़िल्म और टेलीविजन अनुसंधान आरंभ करने का कार्य अधूरा रह गया।

11.3.3 पाठ्यक्रम आरंभ करने में विफलता

11.3.3.1 लघु अवधि का पाठ्यक्रम

उनके उद्देश्यों के अनुसार, एस.आर.एफ.टी.आई. को लघु अवधि/रिफ्रेशर्स सेवा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एफ.टी.आई.आई., पुणे पाँच नियमित लघु अवधि का पाठ्यक्रम चलाता था। हालाँकि एस.आर.एफ.टी.आई. को कोई नियमित लघु अवधि का पाठ्यक्रम चलाने के लिए नहीं कहा गया था। एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया कि अपर्याप्त श्रमशक्ति और बुनियादी ढाँचे के कारण लघु अवधि का पाठ्यक्रम चलाने से नियमित पीजी पाठ्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि शैक्षणिक काउंसिल ने निर्णय लिया (अगस्त 2012) कि ऐसे पाठ्यक्रम के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय के साथ पत्र व्यवहार किया जाए। लेकिन एस.आर.एफ.टी.आई. ने इस मामले को

³ श्री सौगात भट्टाचार्य 29 मार्च 2011 को

मंत्रालय के साथ आज तक नहीं उठाया (जनवरी 2016) इस तरह एस.आर.एफ.टी.आई. की ओर से प्रभावी कदम न उठाने के फलस्वरूप नियमित लघु अवधि पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं हो सका।

11.3.3.2 टेलीविजन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

टेलीविजन पर छ: अध्ययन के विषयों में द्विवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा देने हेतु एक उत्कृष्ट केंद्र खोलने के लिए एस.आर.एफ.टी.आई. ने एमआईबी से ₹23.66 करोड़ की एकमुश्त राशि की मांग की (अप्रैल 2012)। एस.आर.एफ.टी.आई. ने केंद्र को पूरा करने का अनुमानित तिथि 31 मार्च 2015 रखा। एमआईबी ने मात्र ₹8.64 करोड़ की एक मुश्त राशि के साथ प्रस्ताव को संस्वीकृति (नवंबर 2012) प्रदान कर दिया। हालाँकि एस.आर.एफ.टी.आई. ने केंद्र के लिए मास्टर योजना केवल अप्रैल 2014 में बनाई और सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स (सीसीडब्ल्यू) एमआईबी को प्राक्कलन देने के लिए अपेक्षित भवन की सूची प्रदान किया। सीसीडब्ल्यू ने (सितंबर 2014) में ₹57.69 लाख के कुल निर्माण लागत का प्राक्कलन दिया। चूंकि प्राक्कलन स्वीकृत राशि से काफी अधिक था, एस.आर.एफ.टी.आई. ने छ: पाठ्यक्रमों के स्थान पर तीन पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लेते हुए एक छोटा टीवी स्टूडियो और तीन शैक्षणिक विभाग का निर्माण करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2014)। हालाँकि लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों कार्य आरंभ नहीं हो सके (अक्तूबर 2015)। एस.आर.एफ.टी.आई. ने (दिसम्बर 2015) में बताया है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद और बुनियादी सुविधा, संकाय सदस्य और अन्य संपदा की उपलब्धता के बाद ही पूरी तरह से टेलीविजन पाठ्यक्रम आरंभ किया जा सकता है।

11.3.3.3 कैप्टिव टीवी प्रोजेक्ट

एस.आर.एफ.टी.आई. ने छात्रों को ऑनलाइन प्रसारण का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कैप्टिव टीवी⁴ स्थापित करने के लिए नियुक्त किया (मार्च 2015)। हालाँकि

⁴ स्थानीय स्तर पर विशेष दर्शकों को लक्ष्य करने की एक नई अवधारणा।

एस.आर.एफ.टी.आई. केप्टिव टीवी प्रोजेक्ट हेतु समर्पित टीवी स्टूडियो देने में असफल रहा। परिणामस्वरूप केप्टिव टीवी उपकरण जिसपर ₹55.04 लाख व्यय हुआ, का प्रयोग वर्ष 2011 तक सिनेमा दिखाने के लिए किया जाता था और बाद में इसका उपयोग प्रोग्राम और छात्रों की हैंडस-ऑन टैनिंग में किया गया। इस प्रकार, इसका वास्तविक उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हो सका (दिसंबर 2015)। एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसंबर 2015) कि केप्टिव टीवी का उपयोग शैक्षणिक परियोजना विकास के साथ साथ प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। लेकिन तथ्य यह है कि केप्टिव टीवी परियोजना को अपने वास्तविक उद्देश्य ऑन लाइन प्रसारण हेतु उपयोग नहीं किया जा सका।

11.3.4 अपर्याप्त शिक्षण

उप-नियम के अनुसार, लेक्चर/ट्यूटोरियल्स/प्रैक्टिकल का शैक्षणिक भार प्रति सप्ताह सहायक प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए क्रमशः 8 और 16 घंटे से कम नहीं था। जुलाई 2011 में एस.आर.एफ.टी.आई. ने लेक्चरर और सहायक प्रोफेसर के पद का पदनाम बदलकर क्रमशः सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कर दिया। अभिलेखों⁵ के नमूना जांच से पता चला है कि अधिकांशतः सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ने उप नियम में निर्धारित प्रति सप्ताह के भार को प्राप्त नहीं किया जैसा कि नीचे दिया गया है:-

- नवंबर 2012 से मार्च 2013⁶ तक दस में से आठ सहायक प्रोफेसर द्वारा कक्षा में पढ़ाने का प्रति सप्ताह औसत 0.93 और 14.9 घंटा के बीच था जबकि चार में से एक एसोसिएट प्रोफेसर का 6.4 घंटा प्रति सप्ताह था (बाकी सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ने न्यूनतम शिक्षण घंटे को पूरा किया)।

⁵ प्रथम सेमेस्टर + तीसरा सेमेस्टर प्रत्येक क्योंकि ये सेमेस्टर में ही अधिकतम शिक्षण दबाव रहता है।

⁶ र्यारहवीं बैच का पहला सेमेस्टर और 10 वीं बैच का तीसरा सेमेस्टर नवंबर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान किया गया।

- नवंबर 2013 से मई 2014⁷ की अवधि के बीच, सभी सहायक प्रोफेसर के द्वारा ली गई औसत कक्षा प्रति सप्ताह 0.5 और 7.08 घंटे के बीच थी जबकि चार में से तीन एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा ली गई कक्षा प्रति सप्ताह 0.07 और 1.94 घंटे थी (एक एसोसिएट प्रोफेसर ने पढ़ाने के घंटे का न्यूनतम लक्ष्य पूरा किया)।
- दिसंबर 2014 से जुलाई 2015⁸ में एक सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ने कोई कक्षा नहीं ली बाकी बचे 10 सहायक प्रोफेसर द्वारा ली गई औसत कक्षा प्रति सप्ताह 2.68 और 10.90 घंटे के बीच थी जबकि शेष तीन एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा ली गई कक्षा 5.20 और 5.76 घंटे प्रति सप्ताह थी।

एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसंबर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा शिक्षण घंटे कि गणना व्यवहारिक पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग को ध्यान में रखे बिना की गई जिसमें प्रत्येक बैच की विशेषज्ञता 24 घंटे का व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने एस.आर.एफ.टी.आई. द्वारा तैयार संकायों की शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि के आधार पर शिक्षण घंटे की गणना की थी जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों सत्र शामिल हैं।

11.3.5 मूल्यांकन में तदर्थ व्यवस्था

एस.आर.एफ.टी.आई. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए पाँच अध्ययन के विषयों में डिप्लोमा का संचालन करता है। पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि (छ: सेमेस्टर) का है। एस.आर.एफ.टी.आई. छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर करता है। इसके बाद उत्तीर्ण छात्रों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाता है। उप-नियम के अनुसार, एक विद्यार्थी को अगला

⁷ बारहवीं बैच का पहला सेमेस्टर और 11वीं बैच का तीसरा सेमेस्टर नवंबर 2013 से मई 2014 की अवधि के दौरान किया गया।

⁸ दिसंबर 2014 से जुलाई 2015 के अवधि के दौरान बारहवीं बैच का तीसरा सेमेस्टर किया गया। 2014-15 के दौरान तेरहवें बैच के लिए प्रवेश नहीं हुआ इसलिए इस अवधि के दौरान तेरहवाँ बैच के लिए कोई पहला सेमेस्टर नहीं हुआ।

उच्च स्तर में पदोन्नत करने के लिए लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक तथा प्रत्येक व्यवहारिक अभ्यास/असाइनमेंट/सेशन्स में न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं। लेखापरीक्षा ने विद्यार्थियों के मूल्यांकन में अनियमितताएं पाईं जो नीचे वर्णित हैं:-

- दसवें बैच की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में (सिनेमाटोग्राफी) में 11 छात्रों ने निर्धारित उत्तीर्णीक 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने इन छात्रों को पदोन्नत कर दिया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने कहा कि श्वेत/श्याम सिनेमाटोग्राफी के प्रेजेंटेशन का अंक भी सैद्धांतिक पत्र के साथ ध्यान में रखा गया। यह उप-नियम का उल्लंघन है।
- र्यारहवीं बैच (संपादन) के चौथे सेमेस्टर परीक्षा में छ: छात्रों ने प्रैक्टिकल में 50 निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए। एस.आर.एफ.टी.आई. ने इन छात्रों को पदोन्नत कर दिया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया कि सभी विषय (कार्यशाला, भागीदारी, प्रैक्टिकल) को एक विषय के रूप में लिया गया और छात्रों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये। स्पष्टतः ऐसा करके, एस.आर.एफ.टी.आई. ने उप-नियम के उल्लंघन में प्रैक्टिकल में कम अंक पाने को छिपा दिया।
- लेखापरीक्षा ने यह पाया कि एक छात्र ने सत्रीय पत्र नहीं जमा कराया और एक अन्य ने कार्यशाला में भाग नहीं लिया था। उन छात्रों ने विषय में शून्य अंक प्राप्त किया पर एस.आर.एफ.टी.आई. ने इन छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया। इस प्रकार के छात्रों का प्रमोशन उत्तीर्ण छात्रों की गुणवत्ता को दर्शाता है।
- जनवरी 2013 में, ध्वनि रिकॉर्डिंग और डिजाइन विभाग ने समेकित पाठ्यक्रम के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया। अप्रैल, 2013 में परीक्षा समन्वयक ने छात्रों के अंक पत्र को ट्यूटोरियल विभाग को अग्रेषित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.आर.एफ.टी.आई. ने तीन छात्रों को विभाग द्वारा प्रदत्त की तुलना में अधिक अंक प्रदान किये। एस.आर.एफ.टी.आई. (दिसंबर 2015) लेखापरीक्षा के विचार से सहमत तो था पर उन्होंने भूल-सुधार नहीं किया।

- जनवरी 2014 में, एस.आर.एफ.टी.आई. ने 9वीं बैच के छात्र जो निर्देशन तथा पटकथा लेखन में पढ़ रहे थे उनमें द्वितीय वर्ष का परिणाम प्रकाशित किया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने एक छात्र का वास्तविक प्राप्त अंक 53.33 प्रतिशत के बदले 60.95 प्रतिशत गणना किया। एस.आर.एफ.टी.आई. लेखापरीक्षा के विचार से सहमत था (दिसंबर 2015) परन्तु भूल-सुधार नहीं किया।
- नवीं बैच के द्वितीय वर्ष के लिए एकेडमिक समय सारणी के परिणाम हेतु तिथि कार्यक्रम 4 जुलाई 2012 तय किया गया बाद में परिणाम घोषित करने की तिथि 3 जून 2013 को किया गया। लेखापरीक्षा ने यह नोट किया कि छायांकन विभाग के प्राध्यापक ने सत्रीय तथा सैद्धांतिक पत्र को श्री नीरज मोहन सहाय, सहायक प्राध्यापक को 2012 में पुनर्मूल्यांकन के लिए सौंपा। तथापि ये सामग्रियां श्री सहाय के अभिरक्षा से गायब हो गई। एस.आर.एफ.टी.आई. ने प्रारंभिक मूल्यांकन जो कि छायांकन विभाग द्वारा 30 नवंबर 2013 को किया गया था उसी आधार पर परिणाम घोषित कर दिया।
- विभिन्न बैचों (3 से 8वीं बैच) के 203 छात्रों द्वारा किए गए डिप्लोमा फिल्मों के मूल्यांकन से संबंधित अभिलेखों की जांच यह दर्शाता है कि 103 छात्र 'संतोषजनक' तथा इससे ऊपर के ग्रेड पाए हैं। शेष 100 छात्र संतोषजनक से नीचे ग्रेड प्राप्त किए हैं। छात्रों द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि एस.आर.एफ.टी.आई. प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता है। एस.आर.एफ.टी.आई. ने यह बताया कि मामले को एकेडमिक परिषद की बैठक में चर्चा के लिए रखा जा सकता है।

इस प्रकार, एस.आर.एफ.टी.आई. अपने वर्णित उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही जिसमें इन्होंने नये पाठ्यक्रम जैसे फिल्म एवं टेलिविजन के लिए पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम, टेलिविजन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा फिल्मों में अल्पावधि के नियमित पाठ्यक्रम को अपने 20 वर्षों की स्थापना के बाद भी शुरू कर पाने में असफल रहा है। छात्रों का दो बैच छूट गया तथा बहुत सारे सीट अनुचित नियोजन की वजह से खाली रह गए। एस.आर.एफ.टी.आई. ने एकेडमिक गतिविधियों को भी ढंग से निष्पादित नहीं किया जैसा कि किसी भी

बैच ने निर्धारित समय में पूरा नहीं किया। शिक्षकों द्वारा शिक्षण में कम समय देना तथा छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में अंतराल के कई उदाहरण लेखापरीक्षा में पाये गये।

मामले को मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2016)।

अध्याय XII : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय

12.1 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई में ऋणों का अपर्याप्त अनुवर्तन

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋणों के अपर्याप्त अनुवर्तन के कारण ₹551.46 करोड़ एवं ₹226.70 करोड़ राशि की वसूली नहीं हुई, जो योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से विकास हेतु थीं। उस राशि को संस्थान को ऋण प्रदान करने में लगाया गया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत के.वी.आई.सी. का गठन खादी एवं ग्राम उद्योग (के.वी.आई.) क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु हुआ था। के.वी.आई.सी. ऋण नियमावली, 1958 इसे अपने अथवा राज्य सरकारों के खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (के.वी.आई.सी.) के साथ पंजीकृत विभिन्न संस्थानों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के बजटीय स्रोत के माध्यम से के.वी.आई.सी. को ऋण के रूप में प्रदान की जाती थी। के.वी.आई.सी. भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के साथ 1995-96 से 2001-02 के दौरान संघ बैंक ऋण (सी.बी.सी.) व्यवस्था के अंतर्गत के.वी.आई. संस्थानों को निधियों का वितरण भी करता था। के.वी.आई. एस.बी.आई. से धनराशि का आहरण करता था और लाभार्थियों (के.वी.आई.बी. एवं संस्थानों) तक संवितरण में सीधे तौर पर संलग्न था एवं एस.बी.आई. को पुनर्भुगतान हेतु लाभार्थियों से मूल तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली हेतु उत्तरदायी था।

31.03.2015 तक, ₹1008.30 करोड़ (जी.ओ.आई.) एवं ₹509.30 करोड़ (सी.बी.सी.) कुल बकाया ऋण था एवं के.वी.आई.सी. निधियों एवं सी.बी.सी. निधियों (डब्ल्यू.सी. के ऋण को छोड़कर जिसे वापस नहीं लिया जाना था) से ऋणों के संबंध में क्रमशः ₹272.48 करोड़ तथा ₹278.98 करोड़ की धनराशि अतिदेय थी।

यह देखा गया था कि के.वी.आई.सी. के पास अतिदेय ₹272.48 करोड़ (मार्च 2015) की धनराशि को बकाया ऋणों की वसूली करने की कोई व्यवस्था नहीं

थी। के.वी.आई.सी. साल दर साल बकाया जी.ओ.आई. ऋण पर ब्याज देयता (11 प्रतिशत के करीब) भी लगाता रहा है लेकिन वास्तविक प्राप्ति तक ही वह हो पायी थी। सी.बी.सी. निधियों से ऋणों के प्रति लाभार्थियों से मूल की वसूली भी अत्यंत कम थी और सी.बी.सी. निधियों से लाभार्थियों के पास ऋणों पर अतिदेय मूल की बकाया राशि ₹278.98 करोड़ (मार्च 2015) थी।

सी.बी.सी. व्यवस्था के अन्तर्गत एस.बी.आई. के पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए, यह देखा गया था कि के.वी.आई.सी. ने योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निष्पादन के माध्यम से विकास हेतु रखी गयी निधियों का विपथन किया था। 31 मार्च 2015 तक ₹226.70 करोड़ की राशि भुगतान के लिए एस.बी.आई. (प्रधान) को विपथित की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2015) कि संस्थानों से प्राप्य ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है तथा ऋण के पुनर्भुगतान के लिए मंत्रालय से कोई मांग नहीं की थी। प्रबंधन ने आगे बताया (दिसंबर 2015) कि के.वी.आई.सी. के ऋण खाते को अपरिचालित परिसंपत्ति घोषित होने से बचाने के लिए के.वी.आई.सी. के पास एस.बी.आई. को पुनर्भुगतान करने की अपनी देयता को निपटाने हेतु उपलब्ध निधियों एवं ऐसी निधियों पर अर्जित ब्याज का प्रयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2016) कि राज्य-वार अनुसूचियों के समेकित नहीं होने और कर्मचारियों की कमी के कारण, ‘के.वी.आई.सी. निधि’ से ऋण से संबंधित बकाया ऋणों का समेकित ब्यौरा तैयार नहीं किया गया था और के.वी.आई.सी. निधि से बकाया ऋणों के लिए गंभीर अनुवर्तन का कार्य इसे तैयार कर लेने के बाद किया जाएगा।

प्रबंधन का उत्तर विकास के लिए संचित धनराशि के, एस.बी.आई. को पुनर्भुगतान की देयता को पूरी करने में विपथन की पुष्टि करता है। इस प्रकार का विपथन और इस प्रकार की एक व्यवस्था को मंत्रालय का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं था।

इस प्रकार, के.वी.आई.सी. की ऋणों की प्राप्ति के अनुवर्तन एवं उसे मॉनीटर करने में असफलता ₹541.46 करोड़ की गैर-वसूली में तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निष्पादन के माध्यम से विकास हेतु संचित ₹226.70 करोड़ की

धनराशि के विपथन में परिणत हुई।

12.2 के.वी.आई.सी. द्वारा स्फूर्ति का कार्यान्वयन

के.वी.आई.सी. द्वारा स्फूर्ति के कार्यान्वयन में अपर्याप्त नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग तथा पारदर्शिता का अभाव।

12.2.1 पारंपरिक उद्योगों के पुनर्गठन हेतु निधि की योजना

12.2.1.1 प्रस्तावना : स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल, कौशल एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त करने के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनर्गठन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2005 में किया गया था ताकि खादी एवं ग्राम उद्योग (के.वी.आई.) एवं कॉर्यर क्षेत्र में पाँच वर्षों की अवधि में पूरे देश में समूहों का विकास किया जा सके। अन्य बातों के साथ पारंपरिक उद्योग दस्तकार एवं उद्यमी को इन समूहों के माध्यम से लम्बा रोजगार प्रदान करना, उद्योग समूह के स्थानीय प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाएं, बाजार बौद्धिकता एवं लोक-निजी भागीदारियों के नये मॉडल इसके उद्देश्यों में शामिल थे। यद्यपि योजना 2009-10 में पूरी की जानी थी, इसे मार्च 2013 तक बढ़ाया गया।

12.2.1.2 कार्यान्वयन संरचना : योजना संरचना में व्यवस्था की गयी थी कि नीतिगत सम्नवयन सहयोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। योजना परिचालन समिति (एस.एस.सी.) का गठन मंत्रालय के सचिव को अध्यक्ष के रूप में तथा योजना आयोग, कॉर्यर क्षेत्र, के.वी.आई. क्षेत्र, बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों आदि से प्रतिनिधि सदस्यों के साथ किया जाएगा। एस.एस.सी. नोडल अभिकरण (एन.ए.) को तकनीकी सहायता प्रदान कर सकने वाले तकनीकी अभिकरणों (टी.ए.) की पहचान करेगा। के.वी.आई.सी. को के.वी.आई. क्षेत्र के लिए और कॉर्यर क्षेत्र के लिए कॉर्यर बोर्ड को नोडल अभिकरण (एन.ए.) होना था। समूहों का चयन उनके भौगोलिक सघनता, उत्पादन में विकास की संभावना एवं रोजगार के अवसरों के सृजन के आधार पर किया जाना था।

एन.ए. संभावित समूहों एवं कार्यान्वयन अभिकरणों (आई.ए.) की पहचान नैदानिक अध्ययन एवं आई.ए. के प्रत्यक्ष-पत्रों के सत्यापन के आधार पर

करेगा। आई.ए. समूह विकास को उपक्रमित करने वाली विशेषज्ञता से युक्त सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संस्थान/एन.जी.ओ. होंगे।

एस.एस.सी. का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने पर, प्रत्येक आई.ए. हर समूह के लिए, खास तौर से, एक समूह विकास कार्यकारी (सी.डी.ई.) की पहचान और उसकी नियुक्ति करेगा। एन.ए. के साथ आई.ए. एक समझौता करेगा, टी.ए. को एन.ए. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था और सी.डी.ई. को आई.ए. के साथ समझौता करना था।

12.2.1.3 सहायता उपाय/हस्तक्षेप उपाय : सहायता उपाय/हस्तक्षेप उपाय में नये मॉडलों द्वारा चर्खों एवं करघा का स्थानापन्न, साझे सुविधा केन्द्रों (सी.एफ.सी.) की स्थापना, नये उत्पादों के विकास के लिए उत्पादों के विकास के लिए उत्पाद रूपरेखा में हस्तक्षेप एवं विकास, उत्पादों की नयी रूपरेखा एवं उन्नत पैकेजिंग, बाजार प्रोत्साहन एवं क्षमता निर्माण गतिविधियां आदि सम्मिलित थे।

12.2.1.4 वित्तपोषण प्रतिरूप : योजना उल्लिखित करती है प्रत्येक खादी समूह के लिए ₹104.75 लाख का अधिकतम सरकारी अनुदान तथा प्रत्येक ग्राम उद्योग (वी.आई.) समूह के लिए ₹78.50 लाख के साथ 25 प्रतिशत मिलान योगदान आई.ए. द्वारा चयनित घटकों के अंतर्गत दिया गया।

12.2.2 लेखापरीक्षा प्रविधि, उद्देश्य एवं विषय-क्षेत्र : लेखापरीक्षा ने के.वी.आई.सी. द्वारा के.वी.आई. क्षेत्र में स्फूर्ति योजना की शुरूआत से 2012-13 (प्रथम चरण) तक एवं इसके बाद बारहवीं योजना अवधि (द्वितीय चरण) में योजना के कार्यान्वयन का परीक्षण किया। के.वी.आई.सी. ने खादी क्षेत्र में 29 समूह एवं वी.आई. क्षेत्र में 47 समूह का विकास स्फूर्ति के प्रथम चरण में किया था। लेखापरीक्षा ने विस्तृत परीक्षण (जैसा कि अनु-I में सूचीबद्ध है) हेतु आठ समूहों का एक नमूना चुना। लेखापरीक्षा नमूना में प्रत्येक क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत (अर्थात् 29 खादी समूह में से 3 एवं वी.आई. के 47 समूहों में से 5) और कुल परिचालित 76 समूहों में से 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व था।

लेखापरीक्षा मुंबई के केन्द्रीय कार्यालय में स्फूर्ति निदेशालय (अर्थात् कार्यक्रम निदेशालय) में अनुरक्षित अभिलेखों की समीक्षा और आठ समूहों का चयनित समूहों एवं के.वी.आई.सी. के संबंधित फ़िल्ड कार्यालयों के दौरों के माध्यम से

आयोजित की गयी थी। लेखापरीक्षा का आयोजन यह आश्वस्ति पाने के लिए किया गया था कि के.वी.आई.सी. द्वारा योजना का समुचित एवं पारदर्शी कार्यान्वयन हो रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपने अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति में योजना प्रभावी/सफल रही थी।

12.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

के.वी.आई.सी. ने योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2005-06 से 2010-11 के दौरान ₹62.94 करोड़ प्राप्त किया; ₹56.26 करोड़ की राशि खर्च करते हुए खादी में 29 समूह एवं वी.आई. क्षेत्र में 47 समूहों का विकास किया, ₹3.69 करोड़ के अव्ययित शेष 2012-13 के दौरान लौटाया। ₹2.99 करोड़ की शेष राशि को बारहवीं योजना अवधि में पुनर्गठित स्फूर्ति योजना के कार्यान्वयन में उपयोग हेतु अग्रेषित किया गया था। 31 मार्च 2015 तक, के.वी.आई.सी. के पास ₹2.33 करोड़ का अव्ययित शेष था।

चयनित समूहों में से दो, नामतः सींग एवं हड्डी उत्पाद (एच.ए.बी.) समूह, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश एवं टिकरमाफी ऊनी एवं सूती खादी (टी.डब्ल्यू. एण्ड सी.के.) समूह, सुल्तानपुर, उत्तरप्रदेश, से संबंधित अभिलेखों की फील्ड कार्यालय/आई.ए. द्वारा प्रस्तुति पूरी तरह से अपूर्ण थी। सिंहभूम मधुमक्खी पालन (एस.बी.के.) समूह, झारखण्ड से संबंधित अभिलेखों के बारे में बताया गया कि वे सी.बी.आई. के कब्जे में हैं। अतः, इन तीनों समूहों से संबंधित ₹199.83 लाख की निधियों के समुचित एवं प्रभावी उपयोग को सिद्ध करने के लिए कोई सार्थक परीक्षण नहीं किया जा सका।

पूर्वोक्त की दृष्टि में, विशेषतः अन्य पाँच समूहों (8 चयनित समूहों में से) द्वारा दिये गये आउटपुट से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों एवं के.वी.आई.सी. में स्फूर्ति योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

12.2.3.1 हस्तक्षेप एवं सहायता उपाय तथा उनकी प्रभावशीलता

(i) चरखों एवं करघों का स्थानापन्न

किसी खादी समूह को स्फूर्ति योजना के अंतर्गत उपकरणों के स्थानापन्न हेतु प्रदान की गयी अधिकतम वित्तीय सहायता ₹37.50 लाख (अधिकतम अनुमत सहायता का 36 प्रतिशत) थी। लेखापरीक्षा में चयनित दो खादी समूहों, स्वामी

रमानंद तीर्थ (एस.आर.टी.) एवं सुरेन्द्रनगर सूती खादी समूह (एस.सी.के.), में यह पाया गया कि वितरित चरखे एवं करघों के संबंध में बाजार के प्रवाह उपकरण-वार उत्पादन की मॉनीटरिंग की कोई प्रणाली नहीं थी। लेखापरीक्षा में आगे यह देखा गया था कि विशिष्ट पहचान एवं प्रणालीबद्ध प्रत्यक्ष सत्यापन के आवंटन के माध्यम से परिसंपत्तियों की कोई मानीटरिंग नहीं हो रही थी। एस.आर.टी. समूह में, जिन्हें चरखों का वितरण किया जाना था उन लाभार्थी शिल्पकारों के हस्ताक्षर अभिलेख में उपलब्ध नहीं पाये गये। दोनों समूहों में चरखों/करघों के स्थानापन्न पर किये गये ₹71.95 लाख के व्यय (वास्तविक सहायता का 38 प्रतिशत) की प्रभावशीलता को लेखापरीक्षा में इसलिए सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2015) कि संबंधित फील्ड कार्यालयों ने शिल्पकारों को वितरित किये जाने वाले चरखों एवं करघों के सत्यापन किये थे। एस.आर.टी. समूह में, स्फूर्ति के अंतर्गत अधिप्राप्त चरखों एवं करघों को आई.ए. के उत्पादन केन्द्रों में रखा गया था और शिल्पकारों द्वारा उपयोग किये जा रहे थे।

प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रत्येक प्रतिस्थापित उपकरण से उत्पादन परिणाम के ब्यौरों के आभाव में, लेखापरीक्षा में प्रतिस्थापित उपकरणों की भौतिक उपलब्धता एवं उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा था।

(ii) सी.एफ.सी. का गठन एवं उसका उपयोग

योजना दिशानिर्देशों में व्यवस्था थी कि साझे सुविधा केन्द्रों (सी.एफ.सी.) में मशीनें एवं कार्य शेड होंगे, जिन्हें शिल्पकारों को साझे उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। सी.एफ.सी. हेतु प्रत्येक समूह के लिए स्फूर्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता खादी क्षेत्र में ₹11.25 लाख (11 प्रतिशत) एवं बी.आई. क्षेत्र में ₹22.50 लाख (29 प्रतिशत) था। लेखापरीक्षा द्वारा परिक्षित पाँच समूहों में, ₹87.93 लाख का कुल अनुदान (कुल सहायता का 21 प्रतिशत) सी.एफ.सी. हेतु था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया :

- समूहों में से केवल दो में (यथा बर्पेटा बैंत एवं बॉस शिल्प (बी.सी.बी.) समूह एवं सिद्धा व आयुर्वेद (एस. एण्ड ए.) समूह में आंशिक रूप से)

सी.एफ.सी. का उपयोग शिल्पकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा रहा था, दूसरे समूहों में इसका शिल्पकारों द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ संबद्ध रूप में एवं इसके अंतर्गत उपयोग किया जा रहा था। चूंकि अधिकतर समूहों में, सी.एफ.सी. का कार्यान्वयन अभिकरणों से स्वतंत्र कोई अलग पहचान नहीं थी, शिल्पकार आई.ए. के उजरती दर कारीगर बने रहे, इस खर्च से सीधे रूप में लाभ लेने के लिए वे खड़े नहीं हुए।

- सींग एवं हड्डी (एच.ए.बी.) उत्पाद समूह से संबंधित, सी.एफ.सी. कृषि-भूमि पर बनायी गयी थी और चूंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी, समूह का परिचालन नहीं हो रहा था।
- मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति के अंतर्गत विकसित समूहों की सुदीर्घता को सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्गम नीति नहीं बनाई गई थी, यह निर्धारित करने के लिए कि परियोजना अवधि में सभी लाभार्थियों पर लाभ प्राप्त हों।

प्रबंधन ने जवाब दिया (मार्च 2015, जुलाई 2015) कि स्फूर्ति दिशानिर्देशों में इस बात पर बल नहीं दिया गया था कि सी.एफ.सी. की कार्यान्वयन अभिकरण से स्वतंत्र एक अलग पहचान हो और यह भी बताया कि मूल योजना में सुदीर्घता का कोई पहलू परिकल्पित नहीं था। इसके अतिरिक्त, एच.ए.बी. समूह के संबंध में, इस तथ्य के बावजूद कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समूह विकास समन्वयन वर्ग (सी.डी.सी.जी.) की नियमित बैठक आयोजित की जाती थीं, पर्यावरण प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जा सका था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि योजना में सी.एफ.सी. की आई.ए. से स्वतंत्र किसी पहचान की स्पष्ट रूप से व्यवस्था नहीं थी, परंतु योजना का उद्देश्य समूहों के स्थानीय प्रशासन प्रणाली को पण्धारियों के सक्रिय भागीदारी से सुदृढ़ करना था ताकि वे स्वयं विकास संबंधी कदम उठा सकें। इस उद्देश्य का कार्यान्वयन तब तक नहीं हो सकेगा जब तक सी.एफ.सी. की अलग पहचान नहीं बन जाती। इसके अलावा, दो समूहों (बी.सी.बी. एवं एस. एण्ड ए.) ने सुनिश्चित किया कि सी.एफ.सी. का शिल्पकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा रहा है। सी.एफ.सी. के ऊपर आई.ए. का सीधा नियंत्रण आई.ए. की

क्षमता एवं आय में संवर्धन प्रतिफलित होगा, शिल्पकारों को उजरती कारीगर बनाते हुए जैसे वे स्फूर्ति के आने से पहले थे।

(iii) बाजार प्रोत्साहन

बाजार प्रोत्साहन सहायता (एम.पी.ए.) की मध्यस्थता में ऐसी गतिविधियों के आयोजन की व्यवस्था थी जिससे सीधे तौर पर बिक्री को बढ़ाया जा सके जैसे मेलों, प्रदर्शनियों का आयोजन, बड़े खरीदारों के साथ गठजोड़, निर्यात, विपणन आउटलेटों का उन्नयन/कंप्यूटरीकरण, नये आउटलेटों को खोलना, बार कोडिंग, प्रचार, आई.एस.ओ./एगमार्क प्रमाणीकरण इत्यादि। प्रति समूह ₹15 लाख का बजटीय अनुदान (खादी में 14 प्रतिशत एवं वी.आई. में 19 प्रतिशत) योजना में अभिकल्पित था। लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित पाँच समूहों में से ₹70.3 लाख का कुल व्यय (कुल सहायता का 17 प्रतिशत) एम.पी.ए. हेतु था।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया :

- मौजूदा विक्रय आउटलेटों का पुनरुद्धार इस मध्यस्थता के अंतर्गत प्रदर्शनियों के आयोजन, उत्पाद विवरणी के विकास एवं विक्रय आउटलेटों के कंप्यूटरीकरण के अलावा सभी समूहों के द्वारा आयोजित की गयी प्रमुख गतिविधि थी।
- एस.सी.के. समूह ने इ-विपणन की शुरूआत की, अमरावती वर्धा मधुमक्खी पालन (ए.डब्ल्यू.बी.) एवं एस.सी.के. ने वेबसाइट बनायी; बार-कोडिंग और ब्रांडिंग का कार्य किसी अन्य समूह द्वारा नहीं किया गया था। जहाँ तक आई.एस.ओ./एगमार्क प्रमाणीकरण का संबंध है, समूहों में से एक यथा एस. एण्ड ए., आई.ए. के पास स्फूर्ति की शुरूआत के पहले से ही एक आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण था; एस.आर.टी. समूह ने दिसंबर 2011 में आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण प्राप्त किया; बी.सी.बी. समूह में, आई.एस.ओ. प्राप्त करने के लिए वर्तमान में आवेदन किया गया है; ए.डब्ल्यू.बी. में, 'एगमार्क' ब्रांडिंग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है, एस.सी.के. समूह में इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गयी है।
- ए.डब्ल्यू.बी. समूह में प्रयुक्त ₹10.80 लाख में से ₹6.26 लाख की राशि नागपुर नगर निगम (एन.एम.सी.) के पास अक्तूबर 2011 में नागपुर एक नया विक्रय आउटलेट खोलने के लिए एक दुकान के आवंटन हेतु जमा की

गयी थी, हालाँकि, न तो दुकान का आबंटन हुआ न ही धन की वापसी हुई, अतः, अनुदान का एक बड़ा हिस्सा पण्धारियों को किसी लाभ के बगैर एन.एम.सी. के पास बेकार पड़ा रहा।

इस प्रकार, उजरती दर शिल्पकारों (पाँच समूहों में से तीन में यथा एस.आर.टी., एस.सी.के. एवं ए.डब्ल्यू.बी.) एवं इसके ब्रांड नाम के अंतर्गत उत्पादों का विपणन करने वाले आई.ए. के परिवृश्य में इन तीनों समूहों में एम.पी.ए. अनुदान पर ₹40.3 लाख के व्यय का शिल्पकारों को सीधे रूप में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

12.2.3.2 समूहों को निष्पादन मूल्यांकन एवं शिल्पकारों पर प्रभाव

अनुबंध-II की तालिका समूहों के निष्पादन को तीन मुख्य मापदंडों यथा शिल्पकारों की संख्या, शिल्पकारों के आय, 2007-08 (मध्यस्थता-पूर्व) से 2014-15 तक उत्पादन एवं उत्पादकता पर प्रकाशित करती है।

(i) निष्पादन का समूह-वार विश्लेषण :

बी.सी.बी. समूहों के शिल्पकार बैंत एवं बांस शिल्पकृतियों के उत्पादन एवं विपणन में संलग्न थे। समूह के शिल्पकार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। आई.ए. ने क्षमता-निर्माण कार्य, सभी शिल्पकारों द्वारा साझे उपयोग हेतु सी.एफ.सी. का गठन एवं अन्य समन्वयनकारी गतिविधियां आयोजित की थी। शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रसंस्करण सी.एफ.सी केन्द्रों में मुफ्त में विद्युत शुल्क वहन करके करते हैं और उनके पास अपने उत्पादों को अपने से बेचने का विकल्प होता है या वो आई.ए द्वारा गठित संग्रह केन्द्रों में उन्हें बेच सकते हैं। इस प्रकार शिल्पकार आई.ए. के वैतनिक श्रमिक नहीं हैं।

समूह के समाप्ति रिपोर्ट (सी.आर.) के अनुसार, उत्पादन 2007-08 एवं 2011-12 के मध्य का मूल्य 180 प्रतिशत तक और शिल्पकारों की संख्या 56 प्रतिशत तक बढ़ा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शिल्पकारों का कोई विशिष्ट पहचान नहीं था तथा शिल्पकारों के बढ़े हुए आय एवं उत्पादन स्तरों को सत्यापित करने के लिए कोई लेखा परीक्षा ट्रैल नहीं था। इसके अतिरिक्त सी.आर. में शिल्पकारों की 1382 की सूचित क्षमता 2500 के डी.एस.आर लक्ष्य से काफी नीचे थी।

- एस.सी.के. समूह खादी की गतिविधियों में संलग्न था और आइ.ए. शिल्पकारों को कच्चा माल, मशीनें एवं सेवाएं प्रदान करता था। लेखा परीक्षा ने देखा कि, यद्यपि शिल्पकारों की संख्या 2007-08 से 2014-15 के दौरान 100 से बढ़कर 536 हो गयी थी; उत्पादन क्रमशः 2.10 लाख मीटर से घटकर 1.75 लाख तक घट गया था। अतः उत्पादकता में 84 प्रतिशत तक की कमी हुई थी और शिल्पकारों की नियुक्ति लाभप्रद रूप से नहीं की गयी थी।
- एस. एण्ड ए. समूह में, तमिलनाडु की डीडीगुल और ठेणी से जिलों में, शिल्पकार जड़ी-बूटियों एवं औषधीय पौधों की जड़ों सिद्धा एवं आयुर्वेद औषधियों के उत्पादन में संलग्न हैं। फिल्ड कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, शिल्पकारों की संख्या 242 से 665 तक बढ़ गयी थी; 2007-08 के मध्यस्थिता-पूर्व वर्ष में उत्पादन से पहले के सभी वर्षों (2009-10 को छोड़कर) में उत्पादन बहुत कम था। स्फूर्ति के मध्यस्थिता के बाद से उत्पादन एवं उत्पादकता से सतत रूप से घटती हुई उत्पादन एवं उत्पादकता में सतत रूप से घटती हुई प्रवृत्ति दिखायी दी थी। अतः स्फूर्ति के कार्यान्वयन के कारण समूहों एवं इनके शिल्पकारों द्वारा अर्जित लाभ को स्थापित नहीं किया जा सका था।
- एस.आर.टी. एक खादी समूह है जिसमें शिल्पकार मुख्य रूप से कताई-पूर्व, कताई एवं बुनाई के कार्यों में लगे हुए थे। 2007-08 एवं 2014-15 के मध्य क्रमशः उत्पादन 38 प्रतिशत (लगभाग) के प्रति बढ़ा, शिल्पकारों की संख्या में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, समूह की उत्पादकता में इस अवधि के दौरान 14 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दिखायी दी। इसके अलावा, समूह के साथ वास्तव में जुड़े हुए शिल्पकारों की संख्या मार्च 2015 तक 479 थी। इस प्रकार, 1200 शिल्पकारों के लिए रोजगार सृजन एवं 40-60 प्रतिशत तक उत्पादन वृद्धि से संबंधित डी.एस.आर. प्रदेयों की प्राप्ति नहीं हुई थी। प्रति घंटा अर्जित मजदूरी से संबंधित ब्यौरों के अभाव के कारण शिल्पकारों के उपार्जन को बढ़ाने में स्फूर्ति के वास्तविक योगदान को निर्धारित नहीं किया जा सका था।
- ए.डब्ल्यू.बी. समूह में, महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र की जनजातियों (शिल्पकारों) को वन में मौजूद जंगली मधुमक्खी से वैज्ञानिक शहद

संग्रहण की प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया गया था। शिल्पकारों द्वारा संग्रहित शहद का प्रापण आइ.ए करता है, उसे सी.एफ.सी. के वैज्ञानिक शहद प्रसंस्करण संयंत्र में प्रसंस्करित करता है, पैकेजिंग और लेबल देने का कार्य करवाता है और उसका मेलघाट शहद के ब्रांड नाम के अंतर्गत विपणन करता है। आइ.ए. ने शहद के वैज्ञानिक संग्रहण हेतु 510 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया और उनमें यंत्र किट वितरित किया तथा शिल्पकारों के पास अपने शहद को आइ.ए को बेचने या उसे सीधे खुद से बेचने का विकल्प था।

फिल्ड कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, संलग्न शिल्पकारों की संख्या 2007-08 (मध्यस्थता-पूर्व) एवं 2014-15 (मध्यस्थता के बाद) के दौरान 70 से 510 हो गयी थी। शिल्पकारों को नगद राशि दी गयी थी और प्रशिक्षित और नियमित रूप से संलग्न शिल्पकारों की संख्या आदि को निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पहचान आबंटित नहीं की गयी थी। चूंकि शहद संग्रहण मौसमी काम है, शिल्पकारों को अंशकालिक रोजगार पर भी रखा जा सकता है और काम में बिताये गये समय एवं उससे हुई आय इत्यादि को दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी और इस तरह स्फूर्ति के प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं था।

- एच.ए.बी. समूह उन शिल्पकारों को सहायता देने के उद्देश्य से प्रस्तावित थे जो जानवरों की हड्डियों एवं सींगों के साथ गहने, फोटो फ्रेम, बटन आदि बनाने के लिए कार्य करते थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि समूह उत्पादन में केवल पाँच दिन तक ही संलग्न रहे थे और उसके बाद बेकार रहे, क्योंकि के.वी.आइ.सी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त नहीं कर सका था। अतः, समूह के सृजन में किया गया ₹63.12 लाख का व्यय निष्फल रहा।
- टी.डब्ल्यू.एण्ड सी.के., जो एक ऊनी एवं सूती खादी समूह है, वो 2010-11 से ही प्रबंधन समिति से विवाद, के कारण अपरिचालित था। चूंकि समूह 2010-11 से उत्पादन कार्य में संलग्न नहीं थी, समूह को प्रदत्त ₹63.81 लाख का अनुदान निष्फल रहा। खर्च की गयी राशि या समूह के निष्पादन के सत्यापन में बारंबार अनुस्मारक देने के बावजूद के.वी.आइ.सी. द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण हम असमर्थ थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा में परीक्षित समूहों में से दो (एस.आर.टी. एवं ए.डब्ल्यू.बी.) में उत्पादन बढ़ा था और सभी समूहों में शिल्पकारों की संख्या बढ़ी थी; तथापि, किसी भी समूह में प्रति शिल्पकार उत्पादकता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। दो समूहों में (एस.सी.के. एवं ए.डब्ल्यू.बी.) आइ.ए. टिके रहने और अपनी लाभप्रदता स्तर बनाए रखने में सफल रहे। एस.आर.टी. में, आइ.ए. ने स्फूर्ति मध्यस्थता के बाद लाभार्जन शुरू किया जबकि एस.एण्ड ए. में, समूह के परिचालन एवं लाभप्रदता स्तर में घटती हुई प्रवृत्ति ही दिखायी दी थी। अतः स्फूर्ति के कार्यान्वयन के साथ, तीन आई.ए (8 समूहों में से) के परिचालन अधिक लाभप्रद एवं सुदीर्घ हुए और इसके कारण अपने साथ जुड़े शिल्पकारों के बेहतर धारणीयता में योगदान दिया। उपरोक्त के अलावा, शिल्पकारों को आय क्षमता/उत्पादकता में बढ़ोतरी एवं उसके परिणामस्वरूप उनकी आय में वृद्धि को निर्धारित करने के लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में परीक्षित पाँच समूहों में ₹415 लाख का व्यय कर स्फूर्ति के कार्यान्वयन की सफलता को निर्धारित नहीं किया जा सका। खादी क्षेत्र में मजदूरी, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से काफी कम थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि खादी शिल्पकारों की मजदूरी 40-50 प्रतिशत तक बढ़ी थी यद्यपि उनकी आय न्यूनतम मजदूरी से नीचे रही और यह कि स्फूर्ति को उद्देश्य कुछ हद तक प्राप्त कर लिये गये थे।

(ii) के.वी.आइ.सी. द्वारा एवं फिल्ड कार्यालयों द्वारा सूचित आंकड़ों के मध्य अंतर

लेखापरीक्षा ने 'स्फूर्ति समूहों (एस.एस) की सफलता की कहानियां', शीर्षक बुकलेट में के.वी.आइ.सी. और समूहों के समाप्ति रिपोर्ट (सी.आर) द्वारा सूचित आंकड़ों एवं चार समूहों में मुख्य मानदंडों पर फिल्ड कार्यालयों द्वारा दिये गये वास्तविक आकड़ों में अंतर देखे थे, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

- एस.आर.टी. समूह में, सी.आर. के अनुसार, 2011-12 हेतु उत्पादन, ₹235.21 लाख और फिल्ड कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार यह ₹164.92 लाख था।
- एस.एण्ड ए समूह में, 2011-12 हेतु उत्पादन एवं विक्रय (मध्यस्थता के बाद) को एस एस. बुकलेट में क्रमशः ₹291 लाख एवं ₹332 लाख सूचित

किया गया था, जबकि फिल्ड कार्यालय के अनुसार, वह क्रमशः ₹72.83 लाख एवं ₹113.66 लाख था।

- इसी प्रकार, ए.डब्ल्यू.बी. समूह के संबंध में, एस.एस. बुकलेट के अनुसार, 2012-13 के लिए उत्पादन एवं बिक्री क्रमशः ₹130.75 लाख एवं ₹143.67 लाख थी तथा फिल्ड कार्यालय के अनुसार, यह क्रमशः ₹12.05 लाख एवं ₹17.48 लाख थी।
- बी.सी.बी. समूह में, एस.एस. बुकलेट के अनुसार 2011-12 हेतु विक्रय ₹1927 लाख थी जबकि फिल्ड कार्यालय के अनुसार वह ₹1236.19 लाख थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि उत्पादन, विक्रय शिल्पकारों की संख्या आदि से संबंधित अंतरों को संबंधित संस्थानों से फिल्ड कार्यालयों के माध्यम से पुष्टि करने की आवश्यकता है उन्हें लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

तथापि, 11 माह बीत जाने के बाद भी अंतर का सामाधान नहीं हुआ।

(iii) कारीगरों पर प्रभाव

योजना का उद्देश्य था एस.एच.जी. के संघ के माध्यम से एवं सी.एफ.सी. के प्रबंधन का संघों द्वारा कब्जे के द्वारा स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करना। इसके अतिरिक्त, समूह में नामांकित सभी शिल्पकारों को जनश्री बीमा योजना (जे.बी.वाई.) के अंतर्गत बीमा के लाभ एवं बाल शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करनी थी। अन्य कल्याण उपायों में शामिल थे - शिल्पकार कल्याण निधि न्यास (ए.डब्ल्यू.एफ.टी.) स्वास्थ्य बीमा, क्रेडिट लिंकिंग, गृह ऋण सुविधा शिल्पकारों के लिए पेशन आदि।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बी.सी.बी. समूह ने कार्यशील पूंजी (1382 शिल्पकारों में से 175 को) एवं स्वास्थ्य बीमा (1382 शिल्पकारों में से 382 को) हेतु क्रेडिट लिंकिंग की सुविधा 2011-12 के दौरान स्फूर्ति की मध्यस्थिता के बाद से सात वर्षों की अवधि में प्रदान की थी। 509 शिल्पकारों को एच.ए.बी. समूह में बीमा/स्वास्थ्य/पेंशन लाभ प्रदान किये गये थे। चिकित्सा बीमा आवृत्ति एस. एण्ड ए समूह द्वारा 665 शिल्पकारों में से 153 को प्रदान किया गया था। कुछ समूहों द्वारा सुविधाओं के इन आंशिक प्रावधानों के अलावा, वी.आई.

समूह में कोई अन्य लाभ प्रदान नहीं किया गया था। जे.बी.वाइ. एवं ए.डब्ल्यू.एफ.टी. ही खादी समूहों में कार्यान्वित एकमात्र उपाय थे।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि सभी आइ.ए ने प्रत्येक समूह में शिल्पकारों की बेहतर करने के लिए कल्याणकारी कदम उठाये थे। प्रबंधन ने आगे बताया कि एस.एच.जी. का गठन हो गया है।

यद्यपि 6 समूहों में (नमूना परीक्षित 8 समूहों में से) 170 एस.एच.जी.एस. का गठन हुआ था, उन्हे सी.एफ.सी. के प्रबंधन में एस.एच.जी. के सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि शिल्पकारों के सशक्तीकरण एवं स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ीकरण करने के प्रति एस.एच.जी. के गठन को एक सार्थक कार्य बनाया जा सके।

12.2.3.3 समूह विकास कार्यकारिणी (सी.डी.ई.) की भूमिका

योजना में परिकल्पित था कि सी.डी.ई. समूह विकास कार्यक्रम के जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए परामर्शदाता होगा। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि सी.डी.ई. बार-बार बदल रहे थे, जिससे उसकी नियुक्ति के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। पाँच वर्षों के अंतराल में, बी.सी.बी. में चार व्यक्तियों ने सी.डी.ई. के रूप में कार्य किया, एस.आर.टी. एवं एस.सी. के समूहों में भी स्फूर्ति अवधि के दौरान संबद्ध 3 अलग-अलग सी.डी.ई. थे। सी.डी.ई. को समूह के विकास हेतु टी.ए. द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन एक तर्कसंगत अवधि तक उन्हे बनाए रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि सी.डी.ई. के साथ समझौते के मानक नियमों के अनुसार, एक निर्धारित प्रारूप में ₹2 लाख का बंधपत्र दिया जाना था और यह कि उसे न्यूनतम 3 वर्षों के लिए कार्य करना था, लेखापरीक्षा द्वारा नमूना परीक्षित इन पाँच समूहों में से किसी में भी सी.डी.ई. द्वारा उसकी नियुक्ति के समय ऐसे किसी बंधपत्र की प्रस्तुति नहीं की गयी थी। प्रबंधन ने बताया (मार्च 2015) कि चूंकि सी.डी.ई. को केवल ₹12,000 प्रतिमाह का पारिश्रमिक ही दिया जा रहा था, उनसे ₹2 लाख के बंधपत्र के लिए जोर नहीं दिया जा सकता और उनके पास एक माह का नोटिस देकर नौकरी छोड़ने का विकल्प था।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सी.डी.ई. को सौंपे गये महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, योजना द्वारा समूहों में उनकी निरंतरता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

12.2.3.4 मानीटरिंग तंत्र

योजना के मानीटरिंग तंत्र में निम्नलिखित नियंत्रण अंतराल थे :

- के.वी.आइ.सी. लाभार्थियों के समुचित ट्रैकिंग व्यवस्था को शिल्पकारों की नामांकन संख्या (ए.ड.एन.)/अन्य विशिष्ट पहचान के माध्यम से सुनिश्चित करने में असफल रहा।
- कार्यान्वयन के मुख्य कारकों का कोई डाटाबेस नहीं था जैसे कि शिल्पकारों की संख्या, उनकी आय, उत्पादकता, शिल्पकारों द्वारा दिया गया समय, क्या वे पूर्णकालिक/अंशकालिक थे इत्यादि।

ऑनलाइन मानीटरिंग प्रणाली के शुरूआत के माध्यम से विशिष्ट पहचान या अन्य नियंत्रक प्रणालियों का आबंटन न होना, जैसा कि योजना दिशानिर्देशों में व्यवस्था थी ताकि पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके और शिल्पकारों के दुबारा नामांकन को रोका जा सके, के.वी. आइ.सी. की एक गंभीर चूक थी।

12.2.4 XIIवीं योजना अवधि हेतु निष्कर्ष एवं भावी संभावना

उपरोक्त के आधार पर, यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि के.वी.आइ.सी. द्वारा 2005-06 से 2010-11 के दौरान स्फूर्ति के कार्यान्वयन पर खर्च की गयी ₹56.26 करोड़ की धनराशि ने न तो पारंपरिक उद्योगों को अधिक प्रतिस्थिरी बनाने, बाजार से प्रेरित एवं उत्पादनशील बनाने में और न ही शिल्पकारों की स्थिति में सुधार योगदान दिया।

मंत्रालय द्वारा अगस्त 2014 में अनुमोदित XIIवीं योजना अवधि हेतु प्रस्तावों में तीन प्रकार के समूहों के विकास प्रस्तावित किये गये थे यथा ₹8 करोड़ की वित्तीय सहायता युक्त विरासत समूह; ₹3 करोड़ की वित्तीय सहायता युक्त ‘प्रमुख समूह’ एवं ₹1.5 करोड़ की वित्तीय सहायता युक्त ‘लघु समूह’ और अनुमोदित पुनरुदारित स्फूर्ति दिशानिर्देशों के अंतर्गत समूचे 800 समूहों को प्रोत्साहन। परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस) से प्रस्तावों को आमंत्रित किये जाने से लेकर आवेदनों की छँटाई तक, परियोजना को ऑनलाइन प्रबंधित

करने, निधियों के निर्गम एवं परियोजना की समाप्ति तक सम्मिलित मानीटरिंग अपेक्षित थी। तथापि, के.वी.आई.सी. को (सितंबर 2015) अभी तक पी.एम.एस. प्रणाली स्थापित करनी थी। ऑनलाइन संवीक्षा हेतु दिशानिर्देशों के अभाव में, के.वी.आई.सी. ने (सितंबर 2014) प्रस्तावों को आमंत्रित किया और प्रस्तावों के राज्य/क्षेत्रीय स्तर समितियों के माध्यम से संवीक्षा कर आगे बढ़ गया। पुनरुद्धारित स्फूर्ति के अंतर्गत एस.एस.सी. द्वारा 35 समूहों की पहचान की गयी है। 10 समूहों के डी.एस.आर. एवं 9 समूहों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) का अनुमोदन (सितंबर 2015) किया गया।

इस प्रकार, ऑनलाइन प्रक्रियाओं द्वारा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के मुद्दा पर जो स्फूर्ति के प्रथम अवधि में नहीं थी, XIIवीं योजना अवधि के दौरान भी इसके कार्यान्वयन की बिल्कुल शुरूआत से ही कार्य होना अभी बाकी था। चूंकि योजना में पण्धारियों की संलग्नता, प्रभावी नियंत्रण, ऑनलाइन मॉनीटरिंग, आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से बेहतर प्रशासन व्यवस्था परिकल्पित थी, अतः XIIवीं योजना अवधि के दौरान योजना का कार्यान्वयन आरंभ करने के पूर्व इन्हे रूपरेखा के अंतर्गत सम्मिलित करना आवश्यक है।

मंत्रलाय ने जवाब दिया (फरवरी 2016) कि पुनरुद्धारित स्फूर्ति योजना की शुरूआत अगस्त 2014 में हुई थी और जून 2015 में दिशानिर्देश जारी किये गये। इसी दौरान के.वी.आई.सी. और कॉयर बोर्ड ने आवेदन आमंत्रित कर उन्हे इकट्ठा किया, चूंकि योजना अचानक रुक गयी थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि ऑनलाइन पी.एम.एस. हेतु टेम्पलेटों की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है, ऑनलाइन प्रणाली का विकास हो रहा था और यह कि पूर्व में दिए जा चुके अनुमोदनों को इसकी समाप्ति पर पी.एम.एस. का एक भाग बनाया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा के द्वारा की गयी अभ्युक्तियों की पुष्टि करता है जिसमें ऑनलाइन पी.एम.एस को परिचालित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया गया है। योजना के आगामी निष्पादन में मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अध्याय XIII: नीति आयोग

भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण

13.1 वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर परिहार्य व्यय

भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने संविदा के प्रावधानों के उल्लंघन में विक्रेता (मै. विप्रो लिमिटेड) को अनुचित लाभ प्रदान किया तथा वारंटी/मुफ्त अनुरक्षण के अंतर्गत शामिल अवधि हेतु उपकरण की वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर ₹4.92 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने बैंगलूरु तथा दिल्ली/एन.सी.आर. में यू.आई.डी.ए.आई. के डाटा केन्द्रों में ₹134.28 करोड़ की लागत पर ‘प्रासंगिक सेवाओं सहित सर्वरों, भण्डारण प्रणालियों, सुरक्षा प्रणालियों तथा एसेसरीज की आपूर्ति, प्रतिस्थापना तथा चालू करने’ हेतु मैसर्स विप्रो लिमिटेड (विक्रेता) के साथ एक संविदा की (मई 2011)।

‘संविदा की सामान्य शर्त’ की धारा 7 के अनुसार विक्रेता गंतव्य स्थल पर माल/सेवाओं के निर्माण तथा प्रतिस्थापना हेतु तथा निर्धारित मापदण्डों¹ के आधार पर स्वीकृति परिक्षण² (ए.टी.) के तहत उन्हें पूर्ण रूप से परिचालनात्मक बनाने हेतु उत्तरदायी था।

संविदा की धारा 12.2 ने अनुबद्ध किया उपकरण की वारंटी सर्वरों तथा भण्डारण प्रणालियों के संबंध में 36 महीनों तथा सभी अन्य माल के संबंध में, माल की गंतव्य स्थल सूपूर्दगी (एवं चालू करने) तथा स्वीकार किए जाने के पश्चात्, 12 महीनों तक वैध रहेगी।

संविदा में प्रावधान किए गए सभी माल का नवम्बर 2011 से फरवरी 2012 के दौरान बैंगलूरु तथा दिल्ली/एन.सी.आर. में यू.आई.डी.ए.आई. के डाटा केन्द्रों में परिनियोजित तथा चालू किया गया था। यू.आई.डी.ए.आई. के पास ए.टी. करने

¹ उपकरण का एक सम्पूर्ण प्रणाली के रूप में 99.5% की अपटाइम दक्षता पर 24 घण्टे प्रतिदिन तीस (30) लगातार दिनों तक प्रचालन करना चाहिए।

² ए.टी. में खरीदार तथा/अथवा प्राधिकृत अधिकारियों तथा/अथवा खरीदार द्वारा नामांकित कोई अन्य दल अथवा अभिकरण की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा किए जाने वाले पूर्ण माल/सेवाओं का प्रचालन शामिल है।

में इनहाउस तकनीकी सुविज्ञता नहीं थी इसलिए उसने यू.आई.डी.ए.आई. की ओर से सभी उपकरण तथा प्रणालियों की तृतीय दल ए.टी. कराने हेतु मानकीकरण जाँच एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) की किराए पर सेवा ली (मार्च 2012)।

एस.टी.क्यू.सी. ने दोनों केन्द्रों पर ए.टी. की तथा सूचित किया (अगस्त 2012; दिल्ली/एन.सी.आर. तथा अक्टूबर 2012, बैंगलूरु) कि कुछ मामलों में घटक अपटाईम³ आवश्यकता को संविदा में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार पूरा नहीं किया गया था। विक्रेता के अनुरोध पर, यू.आई.डी.ए.आई. ने घटक अपटाईम आवश्यकता मापदण्ड⁴ को कम किया (नवम्बर 2012)।

अंत में, एस.टी.क्यू.सी. ने फिर से संशोधित मापदण्डों के अनुसार ए.टी. की (जनवरी-फरवरी 2013) तथा सभी माल/घटकों का संतोषजनक निष्पादन सूचित किया (फरवरी 2013)। इसलिए संविदा नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपकरण की स्वीकृति की तिथि फरवरी 2013 थी। तथापि मै. विप्रो द्वारा अनुरोध किए जाने पर, यू.आई.डी.ए.आई. ने सभी उपकरण की स्वीकृति की तिथि के रूप में उपकरण को चालू करने की अंतिम तिथि अर्थात् फरवरी 2012 को अपनाने का निर्णय (फरवरी 2013) लिया था। इस तिथि को मानने के परिणामस्वरूप सर्वरों तथा भण्डारण प्रणाली के अतिरिक्त मदों हेतु 12 महीनों की वारंटी की निर्धारित अवधि 31 जनवरी 2013 को समाप्त हो गई थी जो इसकी स्वीकृति से एक माह पहले थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यू.आई.डी.ए.आई. फरवरी 2013 से जनवरी 2014 तक की अवधि हेतु ₹4.92 करोड़ की कुल लागत पर इन उपकरणों की वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए.एम.सी.) के लिए विक्रेता के साथ सहमत हुआ (मार्च 2013) तथा बाद की तिथि अर्थात् 1 जून 2013 को यू.आई.डी.ए.आई. तथा मै. विप्रो के बीच एक अनुबंध किया गया था।

इस प्रकार मूल संविदा नियमों में परिवर्तन तथा यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा पूर्व प्रभावी रूप से नई ए.एम.सी. करने का परिणाम इस अवधि जो वारंटी/मुफ्त अनुरक्षण के अंतर्गत शामिल थी, के लिए उपकरण की ए.एम.सी. पर ₹4.92 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

³ उस समय के दौरान जिसमें एक मशीन, विशेषकर एक कम्प्यूटर प्रचालन में है।

⁴ 30 दिनों से 15 दिन अथवा 7 दिनों

यू.आई.डी.ए.आई. ने अपने उत्तर (मई 2015) में बताया कि एस.टी.क्यू.सी. ने जांच प्रक्रिया के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए थे तथा उनको हल करने हेतु कुछ चर्चा की गई थीं। उस समय तक कीमती समय बीत गया था तथा सिस्टम की वारंटी समाप्त हो गई थी। इसलिए, जैसा संविदा में उल्लेख किया गया कि चालू करने की अंतिम तिथि को स्वीकृति की तिथि के रूप में लिया गया था। इसके अतिरिक्त, उसने बताया (अक्टूबर 2015) कि धारा 12.2 में अंतिम गंतव्य तक सूपूर्दगी (तथा चालू करना) तथा स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपकरण सुपुर्दगी की स्वीकृति तथा चालू करने की स्वीकृति का अनुबंध करती है। यू.आई.डी.ए.आई. में सक्षम प्राधिकारी द्वारा माल की स्वीकृति उपकरण के चालू होने के पश्चात् दी गई थी तथा उनके पास सिस्टम के सफलतापूर्वक प्रचालन तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत फैक्ट्री जांचों/रिपोर्टों के आधार पर ऐसा करने हेतु पर्याप्त आश्वासन था। चूंकि उपकरण को प्रचालन में लाया गया था तथा आधार उत्पादन प्रक्रिया था इसलिए उपकरण की स्वीकृति वारंटी शर्त के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को शामिल कराने हेतु एक संविदात्मक आवश्यकता थी।

विभाग का उत्तर, कि उपकरण के निष्पादन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त आश्वासन था, ए.टी. हेतु एस.टी.क्यू.सी. को नियुक्त करने के अपने उत्तर के साथ संगत नहीं है। उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के संबंध में एस.टी.क्यू.सी. की अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2013 में प्राप्त हुई थी तथा इसलिए यह माल की स्वीकृति की वास्तविक तिथि होनी चाहिए थी। वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से यू.आई.डी.ए.आई. की कार्रवाई संविदा के प्रावधानों के साथ असंगत थी तथा ए.एम.सी. के प्रति ₹4.92 करोड़ के परिहार्य भुगतान का कारण बनी।

13.2 विज्ञापनों का अनियमित प्रकाशन विज्ञापन अभियान पर हानि का कारण बना

भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विज्ञापन निति के अनुसार विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से अपने विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं किया था। यह ₹1.41 करोड़ की हानि का कारण बना क्योंकि उपयुक्त छूट का लाभ नहीं उठाया गया था।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) लोक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों द्वारा विज्ञापनों हेतु भारत सरकार का नोडल अभिकरण है।

डीएवीपी की नई विज्ञापन नीति⁵ के अनुसार, सभी केन्द्रीय सरकार मंत्रालयों/विभागों/संलग्न तथा अधिनस्थ कार्यालयों/फील्ड कार्यालयों को प्रदर्शन विज्ञापनों सहित अपने विज्ञापनों को केवल डीएवीपी के माध्यम से प्रकाशित करना अपेक्षित है। इन आदेशों को जून 2013 में भारत सरकार द्वारा दोहराया गया था।

इसके अतिरिक्त, डी ए वी पी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य ग्राहक संगठनों को डी ए वी पी के माध्यम से विज्ञापन हेतु 15 प्रतिशत छूट (अभिकरण के कमिशन के बराबर) प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई) ने अपने विज्ञापनों का डीएवीपी के माध्यम से प्रकाशन नहीं किया था तथा इसके स्थान पर, दिसंबर 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान डीएवीपी की दरों पर पूरे देश में प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में मुद्रित विज्ञापन जारी करने हेतु एक विज्ञापन अभिकरण, मै. आर के स्वामी बी बी डी ओ.प्राई.लि. को नियुक्त किया था। इन अभियानों पर किया गया कुल व्यय नीचे दिए गए व्यौरो के अनुसार ₹9.42 करोड़ था।

| क्र.सं. | अभियान | अवधि | किया गया व्यय (₹) |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | डीबीटीएल हेतु एलपीजी डाटाबेस के साथ आधार को जोड़ने का लाभ | दिसंबर 2014 | 1,45,50,395-00 |
| 2. | -वही- | जनवरी -फरवरी 2015 | 1,28,94,219-00 |
| 3. | -वही- | जनवरी -फरवरी 2015 | 2,98,72,097-00 |
| 4. | आवासियों के आधार को पुनः प्राप्त करने की पद्धति पर शिक्षित करना अगर उन्होने अपना इआईडी/यूआईडी खो दिया है। | मार्च 2015 | 3,68,55,276-00 |

⁵ डीएवीपी द्वारा जारी नई विज्ञापन नीति की शर्त 3 (2 जनवरी 2007 से लागू)

इस प्रकार, डीएवीपी के माध्यम से अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करके 15 प्रतिशत छूट (अभिकरण के कमीशन के बराबर) प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाने में यूआईडीएआई की विफलता ₹1.41 करोड़⁶ की हानि का कारण बनी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, दूरसंचार एवं आई टी मंत्रालय ने यह बताते हुए कि यू आई डी ए आई ने निजी विज्ञापन अभिकरण की सेवाएं प्राप्त की थी क्योंकि दूरसंचार आवश्यकताओं के निर्धारण, डिजाईनिंग, विषय के विकास एवं संदेश के अनुसार अपर्याप्त रचनात्मक योगदान, मीडिया योजना की कमी आदि में डीएवीपी का थोड़ा योगदान रहा था, यूआईडीएआई के उत्तर को समर्पित किया (दिसंबर 2015)। अभिकरण, जिसने विज्ञापनों को जारी करने के अतिरिक्त इन कार्यों में सहायता की थी, को इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि अदा नहीं की गई थी तथा इसलिए वास्तव में कोई हानि नहीं थी। यूआईडीएआई ने यह भी बताया कि अपने परियोजना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे जब कभी आवश्यकता उत्पन्न होती है, प्राप्त करने हेतु यूआईडीआईए की प्रधान मंत्री परिषद द्वारा अनुमति तथा स्वतंत्रता भी प्रदान की गई थी।

उत्तर भारत सरकार के वर्तमान आदेशों जिनके अनुसार विज्ञापनों को छपाई तथा अन्य प्रचार मीडिया हेतु केवल डीएवीपी के माध्यम से ही प्रकाशित किया जाएगा, के साथ असंगत है। इसके अतिरिक्त, यूआईडीएआई का तर्क कि वास्तव में कोई हानि नहीं थी, लागत लाभ विश्लेषण द्वारा समर्पित नहीं है। हमने यूआईडीएआई के दस्तावेजों से यह भी पाया कि डीएवीपी के ऊपर एक निजी अभिकरण को प्राथमिकता देने हेतु इसके द्वारा व्यक्त प्रतिबंध केवल निविदा नोटिसों के संबंध में था न की विज्ञापनों के संबंध में था। इसके अतिरिक्त, कथित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए भी, नेमी प्रकार से अन्य अभिकरण के माध्यम से विज्ञापनों का प्रकाशन जी ओ आई के आदेशों के संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त, कथित विशेष व्यवस्था प्राप्त के संबंध में थी तथा एक प्रतिबंधी शर्त ‘जब कभी आवश्यकता उत्पन्न हो’, भी शामिल थी तथा इसे नेमी मामले के रूप में एक निजी अभिकरण के माध्यम से विज्ञापनों का प्रकाशन करने के वर्तमान संदर्भ में सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता था। इसलिए, यू आई डी ए आई की कार्रवाई जी ओ आई के वर्तमान आदेशों के अनुसार नहीं था।

⁶ ₹9.42 करोड़ का 15 प्रतिशत

अध्याय XIV : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

14.1 वित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए केजी-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन ठेके की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

पी.एस.सी. ब्लॉक के कई मुद्दों की पिछली लेखापरीक्षा (2006-12) में उठाया गया था वे अभी भी बने रहे। पूर्व में चिन्हित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कारण 2012-14 के दौरान अतिरिक्त लागत वसूली का कुल प्रभाव यू.एस.डी. 1547.85 मिलियन (₹9307.22 करोड़) था। 2012-14 की अवधि के लिए, ऑपरेटर द्वारा दावित आधिक लागत वसूली के अतिरिक्त मुद्दे पाये गये, जिसका वित्तीय प्रभाव यू.एस.डी 46.35 मिलियन (₹278.70 करोड़) था। डी 29, डी. 30 कुओं के लिए परीक्षण (एम.डी.टी.) पर दावित लागत वसूली जिसे पी.एन.जी.एम.ओ. के हाल ही के दिशा-निर्देशों (मई 2015) के अनुरूप उचित रूप से प्रदत्त तथा वापिस होनी चाहिए थी। ऑपरेटर ने डी 31 की खोज छोड़ दी थी तथा इस खोज से संबंधित सभी लागत वसूलियाँ लौटानी थी। इसी बीच एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मे. डी. गोल्यर एवं मैकनाटन (डी.एवं एम.) की रिपोर्ट ने संकेत किया ओ.एन.जी.सी. द्वारा संचालित संलग्न ब्लॉक से के.जी.डी.डब्ल्यू.एन-98/3 ब्लॉक को गैस का प्रवाह इस ब्लॉक के वित्तीय क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

14.1.1 प्रस्तावना

अप्रैल 2000 में, जी.ओ.आई. ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.)-1 चक्र के अंतर्गत विश्वव्यापी प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) के नेतृत्व के एक संघ को के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन -98/3 ब्लॉक (के.जी.-डी 6 ब्लॉक) प्रदान किया। आर.आई.एल. का 90 प्रतिशत भागीदारी हित (पी.आई) था और एक कनाडा कम्पनी, निको रिसोर्सज लिमिटेड (निको) को शेष 10 प्रतिशत पी.आई. था। 2011 में आर.आई.एल. ने अपना 30 प्रतिशत पी.आई. से बी.पी. एक्सप्लोटेशन (अल्फा) लिमिटेड (बी.पी.) को सौप दिया। मार्च 2014 को 60, 30 तथा 10 प्रतिशत पी.आई. के क्रमशः आर.आई.एल., बी.पी. तथा निको से बना ठेकेदार था। ब्लॉक के 'प्रचालक' के रूप में आर.आई.एन. बना हुआ था।

के.जी. डी. 6 ब्लॉक का उत्पादन सहभाजन ठेका(पी.एस.सी.) अप्रैल 2000 में हस्ताक्षर किया गया था। 2002 तथा 2012 के बीच किए गए अन्वेषण कार्यकलापों के आधार पर ब्लॉक में कुल 19 हाइड्रोकार्बन खोज की गई थीं। इन 19 खोजों में से, एक (डी. 26 एम.ए. आयल फील्ड) प्राथमिक रूप से एक तेल खोज है और शेष गैस खोजें हैं। एम.ए. आयलफील्ड से तेल उत्पादन सितम्बर 2008 में आरम्भ हुआ जबकि डी. 1-डी. 3 फील्ड से गैस उत्पाद अप्रैल 2009 में आरम्भ हुआ।

14.2 निष्पादन विश्लेषण

14.2.1 संचयी वित्तीय ब्यौरे:

तालिका 1: 2012-13 तथा 2013-14 वर्षों के लिए व्यय, ब्रिकी राजस्व, प्रोफिट पेट्रोलियम (पी.पी.) के ब्यौरे (जैसे प्रचालन द्वारा सूचित किए गए)

(राशि मिलियन यू.एस.\$ में)

| विवरण | 2012-13 | 2013-14 | 31.3.2014 को संचयी |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| व्यय | 436.23 | 615.31 | 11,057.29 |
| ब्रिकी राजस्व | 1637.00 | 904.92 | 11,073.65 |
| आकस्मिक अन्य | 62.77 | 0.84 | 157.91 |
| कुल राजस्व | 1699.77 | 905.76 | 11,231.56 |
| वसूल लागत | 1529.79 | 815.18 | 10,108.40 |
| पी.पी. | 169.98 | 90.58 | 1,123.16 |
| पी.पी. जी.ओ.आई. शेयर (10 प्रतिशत) | 17.00 | 9.06 | 1,12.31 |
| पी.पी. ठेकेदार शेयर | 152.98 | 81.52 | 1,010.84 |

मार्च 2014 तक ब्लॉक में किया गया कुल व्यय यू.एस. \$10,057.29 मिलियन था (खोज: यू.एस. \$1095.18, विकास: यू.एस. \$7,752.03 तथा उत्पादन: यू.एस. \$2,210.08 मिलियन)।

14.2.2 ओ.एन.जी.सी. के समीपस्थ ब्लॉकों से गैस निकालने से संबंधित मामला:

के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक पूर्वी अपतट (के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/2 तथा गोदावरी पी.एम.एल. क्षेत्र) में ओ.एन.जी.सी. ब्लॉकों के समीपस्थ है। ओ.एन.जी.सी. ने आशंका व्यक्त की (दिसम्बर 2013) कि उसके ब्लॉकों का भण्डार के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. - 98/3 ब्लॉक में फैला है और कि ठेकेदार द्वारा के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/3 में वेधित चार कुएं वास्तव में इस सामूहिक भण्डार से गैस निकाल रहे थे। मामला दिल्ली उच्च न्यायलय में पहुँचाया गया था (मई 2014) जिसने ब्लॉक सीमाओं में भण्डार निरंतरता का मूल्यांकन करने के लिए जुलाई 2014 में ओ.एन.जी.सी. तथा आर.आई.एल. दोनों के सामंजस्य से नियुक्त किसी स्वतंत्र पैनल से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद छ: माह की अवधि के अन्दर की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेने का सरकार को निर्देश देते हुए सितम्बर 2015 में मामले का निपटारा कर दिया। स्वतंत्र विशेषज्ञ मै. डी गोल्यर एण्ड मैकनाटन (डी. एण्ड एम.) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है (नवम्बर 2015)।

रिपोर्ट दर्शाती है कि 31 मार्च 2015 को आरम्भिक मौजूद गैस में से गोदावरी पी.एम.एल. में 49.32 प्रतिशत और के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2 (क्लस्टर 1) में 34.71 प्रतिशत स्थानांतरित हो गई थी जिसमें से 85.15 प्रतिशत (गोदावरी पी.एम.एल. से संबंधित) और 73.25 प्रतिशत (के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/2 से संबंधित) के.जी.-डब्ल्यू.-98/3 ब्लॉक के डी-1 डी-3 क्षेत्रों के माध्यम से उत्पादित की गई थी। रिपोर्ट में गैस स्थानांतरण का उच्च भाग और 2019 के अंत तक आर.आई.एल. प्रचालित के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.98/3 ब्लॉक के माध्यम से इसका उत्पादन अनुमानित किया गया।

डी. एण्ड एम. रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने रिपोर्ट पर विचार करने और तीन माह की अवधि के अन्दर ओ.आर.डी.¹ अधिनियम और पी.एस.सी. में शामिल सहित कानूनी, वित्तीय तथा ठेकागत प्रावधानों को ध्यान में रखकर सरकार को भावी कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक सदस्सीय समिति (न्यायमूर्ति ए.पी.शाह) नियुक्त की है (दिसम्बर 2015)।

¹ ओ.आर.डी.: ऑयल फिल्ड (रेगुलेशन एण्ड डेवेलपमेंट) अधिनियम, 1948

यदि एम.ओ.पी.एन.जी. डी. एण्ड एम. रिपोर्ट निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि आर.आई.एल. ओ.एन.जी.सी. के समीपस्थ क्षेत्रों से गैस निकाले और आर.आई.एल. को उसके लिए ओ.एन.जी.सी. को प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देता है तब यह प्रचालन की इसकी सम्पूर्ण अवधि में कोस्ट पेट्रोलियम, प्रोफिट पेट्रोलियम, रायल्टी तथा करों सहित के.जी.-डीडब्ल्यू.एन. -98/3 की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है (अप्रैल 2009 से जब ब्लॉक से गैस का उत्पादन आरम्भ हुआ)।

14.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

14.3.1 विगत प्रतिवेदनों में उल्लिखित मामलों का बने रहना

के.जी. -डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक के प्रचालन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा दो दौर में एम.ओ.पी.-एन.जी. तथा डी.जी.एच. की निष्पादन लेखापरीक्षा के साथ 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष दो प्रतिवेदनों, 2011-12 का सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ए.आर.) सं. 19 तथा 2014 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.-24 में सूचित किए गए थे। दोनों प्रतिवेदनों में उनकी अस्वीकृति की सिफारिश कर अधिक लागत वसूली के दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 24 (जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 19 की अनुवर्ती लेखापरीक्षा है) के प्रति लेखापरीक्षा अपवादों के विषय सहित एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा की गई कार्रवाई का पैरा वार सार और उनकी वर्तमान स्थिति अनुबंध-III में है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रचालन पूर्व लेखापरीक्षाओं में इस विषय का विशेष उल्लेख किए जाने के बावजूद 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान समान विषयों पर अधिक लागत वसूली का दावा जारी रखा। अधिक निकासी लागत बने रहने के विशिष्ट उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

14.3.1.1 अनुमोदित ए.आई.डी.पी. में यथा परिकल्पित उत्पादन की प्राप्ति न करने के कारण गैस हैंडलिंग सुविधाओं का कम उपयोग

आरम्भिक विकास योजना के अनुप्रक (ए.आई.डी.पी.) के अनुसार 80 एम. एम.एस.सी.एम.डी.² के अनुमोदित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न करने और सुविधाओं पर 2014 के ए.आर. सं. 24 (पैराग्राफ 2.6) में टिप्पणियां की गई थीं।

² एम.एस.सी.एम.डी.- मिलियन मीट्रिक स्टेण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन

एम.ओ.पी.एन.जी. ने परामर्श दिया था (मई 2012) कि वर्ष 2011-12 तक ब्लॉक में स्थापित यू.एस. \$1005 मिलियन (₹6043 करोड़)³ राशि की अवधि क्षमता की संचयी लागत वसूल करने के लिए प्रचालक हकदार नहीं था। एम.ओ.पी.एन.जी. के निर्देश के बावजूद प्रचालन ने इस राशि को 2012-13 तथा 2013-14 की लागत वसूली में शामिल करना जारी रखा।

चूंकि ए.आई.डी.पी. लक्ष्यों की तुलना में डी 1-डी 3 खोजों में वास्तविक संचयी उत्पादन वि.व. 2012-13 तक 39.23 प्रतिशत तक और ए.आई.डी.पी. के एम.सी. अनुमोदित लक्ष्य की तुलना में वि.व. 2013-14 तक 51.5 प्रतिशत तक निम्न था इसलिए एम.ओ.पी.एन.जी. ने इस अवधि के दौरान अतिरिक्त राशि को वसूली हेतु अस्वीकार्य परिकलित किया। वि.व. 2012-13 के लिए एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा अस्वीकृत राशि यू.एस. \$792 मिलियन (₹4762.29 करोड़) थी और 2013-14 के लिए यू.एस. \$579 मिलियन (₹3481.52 करोड़) कुल मिलाकर यू.एस. \$2376 मिलियन (₹14286.88 करोड़) की संचयी लागत वसूली उत्पादन सुविधाओं की अप्रयुक्त लागत के प्रति वि.व 2013-14 तक अस्वीकृत की गई है। एम.ओ.पी.एन.जी. ने प्रचालक को सूचित किया था (जुलाई 2014) कि वित्त वर्ष 2013-14 तक इस अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा सरकार को देय अतिरिक्त लाभ पेट्रोलियम (अनन्तिम) यू.एस. \$195.34 मिलियन (₹1174.58 करोड़) (2012-13 तक यू.एस. \$115 मिलियन और 2013-14 के लिए यू.एस. \$80 मिलियन) था। एम.ओ.पी.एन.जी. ने निर्देश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अन्दर अतिरिक्त लाभ पेट्रोलियम जमा करने का भी निर्देश दिया था जिसका प्रचालक द्वारा पालन नहीं किया गया है।

उत्तर में प्रचालक ने बताया (अगस्त 2015) कि मामला मध्यस्थ निर्णयाधीन है और इसलिए निर्णयाधीन है। प्रचालन ने किसी भी पक्ष को किसी सम्भावित पूर्वाग्रह का परिहार करने के अध्यधीन टिप्पियां प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया।

उत्तर में डी.जी.एच ने बताया (जुलाई 2015) कि ठेकेदार को कम प्रदत्त लाभ पेट्रोलियम अभी तक प्रेषित करना है।

³ भारतीय ₹ को यू.एस. \$ में बदलने के लिए प्रयुक्त दर -27 मार्च 2014 को 1 यू.एस. \$ ₹60.13

14.3.1.2 उत्पादित और बेची गई गैस पर विपणन मार्जिन

जैसा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2014 को सी.ए.जी. प्रतिवेदन सं. 24 का पैरा सं.2.8.3.1) में उल्लेख किया गया प्रचालन ने अपने ग्राहकों से गैस मूल्य तथा विपणन मार्जिन अलग प्रभावित करता है। गैस मूल्य यू.एस. \$4.205/एम.एम.बी.टी.यू. की दर पर प्रभावित किया जाता है और विपणन मार्जिन के लिए अतिरिक्त यू.एस. \$0.135/एम.एम.बी.टी.यू. प्रभारित किया जाता है। तथापि पी.पी. तथा रायल्टी संगर्णन करते समय प्रचालन अकेले गैस मूल्य (यू.एस. \$4.205/एम.एम.बी.टी.यू. की दर पर) विचार करता है जो लागत वसूली,पी.पी. तथा रायल्टी पर प्रभाव डालता है। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया था (जून 2014) कि रायल्टी परिकलन के लिए विपणन मार्जिन शामिल करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वि.व. 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान विपणन मार्जिन के माध्यम से अर्जन यू.एस. \$63.78 मिलियन ($\text{₹}383.51$ करोड़) (वि.व. 2012-13 के लिए यू.एस. \$41.65 मिलियन और 2013-14 के लिए यू.एस. \$22.13 मिलियन) था जो राजस्व के रूप में नहीं माना गया है जिसका लागत वसूल, पी.पी. तथा रायल्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (ब्यौरे के लिए देखें **अनुबंध-IV**)

प्रचालक ने दोहराया (अगस्त 2015) कि कोई कानूनी अथवा वाणिज्यिक आधार नहीं है जो उत्पादित पेट्रोलियम और ठेका क्षेत्र में बचत का मूल्य परिकलित करते समय विपणन मार्जिन शामिल करने की ठेकेदार से अपेक्षा करता है।

लेखापरीक्षा दोहराती है कि प्रचालक का उत्तर पी.एस.सी. के ठेकागत प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। पी.एस.सी. का अनुच्छेद 27.2 कहता है कि कम्पनियों द्वारा बेचे गए पेट्रोलियम का अधिकार वितरण केन्द्र पर सुसंगत क्रेता पार्टी को हस्तातरित होगा। जी.एस.पी.ए. के खण्ड 6 (क) के अनुसार वितरण केन्द्र पर गैस का विक्रय मूल्य यू.एस. डालर/एम.एम.बी.टी.यू. (एन.एच.वी⁴) में गैस मूल्य और यू.एस. डालर/एम.एम.बी.टी.यू. (एन.एच.वी) में विपणन मार्जिन का योग होगा। इस प्रकार, राजस्व में विपणन मार्जिन शामिल किया जाना चाहिए।

इस संबंध में मंत्रालय का अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है।

⁴ निवल तापन मात्रा

14.3.1.3 एफ.पी.एस.ओ. चार्टस करने के लिए यू.एस. \$ 10.13 मिलियन अपटाइम बोनस का भुगतान

लेखापरीक्षा ने उल्लेखित किया है (2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 का पैरा 2.7.6.2 कि प्रचालन ने एफ.पी.एस.ओ.⁵ सुविधा (ए.सी.एफ.पी. से किराए पर) की उपलब्धता के लिए मै. एकर काट्रेकिटिंग एफ.पी.ए.एस. नार्वे (ए.सी.एफ.पी.) को अपटाइम बोनस का भुगतान किया था। इसके कारण ए.सी.एफ.सी. को अतिरिक्त लाभ हुआ क्योंकि एफ.पी.सी.ओ. की उपलब्धता ठेकागत प्रावधान था। मंत्रालय ने भी मामलों पर एक लेखापरीक्षा आपत्ति जारी की है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एफ.पी.एस.ओ की उपलब्धता की ठेकागत शर्त को पूरा करने के लिए एसी.एफ.पी को अपटाइम बोनस के भुगतान की प्रथा वि.व. 2012-13 और 2013-14 से जारी थी। इसके कारण ए.सी.एफ.पी. को यू.एस. \$10.13 मिलियम (₹60.91 करोड़) का अतिरिक्त लाभ हुआ।

प्रचालक ने बताया (सितम्बर 2015) कि ए.सी.एफ.पी. से एफ.पी.एस.ओ. के दक्ष अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सतत आधार पर अपनी बाध्यताओं को निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है और कर्तव्यों जो इस संबंध में ए.सी.एफ.सी. को करनेहों की सूची भी निर्दिष्ट की गई है। प्रचालन ने यह भी उल्लेख किया (अप्रैल 2015) कि वह इस संबंध में एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं करता है।

लेखापरीक्षा अपनी पूर्व आपत्ति दोहराता है। प्रचालन का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ए.सी.एफ.सी. अपनी बाध्यता पूरी करने के लिए बाध्य है। ठेका अनुच्छेद 8.5, 8.11, 8.17 तथा प्रदर्शन डी अभिप्रेत कार्य हेतु उचित तथा अच्छी स्थिति में एफ.पी.एस.ओ. को बनाए रखने और सभी गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं, मानकों तथा मार्गनिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इसलिए प्रचालक द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य ए.सी.एफ.पी. की ठेकागत आध्यताओं के भाग थे जिनके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान अपेक्षित नहीं था।

⁵ एफ.पी.एस.ओ. फ्लोटिंग, उत्पादन, भण्डारण तथा उतारने

14.3.1.4 असम्बद्ध कुएं

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया था (2014 के ए.आर. 24 का पैरा सं. 2.6.3) कि जुलाई 2013 तक आरम्भिक विकास योजना के अनुपूरक (ए.आई.डी.पी.) के अनुसार वेधन किए जाने को योजिता 50 कुएं पूर्ण नहीं किए जा सके। इसके बजाय प्रचालक 31 मार्च 2014 तक केवल 18 कुओं का वेधन, पूर्ण तथा सम्बद्ध कर सका था। लेखापरीक्षा ने यह भी उल्लेख किया कि अन्य चार कुओं, नामतः ए21, ए22, बी16 तथा एस.बी.1 का वेधन किया गया था (अगस्त 2010 से अगस्त 2011) परंतु डी.जी.एच. के निर्देशों के बावजूद उत्पादन सुविधाओं से जोड़े नहीं गये थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रचालक ने इन चार कुओं को सम्बद्ध नहीं किया है (अगस्त 2015)। प्रचालक ने यह कहते हुए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया है कि ये कुएं उनकों पूरा करने और सम्बद्ध करने पर किए गये अतिरिक्त कैपेक्स को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त वृद्धि मात्रा उत्पन्न नहीं करेंगे। तथापि, डी.जी.एच. सहमत नहीं हुआ है और फिर जात तथा उनमें मिलती नई परतों से गैस लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन पर उन कुओं को डालने के लिए शीघ्र ही कार्रवाई करने का प्रचालक को निर्देश दिया (जून 2014)। तथापि प्रचालन ने मामले में आगे कार्रवाई नहीं की है। यद्यपि इन कुओं ने डी 1-डी 3 क्षेत्र से उत्पादन में अंशदान नहीं किया है परंतु प्रचालक ने उनकी लागत के प्रति विव 2013-14 तक यू.एस. \$102.94 मिलियन (₹618.98 करोड़) वसूल किया है।

प्रचालक ने बताया (अगस्त 2015) कि चूंकि इन कुओं के वेधन की लागतें पेट्रोलियम प्रचालन करते समय उठाई गई हैं इसलिए ऐसी लागत वसूली हेतु सही प्रकार से शामिल की गई है। पी.एस.सी. प्रावधानों में से कोई भी ठेका लागतों में ऐसी लागतें शामिल करने से निषेध नहीं करता है जिससे प्रचालक के निश्चित विचार का समर्थन हो। प्रचालक ने आगे बताया है (अक्तूबर 2015) कि मामला मध्यस्थ निर्णयाधीन है।

14.3.1.5 ठेकेदार द्वारा धारित अधिक क्षेत्र का त्याग

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया था (2014 के ए.आर. 24 का पैरा सं. 2.5.1) कि ब्लाक का सम्पूर्ण ठेका क्षेत्र खोज क्षेत्र के रूप में माना गया था और ठेकेदार द्वारा रखा गया था। अक्तूबर 2013 में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने पेट्रोलियम खनन

पट्टा के अंतर्गत 1148.12 वर्ग कि.मी. का धारण अनुमत कर 7645 वर्ग कि.मी. के कुल ठेका क्षेत्र में से 6198.88 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र छोड़ने के लिए ठेकेदार को निर्देश दिया। डी29, डी30, तथा डी31 (298 वर्ग कि.मी. क्षेत्र) के त्याग से संबंधित मामलों पर अलग से विचार किया जा रहा था। तथापि एमओपीएनजी के निर्देशों के प्रतिकूल ठेकेदार ने 831.88 वर्ग कि.मी. का अधिक क्षेत्र रोक कर केवल 5367 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र त्याग दिया। प्रचालक को रोके गए अधिक क्षेत्र से संबंधित ₹3.32 मीलियन पेट्रोलियम खोज लाइसेंस (पी.ई.एल.) फीस का भी भुगतान किया गया है।

प्रचालक ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा आपत्ति का संबंध जून 2014 से जून 2015 तक की पी.ई.एल. फीस के भुगतान से है और वर्तमान सीएजी लेखापरीक्षा से बाहर है। प्रचालक ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पी.ई.एल. फीस का भुगतान किया है।

उत्तर में, डी.जी.एच. ने बताया है कि प्रचालक को सूचित किया गया था कि लाइसेंस धारी द्वारा प्रदत्त पीईएल फीस की अधिक राशि बाद के वर्ष अथवा पेट्रोलियम तथा प्रकृति गैस नियमावली 1959 के नियम 11 (2) के अंतर्गत लाइसेंस धारी द्वारा धारित किसी अन्य क्षेत्र के लिए पी.ई.एल./पी.एम.एल.⁶ के फीस के प्रति समायोजित की जानी अपेक्षित होगी।

प्रचालक द्वारा छोड़ा गया क्षेत्र एम.ओ.पी.एन.जी. के अक्तूबर 2013 के निर्देशों के अनुसार नहीं है। रोके गए अतिरिक्त क्षेत्र का त्याग मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी और पी.ई.एल. फीस के अधिक भुगतान का समायोजन किए जाने की आवश्यकता है।

14.4 वित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियां

लेखापरीक्षा ने वि.व. 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान प्राप्त राजस्वों और उठाई गई लागतों का सत्यापन किया। विशेष रूप से निविदा आमंत्रण और ठेकों का दिया जाना, उनका निष्पादन और इस अवधि के दौरान उनके प्रति किए

⁶ पेट्रोलियम खनन पट्टा

गए भुगतानों की संवीक्षा⁷ की गई थी। लेखापरीक्षा में पीएससी प्रावधानों का अननुपालन, एमसी द्वारा अस्वीकृत किए जाने/अनुमोदित न किए जाने के बावजूद वसूली गई लागतें देखी गई। एमओपीएनजी निर्देशों, डीजीएच निर्देशों के अननुपालन के उदाहरण भी देखे गए थे। देखे गए मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

14.4.1 व्यय से संबंधित मामले

14.4.1.1 पीएससी द्वारा अधिदिष्ट परीक्षण प्रक्रिया का पालन न करना

प्रचालक ने प्रबंधन समिति (एमसी) समीक्षा हेतु चार खोजों नामतः डी29, डी30, डी31 तथा डी34 के लिए फरवरी 2010 में वाणिज्यिकर्ता की घोषणा (डी.ओ.सी.) प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। सभी चार खोजों के लिए ड्रिल स्टेम टेस्ट (डी.एस.टी.) नहीं किया गया था। उस रूप में एम सी इन खोजों की समीक्षा करने में असमर्थ था। डी34 खोज पर अतिरिक्त सूचना के प्रस्तुतीकरण के साथ एमसी ने डीएसटी पर जोर दिए बिना इस खोज की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने अपने पूर्व प्रतिवेदन (भारत के सी.ए.जी. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 की सं. 24 का पैराग्राफ 2.5.1) में सिफारिश की थी कि डी29, डी30 तथा डी31 क्षेत्रों में वेधे गए कुओं की लागत अस्वीकृत की जाए यदि वे बाद में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाए जाते हैं।

मई 2015 में (अधिसूचना दिनांक 13 मई 2015 के द्वारा) एमओपीएनजी ने दोषी ठेकेदारों को तीन विकल्प प्रस्तुत किए जिन्होंने खोजों के लिए डीएसटी परीक्षक आवश्यकता को पूरा नहीं किया था। अधिसूचना में विशेष रूप से तीन खोंजों, डी29, डी30 तथा डी31 जिनके लिए डीएसटी नहीं किया गया था, का उल्लेख किया गया। विकल्पों में अन्य बातों के साथ निम्न प्रावधान थे:

- विकल्प 1: खोजों से संबंधित ठेका क्षेत्र को छोड़ना,
- विकल्प 2: ताजा परीक्षण करें और इस शर्त के साथ संशोधित डीओसी प्रस्तुत करें कि परीक्षण के लिए उठाई गई लागत (डी.एस.टी.) का केवल 50 प्रतिशत यू.एस. 15 मीलियन शीर्ष के साथ लागत वसूली के लिए

⁷ 50 लाख यू.एस. \$ से अधिक के 100% ठेकों (21) 25 से 50 लाख यू.एस. \$ के बीच 75% ठेकों (10) 10 से 25 लाख यू.एस. \$ के बीच के 25% ठेकों (8) और 10 लाख यू.एस. \$ से कम के 5% ठेकों (10) की संवीक्षा की गई थी।

अनुमति किया जाएगा। ऐसी खोजों के संबंध में पूर्व ठेकेदारों द्वारा उठाए गए एम.डी.टी. की लागत वसूली हेतु अनुमति नहीं की जाएगी, और

- विकल्प 3: डी.एस.टी. किए बिना खोज के विकास के लिए आगे बढ़े परन्तु ऐसे विकास की लागत वसूली रिंग फेन्सड होगी। लागत वसूली केवल तभी अनुमति की जाएगी जब ये खोजें अन्ततः वाणिज्यिक होने में बदल जाएंगी।

अधिसूचना के अनुसार विकल्प का चयन जून 2015 के अंत तक किया जाना था (29.04.2015 के सीसीईए अनुमोदन के 60 दिनों के अन्दर)

तदनुसार, तीन खोज क्षेत्रों के लिए, प्रचालक ने डी31 छोड़ने और डी 29 तथा डी 30 के लिए डीएसटी का निर्णय लिया है। जीओआई नीति दिनांक 13 मई 2015 के अनुसार ब्लॉक में डी29 तथा डी30 खोजों में डी.एस.टी. करने के लिए बी.ई. 2015-16 कार्य कार्यक्रम एवं बजट (डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.) के अनुपरक का एम.सी. ने अनुमोदन किया (जुलाई 2015)। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा की निम्नलिखित आपत्तियां हैं:

- क्योंकि डी31 ठेकेदार द्वारा त्याग दिया जाएगा इसलिए डी31 पर उठाई गई सम्पूर्ण लागत पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप अस्वीकृत की जानी चाहिए। डी31 की खोज पर उठाई गई लागत यू.एस. \$15.13 मिलियन (₹90.98 करोड़) थी जिसे अस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इसके मूल्यांकन पर बाद में अतिरिक्त लागतें वसूली की गई हैं, लागत वसूली वि.व. 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी जारी है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रचालक ने अलग से प्रत्येक खोज क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए लागत अभिलेख बनाए नहीं है। उस रूप में डी31 से संबंधित मूल्यांकन लागतें लेखापरीक्षा में परिकलित नहीं की जा सकतीं। डी31 को मूल्यांकन लागतें उचित प्रकार आंबटित करना और इन खर्चों को अस्वीकृत करना आवश्यक है।
- डी29 तथा डी30 की खोज तथा मूल्यांकन लागतें केवल तभी वसूल की जा सकती हैं यदि वे खोजे डी.एस.टी. के आधार पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होनी पाई जाती हैं। यह देखा गया था कि प्रचालक ने इन खोजों की लागतें लगातार वसूल की हैं (डी29, डी30 तथा डी31 के लिए वि.व.

2012-13 में यू.एस. \$1.19 मिलियन और वि.व. 2013-14 के लिए यू.एस. \$3.75 मिलियन)। डी29 तथा डी30 से संबंधित खर्चों की वसूलनीयता खोजों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर होगी।

- एम.ओ.पी.एन.जी. के निर्देश के अंतर्गत दिए गए (अधिसूचना दिनांक 13 मई 2015) एम.सी. अनुमोदन (जुलाई 2015) के अनुसार डी29 तथा डी30 में एम.डी.टी. की लागत, लागत वसूली हेतु अनुमत नहीं होगी। प्रचालक ने प्रत्येक खोज के लिए अलग एमडीटी लागतों का अनुरक्षण नहीं किया था। लेखापरीक्षा के बताए जाने पर प्रचालक ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि डी29 के लिए एमडीटी की लागत यू.एस. \$84832.23 और डी30 की यू.एस. \$103435.35 थी। तथापि प्रचालक ने इस मात्रा को इसका ध्यान दिए बिना कि क्या एम.डी.टी. कार्यस्थल पर निष्पादित की गई थी अथवा नहीं, रिंग संचालन के आधार पर कुल एम.डी.टी. लागत के आबंटन के माध्यम से परिकलित किया गया है। क्योंकि एमडीटी विशेषीकृत सेवा है इसलिए इसकी लागत को विशेष कुओं को बांट देने की आश्यकता है जहां परीक्षण किया गया है। ऐसी विशेष सूचना के अभाव में प्रचालक द्वारा तथा परिकलित डी29 तथा डी30 की एम.डी.टी. लागत की यथार्थता पर लेखापरीक्षा टिप्पणी नहीं कर सकता है।

प्रचालक ने एम.ओ.पी.एन.जी. को सूचित किया कि डी31 छोड़ दिया गया है और डीएसटी डी29 तथा डी30 के लिए की जाएगी। प्रचालक ने यह भी बताया (अगस्त 2015) कि व्यय संलग्न खोजों के साथ एकीकृत विकास के लिए डी29 तथा डी30 खोजों पर किया गया था।

डी31 के त्याग से संबंधित प्रचालक की पुष्टि के मददेनजर डी31 से संबंधित खोज तथा मूल्यांकन पर लागत वसूलियों को परिकलित और उलटे जाने की आवश्यकता है। डी29 तथा डी30 पर उठाई गई लागतों की वसूली डी.एस.टी. अपनाकर इन खोजों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। डी29 तथा डी30 की एम.डी.टी. लागत को अनुपातिक रूप से बांटे जाने और उलटे जाने की आवश्यकता है।

14.4.1.2 अनुमोदित क्षेत्र में उपयोग न की गई सेवाओं की लागत वसूली के लिए व्यय का आवंटन

प्रचालक ने खोजों डी 29, डी 30 तथा डी 31 में से एक में डी.एस.टी. करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था (अक्टूबर/नवम्बर 2012)। बाद में प्रस्ताव सभी तीन कुओं में डी.एस.टी. करने के लिए संशोधित किया गया था (मई 2013)। इन तीन खोजों में डी.एस.टी. करने के लिए बजट अनुमान यू.एस. \$93 मिलियन (वि.व. 2013-14 के डब्ल्यू.पी.बी. के अनुसार) था।

प्रचालक ने डी.एस.टी. सेवाओं का ठेका मै. श्लूम्बर्ग एशिया सर्विसेज लिमिटेड को सौंप दिया (अप्रैल 2013)। तथापि सेवाएं के.जी.- डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक में तीन निर्दिष्ट खोजों (डी-29, डी-30 तथा डी-31) के लिए उपयोग नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रचालक ने के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक के डी एस टी के लिए यू.एस. \$4 मिलियन की राशि प्रभारित की है (ब्यौरे अनुबन्ध-V में हैं), यद्यपि डी एस टी सेवाएं ब्लॉक के अनुमोदित क्षेत्रों में उपयोग नहीं की गई थीं। इसने ब्लॉक के जी-डी डब्ल्यू एन- 98/3 की लागत वसूली बढ़ा दी है और इसके प्राफिट पेट्रोलियम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

प्रचालक ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि डी एस टी सेवाओं के किराया प्रभार रिगों के नियोजन के आधार पर विभिन्न ब्लॉकों को प्रभारित किए गए हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि डी.एस.टी. पैकेज के संघटक न केवल डी.एस.टी. प्रचालनों के दौरान उपयोग किए जाते हैं बल्कि जब और आवश्यकता होती है, असमापन/कार्य आद्योपान्त प्रचालनों के दौरान भी उपयोग किए जाते हैं। इस पर विचार कर कि यह एक लम्बी लीड मद है, सम्पूर्ण पैकेज प्रचालक द्वारा जुटाया और सभी समय पर अबाधित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षित किया जाता है। तदनुसार, इसके बावजूद कि क्या वास्तविक डी.एस.टी. प्रचालन किए गए हैं अथवा नहीं, सेवाओं से सम्बद्ध लागते कुओं (अन्वेषणात्मक अथवा अन्यथा) की प्रभारित की गई थीं जो इस अवधि के दौरान वेधे गए थे और खोज डी 29, डी 30 तथा डी 31 में कोई लागत दर्ज नहीं की गई है।

उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं हैं:

- डी.एस.टी. एक विशेषज्ञीकृत सेवा है जो यद्यपि के जी-डी डब्ल्यू एन-98/3 ब्लॉक में डी 29, डी 30 तथा डी 31 के लिए अभिप्रेत किंचित इन खोज क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाए सेवाएं अलग पी.एस.सी. द्वारा शासित सी वाई-डी.डब्ल्यू.एन. ब्लॉक तथा एम.जे. क्षेत्र में उपयोग की गई थीं। पी.एस.सी. की धारा 2 के पैरा 2.2 के अनुसार पेट्रोलियम की खोज में उठाई गई अन्वेषण लागतों के सभी प्रत्यक्ष और आवंटित अप्रत्यक्ष व्यय उसी क्षेत्र को बुक किए जाने हैं। उस रूप में, विशेषज्ञीकृत डी.एस.टी. सेवाओं की लागत वास्तविक उपयोग आधार पर क्षेत्रों को आवंटित की जानी चाहिए न कि रिंगों के नियोजन के आधार दर।

इस प्रकार डी.एस.टी. सेवाओं की सम्पूर्ण लागत सी.वाई.-डी.डब्ल्यू.एन. ब्लॉक तथा एम.जे. खोज क्षेत्र, जहाँ सेवाएं वास्तव में उपयोग की गई थीं, में कुओं को प्रभारित की जानी चाहिए थी। के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/3 ब्लॉक को इन लागतों को आवंटित करने के द्वारा ब्लॉक की लागत वसूली प्रोफिट पेट्रोलियम पर आनुपातिक प्रतिकूल प्रभाव के साथ यू.एस. \$4 मिलियन (₹24.05 करोड़) तक अधिक बताई गई थी।

14.4.1.3 रिंग के जुटाव से पूर्व श्रेणीकरण/परिवर्तन न करने के कारण रिंग आपात उपयोगी प्रभारों के लिए यू.एस. \$10.12 मिलियन की अतिरिक्त लागत वसूली

अप्रैल 2008 के दौरान प्रचालक ने इसके जुटाव के समापन की तारीख से 60 महीनों की अवधि के लिए रिंग धीरुभाई डीप वाटर के.जी. 2 (डी.डी.के.जी. 2) को किराए पर लेने के लिए मै. डीपवाटर पैसिफिक 1 इंक के साथ एक करार किया। रिंग मार्च 2010 में निर्मित और जुटाई गई थी। बाद में प्रचालक ने रिंग डी.डी.के.जी. 2 का उन्नयन करने के लिए ठेकेदार से अनुरोध किया (मार्च 2011)। रिंग का उन्नयन अन्य बातों के साथ अनिवार्य था क्योंकि क्षेत्र में जल उत्पादन हुआ था। उन्नयन जनवरी 2012 तक पूर्ण हुआ था। रिंग इसके उन्नयन की अवधि के दौरान आपात उपयोगी रही। प्रचालक ने

उन्नयन/परिवर्तन की अवधि के दौरान रिग आपात उपयोगी प्रभारों के रूप में यू.एस. \$10.12 मिलियन की राशि का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी 1-डी 3 में जल उत्पादन रिग डी.डी.के.जी. 2 के जुटाव से काफी पहले अक्टूबर 2009 से देखा गया था। उस रूप में प्रचालक को इसकी निर्माण (जुटाव से पूर्व) अवधि के दौरान रिग के उन्नयन की योजना और किया जाना चाहिए था जिससे यू.एस. \$10.12 मिलियन के आपात उपयोगी प्रभारों का परिहार किया गया होता।

उत्तर में प्रचालक ने बताया (सितम्बर 2015) कि वर्क ओवर प्रणाली के प्रयोजन हेतु रिग का आरम्भिक सर्वेक्षण फरवरी 2010 में किया गया था। तदनुसार सेवा प्रदाताओं ने उद्धरण और लांग लीड रिग विशिष्ट मर्दों की सुपुर्दग्गी प्रस्तुत की। अवतरण डोर ठेका प्रचालक द्वारा मई 10, 2012 को किया गया था। इससे उनके उपकरणों की विभिन्न कार्यात्मकता और पदचिन्हों को ध्यान में रखकर रिग सर्वेक्षणों की और आवश्यकता हुई एक बार हस्तक्षेप तथा वर्क ओवर अभियान की पुष्टि हो जाने पर उन्नयन कार्य आरम्भ किए गए थे। रिग डी.डी.के.जी. 2 का जुटाव (मार्च 2010) करने से पूर्व परिवर्तन/उन्नयन न करने के प्रमुख कारण थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.98/3 ब्लॉक का ए.आई.डी.पी.एम.सी. द्वारा दिसम्बर 2006 में अनुमोदित किया गया था। ए.आई.डी.पी.लक्ष्यों के अनुसार प्रचालक से के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक के डी 1-डी 3 क्षेत्र में 50 उत्पादक कुओं का वेधन करने की अपेक्षा की गई थी। क्योंकि रिग डी.डी.के.जी. 2 हायर करने के लिए करार करने के समय पर विकास कुओं के वेधन के लिए एक विद्यमान योजना भी और क्योंकि जल उत्पादन देखा गया था जिससे इसके जुटाव से पूर्व रिग के उन्नयन की आवश्यकता हुई इसलिए प्रचालक को रिग का उन्नयन पहले ही आरम्भ करना चाहिए था। पश्च जुटाव एक अलग परियोजना के रूप में रिग का उन्नयन करने के कारण यू.एस. \$10.12 मिलियन (₹60.85 करोड़) की राशि के आपात उपयोगी प्रभारों पर परिहार्य व्यय हुआ। चूंकि ये प्रभार लागत वसूली हुए हैं इसलिए इसके कारण अधिक लागत वसूली हुई जिसने प्रोफिट पेट्रोलियम तथा सरकारी आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

14.4.2 राजस्व से संबंधित विषय

14.4.2.1 मै. अकेर कान्ट्रेकिंग एफ.पी.ए.एस.ए. द्वारा उठाई गई हानियों के कारण बकाया भारतीय विदहोल्डिंग कर के प्रतिदाय की प्राप्ति न होना

प्रचालक ने एक एफ.पी.एस.ओ. किराए दर लेने के लिए मै. अकेर कान्ट्रेकिंग एफ.पी.एस.ए. नार्वे (अकेर) को मई 2007 में एक ठेका दिया था। ठेका का खण्ड 5.4, अन्य बातों के साथ प्रावधान करता है कि आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत 4.182 प्रतिशत की दर पर अकेर को ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों को भारतीय विदहोल्डिंग कर लागू है। दोहरे कराधान से बचने के लिए नार्वे किंगडम तथा भारतीय संघ के बीच अनुबन्ध के अनुसार अकेर भारत में प्रदत्त आयकर के बराबर राशि का आवास के अपने देश में आय पर कर से कटौती का पात्र है। यह क्रेडिट अकेर द्वारा ठेकेदार को अन्तरित किया जाना है।

तथापि, अकेर द्वारा उठाई गई हानियों के लिए यह आवास के अपने देश में करों का भुगतान नहीं करता है। इसलिए ठेकेदार को कोई क्रेडिट अन्तरित नहीं किया जा रहा है। 2009-13 की अवधि में ठेकेदार ने इसके लिए एन.ओ.के. 131.61 मिलियन (यू.एस. \$17.10 मिलियन ~ ₹102.82 करोड़) का क्रेडिट छोड़ दिया है। प्रचालक को प्रदत्त विदहोल्डिंग कर की राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

प्रचालक ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा सुझाव को नोट (अगस्त 2015) कर लिया है और आश्वासन दिया कि प्रचालक विक्रेता से क्रेडिट प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा वशर्त विक्रेता आवास के अपने देश में प्रदत्त विदहोल्डिंग कर के संबंध में कर क्रेडिट प्राप्त करता है।

14.5 निष्कर्ष

2006-12 की अवधि में के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन पी एस.सी. का कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा की गई थी और 2011-12 के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ए.आर.) सं. 19 और 2014 के ए.आर. सं. 24) में सूचित किया गया था। 2012-14 की अवधि को कवर कर वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि अधिकांश विषय जिसका पूर्व लेखापरीक्षाओं में

उल्लेख किया गया था और जिन पर लेखापरीक्षा आपत्तियां मंत्रालय द्वारा जारी की गई थीं, अभी बनी हुई हैं। इन मदों पर 2012-14 के दौरान अधिक लागत वसूली का कुल वित्तीय प्रभाव यू.एस.डी. 1547.85 मिलियन (₹9307.22 करोड़) था। प्रचालक ने इन कुछ आपत्तियों पर मध्यस्थ निर्णय का सहारा लिया है (गैस प्रहस्तन सुविधाओं का कम उपयोग और असम्बद्ध कुओं) और ये मामले वर्तमान में अनुत्तरित खड़े हैं।

2012-14 की अवधि को कवर कर वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान प्रचालक द्वारा इन मदों पर ली गई निवल अधिक लागत वसूली यू.एस.डी. 46.35 मिलियन (₹278.70 करोड़) होने पर अधिक लागत वसूली के अतिरिक्त मामले देखे गए थे। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया एक महत्वपूर्ण मामला डी 29, डी 30 कुओं के लिए परीक्षण (एम.डी.टी.) पर की गई लागत वसूली है, जिसे उचित प्रकार बाटे जाने और हाल ही के एम.ओ.पी.एन.जी. निर्देश (मई 2015) के मद्देनजर उलटे जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रचालक ने डी 31 खोज छोड़ दी है और इस खोज से सम्बन्धित पहले ही कर ली गई लागत वसूलियों को उलटे जाने की आवश्यकता होगी। अन्य ब्लॉकों में प्रयुक्त सेवाओं को ब्लॉक की लागतों को आवंटन आदि सहित प्रचालक द्वारा अधिक लागत वसूली के उदाहरण देखे गए थे।

इसके अतिरिक्त के.जी.- डब्ल्यू.डी.एन. -98/3 तथा ओ.एन.जी.सी. प्रचालित समीपस्थ ब्लॉकों के बीच भण्डार निरन्तरता पर नवम्बर 2015 में प्रस्तुत स्वतन्त्र विशेषज्ञ मैसर्स डीगोल्यर एवं मैकनाटन (डी एण्ड एम) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ओ.एन.जी.सी. ब्लॉक से के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. - 98/3 ब्लॉक को गैस स्थानान्तरित की गई है, जिसका पर्याप्त भाग पहले ही उत्पन्न किया गया है, जो के.जी. - डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में रिपोर्ट एक सदस्यीय समिति के विचाराधीन है।

रिपोर्ट अक्तूबर 2015 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को जारी की गई थी। उसके लिए मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (फरवरी 2016)।

अध्याय XV : जहाजरानी मंत्रालय

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास

15.1 अतिजीवित टग पर अविवेकी व्यय

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास ने एक कार्यकाल से अतिजीवित टग की मरम्मत पर ₹15.17 करोड़ का अविवेकी व्यय किया असन्तोषजनक निष्पादन के बाद ₹62.57 लाख से बेच दिया गया था।

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के स्वामित्व में अपने जहाजरानी प्रचालनों के 20 वर्षों की कार्यकाल प्रत्याशा के साथ एक टग एम.टी. इंदिरा गांधी (1987 में निर्मित) था। जब टग ड्राई डोकिंग में लाने के लिए देय हो गया था (अक्टूबर 2005 तथा अप्रैल 2006 के बीच) तब पत्तन के उप संरक्षक ने कहा (नवम्बर 2005) कि ड्राई डोकिंग पर और खर्च करना लाभकारी नहीं होगा क्योंकि टग ने अपने उपयोगिता कार्यकाल से लगभग अधिक समय तक कार्य कर लिया था। इसके अलावा, टग की स्थिति का निर्धारण करने के लिए पत्तन द्वारा गठित समिति ने भी ड्राई डोकिंग, वोइथ फालतू पुर्जा और टग के विशेष सर्वेक्षण पर ₹8.25 करोड़ के प्रस्तावित व्यय पर प्रश्न किया था (नवम्बर 2007) जिसने अपने जहाजरानी प्रचालन के 19 वर्ष पहले ही पूरे कर लिए थे।

उपर्युक्त विचारों के बावजूद, बोर्ड ने टग एम.टी. इंदिरा गांधी के ड्राई डोकिंग मरम्मत कार्य करने का निश्चय किया (दिसम्बर 2007) क्योंकि टग की खरीद के लिए अपेक्षित समय 18-24 माह के बीच था और ₹8.25 करोड़ का व्यय अनुमोदित किया। तथापि, पत्तन ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सी.एस.एल.) में 23 माह (मई 2007 से अप्रैल 2009) में ₹15.17 करोड़ की अन्तिम लागत पर टग की मरम्मत कराई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुनः तैयार टग का निष्पादन खराब था जैसा निम्नलिखित तथ्यों से पता चला :

- (क) यह जहाजरानी प्रचालनों में शक्तिशाली नहीं था (ख) पत्तन ओर के वोइथ ने 750 आर.पी.एम. पर जहाज का उचित नियंत्रण प्राप्त नहीं किया था
- (ग) टग का उपयोग 2009-10 में केवल 12.79 प्रतिशत, 2010-11 में 9.18 प्रतिशत और 2011-12 में 7.26 प्रतिशत था। (घ) टग मुख्तया आपाती

उपयोग/निगरानी कार्य प्रयोजनों के लिए और केवल बंदरगाह पर तट से कर्मा दल/सर्वेक्षकों को जहाजों तक परिवहन हेतु उपयोग किया गया था और (ड) अन्तवर्ती शॉफ्ट में खराबियां हुई थी।

इसी बीच, अगले ड्राई डोकिंग के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई थी और लागत लगभग ₹5.32 करोड़ होनी अनुमानित की गई थी। खराब निष्पादन, अवस्था और किसी आगामी कार्यकाल आश्वासनों के बिना टग की ड्राई डोकिंग पर अनुमानित व्यय को ध्यान में रखकर बोर्ड ने टग को बदलने का निर्णय लिया (जनवरी 2012)। आखिरकार वी.ओ.सी.पी.टी. ने ₹62.57 लाख में जनवरी 2015 में टग को बेच दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टग की कार्यात्मकता निर्धारित करने में पत्तन की विफलता और विशेषज्ञों तथा तकनीकी समिति के विचारों के विरुद्ध टग की मरम्मत/निर्जल गोदी कराने के इसके निर्णय के परिणामस्वरूप ₹15.17 करोड़ का अविवेकी व्यय हुआ।

पत्तन ने बताया (नवम्बर 2014) कि टग की मरम्मत (क) इसके कार्यालय की अवधि के अन्त तक सांविधिक आवश्यकता को पूरा करने (ख) वोइथ में समस्याओं का प्रबन्ध करने (ग) पत्तन का एक अन्य टग एम.टी. तिरुवल्लुवर शुष्क गोदी के लिए नियत था (घ) नए टग की खरीद के लिए अपेक्षित समय 18-24 माह के बीच था और (ड) कम अवधि हेतु टग किराए की लागत अधिक होगी, के लिए अपेक्षित थी।

उत्तर को निम्न तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है कि :

(क) टग ने 20 वर्ष की अपनी कार्यकाल अवधि पूरी कर ली थी जब बोर्ड ने नवम्बर 2007 में शुष्क गोदी का निर्णय लिया था। (ख) वोइथ ने केवल छः माह की गारंटी दी थी और समिति ने बताया था कि अन्य मशीनरियों के लिए कोई गारंटी नहीं दी जा सकी थी। (ग) टग की मरम्मत के लिए लिया गया समय 23 महीने था। (घ) उसी क्षमता के नए टग की कीमत दिसम्बर 2007 में केवल ₹22 करोड़ थी और (ड) टग ने व्यय के अनुरूप लाभ नहीं दिए थे।

इस प्रकार, मरम्मत हेतु तकनीकी विचारों के विरुद्ध कार्यकाल से अतिजीवित टग पर ₹15.17 करोड़ का व्यय करने का पत्तन का निर्णय परिहार्य था और औचित्य की कमी थी।

अध्याय XVI : सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

16.1 खारगर, नवी मुंबई के क्षेत्रीय केंद्र भवन के निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण निष्फल एवं परिहार्य व्यय

सी.पी.डब्ल्यू.डी. को निर्माणकार्य सौंपने से पूर्व प्रस्तावित भवन में आरेखण एवं उपयोगिताओं की आवश्यकता से संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव एवं अपर्याप्त योजना बनाने के परिणामस्वरूप प्रारंभिक अनुमान लागत में निरन्तर संशोधन हुए। कार्य के प्राक्कलित लागत का ₹2.70 करोड़ से ₹14.67 करोड़ के पुनरीक्षण, भवन निर्माण में विलम्ब के फलस्वरूप किराया और किराये के भवन का अनुरक्षण प्रभार और विभिन्न प्रयोजनों पर ₹1.32 करोड़ का परिहार्य एवं निष्फल व्यय हुआ।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, मुंबई (एन.आई.एम.एच, - आर.सी.एम) ने पहले से विद्यमान परिसर¹ में स्थान की कमी के कारण और सेवाक्रियाकलापों को विस्तृत करने के उद्देश्य से अपने क्रियाकलापों को नवी मुंबई में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव अपने प्रधान कार्यालय, एन.आई.एम.एच. सिकंदराबाद (संस्थान) को भेजा (जनवरी 2003)। महाराष्ट्र नगर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सी.आई.डी.सी.ओ.) द्वारा खारगर, नवी मुंबई में पट्टे पर 2,401 वर्ग मीटर माप की भूमि के आबंटन (अक्तूबर 2003/फरवरी 2004) के बाद संस्थान ने भूमि के लिए लीज प्रीमियम और पंजीयन प्रभार के रूप में ₹20,35,220/-² की राशि का भुगतान किया (मार्च 2004-जनवरी 2005)।

संस्थान के सी.आई.डी.सी.ओ. के साथ पट्टा समझौता किया (नवम्बर 2004) और समझौते की निबंधन एवं शर्तों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित किया कि-

¹ अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी हियरिंग हैंडीकैप्ड (ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच) कैम्पस, बान्द्रा (पश्चिम), मुंबई।

² (i) पट्टा प्रीमियम: ₹19,26,500/-, (ii) पंजीयन की लागत (₹18,420/-) और जमीन को पट्टे पर लेने के लिए: स्टॉम्प शुल्क (₹90,300/-)

- खंड 3(डी): संस्थान समझौते की तारीख से एक महीने के अन्दर (1 नवम्बर 2005 तक) निर्माण कार्य शुरू करे और समझौते की तारीख से पाँच वर्षों के अन्दर (1 नवम्बर 2009 तक) कार्य को पूर्ण करे।
- खंड 3(ई.ई.): समझौते की तारीख से चार वर्षों की समाप्ति या सी.आई.डी.सी.ओ. से पूर्णता एवं दखल प्रमाणपत्र प्राप्ति की तारीख से, जो भी पहले हो, संस्थान सी.आई.डी.सी.ओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर सेवा प्रभार का वार्षिक भुगतान करेगा।
- खंड 6: यदि खंड 3(डी) में निर्धारित समय सीमा के अन्दर भवन का निर्माण पूरा नहीं होता है और निर्माण में विलम्ब के कारण से सी.आई.डी.सी.ओ. संतुष्ट हैं तो सी.आई.डी.सी.ओ. द्वारा निर्धारित लागू दर से संस्थान द्वारा “अतिरिक्त प्रीमियम” के भुगतान पर निर्माण के लिए समय-विस्तार की मंजूरी दी जा सकती है।

संस्थान के खारगर नवी मुंबई में क्षेत्रीय केंद्र भवन के निर्माण का कार्य मार्च 2004 में ₹35 लाख के प्रारंभिक राशि को जमा करते हुए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपा। डिजाइन/बिल्डिंग प्लान में परिवर्तन को समायोजित करने के लिए संस्थान के अनुरोध पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कार्य के लिए प्रस्तुत (नवम्बर 2005) ₹2.70 करोड़ के प्रारंभिक प्राक्कलन का बार-बार³ संशोधन किया गया और सबसे अंतम संशोधित प्राक्कलन (जनवरी 2015) ₹14.67 करोड़ का था। ₹35 लाख के जमा के प्रति आहरणों एवं विविध कार्यों के लिए ₹16,08,505/- की व्यय की रिपोर्ट सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने दिया है।

पुनः, समझौता के खंड 3(ई.ई.) और 6 के अनुपालन में संस्थान के अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम और सेवा प्रभार के लिए ₹13,41,233/-⁴ की राशि का भुगतान किया है (जुलाई 2014 तक) और सी.आई.डी.सी.ओ. ने संस्थान को निर्माण के लिए 1 नवम्बर 2016 तक का समय विस्तार दिया है।

³ जून 2009 में ₹9.44 करोड़, जुलाई 2010 में ₹9.05 करोड़, सितम्बर 2013 में ₹18.43 करोड़, और जनवरी 2014 में ₹21.12 करोड़

⁴ (i) अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम: ₹8,10,338/- और (ii) सेवा प्रभार: ₹5,30,895/-

संस्थान एवं एन.आई.एम.एच-आर.सी.एम. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने कार्य शुरू करने के प्रस्तावों में निम्नलिखित कमियों को उजागर किया है:

- प्रस्तावित भवन के डिजाइन एवं उसमें आवश्यक उपयोग्यताओं के संबंध में अपर्याप्त आयोजना थी और कोई साध्यता अध्ययन नहीं किया गया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. को मार्च 2004 में कार्य सौंपने से पहले प्रस्तावित भवन के उपभोगकर्ताओं की आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप, योजना/डिजाइन को बार-बार परिवर्तित किया गया। योजना/डिजाइन में सतत परिवर्तन के कारण पाँच पुनरीक्षणों के बाद प्रारंभिक प्राक्कलन की लागत नवम्बर 2005 में ₹2.70 करोड़ से बढ़कर जनवरी 2015 में ₹14.67 करोड़ हो गयी।
- निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब और समझौता के खंड 3(डी) के अनुसार पाँच वर्षों की अवधि (01.11.2009) के अन्दर भवन-निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र का कार्य बेलापुर और खारगर नवी मुंबई में किराये के मकानों में किया और नवम्बर 2009 से नवम्बर 2015 की अवधि में किराया और अनुरक्षण प्रभार के रूप में ₹82,11,552 की राशि का खर्च संस्थान को उठाना पड़ा जो परिहार्य व्यय था।

संस्थान ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि मंत्रालय ने निरीक्षण के दौरान नवीनतम तकनीक पर आधारित सुविधाओं एवं प्रयोगकर्ता के लिए अपेक्षित सुविधाओं को बनाने के लिए योजना/डिजाइन में परिवर्तन का सुझाव दिया, जिसके कारण भवन के निर्माण में विलम्ब हुआ और उससे पी.ई. में पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई। यह बताया गया कि मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए योजना (एस.आई.पी.डी.ए.) 1995 के अंतर्गत नवी मुंबई में क्षेत्रीय भवनों के निर्माण के लिए ₹14.67 करोड़ की राशि को संस्वीकृत करने की अनुसंशा की थी (सितम्बर 2015) और उसके अनुसार मंत्रालय द्वारा ₹4.89 करोड़ की राशि (प्राक्कलित लागत ₹14.67 करोड़ का एक तिहाई) जारी की गयी (दिसम्बर 2015) और उसे भवन निर्माण शुरू करने के लिए पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में सी.पी.डब्ल्यू.डी. मुंबई के पास जमा की गयी (दिसम्बर 2015)। आगे यह भी बतलाया गया कि किराये के मकान का किराया एवं अनुरक्षण प्रभार का भुगतान केवल ग्राहकों को सेवाएं प्रदान के लिए ही किया गया।

मंत्रालय द्वारा समर्थित संस्थान का उत्तर (नवम्बर 2015) यह पुष्टि करता है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपने से पहले भवन के लिए आवश्यक प्रयोगकर्त्ता-उपयुक्त सुविधाओं का निर्धारण करने के लिए साध्यता अध्ययन और उपयुक्त आयोजना नहीं की गयी। पुनः स्क्रीनिंग कमेटी की अनुसंशा लेखापरीक्षा आपत्ति के संप्रेषण के बाद आई, जैसा कि बैठक की कार्यवृत्त में बताया गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान ने कार्य के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ कोई समझौता/समझौता जापन नहीं किया था और इसके कारण भवन-निर्माण पूर्ण करने की कोई समय-सीमा नहीं थी।

इस प्रकार से, विभिन्न उद्देश्यों के लिए और किराये के स्थान का किराया और अनुरक्षण प्रभार के लिए ₹1.32 करोड़⁵ के निष्फल और परिहार्य व्यय के बावजूद नवी मुंबई में क्षेत्रीय केंद्र के लिए स्थायी भवन निर्माण का अपेक्षित उद्देश्य निर्णय लेने के ग्यारह वर्षों बाद भी पूर्ण नहीं हो सका और निर्माण की प्राक्कलित लागत ₹2.70 करोड़ से बढ़ कर ₹14.67 करोड़ हो गयी।

⁵ (i) 2401 वर्ग मीटर भूमि के लिए पट्टा प्रीमियम और पंजीयन प्रभार: ₹20,35,220/-
(ii) सी.पी.डब्ल्यू.डी. के आहरण एवं विविध कार्यों के लिए ₹16,08,505/- का व्यय किया गया
(iii) अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम और सेवा प्रभार : ₹13,41,233/-
(iv) नवम्बर 2009 से नवम्बर 2015 के अवधि के दौरान किराये पर लिए गए भवन का किराया और रखरखाव प्रभाव ₹82,11,552

अध्याय XVII : वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद

17.1 एक निजी दल को अनुचित लाभ

ए.ई.पी.सी. द्वारा सुसज्जित कार्यालय स्थान को पहुँच पर देने हेतु अपनाई गई निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। यद्यपि, मै. टिस्टा ऊर्जा लिमिटेड (टी.यू.एल.) ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था फिर भी उनकी बोली पर बोलियों के खोले जाने के एक सप्ताह पश्चात विचार किया गया था। मै. टी.यू.एल. को कुछ पश्च संविदात्मक लाभ प्रदान किए गए थे जो ए.ई.पी.सी. के लिए अत्यन्त अनुग्रहात्मक थे जिसका परिणाम मै. टी.यू.एल. को अनुचित लाभ तथा ए.ई.पी.सी. को ₹17.42 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ।

वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ए.ई.पी.सी. ने भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में 23,382 वर्गफुट माप के सुसज्जित कार्यालय परिसर को पहुँच पर देने हेतु समाचारपत्रों में विज्ञापन (अगस्त/सितंबर 2007) प्रकाशित किए थे। प्रत्युत्तर में, ए.ई.पी.सी. ने अंतिम तिथि अर्थात् 15 सितंबर 2007 तक आठ उद्धरण प्राप्त किए। तीन बोलीकर्ताओं, अर्थात् मै. इं-स्क्वायर इंटरनेशनल, नई दिल्ली (उद्धत राशि ₹200-250 प्रति वर्गफुट), मै. द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट- आई पी एम (उद्धत राशि ₹235 प्रति वर्गफुट) तथा मै. जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी- जी.आई.सी.ए. (बोली में राशि उल्लेखित नहीं थी) को चुना गया था तथा 26 सितंबर 2007 को बातचीत हेतु बुलाया गया था। इसी बीच, 24 सितंबर 2007 को अर्थात् 19 सितंबर 2007 को अन्य बोलीकर्ताओं की बोलियों को खोलने के पश्चात् मै. टिस्टा ऊर्जा लिमिटेड (टी.यू.एल.)¹ से ₹265 प्रति वर्गफुट की बोली प्राप्त की गई थी। यद्यपि, मै.

¹ मैसर्स टी.यू.एल. को 1200 एम डब्ल्यू टिस्टा स्टेज -III हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना हेतु एक विशेष उद्देश्य के वाहन (एस.पी.वी.) के रूप में, सिक्किम सरकार (जी.ओ.एस.) जिसके पास अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कम्पनी अर्थात् सिक्किम विद्युत निगम लिमिटेड (एस.पी.आई.सी.) के माध्यम से अपनी इक्विटी में 26 प्रतिशत स्टेक है, के साथ संयुक्त जोखिम में कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 11 मार्च 2005 को समाविष्ट किया गया था। जी.ओ.एस. ने एस.पी.आई.सी. के माध्यम से अपनी इक्विटी स्वामित्व को 26 से 51 प्रतिशत तक बढ़ाया है जो 06 अगस्त 2015 से लागू है। इस प्रकार मैसर्स टी.यू.एस 06 अगस्त 2015 से कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (धारा 2 (45)) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी हो गई है।

टी.यू.एल. ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था फिर भी ए.ई.पी.सी. ने उन्हें आगे की बातचीत हेतु चयनित बोलीकर्ताओं के साथ आमंत्रित किया। मै. ई-स्क्वायर इंटरनेशनल बातचीत हेतु नहीं आया तथा मै. आई पी एम ने 27 सितंबर 2007 को अपना सर्वोत्तम प्रस्ताव प्रदान करने हेतु एक दिन के समय की मांग की परंतु अंततः वह भी नहीं आए। मै. जे आई सी ए के प्रतिनिधियों ने ₹175 प्रति वर्गफुट को अपने अधिकतम मूल्य के रूप में सूचित किया।

ए.ई.पी.सी. ने मै. टी.यू.एल. को उच्चतम बोलीकर्ता के रूप में माना जो ₹270 प्रति वर्गफुट के किराए पर ईमारत को लेने को सहमत हुआ। ए.ई.पी.सी. ने 1 दिसंबर 2007 से लागू से 30 नवम्बर 2013 तक छ: वर्षों की अवधि हेतु कार्यालय परिसर को पट्टे पर देने के लिए टी.यू.एल. के साथ एक पट्टा अनुबंध किया (1 दिसंबर 2007)। चूंकि अनुबंध में निर्धारित किया गया था इसलिए पट्टा किराए को पट्टे के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्षों के बीत जाने के पश्चात् मूल किराए के 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की धारा 4 के अनुसार “पट्टाधारी किराए पर लिए गए परिसर का वार्षिक सम्पत्ति कर भी अदा करेगा”।

तथापि, नवम्बर 2008 में, टी.यू.एल. ने ए.ई.पी.सी. को दक्षिण दिल्ली में कार्यालय परिसरों हेतु प्रचलित किराया दरें (रियल एस्टेट वैबसाईट पर आधारित) सूचित की तथा कार्यालय पट्टा किराया में ₹270 प्रति वर्गफुट से ₹150 प्रति वर्गफुट तक कमी करने हेतु अनुरोध किया। मै. टी.यू.एल. के अनुरोध पर विचार करते हुए, ए.ई.पी.सी. ने तीन वर्षों के लिए किराए में वृद्धि के बिना 01.04.2009 से किराए को ₹270 प्रति वर्गफुट से ₹190 प्रति वर्गफुट तक कम करने का निर्णय लिया। यह बताते हुए कि उपरोक्तित संशोधन को छोड़कर मूल पट्टा अनुबंध के सभी अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी, ए.ई.पी.सी. तथा टी.यू.एल. के बीच अनुबंध हेतु संलग्नक हस्ताक्षरित (08.05.2009) किया गया था।

टी.यू.एल. ने फिर से, भिकाजी कामा प्लेस में इसी प्रकार के स्थान हेतु प्रचलित दरों जो ₹80 प्रति वर्गफुट तथा ₹130 प्रति वर्गफुट के बीच थी, को दोहराते हुए मासिक पट्टा किराया में कटौती पर विचार करने हेतु ए.ई.पी.सी. को अनुरोध किया (फरवरी 2012)। ए.ई.पी.सी. 1 अप्रैल 2012 से लागू से मार्च 2014 तक दो वर्षों की अवधि के लिए पट्टे किराए को ₹190 प्रति वर्गफुट से ₹165 प्रति

वर्गफुट तक कम करने को सहमत हुआ (21 मार्च 2012) तथा तदनुसार टी.यू.एल. के साथ एक और संलग्नक (03 मार्च 2012) हस्ताक्षरित किया गया था। 31 मार्च 2014 को पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् ए.ई.पी.सी. ने 1 अप्रैल 2014 से पट्टा किराया को ₹165 प्रति वर्गफुट से ₹255 प्रति वर्गफुट तक बढ़ाया है तथा पट्टा अवधि को अगले तीन वर्षों तक बढ़ा दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2015) कि:

- बोलियों आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन से प्रारंभ होकर मै. टी.यू.एल. को पट्टा किराए पर कार्यालय परिसर को दिए जाने का अंतिम निर्णय लेने तक पूर्ण निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। बोलियों आमंत्रित करने हेतु विज्ञापनों में अपूर्ण सूचना शामिल थी जैसे कि विज्ञापन दिनांक 18 अगस्त 2007 में बोली करने की अंतिम तिथि को नहीं दर्शाया गया था तथा विज्ञापन दिनांक 02 सितंबर 2007 ने बोलियों को खोले जाने की तिथि तथा समय को दर्शाए बिना बोलियों की अंतिम तिथि को 15 सितंबर 2007 तक दिया था। मै. टी.यू.एल. के निविदा प्रक्रिया में भाग न लेने के बावजूद 24 सितंबर 2007 को प्राप्त उनकी बोली पर 19 सितंबर 2007 को बोलियों को खोले जाने के पश्चात्, विचार किया गया था तथा अंततः उन्हें उच्चतम बोलीकर्त्ता के रूप में माना गया था। यह निविदा प्रक्रिया की शुद्धि पर संदेह डालता है।
- ए.ई.पी.सी. ने मै. टी.यू.एल. को कुछ पश्च संविदात्मक लाभ प्रदान किए जैसे कि (क) निर्धारित अवधि के पश्चात् अनुबंध के अनुसार मूल पट्टा किराया के 15 प्रतिशत तक पट्टा किराया को बढ़ाने के स्थान पर ए.ई.पी.सी. ने पट्टा किराया को कम करने के मै. टी.यू.एल. के अनुरोध पर विचार किया तथा कोई बाजार सर्वेक्षण किए बिना दो बार किराए को कम किया: प्रारंभ में सितंबर तक ₹190 प्रति वर्गफुट (1 अप्रैल 2009 से लागू) तथा इसके पश्चात् सितंबर तक ₹165 प्रति वर्गफुट (1 अप्रैल 2012) से लागू। यह टी.यू.एल. को ₹16.79 करोड़ के अनुचित लाभ के बराबर है। (ख) मै. टी.यू.एल. मूल अनुबंध की धारा 4 के अनुसार 2009-10 तक सम्पत्ति कर अदा कर रहा था। बाद में, मै. टी.यू.एल. के अनुरोध पर विचार करते हुए ए.ई.पी.सी. वर्ष 2010-11

तथा बाद से सम्पत्ति कर के भुगतान की देयता को लेने को सहमत हुआ। (ग) दल को 1 नवम्बर 2007 से 30 नवम्बर 2007 तक एक महीने का अधिस्थगन अनुबंध में इसके लिए कोई प्रावधान के बिना अनुमत्त किया गया था। इसका परिणाम ₹0.63 करोड़ के एक महीने के किराए की हानि में हुआ।

महासचिव, ए.ई.पी.सी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (सितंबर 2015) करते हुए बताया कि अत्यंत अनुकूल शर्तों पर पट्टा अवधि का अनुचित विस्तार मैं टी.यू.एल. को मूल पट्टा अनुबंध में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव के बावजूद प्रदान किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में लेखापरीक्षा पैरा में उजागर मामले पर विशिष्ट टिप्पणियां नहीं की थीं तथा अध्यक्ष, ए.ई.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत उत्तर (12 जनवरी 2016) तथा महासचिव (एस.जी.), ए.ई.पी.सी. द्वारा की गई अंतिम टिप्पणियों (12 जनवरी 2016) को प्रेषित किया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि दो उत्तर दर्शाते हैं कि अध्यक्ष, ए.ई.पी.सी. का तर्क महासचिव, ए.ई.पी.सी. के तर्कों से भिन्न हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि जबकि एस.जी., ए.ई.पी.सी., ए.ई.पी.सी. का कार्यकारी अधिकारी हैं फिर भी परिषद के कार्यकलापों को अध्यक्ष, ए.ई.पी.सी. की अध्यक्ष वाली समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

मंत्रालय के उत्तर के साथ प्राप्त एस.जी., ए.ई.पी.सी. को अंतिम टिप्पणियों की जांच से यह देखा गया था कि एस.जी., ए.ई.पी.सी. ने केवल पहले दिए गए अपने उत्तर (सितंबर 2015) को दोहराया था। जबकि अध्यक्ष, ए.ई.पी.सी. ने निम्नानुसार उत्तर दिया;

- पट्टा अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार "नियम एवं शर्तों अथवा उनके अधिनिर्णय के संबंध में, उनको छोड़कर जो लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोक्ता के निष्कासन) अधिनियम 1971 में शामिल किए जाते हैं, पट्टाकर्ता तथा पट्टाधारी के बीच उत्पन्न हो रहे अंतर पर किसी भी विवाद को संभावित सीमा तक दोनों दलों द्वारा आपस में निपटाया जाएगा"।

- चूंकि अधिकतम उद्धत दर ₹200 प्रति वर्गफुट प्रति माह थी तथा अभिकरण बातचीत हेतु सामने नहीं आ रहे थे इसलिए मै. टी.यू.एल. का उद्धरण प्राप्त किया गया था तथा उसे किराए को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने को कहा गया था।
- मै. टी.यू.एल. ने रिफर्बिशिंग हेतु 45 दिनों की अनुग्रह अवधि प्रदान करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, उस समय के अध्यक्ष, ए.ई.पी.सी. ने अध्यक्ष, ए.ई.पी.सी. के पी.एस. के द्वारा टेलिफोन से 30 दिनों की अनुग्रह अवधि की अपनी स्वीकृति सूचित की थी।
- ए.ई.पी.सी. को कोई हानि नहीं है तथा सभी निर्णय किराए के (निर्धारण/पुनः निर्धारण सहित) कार्यकारी समिति, ए.ई.पी.सी./वित्त एवं बजट, उप-समिति, ए.ई.पी.सी. के संघ एवं शक्तियों के अनुच्छेदों के तहत प्रतिष्ठापित शक्तियों तथा कार्यों के भीतर स्वीकृत किए गए थे।

अध्यक्ष, ए.ई.पी.सी. का उत्तर निम्नलिखित की वृष्टि से स्वीकार्य नहीं था;

- किराए की कटौती का अनुरोध मै. टी.यू.एल. द्वारा किया गया था तथा ऐसा अनुरोध करते हुए कोई अंतर अथवा विवाद नहीं था।
- उत्तर सही नहीं हैं क्योंकि मै. आई.पी.एम. ने ₹235 प्रति वर्गफुट का उद्धत की थी तथा मै. टी.यू.एल. की बोली 19 सितंबर 2007 को बोलियों के खोले जाने की तिथि तक प्राप्त नहीं की गई थी।
- पट्टा अनुबंध में ऐसी अधिस्थगन अवधि हेतु कोई प्रावधान नहीं था।
- तथ्य है कि यद्यपि मै. टिस्टा ऊर्जा लिमिटेड (टी.यू.एल.) ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था फिर भी उनकी बोली पर बोलियों के खोले जाने के पश्चात भी विचार किया गया था जिसने दर्शाया कि ए.ई.पी.सी. निविदा प्रक्रिया की शुद्धि को बनाए रखने में विफल था। ए.ई.पी.सी. ने वर्तमान दल अर्थात् मै. टी.यू.एल. के पट्टा किराए में कटौती के अनुरोध को स्वीकार करने के बजाए प्रतियोगी बोली की मांग करके पट्टा किराए की उच्चतर राशि प्राप्त करने की संभाव्यता का अन्वेषण भी नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, जैसा पैरा में प्रस्तुत किया गया है, कि पट्टा अनुबंध की शर्तों का पश्च संविदात्मक मोल तोल किया गया था जो मै. टी.यू.एल. को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने के बराबर है। इस

प्रकार ऐसा निर्णय लेते समय ए.ई.पी.सी. ने अपने वित्तीय हित को संरक्षित करने के हेतु उपर्युक्त सचेतना का उपयोग नहीं किया था।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सुसज्जित कार्यालय स्थान को पट्टे पर देने की निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण थी क्योंकि ए.ई.पी.सी. निविदा प्रक्रिया की शुद्धि बनाए रखने में विफल था। मै. टी.यू.एल. को कुछ पश्च संविदात्मक लाभ भी प्रदान किए गए थे जो ए.ई.पी.सी. हेतु अत्यंत प्रतिकूल थे जिसका परिणाम मै. टी.यू.एल. को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने तथा ए.ई.पी.सी. को ₹17.42 करोड़² के राजस्व की हानि में हुआ।

² पट्टा किराया में पश्च संविदात्मक कटौती के कारण अनुचित लाभ ₹16.79 करोड़ ₹0.63 करोड़ दल को अनुबंध में बिना किसी प्रावधान के अनुमत्त 1 नवम्बर 2007 से 30 नवम्बर 2007 तक का एक महीने के विलम्बन पर।

अध्याय XVIII : पर्यटन मंत्रालय

18.1 अप्राप्त वैट प्रतिदाय

भारत पर्यटन कार्यालय, टोक्यो द्वारा वैट वापसियों हेतु दावे की मॉनिटरिंग तथा अनुसरण की कमी कम से कम ₹62.18 लाख तथा दावा न किए गए ₹25.63 लाख के राजस्व की हानि का कारण बना।

विदेश में राजनयिक मिशन/पोस्ट तथा कार्यालय/कार्यालयों को चलाने तथा अनुरक्षण पर किए गए व्यय पर अदा किए गए मूल्य वृद्धि कर (वैट) की वापसी के हकदार हैं। इस उद्देश्य के लिए, उन्हें अदा किए गए वैट के अभिलेख का अनुरक्षण करने तथा समय पर मेजबान सरकार के पास दावा दर्ज करना अपेक्षित हैं।

भारत पर्यटन कार्यालय, टोक्यो (आईटीओ) का जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा ताईवान पर क्षेत्राधिकार है। प्राथमिक बाजार जापान तथा दक्षिण कोरिया है। आईटीओ से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने निम्नलिखित प्रकट किया:

आईटीओ ने इस आधार पर कि आईटीओ दक्षिण कोरिया में पंजीकृत नहीं था तथा इसलिए वह कर वापसी हेतु योग्य नहीं था, दक्षिण कोरिया में वैट के प्रारम्भ (अगस्त 2011) से दक्षिण कोरिया में फर्मों को किए गए भुगतानों हेतु कर वापसियों का दावा नहीं किया गया था। तथापि, यह पाया गया था कि भारतीय दूतावास (ईओआई), सियोल ने अवधि के दौरान नियमित रूप से वैट वापसियों का दावा किया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में ईओआई, सियोल ने बताया (मार्च 2015) कि इसको आईटीओ के बिलों को मिशन के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय विधि के अनुसार मार्च, 2014 से पहले की अवधि से संबंधित वापसी दावों को कालातीत के रूप में घोषित किया गया है जिसने इन प्रतिदायों की अप्राप्ति प्रस्तुत की है। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान आईटीओ द्वारा किए गए भुगतानों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि इन वर्षों हेतु अप्राप्ति प्रतिदाएं कुल ₹62.18 करोड़ के थे। इस प्रकार, आईटीओ की अपने

बिलों को ईओआई, सियोल के माध्यम से प्रस्तुत करने के विकल्प का अन्वेषण करने की विफलता का परिणाम कम से कम ₹62.18 लाख की हानि में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जनवरी 2015) पर, आईटीओ ने 1 सितंबर 2015 से वैट का भुगतान करना बंद कर दिया तथा वह 1 अप्रैल 2014 से 31 अगस्त 2015 की अवधि हेतु कुल ₹30.77 लाख के वैट की वसूली करने में सफल हुआ था।

आईटीओ ने जापान में किए गए भुगतानों हेतु खपत कर (जापान में वैट) को फाईल करने तथा इसकी वापसी प्राप्त करने के लिए मै. खुजियामा एकाउंटेंट ऑफिस, टोक्यो की नियुक्ति (मई 1999) की थी। अभिकरण ने जनवरी 2013 से अपनी सेवाएं समाप्त कर दी थी।

अभिकरणों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि आईटीओ ने जनवरी 2013 से मार्च 2015 तक की अवधि हेतु कर वापसियों का दावा नहीं किया था। अक्तूबर 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए अभी भी दावा की जाने वाली वापसियों की राशि का अनुमान ₹25.63 लाख तक परिकलित किया गया था। 1 जनवरी से 30 सितंबर 2013 तक की अवधि हेतु दावा करने योग्य वैट का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि अवधि से संबंधित अभिलेख आईटीओ, टोक्यो के पास उपलब्ध नहीं थे।

आईटीओ ने स्वीकार किया (अक्तूबर 2015) कि दक्षिण कोरिया के मामले में मार्च 2014 से पहले की अवधि से संबंधित वापसियां अवसूलनीय थीं। आईटीओ ने आगे सूचित किया (जनवरी 2016) कि जापान के लिए कर सलाहकार की नियुक्ति का प्रस्ताव इसके मुख्यालय में विचाराधीन था।

इस प्रकार, समय पर वैट प्रतिदायों का दावा करने में आईटीओ, टोक्यो की विफलता का परिणाम कम से कम ₹62.18 लाख की हानि तथा जनवरी 2016 तक कम से कम ₹25.63 लाख के राजस्व के बिना वसूली के रहने में हुआ। 1 जनवरी से 30 सितम्बर 2013 तक की अवधि के लिए दावा करने योग्य वैट का लेखापरीक्षा में पता नहीं जगाया जा सकता था क्योंकि उस अवधि से संबंधित अभिलेख आईटीओ, टोक्यो के पास उपलब्ध नहीं थे।

अध्याय XIX : शहरी विकास मंत्रालय

19.1 सम्पदा निदेशालय का कार्यचालन

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के आवास की निरन्तर कमी हुई है। डीओई के पास भी उसके पास उपलब्ध आवास स्टॉक का सही अभिलेख नहीं है। विभिन्न पूल में आवास स्टॉक की वृद्धि अनुचित ढंग से की गई है। लाइसेंस फीस का संग्रहण तथा मॉनिटरिंग प्रणाली पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप डी.ओ.ई. लाइसेंस फीस को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। डीईओ तथा सीपीडब्ल्यूडी के डाटाबेस जोड़े नहीं गए हैं जिसके कारण जीएमएस डाटाबेस में घरों की रिक्त स्थिति के प्रतिविम्बन में विलम्ब हुआ। डीओई के पास घरों के सही ब्यौरे नहीं हैं जो असुरक्षित अथवा खतरनाक घोषित किए गए हैं। सरकारी आवास प्रबन्धन प्रणाली (जीएमएस) डाटाबेस में डाटा की गुणवत्ता खराब होती पाई गई थी।

प्रस्तावना

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार (जीओआई) के उत्तरदायित्वों में से एक रक्षा मंत्रालय परमाणु ऊर्जा, रेलवे तथा संचार के अधीन आवासों के अपवाद के साथ रिहायशी आवास सहित केन्द्र सरकारी भवनों के निर्माण तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित है। एमओयूडी इन कार्यों को सम्पदा निदेशालय (डीओई) तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से करता है।

डीओई एमओयूडी, जीओआई का संलग्न कार्यालय है। डीओई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई के महानगरों और पांच अन्य नगरों/शहरों नामतः शिमला, गाजियाबाद, चण्डीगढ़, फरीदाबाद तथा नागपुर में आवासीय तथा कार्यालय स्थान के प्रशासन तथा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है। डीओई 11 स्टेशनों में होलीडे होम्स, 43 स्टेशनों में दौरा करने वाले अधिकारियों के अतिथि गृहों, सरकारी हास्टलों और नई दिल्ली में विज्ञान भवन और दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मुम्बई तथा नागपुर में सरकारी कालोनियों में बाजारों तथा दुकानों के प्रशासन और प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है।

आवासीय स्थान के प्रशासन के अपने कर्तव्यों के भाग के रूप में डीओई आवास स्टॉक के अनुरक्षण, घरों के आवंटन हेतु आवेदकों के पंजीकरण, प्रतीक्षा सूचियां तैयार करने, अधिकृत तथा खाली घरों के संबंध में सूचना अघतन करना, सेवानिवृति, त्यागपत्र, बरखास्तगी/मृत्यु पर आवंटन का रद्दगीकरण, उप किराएदारी, दुरुपयोग के मामले में शास्तिक कार्रवाई, लाइसेंस फीस का लेखाकरण आदि के लिए उत्तरदायी है।

सीपीडब्ल्यूडी भारत सरकार की व्यापक निर्माण प्रबन्धन एजेंसी है जो परियोजना संकल्पना से समापन और पश्च निर्माण चरण में अनुरक्षण प्रबन्धन तक सेवाएं प्रदान करती है। सीपीडब्ल्यूडी जनरल पूल आवासीय स्थान (जीपीआरए) और केन्द्र सरकार भवनों के लिए अनुरक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है।

एमओयूडी ने डीओई के पास उपलब्ध आवास स्टॉक यूनिटों के लिए पारदर्शी, अष्टाचार मुक्त और दक्ष आवंटन प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से नवम्बर 2001 में कम्प्यूटर साफ्टवेयर यथा सरकारी आवास प्रबन्धन प्रणाली (जीएएमएस) आरम्भ की। डीओई की वेबसाइट <http://estates.nic.in> है जो परिपत्रों, नीति आदेशों, सासंग्रह, विज्ञान भवन/होलीडे होम आदि की बुकिंग के बारे में सूचना के अतिरिक्त आवेदकों/आवंटितियों तथा जनता के लिए उपलब्ध सरकारी आवास से सम्बन्धित सभी सूचना प्रदान करती है। gpra.nic.in आवास स्टॉक रिक्तियां, आवंटन और प्रतीक्षा सूची आदि के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदकों/आवंटितियों आदि द्वारा प्रयुक्त जीएएमएस डाटाबेस का अग्रअन्त है।

पोर्टल www.eawas.nic.in डीओई के आन्तरिक कार्य और आहरण तथा संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस फीस दर्ज करने के लिए विकसित किया गया था। इस पोर्टल को अनुरक्षण के प्रबन्धन और ऑनलाइन रिक्ति सूचना आदि के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा विकसित वेब आधारित साफ्टवेयर www.cpwdsewa.nic.in (ई-सेवा) के साथ जोड़ा गया है।

लेखापरीक्षा में जनवरी 2008 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए डीओई के कार्यचालन की समीक्षा की गई और डीओई, सीपीडब्ल्यूडी, एनआईसी तथा एमओयूडी में उपलब्ध अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा में जीएएमएस

मैं तथा जनवरी 2011 से जुलाई 2014 तक की अवधि के लिए आवंटन सम्बन्धित लेन देनों के संदर्भ में डीओई वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा का भी विश्लेषण किया गया क्योंकि आवंटन की स्वचालित प्रणाली (एएसए) विभिन्न प्रकार के घरों के लिए मई 2010 और आगे से प्रगामी रूप से लागू की गई थी और अधिकांश उच्च प्रकार के घर जनवरी 2011 तक कवर किए गए थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

19.1.1 घरों की मांग तथा उपलब्धता

घरों की मांग तथा 2008 से 2014 तक के वर्षों के लिए 31 दिसम्बर को दिल्ली में उपलब्ध आवास स्टॉक जैसा एमओयूडी की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किया गया, नीचे दिया गया है:

तालिका 1: पूलों में सन्तुष्टि स्तर (जून 2014 को)

(घरों की संख्या)

| 31 दिसम्बर तक | मांग | उपलब्धता | कमी |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2008 [#] | 98789 | 63167 | 35622 |
| 2009 | 77506 | 63262 | 14244 |
| 2010 | 88578 | 63196 | 25382 |
| 2011 | 105773 | 63921 | 41852 |
| 2012 | 95475 | 63945 | 31530 |
| 2013 [@] | 106317 | 61836 | 44481 |
| 2014 | 97984 | 61407 | 36577 |

31 मार्च 2009 तक डाटा

@ 31 मार्च 2014 तक डाटा

यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में जीपीआरए के लिए उपलब्धता 61,407 से 63,945 तक विविध है और मार्च 2009 से दिसम्बर 2014 तक की अवधि के दौरान सरकारी आवास की कमी 14,244 तथा 44,481 के बीच रही है। एमओयूडी ने माना कि विभिन्न श्रेणियों में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सरकारी आवास की भारी कमी ने पात्र आवास के लिए प्रतीक्षारत सरकारी कर्मचारी की लम्बी प्रतीक्षा सूची स्थापित की है।

19.1.2 आवास स्टॉक आंकड़ों में अशुद्धता

डीओई द्वारा अनुरक्षित आवास स्टॉक आंकड़ों में अयथार्थताएं थीं जिन पर अपर सचिव (यूडी) द्वारा आरम्भ की गई दिनांक 26 दिसम्बर 2007 की टिप्पणी में एमओयूडी द्वारा भी अपनी चिन्ता व्यक्त की गई थी। आवास स्टॉक में अयार्थता स्वीकार करते हुए डीओई ने दिनांक 10 जनवरी 2008 की टिप्पणी के द्वारा एमओयूडी को आश्वस्त किया कि आन्तरिक सत्यापन/आशोधन सशक्त रूप से किए जा रहे थे और डीओई द्वारा सीधे प्रबन्धित आवास स्टॉक आशाप्रद रूप से मंत्रालय द्वारा अगली आवधिक समीक्षा से पूर्व 100 प्रतिशत सही किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीओई की वेबसाइट, www.estates.nic.in, ने 64.239 घर हैं (8 मई 2013) जबकि www.eawas.nic.in ने 63.975 (10 मई 2013) का आवास स्टॉक दर्शाया। इसने दर्शाया कि आवास स्टॉक के आंकड़ों में अयथार्थता की समस्या अभी भी बनी हुई थी और आवास स्टॉक की यथार्थ संख्या फिर भी नहीं पहुंची थी।

डीओई ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि स्वाभाव से आवास स्टॉक अस्थिर है। नई निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से अथवा विभागीय पूल से पुनर्निर्माण/पुनः विकास, नये घरों की वृद्धि के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा असुरक्षित, ढहाए गए घोषित घर कारक हैं जो समय-समय पर उपलब्ध घरों में अन्तर करते हैं। डीओई ने आगे उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि एक ही समय पर भिन्न आंकड़ों का प्रदर्शन किसी स्थान पर अद्यतन न करने के कारण है। डीओई ने आगे बताया कि जीएएमएस में यथा दर्ज आवास स्टॉक संख्या प्राधिकृत है और इनमें से किया गया आवंटन और कि खाली रहने के लिए तथा आवंटन चक्र से बाहर होने के लिए ऐसे घरों के लिए कोई मार्ग नहीं है।

आवास स्टॉक के ब्यौरे अक्तूबर 2015 के दौरान सत्यापित किए गए थे। यह देखा गया था कि www.eawas.nic.in जो कि डीओई के आन्तरिक उपयोग हेतु है, ने 28 अक्तूबर 2015 को 68,471 का आवास स्टॉक दर्शाया था जबकि www.gpra.nic.in ने संख्याओं में असंगति दर्शाते हुए 29 अक्तूबर 2015 को 68,584 का आवास स्टॉक दर्शाया। इसके अतिरिक्त www.eawas.nic.in 'रिकेल्केट' बटन दबाने पर 80,397 मकानों की संख्या बताता था जिसने

मकानों के आंकड़ों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठते हैं, अविद्यमान क्वाटर टाइप जैसे 10, 11, 20, 30, 40, 70, 80 आदि की संख्या भी शामिल थी।

आगे, यह देखा गया कि डीईओ वेबसाइट ने दर्शाया कि 31 मार्च 2015 को दिल्ली में 61,869 आवासीय यूनिट थे। इसके अलावा, डीओई ने नवम्बर 2015 में सूचित किया कि अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक के दौरान केवल 215 घर जीपीआरए के आवास स्टॉक में जोड़े गए थे। इस प्रकार आवासीय यूनिटों की संख्या केवल लगभग 62,100 होनी चाहिए थी जबकि यह लगभग 68,000 थी जैसा पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दर्शाया गया। उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि आवास स्टॉक की संख्याओं में असंगतियां स्थिर हैं।

लेखापरीक्षा का विचार है कि विभिन्न स्थानों पर आवास स्टॉक में भिन्नताएं आवंटन चक्र से घरों के बाहर रखने के लिए अनैतिक घटकों द्वारा उपयोग की जा सकती है और अनैतिक कार्यकलापों हेतु गैर कानूनी घटकों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। इसलिए, डीओई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रामाणिक आवास स्टॉक शीघ्र ही सभी स्थानों पर समाशोधित तथा अद्यतन किया जाता है।

19.1.3 आवास स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी 2008 में विशेष सचिव (यूडी), एमओयूडी ने 137 सेवा केन्द्रों में से प्रत्येक में उपलब्ध आवास स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करने का सीपीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया था ताकि डीओई आवास स्टॉक के बारे में सही सूचना की उपलब्धता अद्यतन सुनिश्चित की जा सके। डीओई ने 12 मार्च 2008 को सचिव (यूडी), एमओयूडी को सूचित करते हुए बताया कि सीपीडब्ल्यू डी द्वारा प्रस्तुत सूचना डीओई के लिए अधिक उपयोगी नहीं थी क्योंकि इसे डीओई द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक ब्यौरों के साथ वांछित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी से अपने आवास स्टॉक की पुनः जांच करने और डीओई द्वारा यथा अपेक्षित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था (जुलाई 2008)।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में आवास स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन के मामले में और गतिविधियों के ब्यौरे लेखापरीक्षा में पाए नहीं गए थे।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आवास स्टॉक का प्रबंधक होने के नाते डीओई को किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन का अभिलेख रखना चाहिए।

डीओई ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि घरों का प्रत्यक्ष सत्यापन सेवा केन्द्रों के कार्यकारी अभियन्ताओं के माध्यम से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। डीओई ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा आपत्ति अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है।

अनुशंसा सं. 1: डीओई आवास स्टॉक का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन कराए और आवास स्टॉक का सही अभिलेख रखें।

19.1.4 विभिन्न आवास पूलों में संतुष्टि का स्तर

प्रत्येक प्रकार के आवास का सन्तुष्टि स्तर उनकी मांग के संदर्भ में केन्द्र सरकार कर्मचारियों के आवासीय आवास की उपलब्धता स्थिति से संबंध रखता है। एमओयूडी में स्थापित प्राथमिकीकरण समिति¹ ने दिल्ली के अतिरिक्त शहरों में 50 प्रतिशत और दिल्ली में 70 प्रतिशत का संतुष्टि स्तर निर्धारित किया। तथापि डीओई से मांगे गए प्राथमिकीकरण समिति की सभी बैठकों के ब्यौरे और उनके कार्यवृत्तों की प्रतियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

2011,2012,2013 तथा 2014 वर्षों में जून माह के जीएमएस डाटाबेस से आवेदकों की प्रतीक्षा सूची और आवास स्टॉक संख्याओं से संबंधित डाटा की संवीक्षा में टाइपों (4एस, 5ए, 5बी तथा 6ए)² में घरों के विभिन्न पूलों (जी.पी., टी.पी., टी.एन., एल.एम. एवं एल.एस.) में संतुष्टि स्तरों में विशाल अन्तर का पता चला जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

¹ समिति तथा इसके गठन से सम्बन्धित फाइलेंडीओई/एमओयूडी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थीं और इस रूप में समिति के गठन की तारीख, इसके गठन अथवा इसकी रिपोर्ट की तारीख लेखापरीक्षा के दौरान अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

² ये घरों के प्रकार हैं जहाँ अलग पूल टी.पी., टी.एन., एल.एम., एल.एस. विद्यमान हैं।

तालिका 2: पूर्वों में संतुष्टि स्तर (जून 2014 तक)

| पूर्व/वर्ष | घरों की उपलब्धता | | | | घरों की मांग | | | | संतुष्टि स्तर (प्रतिशत में) | | | |
|------------|------------------|------|------|------|--------------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| जीपी | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 5089 | 7585 | 6308 | 7311 | 44.45 | 29.82 | 35.86 | 30.94 |
| एलएम | 200 | 200 | 200 | 200 | 556 | 842 | 723 | 855 | 35.97 | 23.75 | 27.66 | 23.39 |
| एलएस | 84 | 84 | 84 | 84 | 121 | 171 | 153 | 162 | 69.42 | 49.12 | 54.90 | 51.85 |
| टीएन | 91 | 91 | 91 | 91 | 276 | 314 | 286 | 342 | 32.97 | 28.98 | 31.82 | 26.61 |
| टीपी | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1446 | 1441 | 1393 | 1450 | 81.12 | 81.40 | 84.21 | 80.90 |

यह देखा जा सकता है कि जबकि 2011 से 2014 तक के चार वर्षों का संतुष्टि स्तर जीपी से लिए 80 प्रतिशत से अधिक, वहीं जीपी के लिए 45 प्रतिशत से कम, एलएम के लिए 36 प्रतिशत से कम, एलएस के लिए 70 प्रतिशत से कम और टीएन पूर्व के लिए 33 प्रतिशत से कम रहा। सबसे बड़े जीपी पूर्व का संतुष्टि स्तर में 2011 में 44 प्रतिशत से 2014 में 31 प्रतिशत तक कमी आई जबकि टीएन पूर्व के लिए यह 2011 में 33 प्रतिशत से 2014 में 27 प्रतिशत तक कम हो गया।

2014 में, यह देखा जा सकता है कि संतुष्टि स्तर केवल टीपी के संबंध में प्राथमिकीकरण समिति द्वारा निर्धारित की तुलना में अधिक था जबकि सभी अन्य पूर्वों के संबंध में यह 70 प्रतिशत के निर्धारित औसत संतुष्टि स्तर से काफी कम था। विभिन्न पूर्वों के बीच संतुष्टि स्तरों में विशाल अन्तर ने विभिन्न पूर्वों की असन्तुलित वृद्धि दर्शाई। पूर्वों के सृजन का उद्देश्य प्रतीक्षा समय को कम करना और आवेदकों की अभिज्ञात विभिन्न श्रेणियों को घरों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रतीत होता है। तथापि, पूर्वों का ऐसा सृजन ऐसी रीति में प्रबंधित किया जाना चाहिए ताकि सभी पूर्वों का संतुष्टि स्तर तुलनात्मक स्तरों पर परखा जा सके। इसके अलावा, संतुष्टि स्तरों में अन्तर कुछ समय से प्रशस्त हुआ है जिसके कारण जीपी, टीएन, एलएम, तथा एलएस पूर्वों के लिए प्रतीक्षा समय लम्बा हुआ है। यह स्थिति उचित नहीं है और समय से सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

डीओई ने भावी अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा आपत्ति नोट कर ली (अगस्त 2015) और बताया कि वे उच्च टाइप के घरों आदि का निर्माण आरम्भ कर विभिन्न विभागों/संगठनों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए अधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने जैसे आवास वृद्धि के लिए कदम उठा रहे हैं।

19.1.5 प्रतीक्षा सूचियों का विश्लेषण

विभिन्न प्रकार के सरकारी आवास के लिए सरकारी कर्मचारियों की पात्रता उनकी परिलब्धियों द्वारा निर्धारित की जाती है। घर के उच्चतम टाइप तक ₹6600 से ग्रेड पे के लिए पे बैंड में उनके ग्रेड पे/पे के आधार पर सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकता है, निम्नलिखित तालिका में निर्धारित है।

तालिका 3 : उच्च टाइप के घरों की पात्रता

| टाइप तक हकदारी | ग्रेड पे | वेतनमान |
|----------------|------------|--------------------|
| 4एस | 6600 | |
| 5ए | 7600 | |
| 5बी | 8700, 8900 | |
| 6ए (सी-II) | 10000 | |
| 6बी(सी-I) | - | ₹ 67000 से ₹ 74999 |
| 7 | - | ₹ 75000 से ₹ 79999 |
| 8 | - | ₹ 80000 और अधिक |

लेखापरीक्षा में 2012 तथा 2013 के 31 दिसम्बर को घरों के आवंटन हेतु प्रतीक्षारत व्यक्तियों के ब्यौरों का विश्लेषण किया और देखा कि अनेक व्यक्तियों ने अपनी हकदारी के घर के टाइप में लम्बी प्रतीक्षा के कारण अपनी हकदारी से कम आवास के टाइप के लिए आवेदन किया है। अपनी हकदारी से कम, पूल वार आवास हेतु आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 4 : हकदारी से कम आवास हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या

| ग्रेड पे | जीपी | | एलएम | | एलएस | | टीएन | | टीपी | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 7600 | 439 | 656 | 51 | 89 | 7 | 7 | 20 | 22 | 3 | 4 |
| 8700 | 1220 | 1719 | 146 | 189 | 12 | 17 | 126 | 192 | 11 | 16 |
| 8900 | 195 | 272 | 12 | 14 | 1 | 1 | | 1 | 7 | 11 |
| 10000 | 531 | 803 | 74 | 119 | | 7 | 4 | 17 | 41 | 66 |
| >10000 | 129 | 151 | 22 | 22 | 7 | 7 | | | 37 | 49 |
| कुल | 2514 | 3601 | 305 | 433 | 27 | 39 | 150 | 232 | 99 | 146 |

उपर्युक्त से, यह देखा जा सकता है कि जीपी में 2514 अधिकारियों ने 2012 में अपनी हकदारी से कम आवास हेतु आवेदन किया था जो 2013 में 3601

तक बढ़ गई। वे संख्याएं अन्य पूलों के लिए एलएम के लिए 305 तथा 433, एलएस के लिए 27 तथा 39, टीएन के लिए 150 तथा 232 और टीपी के लिए 99 तथा 146 थीं।

आगे विश्लेषण ने दर्शाया कि ₹10,000 ग्रेड पे वाले 23 अधिकारी 2012 में जीपी में टाइप 4एस घरों के लिए प्रतीक्षारत थे जो 2013 में 29 अधिकारी तक बढ़ गए। तथापि एलएस, टीएन तथा टीपी में टाइप 4एस घरों के लिए ₹8700 से अधिक ग्रेड पे के अधिकारी प्रतीक्षारत नहीं थे। एलएम में ₹10,000 ग्रेड पे वाले 2 अधिकारी और ₹8900 के ग्रेड पे वाले 2 अधिकारी 2012 में टाइप 4एस घरों के लिए प्रतीक्षारत हैं जो 2013 में 3 तथा 2 थीं।

डीओई ने बताया (मार्च 2015) कि प्रतीक्षा सूची को केवल नए निर्माण के माध्यम से जीपीएरए में घरों को पूरक करने के द्वारा कम किया जा सकता है और बताया कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नई परियोजनाओं का निर्णय लिया है। डीओई ने आगे उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी की स्थायी समिति बैठकों में इन मुद्दों को उठाया है जिसका डीओई भी सदस्य है।

डीओई ने स्थाई समिति की बैठकों के कार्यवृत्त नहीं भेजे हैं जिनके अभाव में लेखापरीक्षा डीओई के उत्तर को सही मानने में असमर्थ है। तथापि डीओई को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि पूलों के बीच संतुष्टि स्तरों में विशाल अन्तर पूलों के बीच उपलब्ध घरों के न्याय संगत वितरण के माध्यम से कम किया जाता है।

19.1.6 खाली पड़े घर

एक लेखापरीक्षा प्रश्न (मई 2013) के उत्तर में, डीओई ने बताया (अगस्त 2013) कि एएसए के लागू होने के साथ जनवरी 2009 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान उच्च टाइप का कोई घर 3 महीने से अधिक के लिए खाली नहीं रहा है। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि सीपीडब्ल्यूडी ने लम्बे समय के लिए खाली पड़े घरों के बारे में सूचित करते हुए डीओई को पत्र भेजे थे जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

**तालिका 5 : निर्दर्शी दृष्टान्त जहाँ खाली घरों के आवंटन न होने के लिए
डीओई में सीपीडब्ल्यूडी सूचना प्राप्त हुई**

| क्र.सं. | सीपीडब्ल्यूडी का उप-मण्डल, मण्डल (सीपीडब्ल्यूडी की सेवा केन्द्र संख्या) | घर टाइप और घरों की संख्या | खाली पड़े घरों की सूची और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध कर डीओई को भेजे सीपीडब्ल्यूडी पत्र की तारीख | 3 माह से अधिक से खाली घरों की संख्या | 6 माह अधिक से खाली घरों की संख्या | 12 माह से अधिक से खाली घरों की संख्या |
|---------|---|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | ए, तिमारपुर (234) | 1 - 69 2 - 60 | सितम्बर 11, 2012 | 8 | 9 | 90 |
| 2. | 3/ए, माल रोड (231) | 1 - 23 2 - 7 3 - 11 | सितम्बर 11, 2012 | 2 | 3 | 29 |
| 3. | 3/ए, माल रोड (232) | 2 - 8 | सितम्बर 11, 2012 | - | 2 | 1 |
| 4. | 3/ए, तिमारपुर (233) | 2 - 15 3 - 2 | सितम्बर 11, 2012 | - | 2 | 6 |
| 5. | 4/के, तिलक लेन (201) | 5ए - 3 6ए - 3 | जून 3, 2013 | 1 | 1 | - |
| 6. | 3/पी एण्ड्रूजगंज (416) | 18 | जुलाई 3, 2013 | 5 | 1 | 4 |
| 7. | 5/के, कालका नगर (203) | 5ए - 10 | जुलाई 12, 2013 | 1 | 2 | 1 |
| 8. | 5/के, बापा नगर(202) | 6ए - 5 6बी - 1 | जुलाई 12, 2013 | 2 | - | - |
| 9. | 4/के, तिलक लेन (201) | 5ए - 2 6ए - 1 | सितम्बर 2, 2013 | - | 1 | - |
| 10. | 5/के, काका नगर (203) | 5ए - 5 | सितम्बर 4, 2013 | - | 2 | - |

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि सीपीडब्ल्यूडी से उपर्युक्त सूचना के बावजूद नवम्बर 2015 के अन्त तक भी 66 घर खाली पड़े थे। रहने के लिए तैयार घरों का आवंटन न करने के परिणामस्वरूप घरों की कमी में वृद्धि के कारण निम्नतर सन्तुष्टि स्तर हुआ।

डीओई ने उत्तर दिया (जनवरी 2015/मार्च 2015) कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रिक्तियां तब सूचित की गई थीं जब आवंटिती घर खाली करता है। विलम्ब का सभी सीपीडब्ल्यूडी सेवा केन्द्रों द्वारा रिक्तियों की सूचना द्वारा अब समाधान किया जा रहा था। पूर्व विसंगतियां सीपीडब्ल्यूडी के ई-आवास तथा ई-सेवा

साफ्टवेयर को न जोड़ने के कारण उत्पन्न हुई जिनका अब समाधान किया जा चुका है और दोनों साफ्टवेयर 15 सितम्बर 2014 से जोड़ दिए गए हैं। एमओयूडी ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि ई-सेवा अनुप्रयोग डीओई घरों अथवा गैर डीओई घरों के रूप में परित्याग रिपोर्ट उत्पन्न करने का विकल्प रखता है क्योंकि जीपीआरए के अतिरिक्त सीपीडब्ल्यूडी विभिन्न विभागों को घरों की पूर्ति करता है। सभी जीपीआरए घर आईडी ई-सेवा के साथ जोड़े गए हैं। सम्भवतः सीपीडब्ल्यूडी पूछताछ (एमबी रोड सैक्टर-5) गैर डीओई घर के रूप में परित्याग रिपोर्ट उत्पन्न कर रहा था। परन्तु गत दो महीनों से वे इसे केवल ऑनलाइन उत्पन्न कर रहे हैं और मानवीय परित्याग रिपोर्टों की संख्या बन्द कर दी गई है। एमओयूडी ने आगे बताया कि मायापुरी के 139 घर और देवनगर में 60 टाइप 2एच ई सेवा से जोड़े नहीं गए थे अन्यथा डीओई तथा सीपीडब्ल्यूडी के लगभग सभी स्टॉक जोड़ दिए गए हैं। डीओई तथा सीपीडब्ल्यूडी डाटाबेस के अन्तर सम्बन्धों का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के पैरा 2.14.1 में किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए घर दिल्ली के विभिन्न स्थानों से हैं और केवल एमबी रोड से नहीं है जैसा डीओई द्वारा बताया गया। इसके अलावा, डीओई ने उत्तर अपने दावों के समर्थन में कोई-दस्तावेज नहीं भेजे हैं। डीओई को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि ई-आवास तथा ई-सेवा डाटाबेस का 100 प्रतिशत संयोजन है और अधित्याग रिपोर्ट ऑनलाइन उत्पन्न तथा सम्प्रेषित की जाती हैं।

19.1.7 सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि के बाद आवास का नियमन

सरकारी आवास (दिल्ली में सामान्य पूल) आवंटन नियमावली 1963 के एसआर 317 ख-11 के अनुसार, आवास आवंटिती की मृत्यु पर 12 महीने तक और सेवानिवृत्ति के बाद 8 महीने तक रोका जा सकता है। इसके अलावा, एसआर 317 ख-25-ओ.एम. दिनांक 20 मई 1999 के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी, जो सामान्य पूल आवास का आवंटिती है, सेवा से सेवानिवृत्त होता है तब आश्रित/पति/पत्नी आवास के वैकल्पिक हकदारी टाइप के नियमन/आवंटन का पात्र होगा बशर्ते नर/नारी सामान्य पूल से आवास के आवंटन हेतु पात्र सरकारी कर्मचारी है और सेवानिवृत्ति की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती कम से कम तीन वर्षों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के साथ लगातार रह रहा

था। यदि मृत सरकारी कर्मचारी का आश्रित/पति, पत्नी सामान्य पूल आवास का पात्र है और आवंटिती की मृत्यु के पूर्व कम से कम छः माह से उसके साथ रह रहा/रही है तब नर/नारी आवास के हकदार टाइप के नियमन/आवंटन का पात्र होगा/आवास के हकदार टाइप के नियमन/आवंटन के अनुरोध पर भी विचार किया जाएगा, यदि निर्भर आश्रित/नर, नारी अधिकारी की मृत्यु के बाद भी किसी पात्र कार्यालय में रोजगार प्राप्त करता है, बशर्ते ऐसी नियुक्ति आवंटिती की मृत्यु के बाद दो वर्षों की अवधि के अन्दर सुरक्षित की जाती है और अधिभोग का आवास खाली नहीं किया गया है। नियमन/आवंटन का आवेदन आवंटिती की मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तारीख से अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, दो महीनों के अन्दर प्रस्तुत किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि घरों का अधिभोग मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तारीख से 19 वर्षों के बाद भी नियमित किया गया था।

अपने उत्तर (जनवरी 2015/मार्च 2015) में डीओई ने विलम्ब, जैसे आवेदक द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने, किराया निर्बाधन में विलम्ब, आवेदक द्वारा न्यायालय मामले, विलम्बित आवेदन, के लिए कारण सूचित किए। अनेक मामलों में मृत आवंटिती का परिवार तीसरे वर्ष में सरकारी रोजगार प्राप्त करता है। उसके बाद, दस्तावेज जमा करने, मामले के संसाधन में समय लगता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि डीओई को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि मृत्यु/सेवानिवृत्ति के बाद आवास के नियमन के मामले उचित समय अवधि के अन्दर किए जाने चाहिए ताकि मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार परेशानी का सामना न करे और घरों के सम्भावित अप्राधिकृत अधिभोग के विरुद्ध सुरक्षा की जा सके।

19.1.8 आवंटन के रद्दीकरण के बाद आवास में अधिक ठहरना/सरकारी आवास का अप्राधिकृत अधिभोग

आवंटन नियमों के अनुसार उन मामलों, जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवंटन अवधि समाप्त हो गई है, में स्वीकार्य अवधारणा अवधि अनुमत करने के बाद सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधियोगकर्ता का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अधीन निष्कासन कार्रवाईयां करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वीकार्य अवधारणा अवधि की समाप्ति के एक

सप्ताह पूर्व अप्राधिकृत अधिभोग के आरम्भ की पहले दिन को सार्वजनिक परिसर अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के अनुरोध के साथ सम्पदा अधिकारी को आवंटन अनुभाग द्वारा एक संदर्भ किया जाना है। आवंटिती को अप्राधिकृत अधिभोग की अवधि के लिए समय समय पर यथा निर्धारित क्षतिपूर्ति दरों पर लाइसेंस फीस प्रभारित की जाती है। अधिनियम के अधीन वसूली कार्रवाईयां भी आरम्भ की जाती हैं।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ब्यौरों से, यह देखा गया था कि अक्तूबर 2015 तक टाइप 1 से टाइप 4 के 1032 घर (टाइप 1-255, टाइप 2-452, टाइप 3-177, टाइप 4-148) आवंटितियों द्वारा अधिप्राधिकृत रूप से अधिभोग किए गए थे जिनमें से टाइप 1 के 107, टाइप 2 के 111, टाइप 3 के 44 और टाइप 4 के 67 घर दो वर्षों से अधिक समय से अप्राधिकृत रूप से अधिभोग में रहा है। इसके अलावा यह देखा गया था कि एक टाइप 2 घर 1985 से अप्राधिकृत रूप से अधिभोग में रहा है। यह भी देखा गया था कि 604 मामले एक माह से अधिक विलम्ब से मुकदमे के लिए भेजे गए थे। यह भी पाया गया था कि टाइप 4 आवास के 80 अप्राधिकृत अधियोगकर्ताओं से 31 जुलाई 2013 तक ₹1.02 करोड़ की लाइसेंस फीस प्राप्त थी। बाजार/क्षतिपूर्ति दर वसूली और अप्राधिकृत सरकारी आवास के संबंध में बकाया की अक्तूबर 2015 तक की कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति डीओई द्वारा यह कहते हुए कि ऐसा डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था, भेजी नहीं गई थी। डीओई ने स्टाफ की कमी के बहाने पर अन्य प्रकार के आवास के संबंध में बकाया लाइसेंस फीस से संबंधित सूचना नहीं भेजी थी। डीओई ने सूचित किया (मार्च 2015) कि नीति के अनुसार अधभोगकर्ताओं/आवंटितियों से क्षतिपूर्ति दर पर लाइसेंस फीस प्रभारित की गई थी। उन्होंने आगे सूचित किया कि अप्राधिकृत अधभोगकर्ताओं को क्षतिपूर्ति बिल जारी किए गए थे और दोषियों के विरुद्ध डीआरसी मामले भी दायर किए गए थे। यह भी संकेत किया गया था कि डीओई ॲनलाइन क्षतिपूर्ति बिलों के उत्पादन हेतु कार्यक्रम विकसित करने के लिए एनआईसी के समन्वय में हूँ। एमओयूडी ने क्षतिपूर्ति बिलों और केवल एक मामले में एनडीसी जारी करने के समय पर किए गए जमाओं की प्रति प्रस्तुत की (अगस्त 2015)।

एमओयूडी के उत्तर ने बकाया प्राप्त्यों और लेखापरीक्षा द्वारा यथा सूचित अप्राधिकृत अधियोगकर्ताओं से वसूल की गई राशि की वर्तमान स्थिति को नहीं दर्शाया। उत्तर लम्बी अवधि से सरकारी आवास के अप्राधिकृत अधिभोग पर ही मौन है।

19.1.9 लाइसेंस फीस

19.1.9.1 लाइसेंस फीस के संशोधन में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्तिम संशोधन की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति पर लाइसेंस फीस संशोधित करने के लिए एसआर 324(4) के प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई 2007 से अन्तिम संशोधित लाइसेंस फीस 1 जुलाई 2010 से संशोधन हेतु देय हो गई। सीपीडब्ल्यूडी ने केवल अक्टूबर 2010 में संशोधनों का अपना प्रस्ताव भेजा और डीओई ने पूर्वव्यापी प्रभाव 1 जुलाई 2010 से केवल 28 अप्रैल 2011 को लाइसेंस फीस की संशोधित दरें अधिसूचित कीं। इसी प्रकार, बाद का संशोधन, जो 1 जुलाई 2013 से होना चाहिए था, नवंबर 2013 तक अधिसूचित नहीं किया जा सका। यद्यपि लाइसेंस फीस का संशोधन प्रत्येक तीन वर्ष में किए जाने की नियमित कवायद है परन्तु 16 जनवरी 2013 को सीपीडब्ल्यूडी को अनुरोध करते समय डीओई ने ऐसे संशोधन हेतु अपेक्षित आवश्यक सूचना नहीं भेजी थी। अपेक्षित ब्यौरे 19 जुलाई 2013 को डीओई द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिसके कारण लाइसेंस फीस की संशोधित दरें अधिसूचित करने में पांच माह का विलम्ब हुआ।

डीओई ने सूचित किया (मार्च 2015) कि लाइसेंस फीस संशोधन में बहु एजेंसियों से प्राप्त डाटा और बहु एजेंसियों से अपेक्षित संचार का विश्लेषण और आईएफडी तथा सचिव (यूडी) के माध्यम से माननीय यूडीएम का अनुमोदन अन्तर्गत था। इस प्रकार लाइसेंस फीस का संशोधन अधिसूचित करने में विलम्ब अर्थात् 1 जुलाई 2010 तथा 1 जुलाई 2013 से पूर्णतया अपरिहार्य प्रक्रियात्मक विलम्बों के कारण था। डीओई ने आगे सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्तियां भावी अनुपालन हेतु नोट कर ली गई थीं।

एमओयूडी ने अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा आपत्ति नोट कर ली (मार्च/अगस्त 2015)।

19.1.9.2 लाइसेंस फीस दर्ज करने की प्रणाली

लाइसेंस फीस संग्रहण की मानवीय प्रणाली जून, 1992 तक प्रचलित थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत लाइसेंस फीस अभिलेखों के अनुरक्षण का कार्य आवास के प्रकार का लिहाज किए बिना कार्यालय बार वितरित किया गया था। एक विशेष कार्यालय में कार्यरत सभी प्रकार के अधिभोक्याओं से वसूलियों की प्रविष्टि के लिए अनुरक्षित एकल लाइसेंस फीस लेजर तैयार करने का भी प्रणाली प्रावधान करती है। इस प्रणाली की 1992 में समीक्षा की गई थी क्योंकि डीओई ने महसूस किया कि प्रणाली में अन्तर्गत कार्यभार के साथ न्याय करने के लिए पर्याप्त स्टाफ संख्या की उपलब्धता अनुमानित की गई और किराया प्रभाग से 50 प्रतिशत तक अपने स्टाफ के विलोपन की समस्या का सामना किया था। डीओई द्वारा यह भी नोट किया गया था कि किराया प्रविष्टि कार्य संबंधित कर्मचारियों को आवास स्टॉक जिसे वे करने में समर्थ थे, की अपेक्षा अधिक आवास स्टॉक दिए जाने के कारण बकाया में चला गया था।

कार्य को युक्तियुक्त करने और डीओई के कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों की गति बढ़ाने के भी उद्देश्य से घरों के आवंटन और लाइसेंस फीस की वसूली जो आवंटन अनुभागों में अलग-अलग अनुभागों द्वारा किया जा रहा था, के कार्यों को 1992 में एक कर देने का निर्णय किया गया था। घरों के प्रकार के अनुसार किराया अनुभागों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार लाइसेंस फीस वसूलियों का प्रविष्टि कार्य जून 1992 से डीओई में टाइप-वार और इलाका वार वितरित किया गया था। तदनुसार लाइसेंस फीस लेजर टाइप बार तथा इलाका वार बनाए गए थे। तथापि विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे जा रहे लाइसेंस फीस वसूली अनुसूचियों के प्रपत्र टाइप वार तथा इलाका वार अपनी अनुसूचियों को सुधारने के लिए उनको डीओई निर्देशों के बावजूद अपरिवर्तित रहे। एक कार्यालय द्वारा भेजी जा रही संयुक्त लाइसेंस फीस वसूली अनुसूची की एक प्रति सभी टाइपों/संबंधित व्यक्तियों के बीच क्रमावर्तन हेतु अपर्याप्त होनी पाई गई थी। नई प्रणाली में, आवंटन अनुभाग 'माह का नकदी सार' जिसमें अवशेष, निर्धारण, वसूली तथा अन्तर्शेष शामिल होते हैं, दर्शाते हुए लेखा संकलन अनुभाग को फार्म जे भी भेजते थे।

किराया कार्य, जो जुलाई 1992 से लाई गई संशोधित प्रणाली में एक पूर्ण अपेक्षा थी, का कम्प्यूटरीकरण में 2003 तक कोई प्रमुख प्रगति नहीं हो सकी

थी। एनआईसी के सम्पूर्ण मार्गनिर्देश के साथ 2003 में जीएमएस का कार्यान्वयन कोई पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर सका था। इस रूप में, मार्च 2007 तक जुलाई 1992 से विगत लाइसेंस फीस वसूलियों के लगभग 78 प्रतिशत अभिलेख गायब रहे। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी आवास के उपभोगकर्ता शीघ्र ही कोई बकाया नहीं/कोई मांग नहीं प्रमाणपत्र जारी करने के लिए डीओई की असमर्थता के कारण भारी परेशानी में डाले गए थे।

डीओई ने बताया (सितम्बर 2014) कि किराया शाखा का कम्प्यूटरीकरण प्रक्रियाधीन था और जल्द ही पूरा हो जाएगा। डीओई ने (मार्च 2015) डीडीओ से लाइसेंस फीस की ऑनलाइन वसूली की वर्तमान स्थिति आगे सूचित की। डीओई ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि क्योंकि डाटा काफी बड़ा है इसलिए दिसम्बर 2015 तक इस लीगेसी डाटा एंट्री को पूरा करने के लिए 20 डीईओ नियुक्त किए गए हैं। डीओई ने आगे बताया कि इसके बाद भी ऐसी प्रविष्टियां होंगी जो कभी भी विभाग में प्राप्त नहीं हुई थीं और आवंटिती द्वारा अद्यतन की जानी होंगी।

19.1.9.3 जून 1992 तक की अवधि के लिए ₹2.94 करोड़ की बकाया लाइसेंस फीस

कार्यालय-वार से टाइप-वार लाइसेंस फीस वसूलियों की प्रविष्टि की प्रणाली के परिवर्तन के बाद किराया कार्ड खोले और टाइप वार/कालोनी वार छांटे और 30 जून 1992 तक संबंधित आवंटन अनुभाग को भेजे जाने थे। आवंटन अनुभाग में अनुरक्षित सम्पत्ति फोलियो से संबंधित लूज कार्ड और उनके पूर्ण व्यौरे जोड़ने और 30 जून 1992 तक बकाया प्रभारित करने, यदि पहले प्रभारित नहीं किए गए, के लिए बकाया निर्बाधन अनुभाग (एसीएस) को भेजे जाने थे।

जीएमएस के कार्यान्वयन के निर्देशन में महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर प्रगति प्राप्त करने के उद्देश्य से 2003 में यह निर्णय किया गया था कि उप निदेशक (कम्प्यूटर)/उप निदेशक (किराया) 30 जून 1992 से पूर्ण घरों का अधिभोग करने वाला आवंटितियों की सूची तैयार करेंगे और उसे जारी रखेंगे। सूची 30 जून 1992 तक ऐसे अधियोगकर्ताओं के प्रति कुल बकाया प्राप्य संगणित करने के लिए एसीएस को भेजी जानी थी ताकि उसे जीएमएस के अन्तर्गत किराया रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त किया नहीं गया था और एसीएस जून 1992 तक लाइसेंस फीस की अप्राप्त वसूलियों का परिकलन और उन्हें समायोजित कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सम्पदा निदेशक ने 23 मार्च 2007 को टिप्पणी की थी कि “63,909 घरों के हमारे कुल आवास स्टॉक में से जुलाई 1992 और आगे से विगत लाइसेंस फीस वसूलियों के लगभग 78 प्रतिशत अभिलेख गुम हैं” उन्होंने आगे टिप्पणी की “दर्ज न करने के कारण अधिभोगकर्ता आश्चर्यजनक मुसीबत में डाले गए परिणामस्वरूप कोई प्राप्य नहीं/कोई मांग नहीं प्रमाणपत्र जारी करने में जीओई असमर्थ हुआ।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि जुलाई 1992 से पूर्व की अवधि के लिए जनवरी 2013 तक ₹2.94 करोड़ की वसूली बकाया थी। आगे, यह देखा जाता है कि एसीएस ने जनवरी 2013 के बाद लेखा संकलन अनुभाग को फार्म जे नहीं भेजा है और इसलिए बकाया राशि उसके बाद संकलित फार्म जे में दर्शाई नहीं गई थी। आगे, यह देखा जाता है कि लेखा संकलन अनुभाग द्वारा तैयार संकलित फार्म जे केवल दिसम्बर 2009 तक प्राधिकृत था यद्यपि उसे उसके बाद भी तैयार किया गया प्रतीत हुआ।

एमओयूडी/डीओई ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014 तथा मार्च 2015) कि 30 जून 1992 को प्राप्यों के अभिलेख एसीएस अनुभागों में उपलब्ध थे जो जीएएमएस में लिए जा रहे थे। एमओयूडी/डीओई ने लाइसेंस फीस संग्रहण की वर्तमान प्रक्रिया, डीडीओ द्वारा किए एक ऑनलाइन प्रेषण, किराया वसूली प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए डीओई द्वारा उठाए गए कदम और अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए किराया वसूली कक्ष द्वारा किए गए प्रयास सूचित किए (अगस्त 2015)। डीओई ने यह भी सूचित किया कि विभाग इन लाइसेंस फीस वसूली अनुसूचियों को अद्यतन करने के लिए अपना सर्वोत्तम स्तर लगा रहा था परन्तु डाटा काफी विशाल था (किसी विशेष समय पर 60,000 आवंटिती और गत 30 वर्षों से उनकी कटौती अनुसूची-18 लाख प्रविष्टियां)।

एमओयूडी/डीओई का उत्तर जून 1992 तक की अवधि की लाइसेंस फीस की वसूली की वर्तमान स्थिति नहीं दर्शाता है। कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र (एनडीसी) जारी करने के समय पर प्राप्यों की वसूली का परिणाम न केवल

सरकारी राजस्व की वसूली में परिहार्य विलम्ब हुआ बल्कि एनडीसी हेतु आवेदन करने वाला सेवानिवृत्त कार्मिकों को परेशान करने का भी अवसर छोड़ देता है।

डीओई कार्य की प्रगति की गहनता से निगरानी करे और सुनिश्चित करें कि लाइसेंस फीस वसूलियों के अभिलेखों की प्रविष्टि सामायिकता के अन्दर पूरी की जाती है।

19.1.9.4 विभिन्न प्रकार के आवास के संबंध में ₹10.19 करोड़ की बकाया फीस की वसूली

भिन्न प्रकार के आवास से संबंधित विभिन्न अनुभागों द्वारा प्रस्तुत फार्म जे से लेखापरीक्षा ने देखा कि दिसम्बर 2012 तक संसद सदस्यों (एमपी)/भूतपूर्व एमपी के प्रति ₹5.36 करोड़ की राशि बकाया थी और मार्च 2013 तक टाइप 5 तथा उच्च घर के आवंटितियों के प्रति ₹3.77 करोड़ की राशि बकाया थी जबकि ₹1.06 करोड़ की राशि हास्टल तथा टाइप 4 स्पेशल के संबंध में बकाया थी (जनवरी 2012 तक)। बकाया लाइसेंस फीस की स्थिति निश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि परवर्ती वसूलियां और किराए की नवीनतम बकाया वसूली दर्शने वाला फार्म जे लेखा संकलन अनुभाग में संकलित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान डीओई से काल-वार व्यौरे के साथ लाइसेंस फीस के निर्धारण, उसकी वसूली तथा बकाया लाइसेंस फीस के संबंध में तीन महीने (अप्रैल 2012, दिसम्बर 2012 तथा मार्च 2015) की फाइलें/अभिलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि कुल बकाया लाइसेंस फीस का काल-वार विवरण लेखापरीक्षा को भेजा नहीं गया था।

डीओई ने सूचित किया (मार्च 2015) कि 01 जुलाई 1992 से किराया अनुभागों के विलयन के बाद मानवीय प्रणाली में दोषियों का डाटा ढूँढ़ना सम्भव नहीं था। ऐसी स्थिति में दोषी/आवंटितियों के स्थानान्तरण के व्यौरे सूचित करने के लिए सभी डीडीओ को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि डीओई ऐसे मामलों में आगे आवश्यक कारवाई कर सके। एमओयूडी/डीओई ने आगे लाइसेंस फीस संग्रहण की प्रक्रिया, डीडीओ द्वारा किराए का ऑनलाइन प्रेषण, किराया वसूली प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए डीओई द्वारा उठाए गए कदम, किराया वसूली/अभिलेखों को अद्यतन करने में सामना की जा रही कठिनाइयां और

अभिलेखों को अद्यवारा करने के लिए किराया वसूली कक्ष द्वारा किए गए प्रयास सूचित किए (अगस्त 2015)।

एमओयूडी/डीओई ने लेखापरीक्षा द्वारा यथा उल्लिखित विभिन्न प्रकार के आवास के संबंध में बकाया प्राप्यों तथा वसूलियों, यदि कोई हों, की वर्तमान स्थिति नहीं भेजी है।

19.1.9.5 अदेयता प्रमाण पत्र (एनडीसी)

सरकारी आवास आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम 1963 के एसआर-317-ख-13 के अनुसार “अधिकारी, जिसको आवास आवंटित किया गया है, व्यक्तिगत रूप से लाइसेंस फीस के लिए और उसको हुई उचित टूट फूट से अधिक किसी क्षति अथवा फर्नीचर, फिक्चर अथवा फिटिंग्स अथवा अवधि, जिसके लिए आवास उसको आवंटित हुआ है अथवा रहा है, के दौरान सरकार द्वारा उनमें दी गई सेवाएं अथवा जहाँ आवंटन इन नियमों के किसी प्रावधान के अन्तर्गत रद्द किया गया है जब तक उससे सम्बद्ध आउट हाउस के साथ आवास खाली नहीं किया गया है और उसका पूर्ण खाली अधिकार सरकार को नहीं दिया गया है, के लिए दायी होगा।” नियम वेतन तथा भत्तों से अथवा सेवानिवृत्त उपदान से सरकारी प्राप्यों की वसूली और डीओई द्वारा इस संबंध में लिखित सूचना के अध्यधीन सेवानिवृत्त उपदान के 10 प्रतिशत तक रोकने का भी प्रावधान करते हैं। जैसा पूर्ण पैराग्राफों में, बताया गया डीओई लाइसेंस फीस की वसूली के उचित अभिलेख बनाने में समर्थ नहीं हुआ है। यह एनडीसी प्राप्त करने में आवंटितियों के लिए बड़ी रुकावट हुई है। अनुभाग में एनडीसी जारी करने के अनुरोध की प्राप्ति पर किराया अनुभाग देय लाइसेंस फीस और आवंटिती द्वारा अन्तिम अधिकृत घर के प्रति वसूल की गई राशि संगणित करता है और अन्य प्रकार के घर जो उसकी सेवा अवधि के दौरान आवंटिती के अधिकार में था, के सम्बन्धित किराया अनुभाग से निर्बाधन प्राप्त करने के लिए आवंटिती को हाफ मार्जिन भी सौंपता है। लाइसेंस फीस के प्राप्यों और वसूली गई राशि के बीच अन्तर बैंक चालान के माध्यम से आवंटिती से वसूल किया जाता है। पहले ही की गई वसूली परन्तु डीओई के अभिलेखों में गुम के मामले में आवंटिती को सम्बन्धित डीडीओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ता है। अन्यथा उसे बकाया देयों को जमा करने की आवश्यकता है ताकि एनडीसी जारी की जा सके।

सिटीजन चार्टर के अनुसार डीओई ने वचन दिया कि कब्जे की तारीख से खाली करने की तारीख तक उसके द्वारा प्रदत्त लाइसेंस फीस के बारे में डीडीओ से प्रमाणपत्रों द्वारा संलग्न अपने आवेदन के एक माह के अन्दर सभी आवंटितियों जो सरकारी आवास खाली करते हैं, को अनापत्ति प्रमाण पत्र (जिसका अर्थ एनडीसी) दिया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान एनडीसी जारी करने के 99 मामलों, जिनकी फाइलें डीओई द्वारा भेजी गई थीं, की नमूना जांच की गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा अनुकूलितियाँ निम्नवत हैं:

- एनडीसी का फार्म सेवानिवृत्ति की प्रत्याक्षित तारीख से दो वर्ष पूर्व डीओई को प्रस्तुत किया जाय। तथापि यह देखा गया था कि प्रतिबन्ध शर्त आवंटितियों को प्रचारित नहीं की गई थी और परिणामस्वरूप आवंटिती सामान्यतया सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद आवेदन करते हैं।
- एनडीसी के अनुरोध की प्राप्त की तारीख नमूना जांचित 99 मामलों में से 81 के संबंध में डीओई के अभिलेखों में दर्ज नहीं पाई गई थी। प्राप्ति की तारीख के अभाव में सिटिजन चार्टर में आश्वासन का अनुपालन लागू नहीं किया जा सकता है।
- 4 मामलों में एक वर्ष से अधिक समय लेने के साथ 99 मामलों में से केवल 34 मामलों में एनडीसी एक माह के अन्दर जारी की गई थी।

डीओई ने बताया (मार्च/अगस्त 2015) कि अब आवेदन फार्म की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा रहा है और कोई मांग नहीं प्रमाणपत्र शीघ्र ही कम्प्यूटर उत्पादित कार्यक्रम के माध्यम से जारी किया जाएगा। इस निदेशालय की वेबसाइट के स्क्रीन पर अन्तिम देय स्थिति डाली गई है और अपना पासवर्ड लॉग-इन करने के बाद आवंटितियों द्वारा इसे देखा जाय। डीओई ने आगे बताया कि मामलावार उत्तर लेखापरीक्षा से फाइलों की प्राप्ति के बाद दिया जाएगा।

अपने उत्तर में डीओई द्वारा संदर्भित फाइलें मार्च/अप्रैल 2015 में डीओई को पहले ही वापस की जा चुकी थीं। तथापि डीओई से मामला-वार उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2015)। डीओई ने अभिलेखों के अपूर्ण अनुरक्षण और एनडीसी जारी करने में विलम्ब, जैसी लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई, पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

अनुशंसा सं. 2: यह सुनिश्चित करने के लिए डीओई कदम उठाए कि अदेयता प्रमाणपत्र सिटीजन चार्टर में किए गए प्रावधान के अनुसार एक माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं।

19.1.10 उप किराएदारी

आवास नियमों (एसआर 317-ख-20) के अनुसार, कोई अधिकारी आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवास के आवंटन हेतु पात्र केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर उसको आवंटित आवास अथवा किसी आउट-हाउस, गैराज तथा उससे सम्बद्ध गौशाला को शेयर नहीं करेगा। नौकर मकान, आउट-हाउस, गैराज तथा गौशाला आवंटिती के नौकरों के आवास सहित केवल वास्तविक प्रयोजन अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों जो सम्पदा निदेशक द्वारा अनुमत किए जाये हेतु उपयोग किए जाये। कोई भी अधिकारी अपने पूर्ण आवास को किराए पर नहीं देगा।

यदि किसी आवंटिती के विरुद्ध उपकिराएदारी आरोप सिद्ध हो जाता है तब डीओई के निर्णायक प्रधिकारी को या तो मौन सहमत अधिकारियों का आवंटन रद्द करने अथवा भावी आवंटन से उसे बाहर करने अथवा साथ-साथ दोनों शास्त्रियां लगाने की शक्ति है। मौन सहमत कर्मचारी दिसम्बर 1997 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.जा. के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी हैं। डीओई सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को आवंटन नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी के विरुद्ध उपकिराएदारी के मामले और की गई कार्रवाई के ब्यौरे सूचित करता है और सम्बन्धित अनुशासन अधिकारी मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकारी कर्मचारियों के अशोभनीय आचरण के आधार पर उचित शास्त्रिय लगाने के लिए अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा उपकिराएदारी के मामले में कर्मचारी पर आवंटन के रद्दीकरण की तारीख से क्षतिपूर्ति भी प्रभारित की जाती है।

डीओई ने बताया कि उपकिराएदारी से निपटने के लिए निरीक्षण करने के लिए निर्धारित अवधि के लिए सहायक निदेशक की श्रेणी के अधिकारियों के नामांकन की प्रथा रही है, निरीक्षत किए जाने वाले मकानों का कथित उपकिराएदारी शिकायतों के आधार पर चयन किया गया था और निरीक्षण करने के लिए नामित अधिकारियों को सौंपे गए थे। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि

उपकिराएदारी खोजने के लिए निरीक्षण निवारक साधन नहीं थे परन्तु डीओई में प्राप्त उपकिराएदारी शिकायतों पर आधारित थे।

डीओई द्वारा आगे यह बताया गया था कि सहायक निदेशक केवल छह्यों और कार्यालय समय के पूर्व अथवा बाद में निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किए गए थे जिसके कारण अनेक परेशानियां हुईं। यह आगे बताया गया कि डीओई को नामित अधिकारियों के विरुद्ध कथित कदाचार की शिकायतों मिल रही थीं। इसके मद्देनजर, सचिव (यूडी) के अनुमोदन से निरीक्षण का कार्य मार्च 2010 से खुली निविदा के माध्यम से मै. ईंगल विजन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया था।

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान निरीक्षित 5696 घरों में से केवल 2,361 मामलों में कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसमें से 940 घरों के संबंध में आवंटन रद्द किया गया था और 324 आवंटिती आगे आवंटन से रोके गए थे।

अपने उत्तर (मार्च 2015) में डीओई ने सूचित किया कि उपकिराएदारी निरीक्षणों की आउटसोर्सिंग वित्त वर्ष 2013-14 से बन्द कर दी गई थी। वर्तमान में उपकिराएदारी निरीक्षण डीओई के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए जा रहे थे। क्योंकि इस कार्य हेतु कोई स्टाफ उद्दिष्ट नहीं किया गया है इसलिए निरीक्षण निवारक नहीं हैं परन्तु प्राप्त शिकायतों पर आधारित हैं। डीओई ने यह भी सूचित किया कि निर्बाधन प्रमाण पत्र/अन्तिम अदेयताप्रमाण पत्र जारी करने के समय पर क्षतिपूर्ति किराया प्रभारित किया गया था।

एमओयूडी/डीओई ने आगे उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि वर्ष 2014 के दौरान कथित उपकिराएदारी की शिकायतों की प्राप्ति पर 477 घरों का निरीक्षण किया गया था। 173 मामलों में आवंटन रद्द किया गया था और 89 मामलों में, आवंटिती भावी आवंटन से रोके गए थे। 50 मामलों में सुनवाई के बाद उप किराएदारी आरोप समाप्त किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों का निष्कासन) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्राधिकृत दखलदारों के विरुद्ध सम्पदा अधिकारी के समक्ष सम्पदा निदेशालय द्वारा 1905 निष्कासन मामले दायर किए गए थे। 1131 मामलों में, निष्कासन आदेश पारित किया गया था। 834 मामलों में, एविकशन स्क्वाड द्वारा क्वार्टर बेदखल/खाली कराए गए हैं।

एमओयूडी/डीओई का उत्तर आवंटितियों के क्षतिपूर्तियों की राशि की वसूली के बारे में मौन है। उत्तर यह भी नहीं दर्शाता है कि क्या दोषी कर्मचारियों के डीडीओ एचआरए का भुगतान न होने के संबंध में सूचित किए गए थे।

19.1.10.1 अप्राधिकृत निर्माण/गैरकानूनी उपयोग

डीओई सरकारी सम्पदाओं के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। एसआर 317-ख-21 के अनुसार यदि कोई अधिकारी, जिसको एक आवास आवंटित किया गया है, आवास को अप्राधिकृत रूप से उपकिराए पर देता है अथवा ऐसी दर जिसे डीओई अत्यधिक मानता है, भागीदार से प्रभारित (लाइसेंस फीस) करता है, अथवा आवास के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत ढांचा खड़ा करता है अथवा आवास अथवा उसके किसी भाग का जिसके लिए यह है, के अतिरिक्त प्रयोजन हेतु उपयोग करता है अथवा किसी प्रयोजन जिसे सम्पदा निदेशक अनुचित होना मानता है, के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों को सम्पदा निदेशक किसी अन्य प्रशासनिक कार्रवाई, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, के पूर्वाग्रह बिना आवास का आवंटन रद्द कर सकता है।

सीपीडब्ल्यूडी किसी विशेष आवासीय घर/दुकान से संलग्न लॉन/स्थान के अतिरिक्त डीओई द्वारा आवंटित आवासीय घर/दुकान के अन्दर अप्राधिकृत निर्माण को खोजने, सूचित करने तथा हटाने के लिए उत्तरदायी है। सीपीडब्ल्यूडी को डीओई को रिपोर्ट भेजना भी अपेक्षित है यदि निर्माण कार्यकलाप डीओई द्वारा आवंटित परिसरों के अन्दर अथवा उनके द्वारा आवंटित परिसरों के सम्बद्ध क्षेत्रों में है। डीओई उसके द्वारा आवंटित परिसरों के अन्दर अप्राधिकृत अतिक्रमण की ऐसी सूचना प्राप्त होने पर आवंटन रद्द करता है और आवंटिती को बेदखल करने की कार्रवाई करता है। इसके अलावा यदि अप्राधिकृत निर्माण/अतिक्रमण अतिक्रमणकर्ता द्वारा बन्द/हटाया नहीं जाता है तो सम्पदा अधिकारी सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों का निष्कासन) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत उसको एक नोटिस जारी करता है। साथ ही दोषी/अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दायर की जाये।

तथापि, अपने उत्तर में डीओई ने सूचित किया (मार्च 2015) कि वे सीपीडब्ल्यूडी से सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर अप्राधिकृत निर्माण हटाने के लिए आवंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। यह भी बताया गया था कि वे घर का आवंटन रद्द करते हैं यदि आवंटिती द्वारा

निर्माण हटाया नहीं जाता है। तथापि, डीओई ने आगे बताया कि अप्राधिकृत निर्माण के काफी कम मामले अपनी ओर से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सूचित किए गए हैं। डीओई ने अपने आगे के उत्तर (अगस्त 2015) में अप्राधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के संबंध में अधिकारियों के उत्तरदायित्वों को दोहराया। तथापि, उत्तर में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा डीओई की जानकारी में लाए गए अप्राधिकृत निर्माण/गैर कानूनी उपयोग के मामलों के ब्यौरे नहीं दर्शाए गए।

लेखापरीक्षा की मांग की प्रतिक्रिया में डीओई ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि अप्राधिकृत निर्माण हटाने के लिए उनको निर्देश देते हुए आवंटितियों को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी नोटिसों की प्रतियां उन्हें प्राप्त नहीं भी हुई थीं परन्तु 2008 से 2014 तक प्राप्त ऐसी रिपोर्टों की संख्या प्रस्तुत नहीं की गई थी जैसी मांगी गई थी। डीओई ने 40 आवंटितियों को जारी नोटिस संलग्न किए थे जिनकी संवीक्षा से पता चला कि सीपीडब्ल्यूडी ने सूचित किया था कि कुछ आवंटितियों ने नोटिस अवधि के बाद अप्राधिकृत निर्माण हटाया नहीं था और आगे कार्यवाई करने के लिए डीओई से अनुरोध किया था। यह देखा गया था कि एक मामले में फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए थे।

बाद में अक्टूबर/नवम्बर 2015 में लेखापरीक्षा को भेजे गए अभिलेखों से यह देखा गया था कि जून 2015 में, सहायक अभियन्ता ने डीओई को प्रति के साथ कार्यकारी अभियन्ता, क्यू मण्डल सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया कि मोती बाग सेवा केन्द्र (318) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 560 मामलों (पूर्ण ब्यौरे देते हुए) में अप्राधिकृत निर्माण हुए थे, परिणामस्वरूप अनेक समस्याएं हुईं जैसे अवरुद्ध सीवर लाइन खोलने में कठिनाई, जल आपूर्ति से सम्बन्धित शिकायतों का निवारण, सीढ़ी का उपयोग की अपेक्षा वाले उच्च तलों में मरम्मत कार्य करने में कठिनाई, बरसाती जल पाइपें खोलने में समस्याएं आदि। उत्तर में, डीओई ने का.जा. दिनांक 26 अप्रैल 2005 के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी अभियन्ता, क्यू मण्डल, सीपीडब्ल्यूडी को जुलाई 2015 में अनुरोध किया। उत्तर में कार्यकारी अभियन्ता ने डीओई को सूचित किया (जुलाई 2015) कि कथित का.जा. के पैराग्राफ 4 के अनुसार क्योंकि अप्राधिकृत निर्माण आवासीय क्वार्टर के अन्दर था इसलिए सीपीडब्ल्यूडी ने सूचित कर दिया था और डीओई से आबंटन रद्द करने और निष्कासन से संबंधित कार्रवाई की प्रत्याशा की गई थी। तथापि, डीओई ने अप्रैल 2005 के उपर्युक्त का.जा. का संदर्भ देते हुए 27 जुलाई 2015 को सीपीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियन्ता को

सूचित किया कि संबंधित कार्यकारी अभियन्ता सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के प्रयोजनों हेतु सम्पदा अधिकारियों³ के रूप में नियुक्त तथा अधिसूचित किए गए थे और ऐसे अप्राधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाने के उत्तरदायित्व सीपीडब्ल्यूडी में निहित होगा। डीओई ने, एसई को आगे सूचित किया कि आबंटिती द्वारा सहयोग न करने अथवा अन्य कारकों के कारण अप्राधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाने में सीपीडब्ल्यूडी के असमर्थ होने के बाद डीओई द्वारा रद्दगीकरण/निष्कासन कार्रवाइयां की जाएगी। उस रूप में यह सूचित किया गया था कि डीओई केवल उन मामलों में रद्दगीकरण/निष्कासन कार्रवाइयों पर विचार करेगा जहाँ अप्राधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम स्पष्टतया दर्शाते हुए सीपीडब्ल्यूडी की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

उपर्युक्त तथ्य दर्शाते हैं कि जबकि सीपीडब्ल्यूडी ने अप्राधिकृत निर्माण के संबंध में खोज की और डीओई को सूचित किया परन्तु उन्होंने इन्हें हटाने के लिए कुछ नहीं किया था जबकि डीओई ने आबंटन रद्द अथवा दोषियों को बेदखल नहीं किया था। अपने उत्तरदायित्वों पर निर्णय करने के लिए डीओई तथा सीपीडब्ल्यूडी ने आपस में पत्र व्यवहार किया।

19.1.10.2 अप्राधिकृत दखलदारों के विरुद्ध दायर निष्कासन मामलों का बढ़ता लम्बन

आबंटिती सरकारी आवास के अप्राधिकृत अधिकार के मामले में डीओई सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत निष्कासन और किराए अथवा क्षतिपूर्तियों की वसूली जैसा भी मामला हो, के लिए भी कार्रवाइयां आरम्भ करने की कार्रवाई करता है। अप्राधिकृत दखलदारों के निष्कासन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए डीओई में अलग ‘मुकदमा अनुभाग’ है। 2007-08 से 2014-15 तक के वर्षों के लिए एमओयूडी की वार्षिक रिपोर्टों से निष्कासन मामलों के लम्बन में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है जैसा नीचे दर्शाया गया है:

³ “सम्पदा अधिकारी” से आशय सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी।

तालिका 6 : संपदा अधिकारियों के समक्ष अप्राधिकृत निवासियों के प्रति दर्ज निष्कासन के मामले, निपटारा किए गए मामले और लंबिता

| क्र.सं. | वर्ष | अप्राधिकृत निवासियों के विरुद्ध दर्ज मामले | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले मामले | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले |
|---------|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 2007 | 1666* | 1144 | 522 |
| 2. | 2008# | 1610** | 1525 | 85 |
| 3. | 2009 | 2143*** | 1449 | 694 |
| 4. | 2010 | 915 | 624 | 291 |
| 5. | 2011 | 903 | 464 | 439 |
| 6. | 2012 | 1258 | 931 | 327 |
| 7. | 2013## | 1496 | 374^ | 1122 |
| 8. | 2014### | 1905 | 1638> | 267 |
| | | 11896 | 8149 | |

टिप्पणियां: * शेष बकाया/क्षतियों की वसूली के 212 मामलों सहित

** शेष बकाया/क्षतियों की वसूली के 134 मामलों सहित

जनवरी 2008 से मार्च 2009 की अवधि के लिए

*** बकाया शेष/क्षतियों की वसूली के 171 मामलों सहित

2013-14 की अवधि (31/03/2014 तक) के लिए

वर्ष 2014-15 के लिए

^ 374 मामलों में, निष्कासन आदेश पारित कर दिए गए थे। परिसर से निष्कासन/खाली करवाने के माध्यम से 243 मामलों का निपटारा किया गया था।

> निष्कासन आदेश को पारित करने से पूर्व बंद किए गए 507 मामले शामिल हैं।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि हर वर्ष दर्ज मामलों की संख्या से निपटान किए गए मामलों की संख्या कम रही थी। निष्कासन में लंबिता के कारणवश अयोग्य व्यक्तियों द्वारा मकानों में निरंतर निवास रहता है जिसके कारण योग्य आवेदनकर्ताओं के लिए मकानों की कमी हो जाती है।

डी.ओ.ई. ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2015) कि संपदा अधिकारियों द्वारा निष्कासन के मामले सुने जा रहे थे। संपदा अधिकारियों के पद, विधि मंत्रालय के कैडर के अंतर्गत थे जहां डी.ओ.ई. के पास ए पी ए आर या अवकाश संस्वीकृति के माध्यम से इन अधिकारियों के निष्पादन का ऑक्लन करने का कोई अधिकार नहीं था। श.वि.मं./डी.ओ.ई. ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि आबंटन नियमावली के प्रावधानों को किराए पर दिए जाने के संकट का निपटान करने के लिए अधिक सख्त बना दिया गया है ताकि उपकिराए के साबित हुए

मामलों में प्रावधान किया गया है कि आवंटिती को उसकी सेवा की शेष अवधि के लिए आबंटन हेतु वर्जित कर दिया जाएगा। आवंटिती पर क्षतियां (बाजार दर पर किराया) प्रभारित की जाएंगी। संबंधित विभाग/मंत्रालय द्वारा प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत आवंटिती के प्रति प्रमुख जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को शुरू किया जाएगा।

लेखापरीक्षा की वृष्टि में उत्तर में दर्शाई गई आबंटन नियमावली में प्रावधान बहुत समय से प्रचालित है। डी.ओ.ई. को मकानों के अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिए नियमों का सख्त कार्यान्वयन लागू करना चाहिए।

19.1.11 गैर-रिहायशी आवास

19.1.11.1 दिल्ली में मांग एवं उपलब्धता

डी.ओ.ई. द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को कार्यालय की जगह प्रदान की जाती है कार्यालय की जगह की कमी 21-92 लाख वर्ग फुट (जुलाई 2013) से बढ़कर 23.81 लाख वर्ग फुट तक हो गई थी (मार्च 2015)। डी.ओ.ई. खुले बाजार से कार्यालय आवास को किराए पर देने को सुगम बनाकर विभिन्न सरकारी विभागों को “अनुलब्धता प्रमाणपत्र (एन ए सी)” जारी करता है डी.ओ.ई. द्वारा प्रस्तुतीकरण (जुलाई 2013) में यह बताया गया था कि 2012-13 के दौरान कार्यालय की जगह के 2.30 लाख वर्ग फुट को किराए पर लेने के लिए 13 कार्यालयों को एन.ए.सी. जारी किया गया है और कार्यालय आवास की कमी के कारण भारत सरकार कार्यालय स्थल किराए के लिए ₹19 करोड़ की राशि (लगभग) वार्षिक भुगतान कर रही है। एम.ओ.यू.डी. ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि वह सी पी डब्ल्यू डी के साथ लगातार संपर्क में रही और सी पी डब्ल्यू डी की स्थायी समिति में कार्यालय स्थल की कमी के मामले उठाए गए थे जिसका डी.ओ.ई. भी सदस्य है।

एम.ओ.यू.डी./डी.ओ.ई. ने स्थायी समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की थीं। डी.ओ.ई. ने कमी से उभरने के लिए, लिए गए कदमों की ओर इशारा नहीं किया था।

19.1.11.2 क्षेत्रीय स्टेशनों पर सामान्य पूल कार्यालय आवास की मांग एवं उपलब्धता

लेखापरीक्षा ने पाया जून 2014 और सितम्बर/अक्टूबर 2014 में लेखापरीक्षा को प्रदान की गई श.वि.म. की वार्षिक रिपोर्ट (31 दिसम्बर 2012) में प्रदत्त डाटा की तुलना करते हुए क्षेत्रीय स्टेशनों पर सामान्य पूल कार्यालय आवास (जी.पी.ओ.ए.) की मांग एवं उपलब्धता के आंकड़ों में विसंगतियाँ पाई गई थीं, डी.ओ.ई. ने उत्तर दिया (सितम्बर/अक्टूबर 2014) कि कुछ कार्यालयों ने खाली स्थान को उपलब्धता के रूप में प्रस्तुत किया था जबकि कुछ ने उपलब्धता के रूप में जी.पी.ओ.ए. की संपूर्ण जगह को उपलब्धता के रूप में दर्शाया था, कुछ मामलों में निर्मित/चबूतरा क्षेत्र शामिल था तथा कुछ मामलों में टंकण की त्रुटियाँ भी हुई थीं। अपने उत्तर में (मार्च 2015) डी.ओ.ई. ने बताया कि कार्यालय की जगह की मांग क्रमशः नई मांग और रिक्त कार्यालय स्थान के आबंटन की प्राप्ति के पश्चात् बढ़ती और घटती हैं। उसी प्रकार, कार्यालय की जगह के परित्याग एवं अतिग्रहण/आबंटन के पश्चात् कार्यालय की जगह के लिए आबंटन क्रमशः बढ़ता और घटता है।

19.1.12 अयोग्य कार्यालयों को कार्यालय की जगह का आबंटन और उसके प्रति शेष लाइसेंस शुल्क

लेखापरीक्षा को प्रदत्त फाइलों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि डी.ओ.ई. ने अयोग्य कार्यालयों को कार्यालय की जगह आबंटित की थी। कुछ मामले नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

19.1.12.1 शहरी परिवहन संस्थान (आई.यू.टी.)

आई.यू.टी., संस्था पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक लाभ न बनाने वाले संगठन को आई.यू.टी. के उपयोग के लिए उप-सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के निर्णय पर 28 मार्च 2001 से प्रभावी ₹81,107 प्रतिमाह की बाजार दर पर 1,259 वर्ग फुट आबंटित किया गया था। आई.यू.टी. ने 30 जून 2005 तक कोई भुगतान नहीं किया था। डी.ओ.ई. ने 1 जुलाई 2005 से आई.यू.टी. के नाम पर आबंटन को रद्द कर दिया था और उप-सचिव (यू.टी.), श.वि.म., को आई.यू.टी. को ₹41.47 लाख की राशि के लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह देने को कहा गया था। हालांकि, अब तक शेष राशि

का भुगतान न तो आई.यू.टी. द्वारा किया गया था और न ही एम.ओ.यू.डी. के यू.टी. विभाग द्वारा किया गया था।

डी.ओ.ई. ने बताया (मार्च 2015) कि आई.यू.टी. द्वारा ₹41.47 लाख की राशि अब तक देय थी। डी.ओ.ई. को शीघ्रातिशीघ्र बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली हेतु कदम उठाने चाहिए।

19.1.12.2 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर ट्राई को नई दिल्ली में 5,542 वर्ग फुट को कार्यालय की जगह आबंटित की गई थी। हालांकि, 10 अगस्त 2007 को ट्राई द्वारा कार्यालय का परित्याग करने तक डी.ओ.ई. द्वारा विशेष लाइसेंस शुल्क की दरें निर्धारित नहीं की गई थीं। बाद में डी.ओ.ई. ने प्रावधिक रूप से प्रति माह ₹44 प्रति वर्ग फुट की तदर्थ बाजार दर पर ₹82.53 लाख की मांग की थी। राशि अब तक लंबित थी।

डी.ओ.ई. ने बताया (मार्च 2015) कि ट्राई से ₹82.53 लाख की राशि अब तक देय थी और विशेष लाइसेंस शुल्क की दरों को निर्धारण के पश्चात् उसकी वसूली ट्राई से की जाएगी।

डी.ओ.ई. को शीघ्रातिशीघ्र ट्राई से प्रभारित किए जाने वाले विशेष लाइसेंस शुल्क को निर्धारित करना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र ट्राई से बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली करनी चाहिए।

19.1.13 कार्यालय आवास के किराए की वसूली हेतु वसूली कार्यवाही को शुरू करने में अनुचित विलंब

2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 के पैरा 15.2 में लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 1999 और मार्च 2008 के बीच ₹4.83 करोड़ के बकाया किराए और केन्द्रीय, दक्षिण एवं अन्य क्षेत्रों में 70 मामलों में से 21 मामलों में उस पर ₹0.39 करोड़ के ब्याज के संचय को डी.ओ.ई. के ध्यान में लाया गया था। अपने का.टि. में डी.ओ.ई. ने सूचित किया कि उसने 12 आवंटियों से ₹1.76 करोड़ की पूरी राशि और अन्य चार आबंटियों से ₹0.90 करोड़ की आंशिक राशि की वसूली कर ली है। चार आवंटियों के प्रति पी.पी.ई. अधिनियम के अंतर्गत किराया वसूली मामले दर्ज कर दिए गए थे। नौ आवंटियों से ₹2.17 की बकाया राशि अप्रैल 2011 तक वसूल की जानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा अनुसरण करने पर, डी.ओ.ई. ने सूचित किया (01 मई 2014) कि इन नौ आवंटिती के संबंध में ₹1.57 करोड़ (उपरोक्त संदर्भित ₹0.90 करोड़ की वसूली समेत) की संचयी वसूली प्रभावित हुई थी और छ: आबंटियों से ₹1.50 करोड़ की वसूली की जानी थी। हालांकि, डी.ओ.ई. ने केवल दो आवंटियों के संबंध में सार्वजनिक परिसर अधिनियम (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) 1971 के अंतर्गत किराया वसूली मामला दर्ज किया था जोकि मई 2014 तक संपदा अधिकारी के पास लंबित था।

डी.ओ.ई. ने अपने उत्तर में (मार्च 2015) सूचित किया कि ट्राई और आई.यू.टी. से देयता समेत ₹1.50 करोड़ की राशि देय थी।

डी.ओ.ई. को शीघ्रातिशीघ्र आवंटियों से बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

19.1.14 सरकार आवास प्रबंधन प्रणाली का विश्लेषण

सरकार आवास प्रबंधन प्रणाली (जी.ए.एम.एस) एक सरकार से कर्मचारी (जी 2 ई) ई-गवर्नेंस उपकरण है। इसे डी.ओ.ई. के पास उपलब्ध आवासीय स्टॉक इकाइयों के लिए पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित एवं प्रभावी आबंटन प्रणाली का सृजन करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। जी.ए.एम.एस. का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के निष्पक्ष और उचित आबंटन एवं आवेदनकर्ताओं की अधिकतम संतुष्टि को सुनिश्चित करना था।

जी.ए.एम.एस. का विकास 2001 में संस्थापित किया गया था। इसका प्रयास था कि आबंटिती द्वारा आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने से लेकर रिहायशी इकाई का परित्याग करने तक की गतिविधियों को स्वचालित कर दिया जाए। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। इस प्रणाली की शुरूआत मई 2003 में की गई थी। यह कार्यक्रम दिल्ली और डी.ओ.ई. के 8 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों, नामतः, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, शिमला एवं चंडीगढ़ में चल रहा है।

रिहायशी सरकारी आवास से संबंधित सभी प्रकार के आबंटन, स्वीकृति, अवधारण, नियमतीकरण, रद्दीकरण, उपकिराएदारी, पूछताछ आदि हेतु पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को प्रणाली के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत किया गया था।

जी.ए.एम.एस के अंतर्गत, मकानों के विभिन्न प्रकारों के लिए मई 2010 से आबंटन की स्वचालित प्रणाली (ए.एस.ए) को उत्तरोत्तर शुरू की थी। डी.ओ.ई. के आंतरिक कार्य, डी.डी.ओ. के लिए ऑनलाइन लाइसेंस शुल्क की प्रविष्टि करने के लिए www.eawas.nic.in पोर्टल को विकसित किया गया था और ऑनलाइन अंतिग्रहण रिपोर्टिंग हेतु www.cpwdsewa.nic.in के साथ जोड़ दिया गया था। डी.ओ.ई. के अधिकारियों को भी www.eawas.nic.in, में आवंटनों, रिक्त स्थिति, किराया वसूली, मुकदमा, उपकिराएदारी मामलों आदि की मॉनीटरिंग हेतु उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया गया है डी.ओ.ई. की वेबसाइट www.estates.nic.in पर आवेदनकर्ताओं/आवंटियों एवं जनता द्वारा पारस्परिक बातचीत हेतु और उन्हें सूचना प्रदान करने के लिए सूचना दी गई है।

19.1.15 डी.ओ.ई. और सी.पी.डब्ल्यू.डी डाटाबेसों को न जोड़ना

10 अगस्त 2011 को डी.ओ.ई. द्वारा प्रस्तुत ई-गवर्नेंस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अपने आवेदन पत्र में, डी.ओ.ई. ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक मकान को मकान पहचान संख्या (एच.आई.डी.) प्रदान किया गया था जिसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ जोड़ा गया है। उसने आगे यह बताया कि जैसे ही निवासी मकान का परित्याग करता है, सी.पी.डब्ल्यू.डी पूछताछ में ऑपरेटर आवंटिती के विवरणों को पुनः प्राप्त करने के लिए एच.आई.डी. डालता है और वास्तविक समय आधार पर जी.ए.एम.एस. पर रिक्ति आ जाती है। सूचना सुविधा केन्द्र (आई.एफ.सी.) में डी.ओ.ई. स्टाफ सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सृजित रिक्ति का मिलान करता है जोकि यदि मेल खाती हो तो संबंधित प्रकार के रिक्ति रजिस्टर में जाती है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने आई.एफ.सी. में हाथ से बनी रिक्ति रिपोर्ट पायी। इसलिए, हाथ से बनी रिपोर्ट से संबंधित अभिलेख डी.ओ.ई. से मांगे गए थे। मांग के उत्तर में, डी.ओ.ई. ने हाथ से बनी रिक्ति रिपोर्ट के दो फोल्डर प्रदान किए थे। हाथ से बनी रिक्ति रिपोर्ट की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 52 मामलों में, मकान संख्या और एच.आई.डी. आपस में जुड़े हुए नहीं थे।

यह आगे देखा गया था कि जी.ए.एम.एस. में उनकी प्रविष्टि से पूर्व आई.एफ.सी. में हाथ से बनी रिक्ति रिपोर्ट की प्राप्ति का कोई रिकार्ड नहीं था। चूंकि हाथ से बनी रिक्ति रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को रिकार्ड नहीं किया

जा रहा है, जी.ए.एम.एस. डाटाबेस में अद्यतित किए बिना खाली मकानों को खाली रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, खाली मकानों का रिकॉर्ड न रखे जाने के कारण खाली मकानों के गलत उपयोग/अनधिकृत उपयोग हेतु गुंजाइश बनी है और अयोग्य लोगों को इन खाली मकानों के आबंटन की भी संभावना बनती है।

डी.ओ.ई. ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2014 एवं जनवरी/मार्च 2015) कि वह सी.पी.डब्ल्यू.डी. मकान आई.डी. के साथ जी.पी.आर.ए. के लापता एच.आई.डी. जोड़ने की प्रक्रिया में थे तथा सभी सी.पी.डब्ल्यू.डी. केन्द्रों द्वारा रिक्तियों को सूचित करने पर विलम्ब का पता लगाया जा रहा था। उसने सूचना दी कि पूर्व में विसंगतियां सी.पी.डब्ल्यू.डी. के ई-आवास और ई-सेवा सॉफ्टवेयर को न जोड़ने के कारण हुई थीं। इसे संबोधित किया गया था और दोनों को 15 सितम्बर 2014 से प्रभावी करके जोड़ दिया गया था।

अपने उत्तर में, डी.ओ.ई. ने यह सूचना नहीं दी थी कि क्या सभी रिक्ति रिपोर्ट वास्तविक समय में ऑनलाइन प्राप्त हो रही थीं और डी.ओ.ई. के लिए आवास रिपोर्ट को सी.पी.डब्ल्यू.डी. ई-सेवा प्रणाली के माध्यम से सृजित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, डी.ओ.ई. का उत्तर विशिष्ट नहीं था और उसने यह नहीं बताया था कि क्या ई-सेवा द्वारा ऑनलाइन रिक्ति की रिपोर्टिंग के संपूर्ण स्वचालन हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा दिए गए मकान संख्या के साथ सभी डी.ओ.ई. एच.आई.डी. को जोड़ा गया है।

इस बात की जांच करने के लिए कि क्या सभी रिक्ति रिपोर्ट वास्तविक समय में ऑनलाइन प्राप्त कि जा रही थी और न कि हाथ से प्राप्त कि जा रही थी, लेखापरीक्षा दल ने 21 अप्रैल 2015 को डी.ओ.ई. के आई.एफ.सी. का दौरा किया था जोकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. से रिक्ति रिपोर्टों की प्राप्ति के कार्य की देखभाल करता था। ‘हाथ से बनी हुई रिक्ति दिसम्बर-2014’ के नाम वाले फोल्डर से यह देखा गया था कि रिक्ति रिपोर्टों की बड़ी संख्या कागजी प्रति में मैनुअल रूप से प्राप्त कि जा रही थी। फोल्डर में अप्रैल 2015 तक की अवधि हेतु 93 रिक्ति रिपोर्ट निहित थीं जिसे सी.पी.डब्ल्यू.डी.ई-सेवा से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रिंट की गई कागजी प्रति में प्राप्त किया गया था जिसमें डी.ओ.ई. एच.आई.डी. नहीं था जोकि यह दर्शाता था कि या तो यह सी.पी.डब्ल्यू.डी. मकान आई.डी. से जुड़ा नहीं हुआ था या डी.ओ.ई. एच.आई.डी का उपयोग नहीं

किया गया था। फोल्डर में आठ रिक्ति रिपोर्ट भी शामिल थीं जिन्हें हाथ से भरा गया था और न कि सी.पी.डब्ल्यू.डी.ई.-सेवा के माध्यम से भरा गया था। छात्रावास आवास की एक रिक्ति रिपोर्ट भी हाथ से तैयार की गई थी। जी.ए.एम.एस. में यादचिक रूप से चार मामलों को (एच.आई.डी.-305911, 324564, 324564, 275714 और 317026) चयनित किया गया था और यह देखा गया था कि मामलों के प्रति टिप्पणियां क्रमशः ‘हाथ से लिखा हुआ प्राप्त हुआ’, ‘15/01/2015 को प्राप्त’, ‘18/02/2015 को प्राप्त’ और 19/02/2015 को हाथ से लिखी हुई प्राप्त रिक्ति’ थी। हाथ से बनी हुई रिक्ति रिपोर्ट में, यह देखा गया की रिक्ति की तिथि से जी.ए.एम.एस. में रिक्ति की प्रविष्टि से 6 माह तक के विलंब थे।

चर्चा की अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य तालिका जोकि सी.पी.डब्ल्यू.डी एवं डी.ओ.ई. एच.आई.डी. के बीच की कड़ी को स्टोर करता था, सी.पी.डब्ल्यू.डी. की ई-सेवा प्रणाली का हिस्सा था। 27 अप्रैल 2015 को लेखापरीक्षा को ऐसी सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई थी जिसमें सूचित किया गया था कि इसमें एच.आई.डी. शामिल था जिसे ई-सेवा के साथ जोड़ा गया था और ऑनलाइन रिक्ति/अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने आई.एफ.सी. में 102 हाथ से लिखी हुई रिक्ति रिपोर्ट पर हाथ से लिखित नोट की गई एच.आई.डी. को खोजने का प्रयास किया और पाया कि एन.आई.सी. में तालिका में एच.आई.डी. की केवल 73 हाथ से लिखी रिक्ति रिपोर्ट पाई गई थीं। स्पष्ट रूप से, डी.ओ.ई. में आवास स्टॉक के सभी एच.आई.डी. आपस में जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, जहाँ पर एच.आई.डी. जुड़े हुए हैं, हाथ से बनी हुई रिक्ति रिपोर्ट भेजी जा रहीं हैं जोकि वास्तविक समय में नहीं थी।

अपने उत्तर में (अगस्त 2015), डी.ओ.ई. ने बताया कि श्रमिकों द्वारा खाली करवाए गए अधिकतर मकान एम बी. रोड़, सेक्टर-V के थे। डी.ओ.ई. ने आगे बताया कि ई-सेवा आवेदनपत्र मे डी.ओ.ई. मकान या गैर डी.ओ.ई. मकानों की रिक्ति रिपोर्ट तैयार करने का विकल्प है क्योंकि जी.पी.आर.ए के अलावा सी.पी.डब्ल्यू.डी. विभिन्न विभागों के मकानों की जरूरते पूरी करता है। सभी जी.पी.आर.ए. मकान आई.डी. को ई-सेवा के साथ जोड़ा गया है। संभवतः कथित सी.पी.डब्ल्यू.डी. पूछताछ (एम.बी. रोड, सेक्टर-5) गैर डी.ओ.ई. मकान के रूप में रिक्ति रिपोर्ट बना रहा था। परंतु पिछले दो माह से वह इसे केवल ऑनलाइन

बना रहे हैं और हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट की संख्या कम हुई है। डी.ओ.ई.ने आगे बताया कि मायापुरी के 139 मकान और देव नगर में 60 टाइप 2 मकान थे जिन्हे ई-सेवा से नहीं जोड़ा गया था जिन्हे अद्यतन करने के लिए फिर से भेज दिया गया है।

डी.ओ.ई. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह मकान जिनके लिए हाथ से लिखी रिक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई थीं जबकि उनके लगभग 40 प्रतिशत एम.बी.रोड़ से थीं। डी.ओ.ई. का उत्तर बाकी के मामलों की स्थिति पर चुप हैं। डी.ओ.ई. ने स्वीकार किया कि कई मकान हैं। जिन्हें अभी भी सी.पी.डब्ल्यू.डी.ई-सेवा के साथ जोड़ा जाना शेष था और बताया कि उन्हे आपस में जोड़ने पर कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, जबकि डी.ओ.ई. ने बताया कि हाथ से लिखी रिपोर्ट की संख्या कम हुई हैं, उन्होंने पिछले दो महीनों में प्राप्त हाथ से लिखी रिक्त रिपोर्ट की प्रतिशतता को नहीं दर्शाया था। इसके अतिरिक्त, इस लेखापरीक्षा टिप्पणी कि जहां पर एच.आई.डी. आपस में जुड़े हुए हैं, हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट भेजी जा रही है।

अनुशंसा सं. 3: डी.ओ.ई. एवं सी.पी.डब्ल्यू.डी. डाटाबेसों को दो प्रणालियों के बीच वास्तविक समय संचार सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आपस में जुड़े होना चाहिए।

19.1.16 तीन माह की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रतिबंधित आवेदकों के आवेदन पत्रों को स्वीकार करना

आवेदकों को आबंटन की तिथि से 8 दिनों के भीतर बोली प्रणाली में अपने विकल्प के अनुसार आबंटित मकान को स्वीकार करना होगा। स्वीकार न करने की दशा में, आवेदकों को तीन माह की अवधि के लिए आगे आबंटन से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हालांकि जनवरी 2011 से जुलाई 2014 की अवधि के दौरान डाटा विश्लेषण से पता चला कि 3296 आवेदनकर्त्ताओं, जिन्होंने आबंटन को अस्वीकार कर दिया था, उन्हे कई कारणों अर्थात् प्राथमिकता की गलत तिथि आधारित आबंटन, गलत पूल पर आधारित आबंटन, चुनाव के अनुसार आबंटन न होना, समय पर आबंटन पत्र प्राप्त न होना, आधिकृत मकान, अस्थायी मरम्मत, असुरक्षित बताया गया, बिजली देयताएं, प्रतिबंधित, तोड़ने के अंतर्गत डी.ई./ए.एस. द्वारा स्वीकृत ए.एस.ए.

मामले, ए.डी. एवं ऊपर द्वारा स्वीकृत विशेष मामले, ए.एस.ए. के माध्यम से आबंटन की अस्वीकृति के कारण 3 महीनों की समय सीमा के भीतर पुनः आवेदन करने के लिए अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा ने इसे डी.ओ.ई. के ध्यान में लाया परंतु डी.ओ.ई. ने उत्तर नहीं दिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे मकान जो अधिकृत तोड़-फोड़ हो रहे बिजली देयताएं/अस्थायी मरम्मत थी, उन्हे भी आवेदकों को बोली लगाने के लिए प्रस्तावित किया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंधित आवेदकों को मकानों का आबंटन, प्राथमिकता/गलत पूल की गलत तिथि के आधार पर आबंटन और चुनाव के अनुसार न करे गए आबंटन प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है। प्रणाली में ऐसी विसंगतियां विवेकहीन ऑपरेटरों द्वारा प्रणाली के गलत उपयोग की गुंजाइश बनाती है, आबंटन की प्रणाली में पारदर्शिता को लाने के उद्देश्य को विफल करता है।

डी.ओ.ई. ने उत्तर दिया (जनवरी 2015 और मार्च 2015) कि कुछ मामलों में जहाँ आवेदक द्वारा वास्तविक आधार जैसे उसका सरकारी दौरे पर होना, संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृति को अग्रेषित करने में विलंब, आबंटित मकान का पहले से ही अधिकृत या खतरनाक होना, पूर्व आंवटिती द्वारा बिजली पी. एन जी देयताएं, आवेदक को तीन महीनों की अवधि के पश्चात् भी बोली स्वीकृत की जा रही थी। एम.ओ.यू.डी./डी.ओ.ई. ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि कथित आबंटन खतरनाक मकान/देय बिजली आदि से संबंधित डाटा के जी.ए.एम.एस. में प्रविष्टि न होने और रिकितयों की गलत रिपोर्टिंग के कारण भी हुई थी। ई-आवास को ई-सेवा के साथ जोड़ने के कारण ऐसी विसंगतिया कम होंगी।

एम.ओ.यू.डी./डी.ओ.ई. ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया था जिनके अंतर्गत मकान पूर्व आंवटिती द्वारा बिजली भुगतान नहीं किया गया था, उन्हे आबंटित कर दिया गया था। डी.ओ.ई. ने विकल्प के अनुसार न किए गए आबंटित मकान, प्रतिबंधित आवेदकों को मकान का आबंटन, प्राथमिकता की गलत तिथि के आधार पर मकानों का आबंटन आदि कोई कारण प्रदान नहीं किए थे। इस प्रकार, विवेकहीन ऑपरेटरों द्वारा प्रणाली के गलत उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

डी.ओ.ई. को निर्धारित समयसीमाओं के भीतर ई-आवास का ई-सेवा से पूरी तरह से जोड़ने को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अधिकृत मकानों, खतरनाक मकानों आदि का आबंटन भविष्य में नहीं हो।

19.1.17 जी.ए.एम.एस. डाटाबेस में प्रस्ताव तालिका में इन्हीं प्रविष्टियों के बिना आबंटनों के लिए प्रस्ताव

जी.ए.एम.एस. में, प्रस्ताव तालिका खाली मकानों पर आधारित आबंटन हेतु प्रस्ताव तथा आबंटन को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व पंजीकृत आवंटियों की संबंधित बोली वरीयता के विवरण को रिकार्ड करती है। जनवरी 2011 से जुलाई 2014 की अवधि के लिए जी.ए.एम.एस. डाटाबेस के विश्लेषण के दौरान, आबंटन के 81 मामले नोट किए गए थे जहाँ इस प्रस्ताव को जी.ए.एम.एस. डाटाबेस में रिकार्ड नहीं किया गया था। यद्यपि, प्रस्ताव का सृजन केवल प्रक्रियात्मक है, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना मकानों के न्यायगत और निष्पक्ष आबंटन को बिगाझने में प्रणाली के विवेकहीन उपयोग की संभावना को बढ़ावा देता है।

उत्तर में, डी.ओ.ई. ने सूचित किया (मार्च 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामले आवंटिती के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर पति/पत्नी के नाम पर सरकारी आवासों के नियमितीकरण से संबंधित थे। ऐसे मामले उनके व्यक्तिगत फाइलों में मामले से मामले आधार पर निपटाए जाते थे। सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के पश्चात्, कथित नियमितीकरण हाथ से किया गया था और उसके पश्चात् के प्रणाली में रिकार्ड किए बिना किए गए थे। आगे यह बताया गया था कि प्रणाली के माध्यम से ऐसे आबंटनों को सुगम बनाने के लिए एन.आई.सी. के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था।

डी.ओ.ई. को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि मकानों के पारदर्शी, न्यायसंगत एवं निष्पक्ष आबंटन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवंटनों को प्रणाली के माध्यम से कवर किए गए हो।

19.1.18 ए.एस.ए. के अंतर्गत बोली लगाने के लिए प्रस्तुत की जा रही रिक्तियों में विसंगतियां

जनवरी 2011 से जुलाई 2014 की अवधि के लिए डाटाबेस के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि चार मामलों में, मकान पहले से ही आंवटित कर दिए गए थे

जबकि इन मकानों को बोली लगाने के लिए खुला रखा गया था और छः मामलों में, मकानों को बारी के बिना/विवेकाधीन आधार पर आबंटित किया गया था जबकि बोली लगाने के अवधि खुली थी तथा खाली मकान आबंटन हेतु चयनित होने के लिए उपलब्ध थे। ऐसे बारी के बिना बोली लगाने के लिए प्रस्तुत मकानों के आबंटन आवेदकों को चयन किए गए मकान, जोकि उपलब्ध दर्शाए गए हैं, नहीं मिलेंगे जिससे प्रणाली में आवंटियों का विश्वास कम करेगा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, डी.ओ.ई. ने सूचित (सितम्बर 2014) कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. पूछताछ द्वारा भेजी गई सभी रिक्तियां जिनके लिए डी.ओ.ई. द्वारा रिक्तियां सृजित की गई थीं उन्हे ए.एस.ए. के अंतर्गत आबंटन हेतु डी.ओ.ई. द्वारा रिक्तियां सृजित की गई थीं। कुछ मामलों में, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने उन मकानों के लिए गलती से गलत रिक्तियां भेज दी थीं जोकि पहले से अधिकृत थे। पहचान होने पर ऐसे मकान किसी को आबंटित नहीं किए गए थे। इसने आगे सूचित किया कि ए.एस.ए. के अंतर्गत आबंटन हेतु मकानों को वापसी के लिए सभी बोलीदाताओं/आवेदकों को सूचित करने के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था। डी.ओ.ई. ने तदुपरांत सूचित किया (मार्च 2015) कि पूर्व में रिक्तियों में विसंगतियां त्रुटिपूर्ण रिक्ति अद्यतन के कारण थीं। अब तक, ए.एस.ए. में बोली लगाने के लिए उपलब्ध मकान बारी से पूर्व आबंटन के लिए नहीं निकाले जाते। डी.ओ.ई. ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि एस आर 317-8-ए के अंतर्गत आबंटन तत्काल आधार पर किया जाता है, ऐसे उदाहरण होते हैं परंतु बहुत कम उपयोग किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा का यह दृष्टिकोण है कि डी.ओ.ई. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामले कदाचित भी नहीं होते क्योंकि ऐसे मामले प्रणाली में आवंटियों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाएंगे।

19.1.19 जी.ए.एम.एस. की दो तालिकाओं में उल्लिखित स्वीकार की तिथियों में विसंगति

लेखापरीक्षा ने पाया कि आबंटन के 978 मामलों में, दो संबंधित तालिकाओं अर्थात् 'ALT-TRANS' एवं 'OCCUPANT' में 'स्वीकृति की तिथियों' में अंतर था।

डी.ओ.ई. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि OCCUPANT तालिका में स्वीकृति की तिथि असंगत थी और ALT-TRANS तालिका विश्वसनीय थी।

लेखापरीक्षा का घटिकोण है कि दो विभिन्न तालिकाओं में उसी डाटा को स्टोर करना, जिसमें से एक को असंगत बताया गया है, डाटा की अनुचित मान्यता को दर्शाता है जिसके कारणवश डाटा विसंगति हुई जोकि डाटा की मान्यता एवं विश्वसनियता पर सवाल उठाता है।

डी.ओ.ई. ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि आबंटन की स्वीकृति पर, ALT-TRANS तालिका में स्वीकृति की तिथि को 'आबंटित' स्थिति से 'स्वीकृत' रूप में अद्यतित करके 'ACC-STATUS' पर स्थिति को अद्यतित करता है। चूंकि डाटाबेस विभिन्न अंतरालों पर विभिन्न प्रक्रियाओं के समावेश के साथ समयावधि के साथ बदल गया है, कुछ तालिकाओं में असंगत कॉलम थे।

डी.ओ.ई. को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि डाटा प्रविष्टि में असावधानी से हुई गलतियों के प्रतिरक्षा करने के लिए असंगत क्षेत्रों को हटाने के लिए डाटाबेस की संवीक्षा की जाती है।

19.1.20 रिक्तियों को अद्यतित करने में विलंब

प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक दिखने वाली खाली मकानों की स्थिति को श्रेणी-वार रूप से समेकित किया जाता है तथा डी.ओ.ई. को वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया जाता है। 1 जनवरी 2011 से 31 जुलाई 2014 की अवधि हेतु जी.ए.एम.एस. डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि मकान की रिक्ति को रिकार्ड करने में विलंब थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 7: जी.ए.एम.एस. मेरिक्ट रिकार्ड करने के लिए लिया गया समय और उच्चत्तर टाइप⁴ और निम्नतर टाइप⁵ के संबंध में आगामी आबंटन

| क्र. सं. | रिक्ति को रिकार्ड करने के लिए लिया गया समय | उच्चत्तर टाइप | निम्नतर टाइप |
|----------|--|------------------|------------------|
| | | मामलों की संख्या | मामलों की संख्या |
| 1. | उसी दिन | 3261 | 26040 |
| 2. | 2 दिनों के भीतर | 697 | 4038 |
| 3. | 3 और 10 दिनों के बीच | 450 | 2215 |
| 4. | 11 और 31 दिनों के बीच | 127 | 793 |
| 5. | 1 माह और 2 महीनों के बीच | 40 | 291 |
| 6. | 2 महीने और 6 महीनों के बीच | 42 | 173 |
| 7. | 6 महीने और 1 वर्ष | 18 | 57 |
| 8. | 1 वर्ष से अधिक | 12 | 51 |
| | कुल | 4647 | 33658 |

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि खाली किए गए मकानों का लगभग 4.19 प्रतिशत जी.ए.एम.एम. डाटाबेस में रिक्ति की तिथि से केवल 10 दिनों के पश्चात् रिकार्ड किया गया है। इसके अतिरिक्त, 19 मामलों में, तिथियों में कमियां जैसे रिक्ति की तिथि से पूर्व रिक्ति को रिकार्ड करने की तिथि पाई गई थी जिसके कारणवश यह निष्कर्ष निकलता है कि डाटा मान्यता मजबूत नहीं है। रिक्तियों को रिकार्ड करने में विलंब सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की उपलब्धता को प्रभावित करता है।

डी.ओ.ई. ने अपने उत्तर में सूचित किया (मार्च 2015) कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा रिक्तियां तब सूचित की जाती हैं जब आवंटिती मकान खाली करता है। उसने आगे बताया कि सभी सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा रिक्तियों की सूचना देकर विलंब का निपटान किया जा रहा था। पूर्व में सी.पी.डब्ल्यू.डी. के ई-आवास और ई-सेवा सॉफ्टवेयर को न जोड़े जाने के कारण विसंगतिया आई थीं। इसे संबोधित बताया गया था और 15 सितम्बर 2014 दोनों को जोड़ दिया गया था।

हालांकि, डी.ओ.ई. ने सूचित नहीं किया था कि सभी रिक्तिकरण रिपोर्ट वास्तविक समय में ऑनलाइन प्राप्त हो रहीं थीं तथा 'डी.ओ.ई. के लिए

⁴ टाइप 4-एस, 5ए, 5बी, 6ए, 6बी, 7 तथा 8

⁵ टाइप 1, 2, 3 तथा 4

अतिग्रहण रिपोर्ट को सी.पी.डब्ल्यू.डी. प्रणाली- सी.पी.डब्ल्यू.डी. ई-सेवा के माध्यम से बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त, डी.ओ.ई. का उत्तर विशिष्ट नहीं था और उसने यह नहीं बताया कि क्या ई-सेवा द्वारा ऑनलाइन रिक्तता को सूचित करने के लिए पूर्ण स्वचालन हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा दी गई मकान संख्या के साथ सभी डी.ओ.ई.एच.आई.डी. जुड़े हुए हैं। रिक्तता रिपोर्ट से संबंधित हाथ से बने अभिलेखों और जी.ए.एम.एस. डाटाबेस की जांच से पता चला कि अब तक रिक्तता रिपोर्ट डी.ओ.ई. में हाथ से बनी हुई हार्डकॉपी में प्राप्त की जा रही थीं तथा अभी तक ऐसे एच.आई.डी. थे जिन्हे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पैरा 4.1.4 में दर्शाई गए रूप में जोड़ा नहीं गया था।

डी.ओ.ई. के तर्क की जांच करने के लिए की विलंब को अब संबोधित किया जा रहा था, लेखापरीक्षा ने रिक्तता हेतु डाटाबेस में की गई प्रविष्टियों से संबंधित 27 मई 2015 को एन.आई.सी. द्वारा प्रस्तुत डाटा का परीक्षण किया। 27 मई 2015 से 15 सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान 2,032 मामलों के संदर्भ में जी.ए.एम.एस. में प्रविष्टि के लिए लिया गया समय नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 8 15 सितम्बर 2014 से 27 मई 2015 की अवधि के दौरान जी.ए.एम.एस. में प्रविष्टि के लिए लिया गया समय

| क्र.सं. | रिक्तता रिकॉर्ड करने के लिए लिया गया समय | मामलों की संख्या |
|------------|--|------------------|
| 1. | उसी दिन | 619 |
| 2. | दो दिनों के भीतर | 531 |
| 3. | 3 और 10 दिनों के बीच | 511 |
| 4. | 11 और 31 दिनों के बीच | 126 |
| 5. | 1 और 2 माह के बीच | 50 |
| 6. | 2 और 6 माह के बीच | 56 |
| 7. | 6 माह और 1 वर्ष के बीच | 37 |
| 8. | 1 वर्ष से अधिक | 102 |
| कुल | | 2032 |

जी.ए.एम.एस. डाटाबेस में रिक्तता को अद्यतित करने के लिए, लेखापरीक्षा ने इन रिपोर्टों पर हाथ से नोट किए गए एच.आई.डी. के आधार पर जी.ए.एस. में हाथ से बनी रिक्तता रिपोर्टों की नमूना जांच की और निम्नलिखित पाया:

- हाथ से बनी रिक्तता रिपोर्ट के 102 मामलों में, केवल 92 मामलों का पता लगाया जा सका था।
- 88 मामले ऐसे थे जहां 15 सितम्बर अर्थात् वह तिथि जब आपस में जोड़ा जाना बताया गया है, को आवास खाली किया गया था। इन 88 मामलों में, जी.ए.एम.एस. डाटाबेस में प्रविष्टि का लिया गया समय 160 दिन तक था।
- चार अन्य मामलों में, जहाँ रिक्तता आपस में जोड़ने की बतायी गई तिथि से पूर्व थी, जी.ए.एम.एस. में रिक्तता स्थिति अद्यतन करने का लिया गया समय 148 दिनों से 1353 दिनों के बीच था।
- 92 मामलों में से, 29 मामले ऐसे थे, वास्तविक समय⁶ में रिक्तता के रूप में जी.ए.एम.एस. में प्रविष्टि की जाती तो आबंटन के लिए अगली बोली चक्र में इन्हें लिया जा सकता था।

इस प्रकार, बोली लगाने और आबंटन करने के लिए खाली मकानों को न लिए जाने के कारण आवेदक आवास से वंचित रहे और इसके परिणामस्वरूप एच.आर.ए. के भुगतान और लाइसेंस शुल्क की गैर-वसूली के कारण राजस्व की हानि हुई थी।

डी.ओ.ई. ने उत्तर दिया (अगस्त) कि श्रमशक्ति द्वारा खाली करवाए गए अधिकत्तर मकान एम.बी.रोड सेक्टर-V के थे। डी.ओ.ई. ने आगे बताया कि ई-सेवा आवेदन पत्र में रिक्तता रिपोर्ट डी.ओ.ई. मकान या गैर-डी.ओ.ई. मकान के रूप में बनाने के लिए विकल्प है। क्योंकि जी.पी.आर.ए. के अलावा सी.पी.डब्ल्यू.डी. विभिन्न विभागों के मकानों की आवश्यकता को पूरा करता है। सभी जी.पी.आर.ए. मकान आई.डी. ई-सेवा से जुड़े हुए हैं। संभवत, कथित सी.पी.डब्ल्यू.डी. पूछताछ (एम.बी.रोड, सेक्टर-V) गैर-डी.ओ.ई. मकान के रूप में रिक्त रिपोर्ट बना रही थी। परंतु पिछले दो महीनों से वह इसे केवल ऑनलाइन बना रहे हैं और हाथ से लिखी रिक्तता रिपोर्ट की संख्या कम हो गई हैं। डी.ओ.ई. ने आगे बताया कि मायापुरी में ऐसे 139 मकान थे और

⁶ जी.ए.एम.एस. में वास्तविक समय में अद्यतन की गई रिक्तियों के लिए आमंत्रित की गई बोलियों के मामले में से उन मामलों को छोड़कर जहाँ रिक्तियाँ बोली चक्र आमंत्रित करने के ठीक अंतिम दिन या अंतिम दिन से पहले की गई थीं।

देवनगर में ऐसे 60 टाइप 2 मकान थे जिन्हें ई-सेवा से जोड़ा नहीं गया था। जिन्हें अद्यतित करने के लिए फिर से उनके पास भेजा गया था।

डी.ओ.ई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह मकान जिनके लिए हाथ से बनी रिक्तता रिपोर्ट प्राप्त की गई थीं वह दिल्ली की विभिन्न मोहल्लों से थीं जबकि उनमें से लगभग 40 प्रतिशत एम.बी.रोड़ से थीं डी.ओ.ई. का उत्तर बाकि मामलों की स्थिति पर शांत था। डी.ओ.ई. ने स्वीकार किया कि ऐसे मकान हैं जिन्हे अभी सी.पी.डब्ल्यू.डी. ई-सेवा के साथ जोड़ा जाना है और बताया कि उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है।

19.1.21 रहने योग्य मकानों का अधिग्रहण लेने में अपर्याप्त विलंब

जी.पी.आर.ए. में आवास के आबंटन के पत्र के अनुसार, आवंटियों से निवेदन किया गया है कि वह आबंटन पत्र के जारी होने की तिथि से 8 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजने का निवेदन करते हैं और डी.ओ.ई. से अधिकार पर्ची प्राप्त करें और अधिकार पर्ची में उल्लिखित तिथि को संबंधित सी.पी.डब्ल्यू.डी./एन.बी.सी.सी. पूछताछ कार्यालय से आबंटित मकान का अधिग्रहण लें। अधिकार पर्ची में निर्दिष्ट समय के भीतर अधिग्रहण लेने में विफलता के परिणामस्वरूप खाली मकान को आबंटन के रद्देकरण हेतु संबंधित आबंटन विभाग को वापस कर दिया जाएगा।

जनवरी 2011 से सितम्बर 2013 की अवधि के लिए जी.ए.एम.एस. की रिक्तता तालिका में रहने योग्य दर्शाए गए मकानों की नमूना जांच से पता चला कि आंवटियों द्वारा 579 मकानों के अधिग्रहण में 90 दिनों से लेकर दो वर्षों से अधिक के विलंब हुए थे जिन्हें कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 9 मकानों के अधिग्रहण में 90 दिनों से अधिक का विलंब

| मकान का अधिग्रहण | मामलों की संख्या |
|-------------------|------------------|
| 90 दिन - 120 दिन | 260 |
| 121 दिन - 180 दिन | 218 |
| 181 दिन से 1 वर्ष | 86 |
| 1 वर्ष से 2 वर्ष | 12 |
| 2 वर्षों से अधिक | 3 |
| कुल | 579 |

डी.ओ.ई ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2015) कि आवंटिती को मकान को देने में मकान की परिस्थिति पर आश्रित था।

डी.ओ.ई. ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एक से दो वर्षों से अधिक के विलंबों और मामलों की कई संख्या में विलंबों के लिए विशेष कारण नहीं दिए थे।

19.1.22 आवंटियों द्वारा मकानों का बहुविध अधिग्रहण

जनवरी 2011 से जुलाई 2014 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा में प्रदान किए गए जी.ए.एम.एस. डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 536 आवंटियों ने एक से अधिक आवास अधिग्रहित कर रखे थे (दो मामलों में आवंटियों ने तीन मकान अधिग्रहित कर रखे थे)। इस प्रकार, इन 536 आवंटियों द्वारा कुल 1074 रिहायशी इकाइयां अधिग्रहित पाई गई थीं।

डी.ओ.ई. ने दौगुने अधिग्रहण के लिए संभावित कारकों को प्रकट किया (मार्च 2015) जैसे कि (i) दौगुने अधिग्रहण में आवंटियों की काफी संख्या किंदवई नगर (पूर्व) में है जो अनिवार्य स्थानांतरण के अंतर्गत है। इन आवंटियों को वैकल्पिक आवास दिए गए हैं। हालांकि, क्योंकि उन्होंने न तो वैकल्पिक आवास का अधिग्रहण नहीं लिया था और न ही उन्होंने किंदवई नगर पूर्व के मूल आबंटन को छोड़ा था, उन्हें एक ही समय पर 2 फ्लेटों के निवासियों के रूप में दर्शाया जा रहा है, (ii) कुछ मामलों में, जहां आवंटिती ने या तो प्राधिकरण पर्ची जमा नहीं की थी या कई मामलों में जहां खाली मकान प्रणाली में दर्शाए नहीं गए हैं जबकि आवंटिती ने मकान खाली कर दिया है, ऐसे मामलों में भी दो गुना अधिग्रहण दर्शाया गया है, (iii) कई मामलों में जहां आवंटिती पहले से ही सरकारी आवास में रह रहे थे और किसी विशेष समयावधि के लिए मकान को न वापस दिए जाने के कारण, दोनों मकानों, अर्थात् एक में जहां आवंटिती ने रहना था और मौजूदा रूप में अधिगृहित मकान को दौगुने अधिग्रहण के रूप में दर्शाया गया था; (iv) हालांकि, ऐसे मामले जहां दौगुना अधिग्रहण वास्तविक रूप में हो, वहां डी.ओ.ई. पहले से ही सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया में हैं।

तदुपरांत, अप्रैल 2015 में, डी.ओ.ई. ने दलील दी कि नए मकान के अधिग्रहण के पश्चात भी पूर्व मकान को खाली करने के लिए आवंटिती को दिए गए 15 दिनों का समय था आवंटिती मकान के पास भौतिक अधिग्रहण नहो (परिवर्तन

मकान मरम्मत में) और 15 दिनों से अधिक के लिए नुकसान का किराया भरना पड़ेगा।

डी.ओ.ई. की दलील की जांच करने के लिए कि दोगुना अधिग्रहण पूर्व मकान को 15 दिनों के समय को लेने के कारण होगा, लेखापरीक्षा ने 19 मई 2015 को डी.ओ.ई. वेबसाईट से 12 पंजीकरण संख्याओं की जांच की (क्रमशः क्रम संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 71 और 101 पर 10000210, 10000358, 10000895, 10001029, 10002403, 10003648, 10003883, 10004792, 10005279, 10005774, 10021978 और 10032364)। परिणाम को नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 10 : डी.ओ.ई. वेबसाईट पर पाए गए दोगुने अधिग्रहण के मामले

| क्र. सं. | अनुबंध की क्रम संख्या | पंजीकरण संख्या | पहला आवास | | दूसरा आवास | |
|----------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|--------------|--|
| | | | एच.आई.डी. | अधिग्रहण की तिथि | एच.आई.डी. | अधिग्रहण की तिथि |
| 1. | 1 | 10000210 | 295746 | | एकल अधिग्रहण | |
| 2. | 2 | 10000358 | 335364 | 17/07/2012 | 335155 | 02/11/2007 |
| 3. | 5 | 10000895 | 339601 | 06/07/2010 | 318629 | 09/12/1994 |
| 4. | 6 | 10001029 | 299849 | | 306224 | जी.ए.एम.एस. में विवरणों को प्राप्त नहीं किया गया था। |
| 5. | 7 | 10002403 | 295413 | 02/02/2011 | 281324 | 21/02/1991 |
| 6. | 8 | 10003648 | 309648 | 24/07/2010 | 317216 | 24/02/2005 |
| 7. | 9 | 10003883 | 300898 | | एकल अधिग्रहण | |
| 8. | 11 | 10004792 | 348479 | 18/08/2010 | 283634 | 14/03/2005 |
| 9. | 12 | 10005279 | 329330 | 30/12/2005 | 331275 | 30/12/2005 |
| 10. | 14 | 10005774 | 263191 | 08/06/2010 | 281180 | 30/06/1986 |
| 11. | 71 | 10021978 | 263775 | 06/05/2011 | 283624 | 05/06/2000 |
| 12. | 101 | 10032364 | 393261 | | 244967 | जी.ए.एम.एस. में विवरणों को प्राप्त नहीं किया गया था। |

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 12 मामलों में से 10 में, दूसरे अधिग्रहण के पश्चात भी कई वर्षों की चूक के बाद भी दोगुना अधिग्रहण दर्शाया

गया है। इस तरह, डी.ओ.ई. द्वारा मकान खाली करने के लिए दिया गया 15 दिनों के समय की दलील सही नहीं थी।

अपने आगे के उत्तर में (अगस्त 2015), डी.ओ.ई. ने बताया कि 15 दिन की अवधि नए मकान के भौतिक अधिग्रहण की तिथि से गिना जाता है और न कि आबंटन तिथि से। इसके अतिरिक्त, डी.ओ.ई. ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 12 मामलों में से 3 के संबंध में विशिष्ट उत्तर प्रदान किए थे। डी.ओ.ई. ने बताया कि वह पुराने मामले हैं और उन मकानों को जोड़े न जाने के कारण ऐसा हुआ होगा।

उत्तर से यह देखा गया है कि प्रणाली में आवेदकों को केवल तीसरे मकान को स्वीकार करने से आवेदकों को रोकने का प्रावधान है। इस प्रकार, एक आवेदक द्वारा दो मकानों के अधिग्रहण से इंकार नहीं किया जा सकता।

19.1.23 सेवानिवृत्ति की तिथि से आगे अप्राधिकृत अधिग्रहण

एस.आर. 317-बी-11 के उपनियम 2 के अनुसार, रिहायशी आवास सामान्य लाईसेंस शुल्क पर 2 माह की अवधि के लिए टर्मिनल छुट्टी या सेवानिवृत्ति के मामले में, दोगुने सामान्य लाईसेंस शुल्क पर अन्य 2 महीनों के लिए रिहायशी आवास को रखा जा सकता है। एस.आर. 317-बी-22 के पैरा 3 के अनुसार सामान्य लाईसेंस शुल्क के चार गुना भुगतान पर दो महीनों की अवधि और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उचित प्रमाणीकरण की शर्त पर चिकित्सा/शैक्षिक आधार समेत विशेष कारणों के लिए सामान्य लाईसेंस शुल्क के छः गुना भुगतान पर आगे दो महीनों के लिए आवास का अतिरिक्त अवधारण स्वीकृत है। उसी प्रकार, आवंटिती की मृत्यु होने पर, 12 महीनों की अवधि के लिए आवास का अवधारण किया जा सकता है। एस.आर. 317-बी-22 के पैरा 4 के अनुसार, आवंटिती की मृत्यु होने पर, उसका परिवार सामान्य लाईसेंस शुल्क के भुगतान पर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए सरकारी आवास का अवधारण कर सकता है। उसके पश्चात, आबंटन को रद्द किया जाएगा और लाईसेंस शुल्क की वसूली क्षति/बाजार दर पर की जाएगी।

जी.ए.एम.एस. डाटाबेस से अधिग्रहण तालिका में सेवानिवृत्ति अंक तिथियों के विश्लेषण से पता चला कि सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिक आवास के

अवधारण के 1,262 मामले सामने आए जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 11 : सेवानिवृत्ति की तिथि से ऊपर आवास का अवधारण

| 30 जुलाई 2014 को सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिक अवधारण | मामलों की संख्या |
|--|------------------|
| 1 माह से कम | 50 |
| 1 और 2 महीनों के बीच | 1 |
| 2 और 6 महीनों के बीच | 167 |
| 6 महीनों और 1 वर्ष के बीच | 174 |
| 1 वर्ष और 2 वर्षों के बीच | 169 |
| 2 वर्षों और 3 वर्षों के बीच | 128 |
| 3 वर्षों और 4 वर्षों के बीच | 86 |
| 4 वर्षों और 5 वर्षों के बीच | 99 |
| 5 वर्षों और 10 वर्षों के बीच | 254 |
| 10 वर्षों और 20 वर्षों के बीच | 127 |
| 20 वर्षों से अधिक | 7 |
| कुल | 1262 |

हालांकि, आवास के अवधारण को स्वीकार करने के कारण लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा आवास का अवधारण मकानों की कमी को बढ़ाता है और कम संतुष्टि स्तरों को बढ़ाता है।

इसके अतिरिक्त, अधिग्रहण तालिका और पंजीकरण तालिका में सेवानिवृत्ति अंक की तिथि की तुलना निम्नलिखित तालिका में विसंगतियां दर्शाती हैं जोकि डाटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है।

**तालिका 12 जी ए एम एस डाटाबेस की विभिन्न तालिकाओं में
सेवानिवृत्ति की तिथि में विसंगतियां**

| पंजीकरण संख्या | अधियोक्ता तालिका में सेवानिवृत्ति की तिथि | पंजीकरण तालिका में सेवानिवृत्ति की तिथि |
|----------------|---|---|
| 10034203 | 31-मई-12 | 31- मई -14 |
| 99995476 | 30-नवम्बर-12 | 30- नवम्बर -14 |
| 99999876 | 31-मई -13 | 31- मई -15 |
| 99974985 | 31-जुलाई-08 | 16- जुलाई -13 |
| 99968404 | 30-नवम्बर-12 | 24- नवम्बर -12 |
| 99962489 | 30-अप्रैल-07 | 30- अप्रैल -05 |
| 99936182 | 30-जून-13 | 30- जून -11 |
| 10151915 | 31-मई -10 | 02-मार्च-13 |
| 10158559 | 31-मई -13 | 31- मई -15 |

डी.ओ.ई ने अपने उत्तर (मार्च 2015) में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों हेतु विशेष कारण प्रस्तुत नहीं किए हैं तथा केवल संभावित कारणों को सूचित किया गया है जो निम्नानुसार है:

- मृत्यु मामलों में, डी.ओ.ई. में वास्तविक सूचना पर्याप्त विलम्ब के पश्चात् प्राप्त हुई है तथा ऐसे समय तक परिसर को खाली करने की कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए, डी.ओ.ई केवल अपने अभिलेख के अनुसार आंवटी की सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात ही मकानों को खाली कराने की कार्रवाई प्रारम्भ करता है। यह केवल ऐसी कार्रवाई प्रारम्भ किए जाने के पश्चात् ही है, कर्मचारी के रिश्तेदार डीओ.ई को मकान के नियमन हेतु सिफारिश करते हैं। उस समय आवेदक द्वारा सभी औपचारिकताओं के समापन तक नियमन में विलम्ब हो सकता है।
- कुछ मामलों में, सेवानिवृत्ति की तिथि वास्तविक नहीं थी।
- कुछ मामलों में, सेवानिवृत्ति की आयु का 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति के आधार पर उल्लेख किया गया था तथा डाटा का अद्यतन नहीं किया गया था।
- कथित मकानों के संबंध में न्यायनिक मामले लंबित होंगे।

- लेखापरीक्षा द्वारा संदर्भित 22 मामलों में, यह उल्लेख किया गया है कि पंजीका के अनुसार व्यवसाय तालिकाओं में सेवानिवृत्ति की तिथि का अद्यतन नहीं किया गया था। इसलिए, वह अलग हो सकती है।
- कुछ मामलों में, सेवानिवृत्ति की तिथि को विस्तार के कारण परिवर्तित किया गया हो।

डी.ओ.ई ने आगे दर्शाया कि मृत्यु के मामले में, चूंकि सूचना समय पर प्राप्त नहीं की गई है इसलिए मकानों के नियमन की कार्रवाई को केवल सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात ही प्रारम्भ किया गया है। बाद में, डी ओ ई ने बताया कि कुछ मामलों में, सेवानिवृत्ति की तिथि वास्तविक नहीं है या उसका अद्यतन नहीं किया गया है। यह डी.ओ.ई. की ओर से यथार्थ एवं विश्वसनीय डाटा का अनुरक्षण करने में लापरवाही को दर्शाता है। यह आवंटियों की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु किसी क्रियाविधि की गैर-मौजूदगी को भी दर्शाता है।

डी.ओ.ई को मृत्यु मामलों से संबंधित सूचना को सुनिश्चित करने हेतु प्रणालियों का सुधार करने के उपाय करने चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करे कि प्रणाली में सूचना इसकी वास्तविकता को बनाए रखने हेतु उचित प्रकार से अभिपुष्ट तथा अद्यतित है।

डी.ओ.ई ने सुझाव को स्वीकार किया तथा उत्तर (अगस्त 2015) दिया कि शॉफ्टवेयर में जन्म तिथि के साथ सेवानिवृत्ति की तिथि को जोड़ कर सेवा की अवधि आदि जैसे वैधीकर को प्रारम्भ किया जा सकेगा जिसे उपलब्ध सूचना के साथ ही किया जा सकता था।

19.1.24 संकटपूर्ण एवं असुरक्षित मकान

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, एक बार आवासीय मकान को असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है तो इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे सुरक्षित घोषित किए जाने तक किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता है। तथापि, जी ए एम एस डाटाबेस के विश्लेषण ने श्रेणी ए ए सी सी (असुरक्षित) के अंतर्गत- 20, 35 किए गए आंबटनों को प्रकट किया। इसके अतिरिक्त इन मामलों के विश्लेषण ने 106 मामलों को प्रकट किया। जिनमें असुरक्षित घोषित किए गए मकानों का 50 दिनों के भीतर आंबटन किया गया था।

डी.ओ.ई ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि सी पी डब्ल्यू डी द्वारा प्रारम्भ में असुरक्षित आधार पर वैकल्पिक आवास स्थान के आबंटन हेतु संकटपूर्ण सूचित किए गए मकानों का जी ए एम एस में प्रविष्टि नहीं की जा सकी थी क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। डी ओ ई ने आगे बताया कि स्थिति को बाद में सुधारे जाने की प्रत्याशा थी क्योंकि 15 सितंबर 2014 से ई-सेवा तथा ई-आवास को अब मिला दिया गया है। डी ओ ई ने बाद में बताया (अगस्त 2015) कि एक बार जी ए एम एस में मकान की असुरक्षित प्रविष्टि कर दी जाती है तो वह बोली के लिए नहीं जाता है। ई-आवास तथा ई-सेवा को मिलाने से ऐसे मकान, जिन्हे सी पी डब्ल्यू डी द्वारा एक बार असुरक्षित घोषित किया गया था, अपने आप बोली के लिए आएंगे।

डी.ओ.ई ने लेखापरीक्षा में उजागर मामलों हेतु कोई विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तर डी ओ ई द्वारा यह सुनिश्चित करने कि असुरक्षित एवं संकटपूर्ण मकान का किसी भी आबंटित को आबंटन नहीं किया गया है, हेतु किए गए कार्यों को भी नहीं दर्शाता था। डी ओ ई को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि असंदेही आवंटियों को असुरक्षित मकानों का आबंटन किए जाने की संभाव्यता को दूर करने हेतु ऐसे मामलों में डाटा प्रविष्टि सही प्रकार से की गई है।

अनुसंशा सं. 4: डी.ओ.ई को उन मकानों जिन्हे असुरक्षित अथवा संकटपूर्ण के रूप में घोषित किया गया है, की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए कदम उठाने तथा उनको रहने लायक बनाने हेतु कार्य करने चाहिए।

19.1.25 जी ए एम एस में लाईसेंस शुल्क के निर्धारण हेतु सॉफ्टवेयर का विकास न करना

वर्ष 2012-13 के लिए डी ओ ई की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, जी एम एस में लाईसेंस शुल्क के निर्धारण हेतु सॉफ्टवेयर को एन आई सी द्वारा 30 जून 2012 तक विकसित किया जाना था। अप्रैल 2013 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, प्रणाली तैयार थी तथा डी ओ ई के किराया संकंध के स्टाफ को प्राशिक्षण प्रदान किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि इसे अप्रैल 2014 तक कार्यान्वित नहीं किया गया था।

डी ओ ई ने मार्च 2015 में सूचित किया कि लाईसेंस शुल्क के निर्धारण हेतु सॉफ्टवेयर को एन आई सी द्वारा अभी भी विकसित किया जा रहा था। डी ओ ई का बाद का उत्तर (अगस्त 2015) सॉफ्टवेयर में विकास की वर्तमान स्थिति को दर्शाए बिना प्रचलित प्रणाली का एक विवरण प्रदान करता है।

सॉफ्टवेयर का विकास न करने ने डी ओ ई को इसके प्रत्याशित लाभों से वंचित किया है।

19.1.26 लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति की मॉनीटरिंग

ऑनलाईन “लाईसेंस शुल्क संग्रहण एवं मानीटरिंग प्रणाली” को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को डी ओ ई को जी पी आर ए के अधिभोक्ताओं के संबंध में दोनों गत एवं भविष्य की अपनी लाईसेंस शुल्क की वसूली को सूचित करने में सुविधा प्रदान करने हेतु जी ए एम एस के एक भाग के रूप में विकसित किया गया था (अप्रैल 2007)। आनलाईन ‘लाईसेंस शुल्क संग्रहण एवं मानीटरिंग प्रणाली’ को 1 अगस्त 2007 से लागू किया गया था। डी डी ओ को जी ए एम एस के माध्यम से लाईसेंस शुल्क वसूलियों की प्रवर्षित करनी थी। नई प्रणाली के माध्यम से मासिक लाईसेंस शुल्क वसूलियों की अनुसूची प्रेषित करने की विफलता के मामले में आवंटन नियमावली के अनुसार आबंटियों के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित थी।

डी.ओ.ई ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (मार्च 2015) कि डी डी ओ से लाईसेंस शुल्क की वसूली की सूचना 70 प्रतिशत मामलों में प्राप्त की जा रही है। ऑनलाईन के माध्यम से लाईसेंस शुल्क की वसूली की प्रवर्षित हेतु प्रशिक्षण 80 प्रतिशत डी डी ओ को पहले ही प्रदान किया गया है। डी ओ ई ने 100 प्रतिशत मामलों में डी डी ओ से लाईसेंस शुल्क की ऑनलाईन वसूली हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया है। अब हस्त/सीडी/फ्लौपी के माध्यम से लाईसेंस शुल्क की वसूली की सूचना को रोक दिया गया है तथा लाईसेंस शुल्क के ऑनलाईन प्रेषण का परिणाम लाईसेंस शुल्क की हाथ से वसूली से अधिक संतोषजनक है।

तथ्य है कि इसके कार्यान्वयन की तिथि से सात वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात् भी लाईसेंस शुल्क संग्रहण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली का इसकी पूर्ण सीमा तक उपयोग नहीं किया जा सकता था। अपने उत्तर (अगस्त 2015) में,

डी ओ ई ने प्रणाली के विकास की वर्तमान स्थिति को दर्शाए बिना प्रचलित प्रणाली का एक विवरण दिया।

अनुशंसा सं. 5: लाइसेंस शुल्क की मानीटरिंग हेतु आनलाईन प्रणाली को सभी डी ओ की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करके लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति की यथार्थ मानीटरिंग को समर्थ बनाने हेतु जल्दी पूर्ण किया जाना चाहिए।

19.1.27 बहु असंगत पूलों में आवेदन करने का पंजीकरण

आवास के 'पदावधि पूल' का भारतीय प्रशानिक सेवा, भारतीय वन सेवा तथा पदावधि आधार पर केन्द्र सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन के साथ काम पर भारतीय पुलिस सेवा के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों हेतु अनुरक्षण किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर केवल पदावधि पूल आवास के प्रति आबंटन हेतु विचार किया जाना है। इसी प्रकार, 'महिला अधिकारी पूल' का विवाहित महिला अधिकारियों (एल एम पूल) तथा अविवाहित महिला पूल (एल एस पूल) हेतु अलग से अनुरक्षण किया जाता है। महिला अधिकारी अपने काल की पूर्णता पर सामान्य पूल से आवास के आबंटन हेतु भी हकदार हैं।

जनवरी 2011 से जुलाई 2014 की अवधि के लिए डाटाबेस के विश्लेषण ने प्रकट किया कि कुछ अवसर थे जहाँ आवेदकों को बहु असंगत पूलों में आवेदन करने को पंजीकृत किया गया था। 31 ऐसे मामले थे जहाँ आवेदकों को दोनों जीपी तथा टीपी हेतु पंजीकृत किया गया था तथा 13 मामले ऐसे थे जहाँ महिला अधिकारियों को दोनों एल एम पूल तथा एल एस पूल हेतु पंजीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (20 मार्च 2014) के उत्तर में डी ओ ई ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि इस प्रकार के बेमेल को कम करने के लिए प्रणाली के आवेदन माडयूल में अपेक्षित जांच लागू की जा रही थीं। बाद में यह बताया गया था कि अपेक्षित जांचों को विवाहित महिला पूल या अविवाहित महिला पूल के आवेदक को वैवाहिक स्थित के अनुसार केवल एक पूल (एल.एस. या एल एम) हेतु आवेदन करने के प्रतिवंधित करने के लिए प्रणाली में भी लागू किया जा रहा था।

अपने उत्तर (अगस्त 2015) में, डी ओ ई ने बताया कि वैधीकरण को बाद में सुधारा गया है तथा एक आवेदक अब आगे अपने पूल का चयन नहीं कर

सकता। पूलों का श्रेणी (सामान्य, एस सी, एस टी), सेवा श्रेणी (ए आई एस, गैर-ए आई एस, अन्य), वैवाहिक स्थिति (विवाहित, अविवाहित), लिंग (पुरुष, महिला) तथा वेतनमान/ग्रेड वेतन के आधार पर अपने आप चयन किया जाता है।

डी.ओ.ई को यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में असंगत पूल के पंजीकरण का कोई मामला न हो, वैधीकरण जांचों की आवधिक संवीक्षा करने की आवश्यकता है।

19.1.28 बिजली, जल तथा गैस के बकाया देयों के कारण मकानों का अधिग्रहण न किया जाना

डी.ओ.ई ने बिजली देयों, मरम्मताधीन आदि के कारण खाली मकानों के विवरण प्रस्तुत किए (मार्च 2014) जिसमें 127 मकानों को बिजली देयों के कारण खाली दिखाया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डी ओ ई ने अप्रैल 2014 में सचिव, एम ओयू डी को बकाया बिजली बिलों के कारण खाली के रूप में 104 मकानों को सूचित किया था। बाद में, जी ए एम एस डाटाबेस के विश्लेषण (जुलाई 2014) ने 142 मकानों को ‘बिजली देयों’ की स्थिति के साथ दर्शाया। यह लेखापरीक्षा को प्रदत्त आकड़ों तथा जी ए एम एस डाटाबेस में उपलब्ध आकड़ों में विसंगति को दर्शाता है।

यद्यपि डी ओ ई ने लेखापरीक्षा द्वारा सभी मामलों के संबंध में मांगे गए विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे फिर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 29.62 लाख की राशि 89 आवंटियों (मार्च 2010 को) के प्रति बकाया थी।

डी.ओ.ई ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि एन डी एम सी तथा बी एस ई एस नए आवंटियों, जहां पिछले आबंटियों द्वारा देयों का निपटान नहीं किया गया था, को कनेक्शन प्रदान करने को सहमत थे। डी. ओ ई ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि बिजली देयों के कारण किसी भी मकान को बोली से बाहर नहीं रखा गया है।

डी ई ओ का उत्तर पिछले आंबटियों से भुगतान न किए गए देयों की वसूली करने हेतु किए गए कार्यों पर मौन है। डी ओ ई ने बिजली देयों वाले मकानों की आवंटन की प्रगति/स्थिति भी सूचित नहीं की गई थी।

19.1.29 डाटा की खराब गुणवत्ता

19.1.29.1 विभिन्न क्षेत्रों में अंतर

जी ए एम एस डाटाबेस में तालिका मकान, पंजीकरण, ए एल टी-टी आर ए एन एस तथा ए ए एन में उपयोग किए गए एकल आई डी जो सिस्टम जनित है अर्थात् क्रमशः एच आई डी, आर ई जी एन ओ, ए एल टी-आई डी तथा ए ए एन को क्रमानुसार संख्या दी गई होनी चाहिए तथा बिना रिक्ति के होने चाहिए। तथापि, उपरोल्लेखित तालिकाओं के इन एकल आई डी कॉलमों की संवीक्षा ने रिक्ति को प्रकट किया जैसा नीचे उल्लेख किया गया, जो प्रणाली के भीतर प्रभावी डाटा वैधीकरण को दर्शाता है:

- 656 मामलों में, यद्यपि एच आई टी को क्रमानुसार संख्या दी गई थी, रिक्ति था/एचआईडी अनुपस्थित था।
- 5,293 मामलों में, यद्यपि ए एल टी-आई डी को क्रमानुसार संख्या दी गई थी, डाटा अंतर/ए एल टी-आई डी अनुपस्थित था।
- 10,000 मामलों में, यद्यपि आर ई जी एन ओ को क्रमानुसार संख्या प्रदान की गई थी, डाटा अंतर/आई ई जी एन ओ अनुपस्थित था।
- 4,806 मामलों में, आबंटी खाता संख्या (ए ए एन) को यद्यपि क्रमानुसार संख्या प्रदान की गई थी रिक्ति/एए एन अनुपस्थित था।

डी.ओ.ई ने उत्तर दिया (मार्च2015) कि कुछ मकानों की भौतिक रूप से जांच की गई थी तथा प्रणाली में विसंगतियों का निपटान किया जा रहा था। डी ई ओ ने यह भी सूचित किया कि मकानों को पहचान संख्या न दिए जाने तथा इसलिए स्टाक से अविद्यमान रहे, सेवानिवृति की तिथि जैसी विसंगतियों को सुधारा जा रहा था। इसने बाद में बताया कि अधिकांश मामलों से सेवानिवृत्ति की तिथि को सुधारा गया था क्योंकि जन्म तिथि को अब आवास का आवेदन करने हेतु डी ई-॥ प्रारूप में अनिवार्य कर दिया गया था। डी ओ ई ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि डी ओआर की डाटा प्रविष्टि चूक के कुछ मामले हो सकते हैं क्योंकि इन सभी अधिभोक्ताओं के डी -2 प्रारूप अप्रैल 2009 से पूर्व पंजीकृत किए गए थे।

डी ओ ई को डाटा की यथार्थता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए विसंगतियों की पहचान तथा निपटान करने तथा रिक्ति को भरने हेतु प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, डी ओ ई को डाटा की निरंतर विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रत्यायक डाटा वैधीकरण की सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय करने चाहिए।

19.1.29.2 रिक्ति/अवैध डाटा

प्रणाली में, “पंजीकरण तालिका” में लिए गए मूल डाटा को आबटन किए जाने के पश्चात “आबंटन लेन-देन तालिका” तथा “अधिग्रहण इतिहास तालिका” में अंतरण किया जाता है। इस प्रकार पंजीकरण तालिका में कोई गलत अथवा अवैध डाटा आंबटन लेन-देन तालिका तथा व्यवसाय इतिहास तालिका में अपने आप अंतरण होगा। जी ए एम एस डाटा बेस (30 सितंबर 2013 तक) की संवीक्षा पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- पंजीकरण तालिका में ‘सेवानिवृत्ति की तिथि’ कॉलम में 3125 रिक्त क्षेत्र हैं। तथापि, कॉलम ‘फार्म-आर ई जे’ में पंजीकरण की स्थिति को स्वीकृत के रूप में दर्ज किया गया है। परिणामस्वरूप ‘आबंटन लेन-देन तालिका’ में 3456 मामलों तथा ‘अधिग्रहण तालिका’ में 2513 मामलों में सेवानिवृत्ति की तिथि कॉलम में रिक्त क्षेत्र थे। इन 2513 मामलों, जिनमें डी ओ आर क्षेत्र को नहीं भरा गया है में से 1,030 पक्तियों थीं जिनमें अधिभोग स्थिति अर्थात् ओ सी सी-एसटीएटीयूएस को अधिकृत के रूप में दर्शाया गया था।
- ‘पंजीकरण तालिका’ में सेवानिवृत्ति की तिथि ‘अधिग्रहण इतिहास तालिका’/‘आबंटन लेन-देन तालिका’ में सेवानिवृत्ति की तिथि से 12,063 मामलों में मेल नहीं खाती थी (मामले जिनमें यह मानते हुए कि अंतर सेवानिवृत्ति की तिथि को दो वर्षों तक बढ़ाए जाने के कारण था, इस संख्या तक पहुंचने हेतु तिथियों में ठीक-ठीक 24 महीनों के अंतर को अनदेखा किया गया है)। यह दर्शाता है कि सेवानिवृत्ति की तिथि का पंजीकरण तालिका से पता नहीं लगाया जा रहा जो या अनजाने में तथा/अथवा जानबूझ कर गलत सेवानिवृत्ति तिथियों की प्रविष्टि करने की संभाव्यता का कारण बना।

- ‘पंजीकरण तालिका में जन्म तिथि क्षेत्र’ को 49782 मामलों में रिक्त छोड़ा गया था। तथापि, आवेदनों को जन्म तिथि कॉलम में रिक्त क्षेत्र के साथ स्वीकृत के रूप में दर्शाया गया है तथा फार्म स्थिति को स्वीकृत के रूप में दर्ज किया गया था। यह दर्शाता है कि जन्म तिथि एक अनिवार्य क्षेत्र नहीं है तथा नियंत्रण के अभाव में सेवानिवृति की तिथि के बाद मकानों में अधिभोक्ताओं के अधिक रहने की संभावना छोड़ता है।
- सरकारी आवास के आबंटन की तिथि को तालिका एएल टी-टीआरए एन एस में कॉलम डी ओ ए (आबंटन की तिथि) में दर्ज किया जाता है। 29 मामले थे जिनमें डी ओ ए को बाद की तिथियों के रूप में दर्ज किया गया था। यह दर्शाता है कि आबंटन की तिथि क्षेत्र में डाटा वैध नहीं है जो डाटा जोड़ तोड़ करने की संभावना को छोड़ता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, डी ओ ई ने बताया (सितंबर 2014) कि ‘व्यवसाय इतिहास तालिका’ में डाटा का ‘पंजीकरण तालिका’ में किए गए परिवर्तनों के अनुसार अंतरण नहीं किया गया था। ‘व्यवसाय इतिहास तालिका’ स्वीकृति के समय की गई प्रविष्टियों के अनुसार डाटा को दर्शाता है। उसने आगे बताया कि मामले जिनमें, जन्म तिथि कॉलम रिक्त है ए एस ए के कार्यान्वयन से पहले के हो सकते हैं जब यह अनिवार्य क्षेत्र नहीं था। आवंटन की तिथि के संबंध में इसने सूचित किया है वह पुराने अभिलेख थे तथा टाईपिंग की गलतियां थीं। डी ओ ई ने आगे बताया (अगस्त 2015) कि डी ओ आर की डाटा प्रविष्टि चूक के मामले हो सकते हैं क्योंकि इन सभी अधिभोक्ताओं का डी ई- 2 फार्म अप्रैल 2009 से पहले पंजीकृत किए गए थे। तथापि, इन चूकों को सुधारने हेतु उठाए गए कदमों से लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।

डी ओ ई को डाटा की यथार्थता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु यह सुनिश्चित करने कि अनिवार्य डाटा को बिना चूके लिया गया है तथा उपयुक्त रूप से वैधकृत किया गया है, के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

अनुशंसा सं. 6: जी एएम एस डाटाबेस को यह सुनिश्चित करने हेतु कि गलत डाटा को डाटा की यथार्थता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हटा दिया गया है, अच्छी तरह से वैधीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों हेतु आवास की सतत कमी रही है जिसे एम ओ यू डी द्वारा अपनी फार्झलों में भी स्वीकार किया गया था। डी ओ ई के पास अपने पास उपलब्ध आवास स्टॉक का सही अभिलेख भी नहीं था। आवासीय स्टॉक के आकड़े एक स्त्रोत से अन्य से परिवर्ती हैं। डी.ओ.ई के पास आवासीय स्टॉक की भौतिक जांच का कोई अभिलेख नहीं है।
- आवासीय स्थान को सामान्य पूल, पदावधि पूल (गैर-ए आई एस), महिला अधिकारी पूल जैसे विभिन्न पूलों हेतु चिन्हित किया गया है। विभिन्न पूलों में आवासीय स्टॉक का संवर्धन अनुचित प्रकार से किया गया है। इसके अतिरिक्त, मकानों का संतोष स्तर पूल-वार बड़े पैमाने में परिवर्ती है।
- लाईसेंस शुल्क संग्रहण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली अभी भी पूर्णतः क्रियात्मक नहीं है जिसका परिणाम डी ओ ई के लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति को मॉनीटर करने में समर्थ न होने में हुआ क्योंकि केवल लगभग 70 प्रतिशत डी डी ओ ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से अपनी लाईसेंस शुल्क वसूलियों को संचित कर रहे हैं। बकाया लाईसेंस शुल्क के भी कुछ उदाहरण हैं जिसे अभी भी आवंटियों से वसूला नहीं गया था। मकानों हेतु लाईसेंस शुल्क के संशोधन में विलम्ब थे।
- मकान को खाली करने पर सेवानिवृत हो रहे कर्मियों को एन डी सी जारी करने में विलम्ब हैं जो उनको कष्ट का कारण बना।
- डी ओ ई तथा सी पी डब्ल्यू डी का डाटाबेस आपस में जुड़ा नहीं है जो जी ए एम एस डाटाबेस में मकानों की रिक्त स्थिति को दर्शाने में विलम्ब का कारण बना जबकि डी ओ ई ने दावा किया है कि दोनों डाटाबेस सितंबर 2014 से आपस में जुड़े हुए हैं।
- जी ए एम एस डाटाबेस के विश्लेषण से वर्जित आवेदकों के आवेदन स्वीकार करने, जी ए एम एस डाटाबेस की प्रस्ताव तालिका में संगत प्रविष्टियों के बिना आबंटन हेतु प्रस्ताव, ए एस ए के अंतर्गत बोली हेतु प्रस्तुत किए जा रही रिक्तताओं में असंगतियों, रहने लायक मकानों को अधिग्रहण लेने में विलम्ब रिक्तताओं का अद्यतन करने में विलम्ब

तथा बहु असंगत पूलों में आवेदन करने हेतु पंजीकरण के अवसर पाए गए थे। यह भी देखा गया था कि डी ओ ई के पास उन मकानों जिन्हे असुरक्षित अथवा संकटपूर्ण घोषित किया गया है, के सही ब्यौरे नहीं हैं। डाटाबेस में डाटा की गुणवत्ता को खराब पाया गया था।

अनुशंसाएं

- डी ओ ई को आवासीय स्टॉक की भौतिक जांच करानी चाहिए तथा आवासीय स्टॉक का एक सही अभिलेख रखना चाहिए।
- डी ओ ई को यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने चाहिए कि निवृत्ति कर्मचारियों को एक माह के भीतर कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जैसा नागरिक घोषणापत्र में प्रावधान किया गया है।
- डी ओ ई तथा सी पी डब्ल्यू डी डाटाबेसों को दो प्रणालियों के बीच वास्तविक समय संचार को सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रकार से आपस में जोड़ा जाना चाहिए।
- डी.ओ.ई को उन मकानों जिन्हे असुरक्षित अथवा संकटपूर्ण के रूप में घोषित किया गया है, की उपयुक्त रूप से पहचान करने तथा उनको रहने लायक बनाने हेतु कार्य करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- लाईसेंस शुल्क की मॉनीटरिंग हेतु ऑनलाईन प्रणाली को लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति की सही मानीटरिंग को समर्थ बनाने हेतु सभी डी ओ की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु जल्द ही पूर्ण किया जाना चाहिए।
- जी ए एम एस डाटाबेस को यह सुनिश्चित करने हेतु कि गलत डाटा को डाटा को डाटा की यथार्थता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हटा दिया गया है, अच्छी तरह से वैधीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

शहरी विकास मंत्रालय ने सभी अनुशंसाओं को स्वीकार किया है (अगस्त 2015)।

अध्याय XX : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड

20.1 भूमि के अतिक्रमण के कारण ₹1.40 करोड़ का निष्फल व्यय

स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु 1990 में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी.) द्वारा खरीदी गई भूमि के अतिक्रमण का समाधान करने में एन.सी.टी. दिल्ली सरकार की पहल का अनुसरण करने में सी.एस.डब्ल्यू.बी. विफल रहा, जिसके कारणवश अब तक किया गया ₹1.40 करोड़ का पूरा व्यय निष्फल हो गया।

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी.), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (मंत्रालय) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय ने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) से वसंत कुंज, नई दिल्ली में ₹18 लाख की लागत पर मार्च 1990 में तीन एकड़ भूमि प्राप्त की थी।

सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने चारदीवारी के निर्माण के लिए दिसम्बर 1990 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) को ₹2.58 लाख जारी किए थे और स्टाफ क्वार्टरों¹ के निर्माण हेतु मार्च 1991 और मार्च 1993 के बीच ₹55 लाख के अग्रिम का भुगतान किया था। जबकि चारदीवारी का निर्माण पूरा हो चुका था, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण शुरू नहीं हो सका था क्योंकि 1994 में झुग्गी में रहने वाले लोगों द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था।

मार्च 2001 में, सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने झुग्गियों को हटवाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी) के पास ₹46.60 लाख जमा किए थे। सितम्बर 2009 में, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) सरकार ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को फ्लेट आवंटित करने का निर्णय लिया, और अप्रैल 2012 में, एन.सी.टी. दिल्ली सरकार पुनर्वास शाखा ने सूचित किया कि 142 झुग्गी में रहने वाले लोगों की योग्यता सूची पर हस्ताक्षर हो चुके थे और सी.एस.डब्ल्यू.बी. को अपने हिस्से के रूप में ₹1.06 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने सी.एस.डब्ल्यू.बी. से एन.सी.टी. दिल्ली के

¹ अक्टूबर 1993 में परियोजना की लागत ₹7.84 करोड़ अनुमानित थी।

हिस्से और एम.सी.डी. के पास जमा हो चुकी राशि पर ब्याज की स्थिति का भी पता लगाने के लिए कहा (नवम्बर 2013)। सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने तब तक मामले का आगे अनुसरण नहीं किया था जब तब लेखापरीक्षा ने अभ्युक्ति नहीं प्रस्तुत की थी, जिसके पश्चात् सितम्बर 2015 में सी.एस.डब्ल्यू.बी. एन.सी.टी. दिल्ली सरकार से मिला। आज तक, सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने संपत्ति पर ₹1.40 करोड़² का व्यय किया है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने मार्च 2003 के बाद से भूमि की सुरक्षा पर व्यय नहीं किया है। सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने भूमि की स्थिति पर विश्वासप्रद उत्तर प्रदान नहीं किया है, इस बात को दोहराने के अलावा (सितम्बर 2015) कि भूमि का अतिक्रमण हुआ है और उसने झुग्गियों को हटाने के लिए कई प्रयास किए थे परंतु विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया के कारण, यथास्थिति बनी हुई थी। सी.एस.डब्ल्यू.बी. ने यह भी बताया (जनवरी 2016) कि उसने झुग्गियों को हटाने के लिए सी.एस.डब्ल्यू.बी./भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच व्यय के हिस्से से संबंधित जानकारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा था।

तथ्य यही है कि एन.सी.टी. दिल्ली सरकार के पुनर्वास शाखा के झुग्गी में रहने वाले लोगों के साथ अप्रैल 2012 में भूमि खाली करने के लिए अनुबंध करने पर भी, सी.एस.डब्ल्यू.बी. मंत्रालय के प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहा और इस प्रकार अनुबंध को कार्यान्वित करने में विफल रहा। इस प्रकार, मंत्रालय की निष्क्रियता और सी.एस.डब्ल्यू.बी. द्वारा झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास देने में एन.सी.टी. दिल्ली की पहल पर कार्य न करने के परिणामस्वरूप 25 वर्षों से भी पहले प्राप्त भूमि पर स्टाफ क्वार्टरों को प्रदान करने में विफलता प्राप्त हुई और इसके कारण ₹1.40 करोड़ का निष्फल व्यय भी हुआ।

मंत्रालय को मामले की सूचना दी गयी थी (अक्टूबर 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

² भूमि की लागत ₹18 लाख, सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम ₹55 लाख चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹2.58 लाख, अतिक्रमण को हटाने के लिए एम.सी.डी. को ₹46.60 लाख तथा भूमि की सुरक्षा पर ₹18.24 लाख।

अध्याय XXI : युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

21.1 सीमा-शुल्क का परिहार्य भुगतान

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल.एन.आई.पी.ई.), ग्वालियर को मंत्रालय द्वारा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सामग्री का आयात करने की दी गई सलाह की विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज, विलम्बन तथा अन्य प्रभारों सहित ₹1.06 करोड़ के सीमा-शुल्क का परिहार्य भुगतान करना था।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल.एन.आई.पी.ई.), ग्वालियर ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के माध्यम से अपने परिसर में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करने का निर्णय लिया (जुलाई 2007)। ट्रैक का उपयोग गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों अर्थात् शैक्षिक प्रायोजन तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण हेतु किया जाना था। एल.एन.आई.पी.ई. ने उपर्युक्त कार्य के प्रति सी.पी.डब्ल्यू.डी. को ₹3.28 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 2008)।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने मैसर्स पोरप्लास्टिक स्पोर्ट्सबाऊ वोन क्रेमन जी.एम.बी.एच.एण्ड कं. जर्मनी को कार्य सौंपा तथा एल.एन.आई.पी.ई. को सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाने हेतु जर्मनी से आयात किए जाने हेतु अपेक्षित सामग्री पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट हेतु एम.वाई.ए.एस. से सीमा-शुल्क छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अनुरोध किया (जुलाई 2011)। एल.एन.आई.पी.ई. ने ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एम.वाई.ए.एस. को अनुरोध किया (जुलाई 2011, सितम्बर 2011 तथा दिसम्बर 2011)।

एम.वाई.ए.एस. ने, वित्त मंत्रालय के परामर्श से, एल.एन.आई.पी.ई. को सलाह दी (जनवरी 2012) कि सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु इसे भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) अथवा राज्य खेल प्राधिकरण (मध्य प्रदेश) (एस.ए.एस.(एम.पी.)) के माध्यम से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का आयात करना चाहिए। सलाह वित्त मंत्रालय के तर्क पर आधारित थी कि अधिसूचना सं. 146/94-सीमा-शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994, जैसा समय-समय पर संशोधन

किया गया, के तहत खेलने की सिंथेटिक सतह अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त कि कथित माल का शिक्षण के उद्देश्य से भारत में अथवा विदेश में होने वाली राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उपयोग हेतु एस.ए.आई. अथवा संबंधित राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा भारत में आयात किया गया है, के तहत पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सलाह देने के लिए कि एल.एन.आई.पी.ई. ने एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. के माध्यम से सिंथेटिक ट्रैक सामग्री का आयात करने को कभी सी.पी.डब्ल्यू.डी. को कहा था, अभिलेख में कुछ नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विवाद के कारण, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने सिंथेटिक ट्रैक बिछाने के कार्य हेतु मैसर्स पोरप्लास्टिक स्पोर्टसबाऊ वोन क्रेमन जी.एम.बी.एच. एण्ड कं. जर्मनी के साथ संविदा को रद्द किया। परिणामस्वरूप, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने कथित कार्य को अन्य फर्म मैसर्स जियांगचिन वैनमिंग फीजिकल प्लास्टिक कं. लि. चीन को सौंपा (जून 2014)। एल.एन.आई.पी.ई. ने एस.ए.आई. को सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा चीन से आयात किए जाने से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सामग्री पर सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने हेतु सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को पत्र जारी करने का अनुरोध किया (दिसम्बर 2014)। एल.एन.आई.पी.ई. के अनुरोध की प्राप्ति पर एस.ए.आई. ने सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र जारी किया (दिसम्बर 2014) तथा अधिसूचना सं. 146/94-सीमा-शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994 के अंतर्गत सीमा-शुल्क छूट लाभ प्रदान करने हेतु उनको अनुरोध किया।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने चीन से सिंथेटिक ट्रैक सामग्री का आयात किया तथा सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करते हुए माल की निकासी हेतु सीमा-शुल्क विभाग के साथ आयात पत्र दर्ज किया जनवरी 2015।

सीमा-शुल्क विभाग ने छूट को अनुमत नहीं किया था तथा अवलोकन किया (फरवरी 2015) कि अधिसूचना सं. 146/94-सीमा-शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994 के अंतर्गत छूट का लाभ केवल तभी उपलब्ध था जब आयात एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. द्वारा किया गया हो। परंतु वर्तमान मामले में आयात सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया गया था जो शुल्क के भुगतान से छूट का हकदार नहीं था।

एल.एन.आई.पी.ई. ने सीमा-शुल्क ($\text{₹}88.51$ लाख), उस पर ब्याज ($\text{₹}0.96$ लाख) तथा विलम्बन ($\text{₹}2.66$ लाख) एवं अन्य प्रभार ($\text{₹}13.38$ लाख) के भुगतान के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को $\text{₹}105.51$ लाख की राशि अदा की (फरवरी 2015)।

एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. (एम.पी.) के माध्यम से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सामग्री का आयात करने की एम.वाई.ए.एस. की सलाह का अनुपालन करने में एल.एन.आई.पी.ई. की विफलता का परिणाम ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित सीमा-शुल्क के कारण $\text{₹}105.51$ लाख के परिहार्य भुगतान में हुआ।

एल.एन.आई.पी.ई. ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में बताया कि एम.वाई.ए.एस. ने सूचित (17 जनवरी 2012) किया था कि सिंथेटिक ट्रैक सामग्री के आयात के लिए सीमा-शुल्क छूट प्रमाणपत्र या तो एस.ए.आई. या फिर एस.ए.एस. (एम.पी.) से प्राप्त किया जा सकता है।

एल.एन.आई.पी.ई. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.वाई.ए.एस. ने एल.एन.आई.पी.ई. को एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. (एम.पी.) से छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कभी भी सलाह नहीं दी थी। एम.वाई.ए.एस. ने बल्कि एल.एन.आई.पी.ई. को एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. (एम.पी.) के माध्यम से कथित सामग्री का आयात करने की सलाह दी थी। एल.एन.आई.पी.ई. ने मंत्रालय की सलाह की अनुपालना न करने के कारण को स्पष्ट नहीं किया था। मंत्रालय की सलाह की अनुपालना करने में एल.एन.आई.पी.ई. की विफलता का परिणाम $\text{₹}105.51$ लाख के परिहार्य भुगतान में हुआ।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

**अध्याय XXII : गृह मंत्रालय, संस्कृति और उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**

22.1 निधियों का अवरोधन

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 2001 में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए गृह मामले, संस्कृति एवं उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालयों के स्वायत्त निकायों/संलग्न कार्यालयों को भूमि आबंटित की। 2004 में, यह निर्णय लिया गया था कि भवन के निर्माण हेतु वित्तीय आवश्यकता के भाग को समेकित सामान्य पूल कार्यालय परिसर हेतु प्रावधानों से पूरा किया जाए तथा पहले अदा की गई भूमि की लागत का निर्माण लागत के प्रति समायोजन किया जाएगा। भवन के क्रियात्मक बनाए जाने के पश्चात भी उपभोक्ता विभागों की भूमि की लागत हेतु अदा की गई राशि के समायोजन की मांग करने में विफलता 12 वर्षों से अधिक के लिए ₹1.24 करोड़ के अवरोधन का कारण बनी।

शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) ने नई दिल्ली¹ में 7.64 एकड़ माप के एक प्लाट पर एक समेकित कार्यालय परिसर का निर्माण करने की योजना की। परिसर में छ: आपस में जुड़े बहुमंजिला ब्लॉक होने थे। एम.ओ.यू.डी. ने विभिन्न स्वायत्त निकायों/संलग्न कार्यालयों नामतः (i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, (एन.एच.आर.सी.), गृह मंत्रालय, (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.), संस्कृति मंत्रालय तथा (iii) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.), उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय हेतु परिसर में तीन ब्लॉकों के लिए भूमि का आबंटन किया (2001)। व्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

¹ आई.एन.ए., विकास सदन के पास, नई दिल्ली

| क्र.सं. | विवरण | एन.एच.आर.सी. | ए.एस.आई. | एन.सी.डी.आर.सी. |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | भूमि का माप | 9467.92 वर्ग मी. | 8385.23 वर्ग मी. | 4936.80 वर्ग मी |
| 2 | अदा की गई भूमि की कीमत | ₹51.48 लाख | ₹45.59 लाख | ₹26.84 लाख |
| 3 | आबंटन की तिथि | 27.4.2001 तथा 19.12.2002 | 21.12.2001 | 14.8.2001 |
| 4 | एम.ओ.यू.डी. को भुगतान की तिथि | 15.1.2002 तथा 2.1.2003 | 17.9.2002 | 09.11.2001 |

आबंटन की शर्तों के अनुसार, ग्राहियों (उपभोक्ता विभागों) को भूमि के अधिग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर भवन का निर्माण करना अपेक्षित था।

चूंकि उपभोक्ता विभागों के पास निर्माण परियोजना को प्रारम्भ करने हेतु पर्याप्त योजना प्रावधान नहीं थे इसलिए एम.ओ.यू.डी. ने जुलाई 2003 में निर्णय लिया कि वित्तीय आवश्यकता के भाग को एम.ओ.यू.डी. द्वारा संचालित समेकित सामान्य पुल कार्यालय परिसर (जी.पी.ओ.ए.) हेतु प्रावधानों से पूरा किया जाएगा। बाद में, एम.ओ.यू.डी. ने सूचित किया (मार्च 2004) कि कागजों पर, स्थल के सीमांकन के बिना, दिए गए भूमि के अधिग्रहण को रद्द माना जाए क्योंकि आबंटन 'एक लिफाफे' के लिए होगा न कि भूमि के लिए जब तक कि यह आई.एन.ए. में समेकित कार्यालय परिषद पर न होगा। यह आगे स्पष्ट किया कि उपभोक्ता विभागों द्वारा भूमि लागत के प्रति भुगतान की गई राशि निर्माण की लागत के प्रति समायोजित की जाएगी।

तदनुसार, सी.पी.डब्ल्यू.डी ने ₹83.67 करोड़ की लागत पर समेकित जी.पी.ओ.ए के पॉच ब्लॉकों² की अनुमानित लागत को अंतिम रूप दिया जिसे फरवरी 2005 में एम.ओ.यू.डी. द्वारा स्वीकृत किया गया था।

समेकित जी.पी.ओ.ए. की लागत को बाद में जनवरी 2008 में एम.ओ.यू.डी. द्वारा ₹135.03 करोड़³ तक संशोधित किया गया था। निर्माण की लागत का व्यौरा निम्नानुसार था:

² परिसर के एक ब्लॉक का निर्माण पहले ही हो चुका था तथा उसे सी.पी.सी. द्वारा अधिकृत किया गया था।

³ लागत में वृद्धि स्थानीय निकायों से स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब भवन के डिजाइन में परिवर्तन आदि को आरोपित थी।

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | एन.एच.आर.सी. | ए.एस.आई. | एन.सी.डी.आर.सी. |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| I. | निर्माण ⁴ की आनुपातिक लागत | 32.90 | 29.65 | 19.91 |
| II. | संबंधित विभागों द्वारा भुगतान की तिथि | अगस्त 2003 से अप्रैल 2011 | जनवरी 2009 से जून 2010 | जून 2008 से अगस्त 2009 |
| III. | भवन को उपयोग में लाने की तिथि | सितंबर 2013 | फरवरी 2014 | अगस्त 2011 |

लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यक्तिगत स्वायत्त निकायों/उपभोक्ता विभागों द्वारा पहले ही जमा की गई भूमि की लागत के समायोजन से संबंधित मामले को भवन को क्रियात्मक बनाने के पश्चात उनके द्वारा एम.ओ.यू.डी. के साथ उठाया नहीं गया था।

लेखापरीक्षा में मामले को उठाने के पश्चात्, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने एन.सी.डी.आर.सी. (जुलाई 2014) को भूमि के लागत के प्रति अदा की गई राशि के समायोजन हेतु एम.ओ.यू.डी. के साथ मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। बाद में, एम.ओ.यू.डी. द्वारा जून 2015 में एन.सी.डी.आर.सी. को ₹26.84 लाख वापस किया गया था। एन.एच.आर.सी. ने बताया (दिसंबर 2015) कि मामले को एम.ओ.यू.डी. के साथ उठाया गया था जिसने सलाह दी थी कि मामला प्रक्रियाधीन था तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर राशि को वापस किया जाएगा। ए.एस.आई. ने बताया (नवम्बर 2015) कि एम.ओ.यू.डी. को भूमि की लागत के प्रति जमा की गई पूर्ण राशि को वापस करने हेतु नवम्बर 2015 में अनुरोध किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि स्वायत्त निकाय/उपभोक्ता विभाग मामले का पर्याप्त पर्यवेक्षण करने में विफल रहा जो 12 वर्षों से अधिक तक ₹1.24 करोड़ के अवरोधन का कारण बना।

⁴ शेष ₹52.57 करोड़ शीर्ष जी.पी.ओ.ए. के अतंगत शहरी विकास हेतु प्रभारित थे।

22.2 अवकाश यात्रा रियायत दावों की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति

गृह मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के कर्मचारियों ने अपने अवकाश यात्रा रियायत दावों के प्रति बढ़ाए हुए हवाई किराए का दावा करने हेतु गलत हवाई टिकटें प्रस्तुत की थीं जो 45 मामलों में ₹14.32 लाख के अनियमित अधिक भुगतान का कारण बनीं।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.), 2005 का नियम 21 अनुबंध करता है कि लोक धन से व्यय करने अथवा प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए तथा उसे वित्तीय आदेश तथा कड़ी मितव्ययता को लागू करना चाहिए। वह यह भी बताता है कि व्यय को पूरा करने हेतु प्रदान किए गए भत्तों की राशि को इस प्रकार विनियंत्रित किया जाना चाहिए कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तकर्ताओं हेतु लाभ का स्रोत न हों।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय जापन (ओ.एम.) दिनांक 18 जून 2010 के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत के परिवर्तन के प्रति जम्मू एवं कश्मीर (जे. एण्ड के.) का दौरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जी.ओ.ई. ने जे. एण्ड के. हेतु निजी हवाई कम्पनी की सेवाओं का लाभ उठाने हेतु कर्मचारियों को अनुमत किया (ओ.एम. दिनांक 05 अगस्त 2010, 25 अगस्त 2011 तथा 15 जून 2012) परंतु अनुबद्ध किया कि टिकटों की खरीद या तो सीधे हवाई कम्पनी से या फिर प्राधिकृत एजेंटों अर्थात् मैसर्स बालमेर लॉरी एण्ड कम्पनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एण्ड ट्रूस लिमिटेड तथा भारतीय रेल कैटरिंग एवं पर्यटन निगम के माध्यम से की जानी थी।

एल.टी.सी. बिलों की नमूना जांच ने उजागर किया कि गृह मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के 44 अधिकारियों/कर्मचारियों ने निजी हवाई कम्पनी द्वारा यात्रा हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त छूट का लाभ उठाके जे. एण्ड के. तक हवाई यात्राएं की थी। यात्राएं तीन निजी हवाई कम्पनियों नामतः इंडीगो, स्पाईसजेट तथा गो एयर के माध्यम से की गई थीं। इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय के एक कर्मचारी ने एयर इंडिया के माध्यम से अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तक हवाई यात्रा की थी। हमने मंत्रालय में इन अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के

एल.टी.सी. दावों की प्रतिपूर्ति की हवाई कम्पनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध ब्यौरे से तुलना करके नमूना जांच की थी तथा पाया कि दावों के साथ प्रस्तुत बिल सही नहीं थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत हवाई टिकटें हवाई कम्पनियों द्वारा जारी टिकटों के समरूपता में नहीं थी तथा कर्मचारियों द्वारा दावा किए गए किराए इन हवाई कम्पनियों को वास्तव में अदा किए गए से अधिक थे जिसका परिणाम ₹14.32 लाख के अनियमित अधिक भुगतान में हुआ।

इंगित किए जाने पर गृह मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा तैयार ब्यौरे इंडिगो तथा स्पाईसजेट हवाई कम्पनियों से प्रमाणित थे तथा उन्हें समरूप⁵ पाया गया था। उसने आगे बताया कि मामले की जांच करने हेतु दो सदस्यों की समिति गठित कर दी गई थी। संस्कृति मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

एम.एच.ए. का उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सुनिश्चित करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि मामले की जांच की जाए तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

⁵ गो एयर से अभिपुष्टि प्रतीक्षित थी

अध्याय XXIII : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन


23.1 लंबित ए.टी.एन. की स्थिति

लोक लेखा समिति के बार-बार निर्देशों/अनुशंसाओं के बावजूद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी 44 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई टिप्पणि प्रस्तुत नहीं की। तथापि, पिछले पाँच वर्षों के लंबित ए.टी.एन. की स्थिति में प्रत्यक्ष सुधार था।

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल में रखे जाने के तुरंत बाद में शामिल विभिन्न पैराग्राफों पर दर्शायी उपचारात्मक/सुधारात्मक की गयी कार्यवाही पर टिप्पणी वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने इच्छा व्यक्त की, कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लंबित कार्रवाई टिप्पणि (ए.टी.एन.) की प्रस्तुती तीन महिनों की अवधि के भीतर पूर्ण होनी चाहिए तथा अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित ए.टी.एन. संसद में प्रतिवेदनों के रखे जाने से चार महीनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

लेखापरीक्षा ने पी.ए.सी. के निरंतर सलाह और दिशानिर्देश के साथ लंबित ए.टी.एन. की स्थिति में लगातार गिरावट का रुख पाया जैसा कि निम्नलिखित चार्ट में परिलक्षित होता है :-



वर्ष 2011 में 261 से वर्ष 2015 में 111 तक लंबित ए.टी.एन. की संख्या में गिरावट % 57 प्रतिशत था। 31 दिसम्बर 2015 को समाप्त अवधि तक लंबित ए.टी.एन. की मंत्रालय-वार स्थिति परिशिष्ट-XIII में दी गई है। जिन 111 पैराग्राफों पर ए.टी.एन. भेजा जाना आवश्यक था उनमें से, 44 पैराग्राफों के संबंध में ए.टी.एन. पूर्णतया प्राप्त नहीं हुई थी।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित एक विशिष्ट मामला नीचे प्रतिवेदित किया गया है:-

23.1.1 “राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता की क्रियाकलापों” के संबंध में स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन (सी.ए.जी. के वर्ष 2010-11 के प्रतिवेदन सं. 3 अध्याय-I)

पुस्तकालय तथा मंत्रालय ने 2010-15 के दौरान मुख्य रूप से भारत में प्रकाशित पुस्तकों के डाटाबेस का निर्माण, पुस्तकों का तीव्र प्रकाशन, सभी मंडलों के स्टॉक सत्यापन का संचालन, सुरक्षा को मजबूत करना, पाठकों को विभिन्न मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराना तथा सभी ग्रंथसूची रिकॉर्ड का पूर्व रूपांतरण से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

23.1.1.1 परिचय

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता (पुस्तकालय) भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। संस्कृति मंत्रालय (एम.ओ.सी.) भारत सरकार के अधीनस्थ कार्य करते हुए डिलवेरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत प्रकाशित सामग्रियों के लिए भंडार पुस्तकालय, कोलकाता के क्रियाकलापों के संबंध में 2004-05 से 2009-10 तक की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। इस संबंध में 2010-11 की अवधि के लिए सी.ए.जी. रिपोर्ट सं.-3 में 30 स्वीकृत अनुशंसाओं के साथ समाहित किया गया था। 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए स्वीकृति अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए पुस्तकालय द्वारा लिए गए सुधारात्मक उपायों के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए मई और जून 2015 अवधि के दौरान स्वीकृति अनुशंसाओं के आधार पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी।

23.1.1.2 स्वीकृत अनुशंसाओं की अनुपालना

स्वीकृत अनुशंसाओं की अनुपालना की स्थिति और लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का विवरण तालिका-1 में दिखाया गया है।

तालिका-1

| पी.ए.आर. ¹ की पैरा सं. | संस्वीकृत अनुशंसा 2010-11 की रिपोर्ट सं.3 | अनुपालना की स्थिति | लेखापरीक्षा निष्कर्ष |
|--|--|--------------------|--|
| 1.8.1 अधिग्रहण | राष्ट्रीय पुस्तकालय को देश में सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों से पुस्तकों का राष्ट्रीय पुस्तकालय में परिदान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और | महत्वहीन प्रगति | पुस्तकालय ने न तो पुस्तकों के गैर-वितरण की निगरानी के लिए कोई प्रभावी प्रणाली बनाई या दोषी प्रकाशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की और न ही मंत्रालय ने डी.बी. एक्ट के प्रावधानों के प्रभावी 2013 ² में प्रकाशित पुस्तकों (इंटरनेट पर |
| 1.8.1.1 जमा विधि के तहत भारत में प्रकाशित पुस्तकों का अधिग्रहण | महत्वहीन प्रगति | प्रगति | प्रभावी प्रणाली बनाई या दोषी प्रकाशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की और न ही मंत्रालय ने डी.बी. एक्ट के प्रावधानों के प्रभावी 2013 ² में प्रकाशित पुस्तकों (इंटरनेट पर |

¹ राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के क्रियाकलापों पर 2010-11 के निष्पादन लेखापरीक्षा सं.-3 से संदर्भित पैरा

² 2004-13 के दौरान प्रकाशित भारतीय भाषा किताबों से संबंधित डाटा मौजूद नहीं हैं।

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| | डी.बी. एक्ट के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय को पुस्तकों का परिदान नहीं करने वाले प्रकाशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। | | मौजूद) के डाटा के आधार पर लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2015 तक केवल 27 प्रतिशत पुस्तकों की प्राप्तियां की गई। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कांफ्रेस में कहा कि डिपाजिट ऑफ बुक्स, न्यूज-पेपर्स एंड इलेक्ट्रोनिक पब्लिकेशन इन लाइब्रेरी बिल नामक मसौदा बिल तैयार किया गया है और इसे संसद में प्रस्तुत करने से पहले एवं कैबिनेट के अनुमोदन से पूर्व एम.ओ.सी. के वेबसाईट पर डाला गया है ताकि आम जनता की राय द्वारा अंतिम रूप दिया जा सके। |
| | केन्द्र सरकार को इस एक्ट के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सक्षम बनाने के लिए तुरंत जांच करनी चाहिए तथा डी.बी. एक्ट के अनुच्छेद 8 के तहत नियम बनाने चाहिए। | | |
| | पाठकों के लाभ एवं डी.बी. एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को प्राथमिकता के आधार पर भारत में प्रकाशित किताबों के डाटाबेस का निर्माण तथा नियमित रूप से उसे अद्यतन करना चाहिए। | कोई प्रगति नहीं | पुस्तकालय ने भारत में प्रकाशित किताबों का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कांफ्रेस में कहा कि उपरोक्त मसौदा बिल में अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है जिससे प्रकाशकों के डाटाबेस के निर्माण में सरलता आएगी। |
| 1.8.1.2 अंग्रेजी में विदेशी प्रकाशित प्रकाशनों का अधिग्रहण | राष्ट्रीय पुस्तकालय को इसके संग्रह में अंतराल को चिन्हित करना चाहिए तथा तदनुसार किताबों की खरीद करनी चाहिए। | आशिंक रूप से क्रियान्वित किया गया | पुस्तकालय मौजूदा संग्रह में अंतराल को चिन्हित करने में असफल रहा जिससे किताबों के चयन/क्रय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी/प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में असफलता हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>किताबों के चयन और क्रय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए। किताबों के क्रय में, पुस्तकालय को उचित बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए और अन्य पुस्तकालयों के संपर्क में रहना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकाशकों द्वारा दिए जा रहे छूट को जाना जा सके और तदनुसार बिडिंग प्रक्रिया और किताबों के प्रापण के लिए प्लेसमेंट आदेश में उन इनपुटों का ध्यान रहे।</p> | <p>6779 किताबों के क्रय में से पुस्तकालय को 97.09 प्रतिशत किताबों पर फ्लैट 15 प्रतिशत तथा शेष पर 25-30 प्रतिशत की छूट मिली। अनुवर्ती लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाने पर पुस्तकालय ने (अगस्त 2015) राष्ट्रीय पुस्तकालय की शासकीय वेबसाइट पर सूचीबद्ध वैडरों की सूची अपलोड की। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एंगिजट कांफ्रेंस में आश्वस्त किया कि संग्रह विकास नीति को जमा करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को निदेश दिए जाएंगे।</p> |
| 1.8.1.4 पत्रिकाओं अधिग्रहण का | <p>ऑनलाइन पत्रिकाएँ प्रकाशक के सर्वर में स्टोर की जा सकती हैं और उस आई.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुस्तकालय के टर्मिनल अथवा लैपटाप द्वारा अभिगम किया जा सकता है। पाठकों को ऑनलाइन सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा आई.टी. अवसरंचना का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।</p> | अनुशंसाए क्रियान्वित की गई। |
| 1.8.2 प्रक्रमण क्रियाकलाप | <p>राष्ट्रीय पुस्तकालय को विभिन्न भाषा प्रभागों में श्रमशक्ति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि किताबों की तेज गति से प्रक्रमण को</p> | <p>कोई प्रगति नहीं</p> <p>पुस्तकालय विभिन्न भाषा प्रभागों में श्रमशक्ति की समीक्षा करने और युक्तिसंगत बनाने में असफल रहा। यह पाया गया कि सं.पु.स.अ.³ के 9 पदों में 6 को भारतीय भाषा प्रभाग में पदों के</p> |

³ सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी

| | | |
|---|---|--|
| 1.8.2.1 भारतीय भाषाओं की किताबों का प्रक्रमण | <p>सुविधाजनक बनाया जा सके और इसके कुछ प्रभागों में श्रमशक्ति की कमी को दूर किया जा सके।</p> | |
| | <p>लैन द्वारा डाटा शेयर करते हुए समयबद्ध तरीके से प्रक्रमण, सूचीबद्ध, परिग्रहण अभिस्वीकृति, क्रय की संपूर्ण प्रक्रिया कम्प्यूटराइज की जानी चाहिए।</p> | <p>मामूली प्रगति</p> <p>पुस्तकालय लैन द्वारा डाटा शेयर करने तथा कम्प्यूटरीकरण में असफल रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिग्रहण, अभिस्वीकृति और सूची बनाने आदि का कार्य हाथ से ही किया जाता है जिससे कार्य की अनुलिपिकरण/ओवरलैपिंग हुई।</p> |
| | <p>राष्ट्रीय पुस्तकालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर किताबों के परिग्रहण के संग्रह को हटाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। नये किताबों का तुरंत प्रक्रमण कर पाठकों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।</p> | <p>पुस्तकालय न केवल अप्रकाशित किताबों के संग्रह को हटाने में असफल रहा बल्कि 2010-15 के दौरान प्राप्त किताबों को प्रक्रमित नहीं किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2015 तक पुस्तकालय के पास 4.84 लाख⁴ अप्रक्रमित किताबें मौजूद थीं। मंत्रालय ने एक्जिट कांफेस (मार्च 2016) में आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को पहले से ही स्वीकृत प्रोफेशनलों का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।</p> |
| 1.8.2.2 विदेशी भाषाओं में किताबों का प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) | <p>विदेशी भाषा संग्रह में लैंग के प्रक्रमण को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं से विदेशी</p> | <p>कोई प्रगति नहीं</p> <p>पुस्तकालय ने विदेशी वाणिज्य दूतावास सांस्कृतिक सेंटर्स और विभिन्न विश्वविद्यालयों से संपर्क करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। यद्यपि</p> |

⁴ भारतीय भाषा की किताबों सहित

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| | भाषा के विशेषज्ञों एवं विद्यार्थियों से आउटसोर्स द्वारा उनकी मदद ली जा सकती थी। | | पुस्तकालय ने विशेषकर विदेशी भाषा प्रभाग में (जनवरी 2016) विशेषज्ञों की अनुपलब्धता की जिम्मेदार ठहराया, फिर भी पुस्तकालय ने इन पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इन पदों को समाप्त माना गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 72233 किताबें प्रक्रमित नहीं हुआ। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कॉर्फ़ेस में कहा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को इन पदों को पुनर्जीवित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया जाएगा और इसी बीच आउटसोर्सिंग द्वारा इस कार्य को पूरा करें। |
| 1.8.3 परिक्षण पद्धतियां, 1.8.3.1 दर्लभ किताबों की ट्रीटमेंट | “दुर्लभ वस्तुओं” को दोबारा परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। पुस्तकालय में दुर्लभ मुद्रित सामग्रियों के लिए एकल परिग्रहण पंजिका की तैयार किए जाने पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। | आंशिक रूप से क्रियान्वित | पुस्तकालय दुर्लभ किताबों की पहचान के लिए मानदंडों को अंतिम रूप देने में असफल रहा। पुस्तकालय द्वारा बनाई गई समिति ने 2012 से पहले के मानदंडों के सेट के साथ जात दुर्लभ किताबों की सूची बनाई। यद्यपि मूल दस्तावेज को आज (जनवरी 2016) तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। मंत्रालय ने एक्जिट कॉर्फ़ेस (मार्च 2016) में आश्वासन दिया कि कॉर्पोराईट से बाहर प्रत्यक्ष स्थिति और किताबों की पुरातनता के आधार पर दुर्लभ किताबों की पहचान के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को निर्देश दिए जाएंगे। |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| 1.8.3.2 संग्रहों का डिजीटाइजिंग | <p>सू.प्रौ. विशेषज्ञों को हायर करने के लिए सृजित स्वीकृति पदों को भरा जा सकता है और संपूर्ण डिजीटाइजेशन प्रक्रिया की उच्चतम स्तर पर निगरानी की आवश्यकता है। प्रक्रियात्मक देरी से बचने के लिए मंत्रालय को विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।</p> | आंशिक रूप से क्रियान्वित | <p>पुस्तकालय ने सू.प्रौ. विशेषज्ञ पदों की भर्ती के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि पुस्तकालय और मंत्रालय दोनों ही सम्पूर्ण डिजीटाइजेशन प्रक्रिया की निगरानी करने में असफल रहे। इस निष्क्रियता के कारण ए.एल.आई.ओ.रेप्रोग्राफी/माइक्रो फोटोग्राफी के पदों को समाप्त कर दिया गया। जून 2015 तक पुस्तकालय ने सौ साल पूरानी समाचार पत्र का 10-15 प्रतिशत⁵ का माइक्रो फ़िल्म बनाया और पुस्तकों/पांडुलिपियों के एक लाख पृष्ठों जिन्हें उन्होंने पुराना एवं दुर्लभ समझा, डिजीटाइज़ किया। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कांफ्रेस में कहा कि भर्ती नियम (आर.आर.) में संशोधन प्रक्रियाधीन हैं और इस दौरान आउट सोर्सिंग की संभावनाओं को तलाशने का निदेश राष्ट्रीय पुस्तकालय को दिए जाएंगे।</p> |
| | <p>दुर्लभ पुस्तकों को उसकी मूल प्रति के साथ संपूर्ण संग्रह को डिजिटाइज करें और इलेक्ट्रानिक प्रति के देशव्यापी अभिगम की पूर्ति करें।</p> | कोई प्रगति नहीं | <p>पुस्तकालय ने दुर्लभ किताबों/दस्तावेजों के इलेक्ट्रानिक प्रति की देशव्यापी अभिगम की पूर्ति नहीं की। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कांफ्रेस में आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को डिजिटाइजेशन के लिए टेंडर तैयार करने का निदेश दिये जाएंगे और जब डिजिटाइजेशन पूरा हो जाएगा तब ऑनलाइन अभिगम की सुविधा प्रदान की जाएगी।</p> |
| 1.8.3.3 उपचारात्मक परिरक्षण बाइंडिंग | <p>एक स्पष्ट संरक्षण नीति तुरंत बनाई जानी चाहिए। संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किताबों के पहचान के</p> | आंशिक रूप से क्रियान्वित | <p>पुस्तकालय ने स्पष्ट संरक्षण नीति नहीं बनाई। संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किताबों की पहचान के लिए पुस्तकालय के विभिन्न अन्य</p> |

⁵ 24 लाख छाया को माइक्रो फ़िल्म किया गया अर्थात् 10000 बाइंड पुरानी और दुर्लभ समाचार पत्रों के 10-15 प्रतिशत।

| | |
|---|---|
| <p>लिए प्रभागों और प्रयोगशाला के बीच के सहभागिता के स्तर को बढ़ाना होगा। बाईंडिंग कार्य के मार्गदर्शन के लिए प्रारंभिक इकाई का गठन किया जाना चाहिए। बाइंडिंग का कार्य साइट पर प्रतिष्ठित फर्मों को आउटसोर्स किया जा सकता है।</p> | <p>प्रभागों और प्रयोगशाला के बीच सहभागिता की कमी पाई गई। इसके आगे स्टाफ की कमी के लिए मार्गदर्शन इकाई सन् 2013 से ही कार्य नहीं कर रही थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन प्रभागों के बीच 50 प्रतिशत से ज्यादा पद, इन पदों के नहीं भरें जाने के कारण समाप्त कर दिए गए। पुस्तकालय ने (दिसम्बर 2015) प्रयोगशाला प्रभाग में बाईंडिंग कार्य के लिए 5 व्यक्तियों को आउटसोर्स किया। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कॉफ्रेंस में आश्वासन दिया कि पुस्तकालय को तीन महीने के भीतर एक स्पष्ट संरक्षण नीति बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के समाप्त हुए पदों को पुनः प्रवर्तन करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देश देंगे।</p> |
| <p>प्रयोगशाला प्रभाग में प्रशिक्षित और दक्ष कर्मचारियों की कमी थी। इन कमियों को अन्य पुस्तकालयों से सहभागिता को मिलाकर प्रशिक्षण प्रभाग बनाकर, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम कर और कार्यशाला द्वारा दूर किया जाना चाहिए। बेहतर संरक्षण पद्धतियों हेतु आधुनिक तकनीकी जानकारी और उन्नत उपकरणों को लगाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पुस्तकों की अधिकतम आयु</p> | <p>आंशिक रूप से क्रियान्वित किए गए पुस्तकालय ने न तो प्रशिक्षण प्रभाग का गठन किया और ना ही अन्य पुस्तकालयों से सहभागिता के जोड़ते हुए कार्यशाला और नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए गए। यहाँ तक कि पुस्तकालय ने मई 2015 तक अन्य संस्थानों के साथ संबंधित विषयों पर संरक्षण, डिजिटाइजेशन विश्वविद्यालय कोर्स प्रायोजित करने का विचार नहीं किया। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कॉफ्रेंस में आश्वासन दिया की आधारभूत प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय</p> |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|
| | <p>होनी चाहिए।</p> <p>पुस्तकालय को अन्य संस्थाओं के सहयोग से संरक्षण, डिजिटाइजेशन और संबंधित विषयों पर विश्वविद्यालय प्रायोजित पाठ्यक्रमों पर विचार करना चाहिए।</p> | | पुस्तकालय को निर्देश दिए जाएंगे। |
| 1.8.3.4 इनवारमेंट निगरानी | <p>विभिन्न स्थानों पर एकत्रित संग्रह के मैक्रो इनवारमेंट को एक निर्धारित सीमा के भीतर अनुरक्षित रखने की आवश्यकता थी एवं पुस्तकालय को बहुमूल्य संग्रह की आयु लम्बे समय तक बनी रहे ऐसी निगरानी स्वयं करनी चाहिए।</p> | मामूली प्रगति | पुस्तकालय मैक्रोइनवारमेन्ट को निर्धारित सीमा में रख की बहुमूल्य संग्रहों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के निगरानी कार्य को करने में असफल रहा था। एग्जिट सम्मेलन में मंत्रालय (मार्च 2016) ने यह भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया जाएगा जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ताप तथा आद्रता को नियंत्रित करने हेतु समन्वय स्थापित करेगा। |
| | <p>एक अग्निशामक योजना लाए जाने की आवश्यकता थी तथा तथा इससे संबंधित कर्मचारियों को आवधिक कृत्रिम अभ्यास में शामिल किया जाना था।</p> | कोई प्रगति नहीं | पुस्तकालय ने कोई भी अग्निशामक योजना तैयार नहीं की और कर्मचारियों को अग्निशामक प्रशिक्षण भी नहीं दिलवाया। यहाँ तक कि पुस्तकालय ने पश्चिम बंगाल अग्निशामक दस्ता से आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया। एग्जिट सम्मेलन में मंत्रालय ने यह आश्वस्त किया कि (मार्च 2016) मामले को गंभीरता से लिया जाएगा तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहयोग से प. बंगाल सरकार से आवश्यक सुरक्षा प्रमाण पत्र ले लेगा। |

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| 1.8.4 नियंत्रण मुद्दे। 1.8.4.1 पुस्तकों के संचलन की निगरानी | विभिन्न कार्यों जैसे प्राप्ति अनुभाग में पुस्तकों का मुद्रांकन एवं छंटाई, पावती भेजना, पुस्तकों के गद्वार को खोलना तथा रजिस्टर में संगत पुस्तकों का इंदराज करना आदि के लिए मानदंड बनाना तथा लागू करना जैसे आंतरिक नियंत्रण के रूप में कदम उठाना। | आंशिक रूप से लागू | पुस्तकालय कई विभिन्न प्रसंस्करण कार्यों के अभियान सफल करने में नाकाम रहा है। रिकार्ड की नमूना जाँच यह प्रकट करती है कि 'केन्द्रीय छंटाई अनुभाग' ने पुस्तकों में गद्वार को नियत स्थान पर भेजने में 14 से 47 दिन का समय लिया। आगे लेखापरीक्षा ने सात प्रभाग ⁶ के माह ⁷ का रिकार्ड परीक्षण में यह पाया कि 6 विभाग (बंगला ⁸ को छोड़कर) पुस्तकों को स्टॉक तक भेजने की प्रक्रिया में 2 से 15 मास का समय लिया। पुस्तकालय ने (जनवरी 2016 में) उपर्युक्त कारण के लिए श्रमशक्ति की कमी का आरोप लगाया। मंत्रालय ने एन्जिट सम्मेलन में आवश्वस्त किया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा भर्ती नियमों में जहाँ आवश्यक हो संशोधन करने का निर्देश देंगे। |
| 1.8.4.2 सत्यापन | पुस्तकालय में स्टैक सत्यापन हेतु एक वार्षिक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए जो कि सभी प्रभागों को तथा सभी संग्रहों का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने के लिए हो। सभी प्रभागों का निर्धारित आवधिकता से सत्यापन करना चाहिए। सत्यापन अभियान में तेजी लाने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन को तकनीकी सलाह लेनी चाहिए जैसे 'आर एफ आई डी' (रेडीयो फ्रेक्वेंसी आईडेन्टीफिकेशन टेगिंग) | मामूली प्रगति | पुस्तकालय ने सभी प्रभागों का चरणबद्ध तरीके से स्टैक सत्यापन की योजना तैयार नहीं की। यहाँ तक कि, पुस्तकालय ने आर एफ आई डी (रेडीयो फ्रिक्वेशी आईडेन्टीफिकेशन) को लाने के लिए कोई भी तकनीकी सलाह नहीं ली। मई 2011 में एक निजी कंपनी ⁹ द्वारा किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन में 42 प्रभागों में केवल 25 प्रभागों को ही शामिल किया जा सका। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पुस्तकालय ने बताया कि (जनवरी 2016) आर एफ आई डी परियोजना हेतु नई निविदा की तैयारी हो रही है। पुस्तकालय ने रेडम बार कोडीग सिस्टम को अपनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि चोरी की रोकथाम हो सके। मंत्रालय ने एन्जिट सम्मेलन में (मार्च 2016) आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को आर एफ आई डी को शुरू |
| | पुस्तकालय का आंतरिक नियंत्रण तंत्र मजबूत होना चाहिए। | | |
| | सामग्रियों की चोरी रोकने के | | |

⁶ संस्कृत, मंत्रालय, असमीया, तमील, हिन्दी बंगाली और ओडीया

⁷ स्टैक में भेजी गई कुल पुस्तकों में से 10 पुस्तकें यादचिक्षण रूप से चुन ली गई जिस प्रभाग के स्टैक में (संस्कृत, मंत्रालय, हिन्दी और बंगाली पुस्तक मार्च 2015) थे वह मार्च के लिए। जिस प्रभाग से ओडीया में भेजा गया उसके लिए अप्रैल तथा मई महीना असमीया, तमिल के लिए चुना गया क्योंकि इन तीनों प्रभागों से एक भी पुस्तक स्टैक में नहीं भेजी गई थी।

⁸ बंगाली प्रभाग ने 1 से 24 दिन लिए।

⁹ मैसर्स डाटासॉफ्ट कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड

| | | | |
|---|--|------------------------|---|
| | लिए रेन्डम बार कोडींग सिस्टम को अपनाना चाहिए। | | करने का निदेश दिया जाएगा। |
| 1.8.4.3 सुरक्षा प्रणाली/व्यवस्था | पुस्तकालय की सुरक्षा को पर्याप्तरूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। | आंशिक रूप से लागू हुआ। | 69 सी सी टीवी ¹⁰ को छोड़कर पुस्तकालय अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने में विफल रहा। लगभग सभी सुरक्षा उपकरण जैसे वॉकी-टाकी, सर्च लाइट, हैन्ड मेटल डिटेक्टर या तो काम नहीं कर रहे या मरम्मत से ठीक न होने वाले हैं। मंत्रालय ने एग्जिट सम्मेलन में कहा कि (मार्च 2016) राष्ट्रीय पुस्तकालय को सुरक्षा तंत्र की मजबूती के लिए निदेश दिया जाएगा। |
| 1.8.5. पाठकों की सेवा 1.8.5.1 ऑनलाइन सेवाएं | पुस्तकालय को चाहिए कि पाठकों को मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करे एवं ऐसी सेवाओं का उच्चतम लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान करे। | आंशिक रूप से लागू | पुस्तकालय द्वारा सब्सक्राइब एक ई-रिसोर्स केन्द्र जिसमें 70 टर्मिनल (वर्तमान में 55 इन्टरनेट से लैस) मई 2015 में ई-रिसोर्स के अभिगमन हेतु कार्यान्वित किया गया। इसके अलावा पाठकों को कोई मूल्य वर्धित सेवा नहीं प्रदान की गई। तथापि पुस्तकालय ओपीएसी को संचालित तथा सभी के सूचीपत्रों को केन्द्रीकृत करने के लिए काम नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने यह नोट किया कि पूरे देश में पाठकों को पुस्तकालय के संपूर्ण संग्रहण के केवल 33 प्रतिशत ¹¹ तक ही पहुँच थी। पुस्तकालय ने दूरवर्ती प्रयोक्ताओं को सुदूर सेवा प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की सिवाय 2010-15 के दौरान मेल द्वारा प्रतिक्रिया देने के जिसके कारण रिकार्ड पर नहीं थे। मंत्रालय ने अपने एग्जिट कांफ्रेस में यह सुनिश्चित किया (मार्च 2016) कि शीघ्र ही वे राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को अनुमोदित ई-संसाधनों तक देशव्यापी ॲनलाइन पहुँच प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि नेशनल लाइब्रेरी संपूर्ण लाइब्रेरी के डाटा को ओपीएसी में फीड करने की प्रक्रिया तीव्र करेगा। |
| | पुस्तकालय को सभी पुस्तक सूची केंद्रीयकृत रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। पाठकों का वर्गीकरण बेहतर आवश्यकता आधारित सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए पाठक द्वारा अनुरोध किए गए पुस्तकों की खोज और सक्षमता से करनी चाहिए और नजदीक से मॉनिटर करनी चाहिए। | आंशिक रूप से लागू | |
| 1.8.6 ग्रंथ सूची की सेवा 1.8.6.1 रिट्रोस्पेटिव | कोई विशिष्ट अनुशंसा नहीं। सितम्बर 2002 में संकलित परियोजना में ग्रंथ सूची का | मामूली प्रगति | पुस्तकालय ने रेट्रोकोन परियोजना को पुनः जनवरी 2010 में शुरू किया लेखापरीक्षा ने नोट किया कि पुस्तकालय ने अप्रैल 2014 |

¹⁰ मुख्य भण्डारण अनुभाग के विभिन्न हिस्सों में जैसे: मुख्य भण्डारण अनुभाग, वाचनालय इत्यादि में कुल 73 सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किए गए जिसमें से 4 काम नहीं कर रहे थे।

¹¹ 25.13 लाख उपलब्ध डाटा में से, लेन द्वारा लाइब्रेरी के साथ उपलब्ध 16.5 लाख इलेक्ट्रानिक डाटा तथा वेब द्वारा केवल 8.19 लाख अभिलेख (जुलाई 2015) उपलब्ध थे।

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| कनवर्सन रिट्रोकॉन प्रोजेक्ट पीएआर का (पैरा 1.8.6.1) | केवल सात प्रतिशत ही मशीन रीडेबल कैटालोगिंग (एमएआरसी 21) प्रारूप में रिकार्ड हो सका। | | तक चार ऐजेन्सी को ₹3.20 करोड़ निर्गत किया इसमें रेट्रो रूपांतरण शुल्क 11 लाख डेटा 25 लाख डाटा में से जिसमें 5.28 लाख अमान्य डाटा का 1.59 करोड़ का भुगतान शामिल था। मंत्रालय ने एमिजट कंफ्रेंस (मार्च 2016) में सुनिश्चित किया कि नेशनल लाइब्रेरी को बचे हुए डाटा के रेट्रो कनवर्जन परियोजना को शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा। |
| 1.8.6.2 ग्रंथ सूचियों के क्रियाकलापों को प्रतिलिपिकरण | डेटाबेस को केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय से साझा करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को दुत कदम उठाने चाहिए जिससे कि इसके स्तर में तेजी आए इससे राष्ट्रीय पुस्तकालय को विभिन्न भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ की कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। | कोई प्रगति नहीं। | लेखापरीक्षा ने नोट किया कि न तो पुस्तकालय और न ही मंत्रालय केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के साथ तालमेल के लिए कोई कदम उठाया। मंत्रालय ने एक्जिट कंफ्रेंस में कहा कि (मार्च 2016) इस मामले को देखने के लिए एक समिति बना दी गई है। |
| | पुस्तकालय को ग्रंथसूचियों के क्रियाकलापों को अन्य भारतीय नामित सार्वजनिक पुस्तकालय से साझा करने में (नोडल) मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। | कोई प्रगति नहीं। | ग्रंथ सूचियों को क्रियाकलापों को भारत वर्ष में फैले अन्य नामित सार्वजनिक पुस्तकालय से साझा करने की और कोई शुरूआत नहीं की गई। मंत्रालय ने एक्जिट सम्मेलन में (मार्च 2016) में आश्वस्त किया कि भारत के अन्य नामित सार्वजनिक पुस्तकालय से ग्रंथसूचियों को साझा करने के नये उपायों को खोजने तथा उस पर बल देने के लिए पुस्तकालय को निर्देश दिया जाएगा। |

23.1.1.3 निष्कर्ष

अनुवर्ती लेखापरीक्षा यह प्रकट करती है कि पुस्तकालय ने भारत में प्रकाशित पुस्तकों के डेटा बेस को तैयार नहीं किया, विभिन्न भाषा प्रभाग में श्रम शक्ति को तर्कसंगत सिद्ध नहीं किया, पुस्तकों के प्रसंस्करण में तेजी हेतु रिक्त पदों की भर्ती भी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय ने संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई तथा सभी प्रभागों के स्टॉक सत्यापन तथा सुरक्षा की मजबूती के लिए प्रर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। पुस्तकालय पाठकों के लिए मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराने तथा सभी ग्रंथसूचियों के अभिलेख का रेट्रो रूपांतरण करवाने में विफल रहा।

एकिजट सम्मेलन (मार्च 2016) में मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को निर्देश देने का आश्वासन दिया कि पुस्तकालय अपनी उपलब्ध श्रमशक्ति का भरपूर उपयोग करेगा तथा पुस्तकों के प्रसंस्करण/संरक्षण/डिजिटलीकरण के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगा तथा जहाँ आवश्यक हो आटसोर्सिंग द्वारा कार्य को पूरा करने का उपाय करेगा। मंत्रालय ने यह भी आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को निदेश जारी करेगा कि डिजिटलीकरण के लिए निविदा निकालेगा और एक स्पष्ट संरक्षण नीति तीन महीने के भीतर, सुरक्षा पुछता करने का प्रयास तथा सभी ग्रंथसूची अभिलेख का रेट्रो रूपांतरण किया जाएगा।

४० पृ० सिंह

नई दिल्ली

दिनांक: 27 अप्रैल 2016

(मुकेश प्रसाद सिंह)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली

दिनांक: 28 अप्रैल 2016

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-I

पैरा 12.2 के संदर्भ में

आठ चयनित समूहों के प्रोफाईल को दिखाने वाले कथन

| क्र.सं. | समूह का नाम एवं स्थिति और के.वी.आई.सी. का अधिकार क्षेत्र | आई.ए तथा टी.ए. का नाम एवं स्थिति | समूह के क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण | बजटीय अनुदान के बाहर खर्च (₹ लाख में) |
|---------|--|---|---|---------------------------------------|
| 1. | बारपेटा केन एवं बांस शिल्प (बी सी बी) समूह, बारपेटा, असम राज्य कार्यालय- गुवाहाटी | आई ए- आंचलिक ग्राम उन्नयन परिषद, बारपेटा, असम टी ए- भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई आई इ), भारत सरकार, गुवाहाटी | केन एवं बांस शिल्प-सजावट तथा उपयोगिता उत्पादों का उत्पादन | 78.50 |
| 2. | सुरेन्द्र नगर कॉटन खादी (एस सी के) समूह, गुजरात राज्य कार्यालय- अहमदाबाद | आई ए- सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट टी ए- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद | कताई, बुनाई तथा खादी कपड़ों का उत्पादन, चटाई, तौलिया, आदि | 104.03 |
| 3. | सिंहभूम मधुमक्खी पालन समूह (एस बी के), झारखण्ड राज्य कार्यालय - रांची | आई ए- सिंहभूम ग्रामोद्योग विकास संस्थान, निमडिह, चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम) टी ए-जेवियर प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर | कच्चा शहद का संग्रहण, तथा इसका प्रसंस्करण एवं विपणन। संबद्ध उत्पादों जैसे शहद, अदरख जेली, तुलसी, शहद, अदरख आंवला आदि के उत्पादन में भी व्यस्त था। | 72.90 |
| 4. | सींग एवं हड्डी उत्पाद (एच ए बी) समूह, संभल मुरादाबाद (उ.प्र.) मंडलीय कार्यालय मेरठ | आई ए- मै. रुदायन ग्राम विकास आश्रम, संभल (उ.प्र.) टी.ए- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद | सींग एवं हड्डी से बने ज्वेलरी, वस्तुएं, फोटो फ्रेम, सींग बटन आदि। | 63.12 |

| | | | | |
|----|---|---|---|-------|
| 5. | टीकरमाफी वूलन एवं कॉटन खादी (टी डब्ल्यू एवं सी के) समूह, सुल्तानपुर (उ.प्र.) राज्य कार्यालय- लखनऊ | आई ए- मै. क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, सुल्तानपुर (उ.प्र.) टी.ए- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद | कपड़े, लुंगी, चादर, शर्ट, थान, कुर्ता, पायजामा आदि का उत्पादन। | 63.81 |
| 6. | सिद्ध एवं आयुर्वेद (एस एवं ए) समूह, तमिलनाडू मण्डलीय कार्यालय - मदुरई | आई ए- लक्ष्मी सेवा संघम डिडिगुल, तमिलनाडू टी ए- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संस्थान (एन.आई-एम एस एम ई), हैदराबाद | जड़ी-बूटी का संग्रह तथा सिद्ध एवं आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन। | 78.50 |
| 7. | स्वामी रामानंद तीर्थ (एस आर टी) कॉटन खादी समूह नांदेड़, महाराष्ट्र राज्य कार्यालय -मुंबई | आई ए- मराठवाड़ा खादी ग्रामोदयोग संघ, नांदेड़। टी ए- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद | कताई, बुनाई तथा खादी कपड़ों का उत्पादन तथा इसका विपणन | 87.01 |
| 8. | अमरावती- वर्धा मधुमक्खी पालन (ए डब्ल्यू बी) समूह, महाराष्ट्र मण्डलीय कार्यालय- नागपुर | आई ए- प्रगति बहुदेशीय संस्था, पुलगांव टी ए- केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, पुणे | आई ए कच्चा शहद की खरीद में संलग्न था जो मेलाघाट क्षेत्र के वनों से दस्तकारों द्वारा संग्रहित थे जो सी एफ सी मे तैयार होती थी एवं मेलाघाट के शहद के ब्रांड नाम से आई ए द्वारा विपणित की जाती थी। | 66.53 |

अनुबंध-II

पैरा 12.2 के संदर्भ में
चयनित समूहों का प्रदर्शन
एस सी के समूह

| विवरण | पूर्व-हस्तक्षेप अवधि | पश्च हस्तक्षेप अवधि | | | | | | | | प्रतिशतता आधार | वर्ष |
|---|---|---------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|----------------|------|
| | | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | | |
| समूह में संलग्न दस्तकारों की संख्या | 100 | 300 | 400 | 450 | 500 | 536 | | 536 | 536 | +436 | |
| समूह का उत्पादन (रु लाख में) | 169 | 222 | 159 | 147 | 188 | 303 | | 297 | 311 | +84.02 | |
| समूह का उत्पादन (मीटर में) | 2.10 | 3.03 | 1.94 | 1.36 | 1.25 | 1.89 | | 1.38 | 1.75 | -16.67 | |
| आई की लाभ/हानि* (रु लाख में) | 0.99 | 2.87 | 3.10 | 4.62 | 6.45 | 8.48 | | 11.62 | 12.12 | +1124.24 | |
| उत्पादकता (मात्रा में उत्पादन/दस्तकारों की सं.) | 2100 | 1010 | 485 | 302.22 | 250 | 352.61 | | 257.46 | 326.49 | -84.45 | |
| स्फूर्ति केंद्र की लाभ/हानि | आई ए द्वारा कोई पृथक खाता अनुरक्षित नहीं किया गया था | | | | | | | | | | |
| बिक्री | आई ए द्वारा कोई पृथक बिक्री ऑकड़े अनुरक्षित नहीं किए गए थे। | | | | | | | | | | |

एस आर टी समूह

| विवरण | पूर्व-हस्तक्षेप अवधि | पश्च हस्तक्षेप अवधि | | | | | | | | | प्रतिशतता आधार वर्ष अर्थात् 2007-08 से 2014-15 की तुलना में वृद्धि/कमी |
|--|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | | |
| समूह में संलग्न दस्तकारों की संख्या | | 301 | 339 | 386 | 412 | 406 | 480 | 483 | 479 | +59.14 | |
| समूह का उत्पादन (रु लाख में) | | 103.55 | 110.47 | 132.48 | 119.87 | 164.92 | 181.12 | 160.48 | 147.18 | +42.13 | |
| समूह का उत्पादन (मीटर में) | | 76632 | 79824 | 99142 | 92085 | 100092 | 118816 | 108680 | 105317 | +37.43 | |
| आई ए की लाभ/हानि* | | (0.30) | (0.57) | 1.16 | 10.16 | 110.52 | 44.92 | 7.62 | 36.72 | +12340 | |
| उत्पादकता (मात्रा में उत्पादन/दस्तकारों की सं.) | | 254.59 | 235.47 | 256.84 | 223.51 | 246.53 | 247.53 | 225.01 | 219.87 | -13.64 | |
| बिक्री | स्फूर्ति के लिए पृथक् बिक्री अनुरक्षित करने की कोई प्रणाली नहीं थी। | | | | | | | | | | |

* आई ए द्वारा स्फूर्ति के लाभ/हानि गतिविधियों को पृथक् रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया था। ऊपर उल्लिखित लाभ/हानि आई ए की संपूर्ण लाभ/हानि को दर्शाती है जो आई ए के सभी उत्पादन केंद्रों को शामिल करती है (अर्थात् स्फूर्ति केंद्र तथा अन्य उत्पादन केंद्र)

एस एवं ए समूह

| विवरण | पूर्व- हस्तक्षेप अवधि | पश्च हस्तक्षेप अवधि | | | | | | | | प्रतिशतता आधार वर्ष अर्थात् 2007-08 से 2014-15 की तुलना में वृद्धि/कमी |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
| समूह में संलग्न दस्तकारों की संख्या | | 242 | 626 | 626 | 626 | 665 | 665 | 665 | 665 | 174.79 |
| समूह का उत्पादन (रु लाख में) | | 249.68 | 229.89 | 271.43 | 122.23 | 72.83 | 154.76 | 180.48 | 213.76 | -14.39 |
| समूह का उत्पादन (मात्रा में) | 68415 कि.ग्रा. | 75795 कि.ग्रा. | 54415 कि.ग्रा. | 22327 कि.ग्रा. | 19045 कि.ग्रा. | 24837 कि.ग्रा. | 29282 कि.ग्रा. | 45518 कि.ग्रा. | 45518 कि.ग्रा. | -33.47 |
| | 26445 ली. | 48097 कि.ग्रा. | 32865 ली. | 3736 ली. | 2895 ली. | 5778 ली. | 11376 ली. | 5637 ली. | 5637 ली. | -78.68 |
| स्फूर्ति केंद्र की लाभ/हानि (रु लाख में) | 32.50 | 42.44 | -24.89 | 3.95 | -24.73 | 2.07 | -16.45 | 3.64 | 3.64 | -88.80 |
| उत्पादकता (कि.ग्रा. में) (उत्पादन मात्रा में/दस्तकारों की संख्या) | 282.71 | 121.08 | 86.92 | 35.67 | 28.64 | 37.35 | 44.03 | 68.45 | 68.45 | -75.79 |
| उत्पादकता (ली. में) | 109.28 | 76.83 | 52.50 | 5.97 | 4.35 | 8.69 | 17.11 | 8.48 | 8.48 | -92.24 |
| बिक्री (रु लाख में) | 244.15 | 332.49 | 225.56 | 182.65 | 113.66 | 208.11 | 206.66 | 285.43 | 285.43 | +16.91 |

ए डब्ल्यू बी समूह

| विवरण | पूर्व-हस्तक्षेप | | | | | | | | पश्च-हस्तक्षेप | | प्रतिशतता 2007-08 से 2014-15 की तुलना में वृद्धि/कमी | आधार वर्ष | अर्थात् |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|--|-----------|---------|
| | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | | | | | |
| समूह में संलग्न दस्तकारों की संख्या | 70 | 150 | 220 | 320 | 430 | 510 | 510 | 510 | +628.57 | +628.57 | | | |
| आई ए का उत्पादन (रु लाख में) | 1.32 | 13.56 | 4.59 | 12.59 | 16.67 | 12.05 | 6.95 | 9.38 | +610.61 | +610.61 | | | |
| आई ए का उत्पादन (कि.ग्रा. में) | 2643 | 22594 | 6559 | 15742 | 15147 | 10044 | 6314 | 7213 | +172.91 | +172.91 | | | |
| आई ए की लाभ/हानि (रु लाख में) | एन.ए | 0.96 | 2.20 | 1.19 | 0.28 | 2.32 | 4.55 | 2.79 | - | - | | | |
| आई ए की बिक्री (रु लाख में) | 3.35 | 20.60 | 7.99 | 19.63 | 20.86 | 17.48 | 8.59 | 13.78 | +311.34 | +311.34 | | | |

अनुबंध - III

(संदर्भ पैराग्राफ 14.2)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 पूर्ववर्ती प्रतिवेदन सं. 24, पर आधारित मंत्रालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा अपवादों का पैरावार विवरण तथा वर्तमान स्थिति

| 2014 के ए आर 24 सं. पैरा | पैरा संक्षेप में | वर्तमान स्थिति |
|-----------------------------|---|--|
| 2.3 | लेखापरीक्षा बाधाएँ | |
| 2.4 | विनियामक तथा नियंत्रण मुद्दे | |
| 2.4.1 | कार्य कार्यक्रम तथा बजट (डब्ल्यू पी एवं बी) की ठेकेदार ने सीएजी की अभ्युक्ति को स्वीकार किया। 31 मार्च 2015 से पहले स्वीकृति में विलंब 2015-16 डब्ल्यू पी एवं बी को भी पूरा किया गया था। चालू लेखा परीक्षा में कोई विचलन नहीं देखा गया। | |
| 2.6 | डी 1 - डी 3 गैस क्षेत्रों से उत्पादन | |
| 2.6.4 | विकास लागत में वृद्धि | ऑपरेटर ने 80 एम एम एस सी एम डी के गैस उत्पादन को संभालने के लिए सुविधाओं को बढ़ाया। मार्च 2012 तक, ऑपरेटर ने एम सी द्वारा स्वीकृति लागत अमेरिकी डॉलर \$ 5.20 बिलियन के सापेक्ष डी 1-डी 3 गैस क्षेत्रों के विकास पर अमेरिकी डॉलर \$ 5.76 बिलियन खर्च किया। स्थिति पूर्ववत् रही। ऑपरेटर द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। |
| 2.7 | व्यय संबंधित मुद्दे | |
| 2.7.1.1 | अभियांत्रिकी, खरीद, प्रतिष्ठापन तथा अपतटीय सुविधाओं के निर्माण के लिये संविदा | पी एन जी मंत्रालय ने पैरा 2.7.1.1 से 2.7.7.1.9 में टिप्पणी किए गए व्यय को अस्वीकृत कर दिया तथा ठेकेदार को तत्काल राशि लौटाने के दस्तावेजों |

अलसी मेरिन कांट्रैक्टर (एएमसी) अपटटीय सुविधाओं के इ पी आई सी संविदा मे को एकमुश्त तथा अनंतिम दर पर अस्थायी मूल्य क्रमशः 699.09 मिलियन यूरो तथा 64.99 मिलियन यूरो की ऐमुश्त तथा अनंतिम दर पर दिया गया। आपरेटर के विभिन्न कारकों के कारण, ए एम सी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। ऑपरेटर द्वारा कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए ए एम सी को लगभग 200 मिलियन यूरो की छूट दी गयी जो लागत वापसी के लिये अनुमत नहीं थे क्योंकि छूट इ पी आई सी के अनुरूप नहीं थी।

2.7.1.2 एफ पी एस ओ को सुविधा देने के लिए ठेका

ड्राई डॉकिंग लाईफ का विस्तार

समझौता हस्ताक्षरित होने की तिथि के चार माह के अन्दर, ऑपरेटर ने एफ पी एस ओ को एक बार क्षतिपूर्ति \$17.36 यू एस मिलियन के लिए ड्राई डॉकिंग लाईफ को 10 से 15 साल तक बढ़ाने के लिए निवेदन किया। चूंकि एफ पी एस ओ केवल 10 साल के लिए चार्टरिड किराए पर लिया गया था, ड्राई डॉकिंग को 15 साल के लिए विस्तार देना न्यायसंगत नहीं था।

2.7.1.2.2 वितरण मे तेजी लाने तथा कमिशनिंग टीम को जल्दी गतिमान तथा तेल और गैस के प्रथम उत्पादन की तिथि के विस्तार के लिए लागत में वृद्धि

साक्ष्य को प्रदान करने तथा छूट के फलस्वरूप अतिरिक्त पेट्रोलियम लाभ भारत सरकार को देने का निर्देश दिया।

- ठेकेदार ने सभी मामलों में, पैरा 2.7.3 के अलावा जहां ठेकेदार द्वारा 2014-15 के लिए संशोधन प्रस्तावित था मंत्रालय द्वारा निर्देशित लागत वसूली के वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।
- फिर भी, लागत आवंटन से संबंधित इसी तरह के मुद्दे देखे गए तथा प्रतिवेदन के पैरा 2.2.3 तथा 2.2.9 मे टिप्पणी की गई है।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 24 के पैरा सं. 2.7.6.2 के संबंध मे, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान सामान्य पट्टे के किराये प्रतिदिन के अलावा ऑपरेटर ने एफ पी एस ओ को सुविधा प्रदान करने के लिए अपटाईम बोनस का भी भुगतान किया इससे 2013-14 की अवधि के दौरान ठेकेदार को \$10.13 यू एस मिलियन का अतिरिक्त लाभ हुआ। प्रतिवेदन के पैरा 2.1.3 मे इस पर टिप्पणी की गई है।

एफ पी एस ओ विक्रेता द्वारा अपनी ठेका बाध्यतायों को पूरा किए बिना, ऑपरेटर ने तेल उत्पादन की प्रथम तिथि (डी एफ पी ओ) को, बिना अर्थदंड लगाए, पुनर्निर्धारित कर दिया। इसके अतिरिक्त, समझौते में क्षतिपूर्ति या वितरण की शीघ्रता के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था न होने के बावजूद ऑपरेटर द्वारा \$45 यू एस मिलियन की क्षतिपूर्ति वेंडर को वेंडर कमीशन टीम के शीघ्र गतिमान तथा टॉप साईड माइयूल आदि के शीघ्र वितरण के लिए भुगतान की गई।

2.7.1.2.3 रहने वाले क्वार्टरों की स्थापना तथा संविरचन

एफ पी एस ओ को ऑपरेटर ने 10 साल के लिए पट्टे पर दिया था। फिर भी ऑपरेटर ने विद्यमान रहने वाले क्वार्टरों को चमकाया और फेन्ड्रिकेट किया तथा अतिरिक्त रहने वाले क्वार्टरों की स्थापना \$15 यू एस मिलियन की लागत से इस आशय से की ताकि बाद की तारीख से एफ पी एस ओ को खरीद सके।

2.7.2 अनियमित भुगतान

2.7.2.1 लार्सन एंड टूब्रो (एल एं टी) लि. द्वारा ₹22.7 मिलियन की लागत से तटीय टर्मिनल (ओ.टी.) का निर्माण

तटीय टर्मिनल (ओ.टी.) निर्माण संविदा के अनुसार, विक्रेता द्वारा संयंत्र एवं उपस्कर (पी.एवं.ई.) को मोबिलाईज करने में असमर्थ होने पर वेंडर को आर

आई एल द्वारा संयंत्र एवं उपकरण प्रदान करने के कारण कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी। फिर भी, वैंडर को ₹22.7 मिलियन की राशि क्रेन के लिए क्षतिपूर्ति प्रभार के रूप में दी गई जो कि संविदा को संशोधित करते हुए क्रेन को छोड़कर आर आई एल द्वारा किराये पर ली गई थी।

2.7.2.2 निःशुल्क निर्गम सामग्री पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹1110.90 मिलियन का भुगतान

आर आई एल द्वारा दिए गए ओ टी के निर्माण से संबंधित चार लागत प्लस ठेकों में वैंडरों को क्षतिपूर्ति का सामान्य भुगतान केवल उनके द्वारा खर्च किए गए लागत पर किया जाना था। तथापि, इस संविदा में भी आर आई एल द्वारा आपूर्ति किए गए कुछ श्रेणियाँ जैसे सीमेंट इस्पात आदि के मुक्त- निर्गम सामग्री के मूल्य के प्रतिशतता के रूप में भुगतान वृद्धि का प्रावधान था।

2.7.3 जोखिम सलाहकार सेवाओं पर खर्च के अनुचित आवंटन के परिणामस्वरूप अधिक लागत वसूली

के जी-डी डब्ल्यू एन -98/3 ब्लॉक में वर्ष 2008-09 में अन्य ब्लॉकों को खर्च आवंटन नहीं किए जाने के फलस्वरूप \$1.17 यू एस मिलियन (अमेरिकी डॉलर) की लागत वसूली अधिक दर्ज की गई।

2.7.4 स्टार्ट-अप तथा उत्पादन बोनस का वसूली योग्य लागत के भाग के रूप में वर्गीकरण :-

ब्लॉक से अर्जित किए गए राजस्व से कर्मचारियों को \$12.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टार्ट-अप और उत्पादन बोनस का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा की राय में, चूंकि स्टार्ट-अप और उत्पादन बोनस एक बार के लिए था तथा तदर्थ प्रकृति का था, इन बोनसों का भुगतान गैस की बिक्री से अर्जित राजस्व से नहीं किया जाना चाहिए।

2.7.5 ठेका प्रदान करना

2.7.5.1 मै. ट्रांस-ओशन से ड्रिलिंग रिग 'डीपवाटर फ्रंटीयर' की \$88.77 यू.एस. मिलियन में टुकड़ों-2 में किराये पर लेना ड्रिलिंग पहलू के पर्याप्त होने के बावजूद भी तथा वैंडर से प्राप्त खराब प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए डीप-वाटर ड्रिलिंग रिग्स की कमी को देखते हुए रिसाव-संकेतक का प्रावधान करना, ऑपरेटर ने ड्रिलिंग रिग्स को लंबे समय के लिए किराये पर लेने के विकल्प पर विचार करना बुद्धिमानी नहीं समझा तथा ऐसे लंबे समय किरायेदारी का फर्म दर लाभ उठाया।

2.7.5.2 ड्रिलिंग (वेधन) पर्यवेक्षक को काम पर रखना :-

ड्रिलिंग पहलू के पर्याप्त होने के बावजूद तथा वैंडरों से प्राप्त खराब प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए डीप-वाटर

ड्रिलिंग रिग्स की कमी को देखते हुए रिसाव-संकेतक का प्रावधान करना ऑपरेटर ने ड्रिलिंग रिग्स को लंबे समय के लिए किराये पर लेने के विचार पर विचार करना बुद्धिमानी नहीं समझा तथा ऐसे लंबे समय तक किरायेदारी का फर्म दर लाभ उठाया।

2.7.6 अनिवार्य संविदात्मक कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान

2.7.6.1 रिग संचालन के दौरान समय बचत के लिए बोनस भुगतान :-

हेंगिंग ब्लॉ आउट प्रिवेटर (बी.ओ.पी) के साथ कुओं के बीच रिग संचालन के दौरान समय बचत के लिए ऑपरेटर ने बोनस भुगतान किया।

2.7.6.2 एफ पी एस ओ को सुविधा देने के लिए अपटाईम बोनस का भुगतान :-

ऑपरेटर ने अपटाईम बोनस का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप वैंडर को अतिरिक्त लाभ हुआ, चूंकि सामान्यतया बोनस भुगतान अतिरिक्त भुगतान है जिसे कार्य को पहले पूरा करने के लिए या उत्पादन स्तर में वृद्धि के लिए इनाम पर प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, न कि अपनी संविदात्मक बाध्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए। इस मामले में, चाटर अवधि के दौरान ठेकेदार एफ पी एस ओ को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य था।

2.7.7 जुर्माना खण्ड का प्रवर्तन नहीं करना

| | | |
|---------|---|--|
| 2.7.7.1 | डीप वाटर ड्रिलिंग रिग डिस्कवर 534 मे इंजन की उपलब्धता :- | ऑपरेटर द्वारा संविदात्मक दण्ड बाध्यताओं के प्रवर्तन में असफल रहने के कारण \$57 यू एस मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त व्यय किया गया जिसकी परिणति वेंडर से गैर-वसूली के रूप में हुई तथा इसलिए, इसे लागत वसूली के हिस्से के रूप मे नहीं करना चाहिए। |
| 2.8 | राजस्व मुद्दे | |
| 2.8.3 | प्राकृतिक गैस की बिलिंग और लेखांकन | |
| 2.8.3.1 | उत्पादित गैस और बेची गई गैस पर विपणन मार्जिन :- | पी एन जी मं. ने अपने लेखापरीक्षा अपवाद मे ठेकेदार को आवश्यक समायोजन करने, दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने तथा परिणामस्वरूप पेट्रोलियम तथा भारत सरकार को रायल्टी मे ब्याज के साथ सौंपने का निर्देश दिया। |
| | ऑपरेटर ने गैस मूल्य को \$4.430 यू एस एम एम बी टी यू की दर से प्रभारित किया जिसमे अपने उपभोक्ताओं से \$ 0.135 यू.एस./एम.एम.बी.टी.यू. की मार्किंग मार्जिन शामिल थी। मार्किंग मार्जिन को पेट्रोलियम लागत, पेट्रोलियम लाभ तथा रॉयल्टी के उद्देश्य के लिए राजस्व के रूप मे नहीं माना गया, जबकि ठेकेदार ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए \$261.33 यू एस मिलियन की राशि संग्रहित की। | स्थिति यथावत है। वर्ष 2012-14 की अवधि के दौरान पड़े प्रभाव को प्रतिवेदन के अनु. 2.1.2 में दर्शाया गया है। |
| 2.9 | लेखांकन मुद्दे | |
| 2.9.2 | मूल कंपनी ओवरहेड्स :- | मंत्रालय ने अपने लेखापरीक्षा अपवाद मे ठेकेदार से स्पष्टीकरण तथा आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की थी। |
| | ऑपरेटर धारा 2.6.2 के अंतर्गत 2002-08 से मूल कंपनी ओवरहेड्स चार्ज कर रहा है। | ऑपरेटर ने अपने उत्तर मे (अप्रैल 2015) कहा कि सभी अपेक्षित विवरण |

| | | |
|-------|---|--|
| | | लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र के साथ/डी जी एच द्वारा ऐसे व्यय से संबंधित प्रतिवेदन भेज दिए गए हैं। मंत्रालय से निर्णय प्रतीक्षित है। |
| 2.9.3 | कार्यस्थल जीर्णोद्धार निधि का अनुरक्षण :- | <p>पी एस सी के प्रावधान के अनुसार ऑपरेटर को एस आर एफ बनाने की आवश्यकता है। क्रमशः डी 1-डी 3 तथा एम.ए. तेल क्षेत्र को 11 साल के जीवन अर्थात् 2020 तक की आशा की गई है। ठेकेदार ने डी 1-डी 3 तथा एम ए तेल क्षेत्र के लिए एस आर एफ लागत क्रमशः \$250 यू एस मिलियन तथा \$32 यू एस मिलियन का अनुमान लगाया है अभी भी परित्यक्त योजनास्थल के जीर्णोद्धार का वार्षिक डब्ल्यू पी एवं बी के साथ प्रस्ताव एस सी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ बिंदुओं पर जी.ओ.आई. को एस आर एफ के भार को बांटना था जो किसी न किसी तरह से पेट्रोलियम के लागत और लाभ को प्रभावित करता।</p> |
| 2.9.5 | लेखांकन नीति मे परिवर्तन -31 मार्च 2009- नं. 2 (डी) | ऑपरेटर द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। |

के लेखे मे समायोजित किया जाएगा जिससे तरीके मे परिवर्तन होगा।

| | | |
|-------|---|---|
| 2.9.6 | <p>कच्चे तेल और संधनन के अंतिम स्टॉक का उपचार जे.वी. के बुक मे कच्चे तेल और संधनन के अंतिम स्टॉक को लेखांकित नही किया था। फलस्वरूप, वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए अंतिम स्टॉक के मूल के प्रति \$12.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वसूली समायोजित की जानी थी। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए पेट्रोलियम लाभ के अंतिम स्टॉक की कम प्रेषण \$ 0.14 यू.एस. मिलियन थी।</p> | <p>अभी ऑपरेटर द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई है।</p> |
|-------|---|---|

अनुबंध - IV

(पैराग्राफ 14.2.1.2 में संदर्भित)

गैस की बिक्री पर उपभोक्ताओं को प्रभारित विपणन मार्जिन (पूर्ववर्ती प्रतिवेदन के आधार पर कार्य)

| माह | बेची गई मात्रा एम एम बी टी यू | मार्केटिंग मार्जिन की दर | मार्केटिंग मार्जिन की कुल राशि (यू.एस. मिलियन \$) | माह | बेची गई मात्रा एम एम बी टी यू | मार्केटिंग मार्जिन की दर | मार्केटिंग मार्जिन की कुल राशि (यू.एस. मिलियन \$) |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| अप्रैल-12 | 32762848.46 | 0.135 | 4.42 | अप्रैल-13 | 15442012.44 | 0.135 | 2.08 |
| मई -12 | 32699426.58 | 0.135 | 4.41 | मई -13 | 15390608.56 | 0.135 | 2.08 |
| जून -12 | 30545682.76 | 0.135 | 4.12 | जून - 13 | 14339692.91 | 0.135 | 1.94 |
| जुलाई-12 | 30159596.01 | 0.135 | 4.07 | जुलाई - 13 | 14276550.57 | 0.135 | 1.93 |
| अगस्त-12 | 28618232.24 | 0.135 | 3.86 | अगस्त -13 | 14076342.62 | 0.135 | 1.90 |
| सितंबर-12 | 26323550.70 | 0.135 | 3.55 | सितंबर -13 | 13199561.94 | 0.135 | 1.78 |
| अक्टूबर-12 | 26005359.45 | 0.135 | 3.51 | अक्टूबर -13 | 12981087.15 | 0.135 | 1.75 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| नवंबर-12 | 22618687.53 | 0.135 | 3.05 | नवंबर - 13 | 11898013.81 | 0.135 | 1.61 |
| दिसंबर-12 | 22798657.39 | 0.135 | 3.08 | दिसंबर -13 | 12073109.63 | 0.135 | 1.63 |
| जनवरी-13 | 21549085.20 | 0.135 | 2.91 | जनवरी -14 | 13953617.71 | 0.135 | 1.88 |
| फरवरी-13 | 17325700.90 | 0.135 | 2.34 | फरवरी -14 | 12702605.51 | 0.135 | 1.71 |
| मार्च-13 | 17138197.97 | 0.135 | 2.31 | मार्च - 14 | 13569598.54 | 0.135 | 1.83 |
| | 308545025.19 | 0.135 | 41.65 | | 163902801.39 | 0.135 | 22.13 |

अनुबंध - V

(पैराग्राफ 14.4.1.2)

डी एस टी प्रभारों का कु.आँ.-वार/क्षेत्र-वार विवरण तथा के जी डी 6 ब्लॉक के लिए लागत वसूली के लिए विचार किए गए ब्यौरे

| क्षेत्र | कुआँ | दर्ज किए गए खर्च (यू.एस \$ में) | वसूली योग्य लागत में विचारणीय खर्च (यू.एस \$ में) |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| खोज * | एम जे -1 | 1619221.68 | शून्य* |
| खोज * | एम जे 1 ड्रिलिंग तैयारी | 104419.89 | शून्य* |
| एम ए | एम ए-8 | 2029159.46 | 2029159.46 |
| एम ए | ड्रिलिंग तैयारी | 34791.55 | 34791.55 |
| कार्य समाप्त | ए 2ए | 916471.40 | 916471.40 |
| कार्य समाप्त | एम ए-6एच | 809573.03 | 809573.03 |
| कार्य समाप्त | ड्रिलिंग तैयारी | 174002.99 | 174002.99 |
| ओ एफ डी पी | ड्रिलिंग तैयारी | 34791.55 | 34791.55 |
| कुल लागत | | 5,722,431.55 | 3,998,789.98 |

*एम जे की लागत वसूली हकदारी भारत सरकार के ज्ञापन सं. ओ.-19025/10/2005- ओ एन जी- डी वी दिनांक 1 फरवरी 2013 के अनुसार होगी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.3 में संदर्भित)

निकायों की सूची जिन्होंने तीन महीनों से अधिक विलंब के पश्चात लेखा प्रस्तुत किया

| क्र. स. | स्वायत्त निकायों का नाम | लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की तिथि | विलंब महीनों में |
|---------|---|--------------------------------|------------------|
| 1. | भारतीय संग्रहालय, कोलकाता | 30.10.2014 | 3 |
| 2. | उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद | 8.10.2014 | 3 |
| 3. | केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश | 07.10.2014 | 3 |
| 4. | भारतीय हज समिति, मुम्बई | 23.12.2014 | 5 |
| 5. | नालंदा विश्वविद्यालय | 20.10.2014 | 3 |
| 6. | जे.आई.पी.एम.इ.आर., पुदुचेरी | 21.10.2014 | 3 |
| 7. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल | 16.12.2014 | 5 |
| 8. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर | 10.12.2014 | 5 |
| 9. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना | 25.12.2014 | 5 |
| 10. | ए.बी. वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर | 10.12.2014 | 5 |
| 11. | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर | 23.12.2014 | 5 |
| 12. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 8.12.2014 | 5 |
| 13. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली | 27.10.2014 | 3 |
| 14. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुचेरी, करईकाल | 7.10.2014 | 3 |
| 15. | राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली | 28.10.14 | 3 |
| 16. | प्रसार भारती, नई दिल्ली | 10.10.2014 | 3 |
| 17. | केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर | 10.11.2014 | 4 |
| 18. | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ | 24.11.2014 | 4 |
| 19. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली | 10.10.2014 | 3 |

| क्र. सं. | स्वायत्त निकायों का नाम | लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की तिथि | विलंब महीनों में |
|----------|---|--------------------------------|------------------|
| 20. | दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर | 19.12.2014 | 5 |
| 21. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोड्डीकोड (कालीकट) | 13.1.2015 | 6 |
| 22. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम | 16.1.2015 | 6 |
| 23. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड | 16.2.2015 | 7 |
| 24. | दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर | 20.5.2015 | 10 |

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनका वर्ष 2013-14 के लिए लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2015 तक संसद के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए थे

| क्र. सं. | स्वायत्त निकाय का नाम (मंत्रालय वार) |
|----------|--|
| | रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
| 1. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर |
| 2. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली |
| | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय |
| 3. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई |
| 4. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन |
| 5. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली |
| 6. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता |
| 7. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई |
| 8. | निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली |
| | विदेश मंत्रालय |
| 9. | नालंदा विश्वविद्यालय |
| | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| 10. | उत्तर पूर्वी पारम्परिक औषधि संस्थान, पासीघाट |
| | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| 11. | केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई |
| 12. | गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम |
| 13. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, धनबाद |
| 14. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, रँची |
| 15. | राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद |
| 16. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय |
| 17. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |

| क्र. सं. | स्वायत्त निकाय का नाम (मंत्रालय वार) |
|----------|---|
| 18. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड |
| 19. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिविकम |
| | विधि एवं न्याय मंत्रालय |
| 20. | राष्ट्रीय विधिक अकादमी, भोपाल |
| | युवा मामले एवं खेल मंत्रालय |
| 21. | नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली |

परिशिष्ट -III

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद को प्रस्तुति में विलंब

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय वार) | मंत्रालय/विभाग | विलंब महीनों में |
|---------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहली | रसायन एवं उर्वरक | 4 |
| 2. | इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद | संस्कृति | 2 |
| 3. | राष्ट्रीय बाध संरक्षण प्राधिकरण | | 4 |
| 4. | भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चैन्ने | पर्यावरण एवं वन | 4 |
| 5. | केन्द्रीय जू प्राधिकरण, नई दिल्ली | | 2 |
| 6. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर | | 7 |
| 7. | चित्तरंजन राष्ट्रीय केंसर संस्थान, कोलकाता | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2 |
| 8. | भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली | | 4 |
| 9. | सभ्यता अध्ययन केन्द्र | | 7 |
| 10. | तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय | | 3 |
| 11. | भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | | 7 |
| 12. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर | | 4 |
| 13. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर | | 4 |
| 14. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली | | 7 |
| 15. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर | एच.आर.डी./उच्चतर शिक्षा | 4 |
| 16. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहली | | 3 |
| 17. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर | | 4 |
| 18. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर | | 3 |
| 19. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी | | 3 |
| 20. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद | | 2 |

| क्र.सं. | स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय वर) | मंत्रालय/विभाग | विलंब महीनों में |
|---------|--|---|---------------------|
| 21. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर | | 2 |
| 22. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान | | 2 |
| 23. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल | | 2 |
| 24. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, दिल्ली | | 4 |
| 25. | राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नयन परिषद, दिल्ली | | 4 |
| 26. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | | 3 |
| 27. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल | | 3 |
| 28. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश | | 3 |
| 29. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला | | 3 |
| 30. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश | | 3 |
| 31. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर | | 4 |
| 32. | राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग | | 7 |
| 33. | सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरत | | 2 |
| 34. | राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान, नोएडा | एच.आर.डी./विट्यालय शिक्षा एवं साक्षरता | 4 |
| 35. | भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड | लेखा/आर्थिक मामले | 7 |
| 36. | राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, हैदराबाद | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 3 |
| 37. | भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 3 |
| 38. | स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 3 |

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.5 में संदर्भित)

बकाया उपयोग प्रमाणपत्रे

(₹ लाख में)

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक) | मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे | |
|---|---|--|-------------------|
| | | संख्या | राशि |
| कृषि एवं कृषक कल्याण (कृषि एवं सहकारिता तथा पशुपालन, दुर्गंध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग) | 1992-08 | 76 | 1343.00 |
| | 2008-13 | 2374 | 942338.00 |
| | 2013-14 | 1782 | 964927.00 |
| | कुल | 4232 | 1908608.00 |
| कार्मिक, लोक शिकायत एवं पैशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) | 2006-08 | 1 | 0.05 |
| | 2008-13 | 22 | 49.47 |
| | 2013-14 | 12 | 116.91 |
| | कुल | 35 | 166.43 |
| पैशन एवं पैशनभोगी कल्याण | 2013-14 | 2 | 1.50 |
| | कुल | 2 | 1.50 |
| महिला एवं बाल विकास | 1986-08 | 4131 | 23619.13 |
| | 2008-13 | 420 | 6862.16 |
| | 2013-14 | 121 | 3194.85 |
| | कुल | 4672 | 33676.14 |
| अन्पसंख्यक मामले | 2007-08 | 9 | 41.38 |
| | 2008-13 | 58 | 5782.85 |
| | 2013-14 | 287 | 2420.69 |
| | कुल | 354 | 8244.92 |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 1987-08 | 8529 | 46441.90 |
| | 2008-13 | 1028 | 13519.56 |
| | 2013-14 | 870 | 8160.49 |
| | कुल | 10427 | 68121.95 |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक) | मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे | |
|------------------------------|---|--|--------------------|
| | | संख्या | राशि |
| लोक उद्यम | 2012-13 | 9 | 36.07 |
| | 2013-14 | 21 | 245.93 |
| | कुल | 30 | 282.00 |
| भारी उद्योग | 2003-08 | 2 | 8020.00 |
| | 2008-13 | 12 | 80275.00 |
| | कुल | 14 | 88295.00 |
| रसायन एवं पेट्रोरसायन | 2009-13 | 11 | 47.22 |
| | 2013-14 | 10 | 1856.03 |
| | कुल | 21 | 1903.25 |
| भेषज | 2008-13 | 13 | 3864.70 |
| | 2013-14 | 20 | 616.66 |
| | कुल | 33 | 4481.36 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 1991-08 | 905 | 11634.32 |
| | 2008-13 | 903 | 19023.60 |
| | 2013-14 | 203 | 13856.20 |
| | कुल | 2011 | 44514.12 |
| एच.आर.डी. (उच्चतर शिक्षा) | 1977-08 | 1740 | 21591.08 |
| | 2008-13 | 490 | 11208.63 |
| | 2013-14 | 335 | 57521.16 |
| | कुल | 2565 | 90320.87 |
| विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता | 1982-08 | 1158 | 42717.47 |
| | 2008-13 | 420 | 903151.90 |
| | 2013-14 | 379 | 1238728.40 |
| | कुल | 1957 | 2184597.77 |
| श्रम एवं रोजगार | 1979-08 | 301 | 1332.27 |
| | 2008-13 | 222 | 5061.74 |
| | 2013-14 | सूचना प्राप्त नहीं | सूचना प्राप्त नहीं |
| | कुल | 523 | 6394.01 |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक) | मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे | |
|-----------------------------|---|--|------------------|
| | | संख्या | राशि |
| शहरी विकास | 1985-08 | 31 | 1406.35 |
| | 2008-13 | 73 | 14567.97 |
| | 2013-14 | 62 | 14652.25 |
| | कुल | 166 | 30626.57 |
| आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन | 1995-08 | 31 | 3784.41 |
| | 2008-13 | 257 | 42932.74 |
| | 2013-14 | 201 | 65286.41 |
| | कुल | 489 | 112003.56 |
| खान | 2013-14 | 2 | 9.15 |
| | कुल | 2 | 9.15 |
| कपड़ा मंत्रालय | 1978-08 | 810 | 3663.71 |
| | 2008-13 | 3084 | 149176.36 |
| | 2013-14 | 90 | 22376.08 |
| | कुल | 3984 | 175216.15 |
| वाणिज्य | 2002-08 | 29 | 1236.34 |
| | 2008-13 | 48 | 11017.67 |
| | 2013-14 | 8 | 1018.90 |
| | कुल | 85 | 13272.91 |
| प्रवासी भारतीय मामले | 2011-13 | 3 | 209.77 |
| | 2013-14 | 3 | 96.88 |
| | कुल | 6 | 306.65 |
| | | | |
| उर्वरक | 2012-13 | 1 | 27.96 |
| | 2013-14 | 1 | 11.94 |
| | कुल | 2 | 39.90 |
| | | | |
| पेयजल एवं स्वच्छता | 2005-08 | 1 | 45.88 |
| | 2008-13 | 18 | 17021.73 |
| | 2013-14 | 6 | 9562.41 |
| | कुल | 25 | 26630.02 |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक) | मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे | |
|-------------------------------------|---|--|------------------|
| | | संख्या | राशि |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास | 2002-08 | 478 | 157790.24 |
| | 2008-13 | 384 | 189552.75 |
| | 2013-14 | 67 | 36749.01 |
| | कुल | 929 | 384092.00 |
| पर्यावरण एवं वन | 1981-08 | 5495 | 24288.69 |
| | 2008-13 | 655 | 21861.94 |
| | 2013-14 | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं |
| | कुल | 6150 | 46150.63 |
| इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 2002-08 | 36 | 3564.55 |
| | 2008-13 | 71 | 17635.81 |
| | 2013-14 | 63 | 12749.29 |
| | कुल | 170 | 33949.65 |
| खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | 2009-13 | 12 | 1818.36 |
| | 2013-14 | 2 | 255.00 |
| | कुल | 14 | 2073.36 |
| | | | |
| सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | 2006-08 | 2 | 2.20 |
| | 2008-13 | 150 | 1601.78 |
| | 2013-14 | 147 | 6630.05 |
| | कुल | 299 | 8234.03 |
| कार्पोरेट मामले | 2007-08 | 2 | 0.60 |
| | 2008-11 | 8 | 1.88 |
| | 2011-14 | -- | -- |
| | कुल | 10 | 2.48 |
| पोत-परिवहन | 2008-13 | 5 | 165.25 |
| | 2013-14 | 1 | 12.07 |
| | कुल | 6 | 177.32 |
| | | | |

| मंत्रालय/विभाग | अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक) | मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|
| | | संख्या | राशि |
| औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन | 2012-13 | 3 | 10588.00 |
| | 2013-14 | 21 | 41918.00 |
| | कुल | 24 | 52506.00 |
| | कुल योग | 39237 | 5324897.70 |

परीशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.6 में संदर्भित)

संबंधित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां

1. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.एन.आई.टी.), जयपुर

i. स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची 4) ₹ 29823.19 लाख

इसमें 2014-15 में खरीदे गए ई.एम.सी तथा वी.एम वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर क्लाउड सोल्युशन उपकरणों, जिनके लिए योजनागत अनुदान से ₹ 269.75 लाख का 100 प्रतिशत अग्रिम दिया गया था, की लागत शामिल नहीं थी। ये उपकरण दिनांक 1.10.2014 में संस्थापित करके चालू किए गए थे लेकिन संस्थान ने उनको स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया था। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 256.26 लाख की सीमा तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया, ₹ 13.49 लाख तक घाटे (ह्लास) को कम बताया गया तथा ₹ 269.75 लाख तक कर्ज, अग्रिम एवं जमा को अधिक बताया गया था।

2. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, आरेखण एवं विनिर्माण संस्थान, चेन्नई

i. मूर्त परिसम्पत्तियां – ₹ 32.55 करोड़

प्रगति में पूँजीगत निर्माण कार्य – ₹ 197.59 करोड़

2. प्रशासन खण्ड का उसके पूर्ण होने के पश्चात् भी पूँजीकरण न करने तथा दिनांक 09.12.2013 को उसका उपयोग किए जाने के परिणाम स्वरूप ₹ 14.89 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया तथा प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य को अधिक बताया गया था। परिणामतः ₹ 0.37 करोड़ तक मूल्यहास कम बताया गया है।

3. दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर

i. स्थायी परिसम्पत्तियां – ₹ 2.83 करोड़

मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र में उपलब्ध ₹ 2.99 करोड़ राशि की 949 पैटिंगों के मूल्य को वार्षिक लेखाओं में लेखाबद्ध नहीं किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को उक्त सीमा तक कम बताया गया था। इसके अतिरिक्त लेखाओं में शून्य मूल्य वाली 242 पैटिंगों तथा मूर्तिकला एवं मृणमूर्ति कलाकृतियों का मूल्य को शामिल न किए जाने के संबंध में विशिष्ट प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, थिरुवनंतपुरम

i. मूर्त परिसम्पत्तियां - ₹ 106.20 करोड़

वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला उपकरण – ₹ 85.50 करोड़

इसमें विदेशी वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला उपकरण, जिन्हें मार्च 2015 से पूर्व खरीदा गया था लेकिन मार्च 2015 के पश्चात प्रतिष्ठापित किया गया था, के मूल्य के रूप में ₹ 29.61 करोड़ शामिल थे। इसके परिणाम स्वरूप मूर्त परिसम्पत्तियों को ₹ 29.61 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा इतनी ही राशि के प्रगति पर पूँजीगत कार्य को कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप इन परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यहास का प्रावधान होने के कारण व्यय को भी ₹ 2.37 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा मूर्त परिसंपत्तियों तथा व्यय से आय के आधिक्य को भी ₹ 2.37 करोड़ तक कम बताया गया है।

4. असम विश्वविद्यालय, सिल्चर

i. कर्ज, अग्रिम एवं जमा: ₹ 32.60 करोड़

उपर्युक्त शीर्ष के.लो.नि.वि. को डिफू कैम्पस के चार सिविल निर्माणकार्यों के लिए अग्रिम रूप में दिए गए ₹ 3.10 करोड़ तथा प्रिन्ट जर्नलों की सदस्यता हेतु अग्रिम रूप में दिए ₹ 0.65 करोड़ सहित ₹ 3.75 करोड़ तक अधिक बताया गया था जिसको के लो.नि.वि. द्वारा नवंबर 2008 तथा अक्टूबर 2009 के बीच निर्माण कार्यों को पूर्ण करने तथा प्रिन्ट जर्नलों की मार्च 2015 तक प्राप्ति होने के बावजूद पूँजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप इसके समान राशि तक स्थायी परिसम्पत्तियों को भी कम बताया गया था।

आगे, इसके परिणाम स्वरूप ₹ 0.44 करोड़ के मूल्यहास का कम प्रावधान हुआ क्योंकि उपर्युक्त राशियों को पूँजीकृत नहीं किया गया था तथा इसका आगे यह परिणाम हुआ कि वर्ष 2014-15 में इतनी ही राशि तक व्यय से आय का आधिक्य अधिक बताया गया था।

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

i. शैक्षिक खर्च: ₹ 47.28 करोड़

उपर्युक्त राशि को ₹ 2.53 करोड़ तक अधिक बताया गया है क्योंकि अनुसंधान जर्नल की खरीद पर किए गए पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना गया था। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में स्थायी परिसंपत्तियों को ₹ 2.53 करोड़ तक परिणामी कम बताने सहित घटे को अधिक बताया गया था।

6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

i. स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹ 1567.10 करोड़

परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व की प्राप्ति न होने के बावजूद प्रायोजित परियोजनाओं- एस आर आई सी में से सृजित परिसम्पत्तियों (₹ 361.80 करोड़) में ₹ 2.51 करोड़ मूल्य के भूमि और भवन शामिल नहीं थे तथा चिन्हित निधि की स्थायी परिसम्पत्तियों को संस्थान की परिसम्पत्तियों में मिला दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों, रिजर्व तथा अधिशेष को ₹ 383.00 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

ii. मूल्यहास: ₹ 35.43 करोड़

उपर्युक्त राशि निम्नलिखित कारणों से ₹ 48.07 करोड़ तक कम बताई गई थी।

a) संस्थान ने मूल्यहास की नई दरें अपनायी थी तथा पूरे वर्ष के लिए परिसम्पत्तियों की वृद्धि पर मूल्यहास देने की नीति लेखाओं के नए फार्मेट में एम.एच.आर.डी. द्वारा निर्धारित की गई था लेकिन सितंबर 2014 के बाद पूँजीकृत विभिन्न परिसम्पत्तियों पर ₹ 9.18 करोड़ राशि का मूल्यहास नहीं दिया गया था।

b) कम्प्यूटरों तथा बाह्य उपकरणों तथा ई-जर्नलों में वृद्धि (सितंबर 2014 से पूर्व) तथा 20% तथा 40% की बजाय क्रमशः 2% तथा 4% की मूल्यहास दर को अपनाने के कारण अवशेषों के मूल्य पर ₹ 38.89 करोड़ तक मूल्यहास कम दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष की आय से व्यय के आधिक्य को भी ₹ 48.07 करोड़ तक कम बताया गया था।

7. विश्व भारती, शान्तिनिकेतन

i. ऋण, अग्रिम तथा जमा: ₹ 224.62 करोड़

पूर्ण किए गए निर्माणकार्यों के प्रति सी.पी.डब्ल्यू.डी. से उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति तथा ₹ 112.47 करोड़ राशि लेने तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से ₹ 25.95 करोड़ राशि के अग्रिम के उपयोग के प्रति प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बावजूद ₹ 138.42 करोड़ तक उपर्युक्त राशि अधिक बतायी जा रही थी तथा अग्रिमों की राशि को समायोजित तथा पूँजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परीसम्पत्तियों के मूल्य को भी ₹ 138.42 करोड़ (मूर्तपरिसम्पत्तियां ₹ 112.47 करोड़ तथा प्रगति पर निर्माणकार्य ₹ 25.95 करोड़) तक कम बताया गया था।

iii. पूर्व-कालिक आय: ₹ 9.36 लाख

विश्व भारती ने पूर्व वर्षों में अपने कर्मचारियों की देय निवल वेतन के प्रति ₹ 14.91 करोड़ की देयता सृजित की। उक्त राशि में से ₹ 10.55 करोड़ को पहले ही 2013-14 में वेतन वर्तमान देयताओं में डेबिट करने की बजाय राजस्व व्यय लेखे में वेतन शीर्ष में डेबिट करके निकाल लिए थे। ₹ 10.55 करोड़ के प्रावधान की अभी कोई आवश्यकता नहीं थ लेकिन उसको लेखे में वापस नहीं लिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की आय को कम बताया गया था तथा वर्तमान देयताओं को ₹ 10.55 करोड़ तक अधिक बताया गया परिणामतः व्यय से आय के आधिक्य को भी ₹ 10.55 करोड़ तक कम बताया गया था।

8. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

i. चिन्हित/दान निधि

रोगी अनुदान: ₹ 34.99 करोड़

i. उपर्युक्त में पैकेज प्रभारों के लिए प्राप्त ₹ 1.75 करोड़ की राशि शामिल है जो संस्थान की आय के रूप में समझी जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चिन्हित निधि (रोगी अनुदान) को ₹ 1.75 करोड़ तक अधिक तथा उतनी ही राशि की आय तथा और कॉरपस/पूँजीगत निधियों को कम बताया गया है।

9. भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली

i. चालू देयताएँ तथा प्रावधान

उपदान हेतु प्रावधान: ₹ शून्य

संस्थान ने, भारतीय जी.बी.नि. के माध्यम से कराए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ₹ 1.91 करोड़ राशि के उपदान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ तक चालू देयताओं एवं प्रावधान को कम घाटा तथा कॉरपस निधि को अधिक बताया गया।

10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल

i. स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹ 22.37 करोड़

इसमें प्रगति पर पूँजीगत निर्माणकार्य, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया है, की लागत के ₹ 408.09 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप प्रगति पर पूँजीगत निर्माणकार्यों तथा उतनी सीमा तक पूँजीगत निधि को कम बताया गया है।

11 कांडला पत्तन न्यास

i. प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य – ₹ 420.49 करोड़

प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य में पूर्ण किए गए तथा 31 मार्च 2015 से पूर्व उपयोग में लाए गए लेकिन स्थायी परिसम्पत्ति के रूप में पूँजीकृत न किये गये 32 निर्माणकार्यों की लागत की ₹ 43.15 करोड़ की राशि शामिल है। इसके परिणामस्वरूप प्रगति पर पूँजीगत निर्माणकार्य को अधिक तथा ₹ 43.15 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया। सफल जीवन तथा प्रभारित की जाने वाली मूल्यहास दरों के अभाव में लाभप्रदता के प्रभाव पर टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती।

12 मारमुगाँव पत्तन न्यास

i. चालू देयताएं – ₹ 322.84 करोड़

(i) चालू देयताओं में निम्न शामिल नहीं होता:

- (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा मार्च 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए सी.आई.एस.एफ. की तैनाती की लागत पर विलम्बित भुगतान पर ब्याज के प्रति ₹ 4.90 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए गए थे; तथा
(ख) दक्षिणी पश्चिम रेलवे द्वारा फरवरी और मार्च 2015 के माह के लिए इंजिन किराया प्रभारों के संबंध में ₹ 54.67 लाख के बिल प्रस्तुत किए गए थे।

इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं तथा हानियों के ₹ 5.45 करोड़ तक कम बताया गया था।

ii. वित्त एवं विविध खर्चे

लेखाविधि मानक 15 - (कर्मचारी हित) के अनुसार जहाँ सेवानिवृत्ति लाभों की देयता एक न्यास का सृजन करके निधिबद्ध होती है, वर्ष के लिए वहन की लागत बीमांकिक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। मारमुगाव पत्तन न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंशन निधि, समूह उपदान निधि तथा छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए देयताएं प्रदान नहीं की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,047.78 करोड़ तक देयताएँ तथा हानियां कम बताई गई हैं।

13. मुम्बई पत्तन न्यास

i. चालू परिसम्पत्तियां, क्रृषि, एवं अग्रिम

हस्तगत रोकड़ शेष – ₹ 2.27 करोड़

लेखाओं में विभिन्न अग्रदाय खातेदार के द्वारा भेजे गए व्यौरों के अनुसार अग्रदाय रोकड़ ₹ 2.27 करोड़ के प्रति ₹ 0.58 करोड़ दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ तक हस्तगत रोकड़ अधिक बताया गया और हानि कम बताई गई थी।

ii. वित्त एवं विविध आय

चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज – ₹ 196.77 करोड़

चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज में, चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹ 196.77 करोड़ शामिल हैं। प्रमुख पत्तनों की वित्तीय सूचना के लिए सामान्य रूपरेखा के अनुसार निवेशों से उद्भूत होने वाली आय, जो विशिष्ट निधियों के प्रति चिन्हित की गई है, को संबंधित निधि लेखे में क्रेडिट किया जाना चाहिए तथा संबंधित निधि से संबंधित व्यय को संबंधित निधि लेखे में डेबिट किया जाना चाहिए। चूंकि मुम्बई पत्तन न्यास ने चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज को लाभ तथा हानि लेखे में क्रेडिट किया, इसलिए वर्ष की चिन्हित निधियों तथा घाटे को ₹ 196.77 करोड़ तक कम बताया गया था।

14. खादी और ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)

i. दान निधि – ₹ 185.70 करोड़

दान निधि शेषों में, आयोग द्वारा कई वर्षों से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य निदेशको, संस्थाओं तथा नोडल बैंकों को दिए गए अग्रदाय अग्रिम के ₹ 70.19 करोड़ शामिल थे जो प्रतिपूर्ति वातचरों की प्रतीक्षा में समायोजन हेतु लम्बित थे। लेखापरीक्षा ‘दान निधि’ शेषों में ₹ 70.19 करोड़ के इन अग्रदाय अग्रिमों की विशुद्धता तथा वसूलनीयता को प्रमाणित करने में असमर्थ है।

जैसा कि पैराग्राफ 5.1 की अनुसूची 18 (ख) में दर्शाया गया है कि खा.ग्रा.उ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के पास अव्ययित शेष के रूप में पड़े ₹ 435.18 करोड़ की दान निधि तथा रोकड़ तथा बैंक शेष कम बताए गए थे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को भेजे गए योजना वार उपयोग प्रमाणपत्रों में खा.ग्रा.उ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय के पास उपलब्ध इन अव्ययित शेषों को खा.ग्रा.उ.आ के पास पड़े अव्ययित शेष के अंश के रूप में नहीं दर्शाया गया था।

अव्ययित शेषों की अनुसूची (पैराग्राफ 5.1 की अनुसूची 18 - ख), में खा.ग्रा.उ.आ. के 6 आंचलिक कार्यालयों, 17 प्रशिक्षण केन्द्रों, 2 मंडलीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय के 10 निदेशालयों के पास पड़े ₹ 4.31 करोड़ के अव्ययित शेष शामिल नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.31 करोड़ तक दान निधि तथा रोकड़ तथा बैंक शेष और कम बताए गए थे।

15. विज़ाग पत्तन न्यास (वि.प.न्या), विशाखापत्तनम

i. कम्पनी/पत्तनों/न्यासों को अग्रिम तथा ऋण : ₹ 13.40 करोड़

वि.प.न्या. ने मैसर्स राइट्स को आन्ध्र प्रदेश में हुग्गाराजा पत्तनम में नए प्रमुख पत्तन के विकास हेतु तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी हेतु ₹ 5.56 करोड़ दिए तथा उसको राजस्व व्यय के प्रभारित किया गया था। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार उपर्युक्त व्यय बनायी जाने वाली संयुक्त जोखिम कम्पनी में वि.प.न्या.की ईक्विटी का भाग बन जाएगा। इस प्रकार व्यय को राजस्व व्यय की बजाय अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.56 करोड़ तक प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन खर्चों को अधिक तथा कंपनियों/पत्तनों/न्यासों को चालू परिसम्पत्तियों तथा कर पूर्व लाभ के अंतर्गत 'अग्रिमों' तथा कर्जों को कम बताया गया था।

16. रबड़ बोर्ड, कोट्टायम

i. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम: ₹ 75.75 करोड़

चार कम्पनियाँ, जिनका निवल मूल्य पूर्णतः अपरादित कर दिया गया है, को दिए गए कार्यशील पूँजीगत ग्रहण तथा उस पर ब्याज का प्रावधान न होने के कारण ₹ 18.29 करोड़ तक अधिक बताया गया है। चूंकि कम्पनियों की उनके निवल मूल्य से अधिक संचित हानियां हैं, इसलिए ऋण तथा ब्याज की वसूलनीयता संदेहास्पद है। इसके परिणामस्वरूप इतनी ही राशि तक आय से व्यय का आधिक्य कम बताया गया है।

17. मसाला बोर्ड, कोचि

i. घाटा कॉरपस/ पूँजीगत निधि में ले जाना: ₹ 20.98 करोड़

घाटा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन तथा उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता का कम प्रावधान करने के कारण ₹ 100.20 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया जिसके परिणामस्वरूप देयताओं को कम बताया गया था।

18. दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.)

i. आकस्मिकता आरक्षित निधि : ₹ 904.09 करोड़

चूंकि दि.वि.प्रा. ने ₹ 21.17 करोड़ की वास्तविक प्रोद्धूत आय की बजाय ₹ 1.43 करोड़ की प्रोदभूत आय को माना था इसलिए आकस्मिकता आरक्षित निधि से अर्जित ब्याज आय को ₹ 19.74 करोड़ तक कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.74 करोड़ की सीमा तक आरक्षित निधि निवेश पर अर्जित ब्याज तथा आकस्मिकता आरक्षित निधि के अंत शेष को कम बताया गया है।

ii. चालू देयताएं एवं प्रावधान: ₹ 1734.51 करोड़

इसमें 212 ई.डब्लू.एस. एवं 348 श्रेणी - II आवास योजना के संबंध में किए गए कार्य के लिए खर्चों के प्रति देयता के ₹ 16.20 करोड़ शामिल थे। तथापि ठेकेदार द्वारा 31 मार्च 2015 तक कोई कार्य नहीं किया गया था। अतः 31 मार्च 2015 को किसी देयता का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.20 करोड़ तक खर्चों को अधिक बताया गया है तथा चालू वर्ष के लिए इतनी ही राशि के अधिशेष को कम बताया गया है।

iii. इसमें नरेला में 13094 एल आई जी एवं 2579 ई.डब्लू.एस. आवास (समूह- II) योजना के संबंध में किए गए कार्य के लिए खर्चों के प्रति ₹ 43.83 करोड़ की देयता शामिल है। यह देयता 21वें आर.ए. बिल, जिसको बकाया अग्रिम, अग्रिम पर ब्याज, सांविधिक देयताओं आदि के प्रति ₹ 19.82 करोड़ की राशि का समायोजन करने के बाद ₹ 24.01 करोड़ के निवल भुगतान हेतु 31 मार्च 2015 को पारित किया गया था, के प्रति सृजित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार के प्रति ₹ 19.82 करोड़ तथा ₹ 13.90 करोड़ तक अग्रिमों को अधिक देयता तथा ₹ 2.79 करोड़ तक सांविधिक देयताओं, ₹ 2.19 करोड़ तक देय प्रतिभूति जमा तथा ₹ 0.94 करोड़ तक ब्याज से आय कम बताई गई थी।

IV. इसमें नरेला तथा रोहिणी समूह- I योजना के अंतर्गत 11566 एल आई जी एवं 2276 ई.डब्लू.एस. के आवासों के निर्माण के संबंध में किए गए निर्माणकार्य के खर्चों की देयता के प्रति ₹ 54.98 करोड़ (22वें आर ए बिल के ₹ 17.13 करोड़ + 23वें आर ए बिल) ₹ 37.85 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी लेकिन 31 मार्च 2015 तक इसका भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.98 करोड़ तक खर्चों, ठेकेदार के प्रति ₹ 35.55 करोड़ तक की देयता, ₹ 4.24 करोड़ तक उपाय कर; श्रम उपकर, वैट के प्रति सांविधिक देयता, ₹ 3.25 करोड़ तक देय प्रतिभूति जमा, ₹ 2.53 करोड़ तक ब्याज से प्राप्त आय को कम बताया गया तथा ₹ 9.40 करोड़ की सीमा तक ठेकेदार के अग्रिमों को अधिक बताया गया।

V. सामान्य निवेश से आय: ₹443.04 करोड़

सामान्य निवेश से प्राप्त आय में 2014-2015 के दौरान किए गए ₹1345 करोड़ के सा.ज.जो 2015-16 में परिपक्व होने थे, के संबंध में प्रोद्भूत ब्याज के प्रति ₹66.69 करोड़ शामिल नहीं थे। इन सा.ज. में से ₹77.45 करोड़ के वास्तविक प्रोद्भूत ब्याज के प्रति केवल ₹10.76 करोड़ का ब्याज ही दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹66.69 करोड़ की राशि की आय को कम बताया गया तथा चालू वर्ष के लिए इतनी ही राशि के अधिशेष को कम बताया गया।

VI. स्थापना और प्रशासन व्यय : ₹268.26 करोड़

स्थापना और प्रशासन व्यय में शिक्षा शुल्क (₹1.05 करोड़), बिजली खर्च (₹3.06 करोड़), न्यू.पे.यो. में अंशदान (₹0.53 करोड़) तथा पश्च सेवानिवृति चिकित्सा योजना में अंशदान (₹30.00 करोड़) के प्रति ₹41.20 करोड़ के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप खर्चों तथा चालू देयताओं को ₹41.20 करोड़ तक कम बताया गया तथा इतनी ही राशि तक अधिशेष को अधिक बताया गया।

19. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

i) सामान्य

यद्यपि विश्वविद्यालय को कई वर्षों से विश्वविद्यालय परिसर से बाहर ₹35.06 करोड़ राशि के भूमि तथा भवन उपहारस्वरूप मिले थे, तथापि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची 23) के पैरा 3.2 का उल्लंघन करते हुए इन भूमि तथा भवनों के मूल्य को तुलन-पत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था।

20. हैदराबाद विश्वविद्यालय

i) स्थाई परिसम्पत्तियाँ: ₹337.7 करोड़

वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतिम मूल्य पर दिए जाने वाले ₹4.75 करोड़ के कुल मूल्यहास के प्रति गलत मूल्यहास दरों के अपनाने के कारण ₹3.65 करोड़ की रशि दी गई थी। मूल्यहास के कम प्रावधान के प्रति ₹1.11 करोड़ के अंतर के परिणामस्वरूप ₹1.11 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिक तथा व्यय को कम बताया गया था। घाटा भी ₹1.11 करोड़ तक कम बताया गया था।

21. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

i. व्यय: ₹111.20 करोड़

इसमें वर्ष के दौरान अठारह (18) पूर्ण किए गए तथा नवीकरण/निर्माण कार्यों के प्रति किया गया ₹3,58,35,177/- का व्यय शामिल है जिसे मरम्मत एवं अनुरक्षण के अंतर्गत राजस्व के रूप में गलत माना गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹3.58 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम और व्यय को अधिक बताया गया था। ₹3.58 करोड़ तक घटा भी अधिक बताया गया था।

22. ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट

i स्थायी परिसम्पत्तियाँ: ₹ 10.84 करोड़

यद्यपि वर्ष 2014-15 से मूल्यहास की विधि में नीचे लिखित मूल्य से सीधी पंक्ति में लिखने का परिवर्तन आया था, तथापि: जैसा कि लेखाविधि मानक-6 के पैरा सं. 15 में अनिवार्य था, जिस तिथि से परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाया गया (पूर्वव्यापी प्रभाव से) उससे नई विधि के अनुसार मूल्यहास की पुनर्गणना नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान मूल्यहास विधि में परिवर्तन के कारण ₹ 2.08 करोड़ के मूल्यहास का अधिक प्रावधान हुआ।

23 भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर

i. तुलनपत्र-स्थायी परिसम्पत्तियाँ

पुस्तकालय (पुस्तकों तथा पत्रिका) में, अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 की अवधि से संबंधित ₹ 11.06 करोड़ मूल्य के ई-जर्नल शामिल हैं जिन्हें अभी तक 31-03-2015 को परिसम्पत्ति के रूप में प्रोद्भूत नहीं किया गया है। परिणामतः ₹11.06 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियाँ अधिक तथा चालू परिसम्पत्तियाँ कम बताई गई थीं। परिणामस्वरूप ₹4.42 करोड़ तक मूल्यहास का प्रावधान अधिक तथा व्यय से आय का आधिक्य कम बताया गया था।

24 कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली

i. चालू देयताएँ तथा प्रावधान - ₹1807.69 करोड़

उपर्युक्त में ई.एस.आई.सी. मुख्यालयों के संबंध में ₹38.43 करोड़ राशि के ठेकेदारों के लम्बित बिलों के प्रति देयताएं शामिल नहीं की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹38.43 करोड़ तक चालू देयताओं तथा प्रावधान को कम तथा ₹45.56 लाख तक रिजर्व तथा

अधिशेष को अधिक प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य को ₹37.97 करोड़ तक कम बताया गया है।

25. भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

i. चालू देयताएं एवं प्रावधान - ₹1.21 करोड़

उपर्युक्त में देय खर्चों की देयताएं शामिल नहीं हैं लेकिन ₹101.25 लाख राशि (चिन्तन अतिथिगृह को अनुरक्षण भुगतान ₹51.40 लाख, मुख्यालय के परामर्शदाता। ठेके के स्टाफ का वेतन-₹11.26 लाख, मार्च 2015 के लिए देय पैशन-₹31.14लाख); गृह व्यवस्था/सुरक्षा/बागवानी स्टाफ के वेतन-₹7.45 लाख) का भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं एवं प्रावधानों को कम बताया गया तथा इतनी ही राशि की पूँजीगत निधि को अधिक बताया गया।

26. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

i. चालू देयताएं एवं प्रावधान- ₹847.83 करोड़

उपर्युक्त में देय खर्चों के लिए देयताएं शामिल नहीं की गई हैं लेकिन ₹118.39 लाख राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹118.39 लाख तक चालू देयताओं को कम तथा पूँजीगत निधि को अधिक बताया गया है।

II. स्थायी परिसम्पत्तियाँ - ₹505.22 करोड़

₹235.48 लाख मूल्य (योजना के अंतर्गत) के 'दन्तचिकित्सा उपकरणों' के कुल अधिप्रापण में से लेखाओं में केवल ₹99.78 लाख के लाख के उपकरण ही पूँजीकृत किए गए थे। ₹135.70 लाख मूल्य के शेष उपकरणों को स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि शेष राशि का भुगतान अभी किया जाना था, उसकी देयता को सृजित किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों, चालू देयताओं और प्रावधान को ₹135.70 तक कम बताया गया था।

27. प्रसार भारती, नई दिल्ली

i. चालू परिसम्पत्तियाँ: ₹1899.26 करोड़

चालू परिसम्पत्तियों में एफ.डी.आर. के रूप में ₹594.61 करोड़ की राशि शामिल है। तथापि, प्रसार भारती के प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में एफ.डी.आर. का अंत शेष ₹563.52 करोड़ दर्शाया गया था। अंतर का समाधान नहीं किया गया है।

28. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

i. चालू परिसम्पत्तियाँ, क्रृष्ण तथा अग्रिम ₹933.34 लाख

इसमें वर्ष के अंत मे स्टोर में पड़ी ₹95.07 लाख राशि के उपयोज्य स्टोर मदों को शामिल नहीं किया गया है। संस्थान ने भण्डार मदों को व्यय के रूप में दर्ज किया तथा चालू वर्ष में प्रयुक्त रूप में दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹95.07 लाख की सीमा तक चालू परिसम्पत्तियों, क्रृष्ण एवं अग्रिमों तथा अधिशेष को कम बताया गया था।

29. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)

i. मूल्यहास तथा परिशोधन: ₹29.51 करोड़

उपर्युक्त में, ₹7.77 करोड़ की सीमा तक विकसित तथा मई 2011 से उपयोग हो रही प्रलेखन प्रबन्धन प्रणाली (प्र.प्र.प्र.) परियोजना पर प्रभार्य मूल्यहास के प्रति ₹7.38 करोड़ शामिल नहीं है। परियोजना के अधिक विकास का कार्य, ओ.ई.एम. तथा विकसित प्र.प्र.प्र., जिसका अभी तक उपयोग किया जा रहा है, द्वारा किसी अन्य विक्रेता के माध्यम से कराना विचाराधीन है। अतः लागत को पूँजीकृत किया जाना चाहिए तथा मूल्यहास मई 2011 के बाद से प्रभारित किया जाना चाहिए। मूल्यहास प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप ₹7,38,38,792 (7,77,25,044 की कुल परिसम्पत्तियों की लागत को 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य रखते हुए तक व्यय कम बताया गया तथा परिणामतः व्यय से आय के आधिक्य के कारण शेष को अधिक बताया गया।

30. चाय बोर्ड, कोलकाता

i. स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची 8): ₹2.33 करोड़

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि लघु उत्पादकों का समस्त व्यय अनुसंधान एवं विकास योजना में प्रभारित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान चाय बोर्ड ने लघु उत्पादकों के लिए एक पृथक लेखा जो लघु उत्पादक विकास योजना के रूप में जाना गया, खोला है। यह भी पाया गया था कि 31-03-2014 तक अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत लघु उत्पादक विकास के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद के प्रति ₹227.90 लाख की कुल राशि खर्च की गई थी। उपर्युक्त खरीद को या तो अनुसंधान एवं विकास योजना या लघु उत्पादक विकास योजना के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, चाय बोर्ड ने ₹227.90 लाख की खरीद को दोनों लेखाओं में दर्ज कर दिया था। उपरोक्त के परिणामस्वरूप ₹227.90 लाख तक स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिक तथा देयताओं (चिन्हित/दान निधि आर्थिक सहायता योजना) को अधिक बताया गया है।

31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र

i. पूंजीगत निधि -मुख्य लेखा (अनुसूची 4): ₹123.16 करोड़

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) ने, वित्त मंत्रालय की सहमति से केन्द्रीय सहायता की पद्धति का अनुसरण करते हुए व्यय में केन्द्रीय सरकार के हिस्से का निर्धारण किया तथा तदनुसार संस्थान को ₹24.00 करोड़ का आवर्ती अनुदान तथा ₹3.52 करोड़ का अनावर्ती अनुदान जारी किया जिसका संस्थान द्वारा राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था। तथापि, संस्थान ने, ₹65.69 करोड़ के सहायता अनुदान (अनुसूची 12) से आय तदनुरूप ₹65.69 करोड़ (अनुसूची 15 से 21) के व्यय की राशि दर्शायी है। इस प्रकार, संस्थान ने, मा.सं.वि.मं. से कोई संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹27.52 करोड़ (₹24.00 करोड़ जमा ₹3.52 करोड़) के वास्तविक अनुदान की बजाय ₹65.69 करोड़ की अनुदान आय को दर्ज किया।

इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि को कम तथा सामान्य निधि को ₹38.17 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अधिशेष, समान राशि तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणी के कारण वर्ष के अधिशेष को घाटे में परिवर्तित कर दिया गया है। परिणामतः एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र के लेखाओं पर प्रतिकूल राय जारी की गई थी।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (क) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2014-15 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गयी थी

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली |
| 2. | भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली |
| 3. | भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली |
| 4. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली |
| 5. | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 6. | केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली |
| 7. | केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 8. | केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद, नई दिल्ली |
| 9. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 10. | मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली |
| 11. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली |
| 12. | भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली |
| 13. | भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.), नई दिल्ली |
| 14. | प्रसार भारती, नई दिल्ली |
| 15. | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 16. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली |
| 17. | राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली |
| 18. | नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली |
| 19. | राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग, नई दिल्ली |
| 20. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली |
| 21. | राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली |
| 22. | नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली |
| 23. | भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 24. | भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 25. | तिब्बत हाऊस, नई दिल्ली |
| 26. | अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन, नई दिल्ली |
| 27. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 28. | भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 29. | राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली |

| | |
|-----|---|
| 30. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली |
| 31. | राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली |
| 32. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली |
| 33. | राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, दिल्ली |
| 34. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 35. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली |
| 36. | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 37. | भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली |
| 38. | केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली |
| 39. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर |
| 40. | केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय, गांधीनगर |
| 41. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर |
| 42. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर |
| 43. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 44. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 45. | दरगाह खवाजा साहब, अजमेर |
| 46. | ऑरोविले फाउंडेशन, पुदुचेरी |
| 47. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्पुदुर |
| 48. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 49. | केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, तमில்நாடு |
| 50. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई |
| 51. | तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई |
| 52. | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई |
| 53. | केन्द्रीय शास्त्रीय तमில संस्थान, चेन्नई |
| 54. | लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती |
| 55. | नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची |
| 56. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराङ्गार |
| 57. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 58. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर |
| 59. | राष्ट्रीय होम्योपौथी संस्थान, कोलकाता |
| 60. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 61. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 62. | पूर्वीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता |

| | |
|-----|--|
| 63. | चित्तरंजन राष्ट्रीय केंसर संस्थान, कोलकाता |
| 64. | पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा |
| 65. | उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला |
| 66. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 67. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ |
| 68. | राष्ट्रीय तेलबीज एवं खाद्य तेल विकास बोर्ड, गुडगांव |
| 69. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 70. | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू |
| 71. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह |
| 72. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 73. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 74. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 75. | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 76. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 77. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक |
| 78. | डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर |
| 79. | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर |
| 80. | कलकत्ता पत्तन श्रमिक बोर्ड, कोलकाता |
| 81. | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली |
| 82. | ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली |
| 83. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 84. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी |
| 85. | कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद |
| 86. | मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई |
| 87. | कांडला पत्तन न्यास |
| 88. | वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वी.ओ.सी.पी.टी.) |
| 89. | भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद |
| 90. | डॉ.एम.आई.सी. परियोजना क्रियान्वयन न्यास निधि, नई दिल्ली |
| 91. | महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा |
| 92. | हज समिति, मुम्बई |
| 93. | केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर |
| 94. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| 95. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |

| | |
|------|---|
| 96. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी |
| 97. | रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 98. | नालंदा विश्वविद्यालय |
| 99. | दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना |
| 100. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 101. | भारतीय खान विद्यालय, धनबाद |
| 102. | प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 103. | मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर |
| 104. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर |
| 105. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 106. | हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 107. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 108. | अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 109. | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद |
| 110. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 111. | राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलोर |
| 112. | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान, बैंगलोर |
| 113. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक |
| 114. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 115. | उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर |
| 116. | नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी |
| 117. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रावंगला |
| 118. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आर.आई.एस.टी.), निर्जुली |
| 119. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यूपिया |
| 120. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख |
| 121. | केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (सी.आई.एच.सी.एस.), दाहुंग |
| 122. | उत्तर पूर्वी पारंपरिक औषधि संस्थान (एन.ई.आई.एफ.एम.), पासीघाट |
| 123. | उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलौंग |
| 124. | उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलौंग |
| 125. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय |
| 126. | मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम |
| 127. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (ख) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2014-15 के दौरान नहीं किया गया था

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 1. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली |
| 2. | केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 3. | केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 4. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 5. | प्रसार भारती, नई दिल्ली |
| 6. | भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली |
| 7. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली |
| 8. | संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली |
| 9. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली |
| 10. | ललित कला अकादमी, नई दिल्ली |
| 11. | दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी, नई दिल्ली |
| 12. | गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली |
| 13. | साहित्य अकादमी, नई दिल्ली |
| 14. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली |
| 15. | नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली |
| 16. | भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली |
| 17. | तिब्बत हाऊस, नई दिल्ली |
| 18. | अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, नई दिल्ली |
| 19. | राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग, नई दिल्ली |

| | |
|-----|---|
| 20. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 21. | भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 22. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 23. | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली |
| 24. | राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली |
| 25. | राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 26. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 27. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली |
| 28. | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली |
| 29. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली |
| 30. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली |
| 31. | लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली |
| 32. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर |
| 33. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर |
| 34. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 35. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 36. | केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ |
| 37. | तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तிருவरூபம் |
| 38. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 39. | दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर |
| 40. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्पुदुर |
| 41. | ऑरोविले फाउंडेशन, पुदुचेरी |
| 42. | राष्ट्रीय बहु विकलांग वयस्कित सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई |
| 43. | लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती |
| 44. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम् |

| | |
|-----|--|
| 45. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोइंग्कोड़ |
| 46. | असम विश्वविद्यालय, सिलचर |
| 47. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 48. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 49. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 50. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर |
| 51. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गपुर |
| 52. | विश्व भारती, शांतिनकेतन, कोलकाता |
| 53. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 54. | चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता |
| 55. | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता |
| 56. | राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान, कोलकाता |
| 57. | पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा |
| 58. | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 59. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली |
| 60. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ |
| 61. | संत लोंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल |
| 62. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |
| 63. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 64. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ |
| 65. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 66. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह |
| 67. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 68. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 69. | त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा |

| | |
|-----|--|
| 70. | अटल बिहारी वाजपेयी आई.आई.टी.एम., ग्रालियर |
| 71. | पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा आई.आई.आई.टी.डी.एम., जबलपुर |
| 72. | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर |
| 73. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर |
| 74. | परादीप पत्तन न्यास |
| 75. | कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता |
| 76. | राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (भुवनेश्वर, जोधपुर, कन्नुर, नई दिल्ली तथा श्रीनगर केन्द्र) |
| 77. | कपड़ा समिति, मुम्बई |
| 78. | चाय बोर्ड, कोलकाता |
| 79. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 80. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी |
| 81. | मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई |
| 82. | नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई |
| 83. | भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई.), मुम्बई |
| 84. | खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुम्बई |
| 85. | प्रशुल्क सलाहकार समिति, मुम्बई |
| 86. | नवीन मंगलौर पत्तन न्यास, कर्नाटक |
| 87. | भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद |
| 88. | रबर बोर्ड, कोट्टयम |
| 89. | मसाला बोर्ड, कोच्ची |
| 90. | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची |
| 91. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड |
| 92. | महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा |
| 93. | हज समिति, मुम्बई |
| 94. | केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर |

| | |
|------|---|
| 95. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई |
| 96. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| 97. | बनारस हिंदु विश्वविद्यालय, बनारस |
| 98. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बी.एच.यू.), वाराणसी |
| 99. | रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 100. | उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पाटियाला |
| 101. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 102. | राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया राँची |
| 103. | मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर |
| 104. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर |
| 105. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 106. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 107. | हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 108. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दु विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 109. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 110. | अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 111. | राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिंकंदराबाद |
| 112. | सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद |
| 113. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 114. | उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर |
| 115. | नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी |
| 116. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रावंगल |
| 117. | सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम |
| 118. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आर.आई.एस.टी.), निर्जुली |
| 119. | उत्तर पूर्वी पारंपरिक औषधि संस्थान (एन.ई.आई.एफ.एम.), पासीघाट |

| | |
|------|--|
| 120. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), टोईमुख |
| 121. | उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलोंग |
| 122. | उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलोंग |
| 123. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय |
| 124. | मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम |
| 125. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (ग) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ वर्ष 2014-15 के दौरान वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 2. | केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 3. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 4. | प्रसार भारती, नई दिल्ली |
| 5. | भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली |
| 6. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली |
| 7. | संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली |
| 8. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली |
| 9. | गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली |
| 10. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली |
| 11. | राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली |
| 12. | नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली |
| 13. | तिब्बत हाऊस, नई दिल्ली |
| 14. | अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन, नई दिल्ली |
| 15. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 16. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 17. | राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 18. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 19. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली |
| 20. | राष्ट्रीय पिछळा वर्ग आयोग, नई दिल्ली |
| 21. | लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद, नई दिल्ली |

| | |
|-----|---|
| 22. | केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान, किशनगढ़ |
| 23. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर |
| 24. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 25. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |
| 26. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर |
| 27. | दरगाह खवाजा साहब, अजमेर |
| 28. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 29. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्पुटुर |
| 30. | राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई |
| 31. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुअंनतपुरम |
| 32. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 33. | विश्व भारती, शांतिनिकेतन |
| 34. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर |
| 35. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 36. | राजा राममोहन रॉय लाईब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता |
| 37. | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता |
| 38. | पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा |
| 39. | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 40. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली |
| 41. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ |
| 42. | संत लोंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल |
| 43. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |
| 44. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 45. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ |
| 46. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 47. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह |
| 48. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 49. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |

| | |
|-----|--|
| 50. | त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा |
| 51. | अटल बिहारी वाजपेयी आई.आई.टी.एम., ग्वालियर |
| 52. | पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा आई.आई.आई.टी.डी.एम., जबलपुर |
| 53. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर |
| 54. | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर |
| 55. | कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता |
| 56. | कपड़ा समिति, मुम्बई |
| 57. | मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई |
| 58. | भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई.), मुम्बई |
| 59. | खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुम्बई |
| 60. | प्रश्नल्क सलाहकार समिति, मुम्बई |
| 61. | भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद |
| 62. | चैन्ने पत्तन न्यास, चैन्नई |
| 63. | मसाला बोर्ड, कोच्ची |
| 64. | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची |
| 65. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई |
| 66. | महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा |
| 67. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ |
| 68. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| 69. | बनारस हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| 70. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी |
| 71. | रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 72. | उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, इलाहाबाद |
| 73. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 74. | राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, राँची |
| 75. | मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर |
| 76. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |

| | |
|-----|---|
| 77. | हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 78. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दु विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 79. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 80. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 81. | अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
| 82. | राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकंदराबाद |
| 83. | सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद |
| 84. | उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर |
| 85. | नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी |
| 86. | एन.आई.टी., रावंगल |
| 87. | सिक्किम विश्वविद्यालय |
| 88. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आर.आई.एस.टी.), निर्जुली |
| 89. | उत्तर पूर्वी पारंपरिक औषधि संस्थान (एन.ई.आई.एफ.एम.), पासीघाट |
| 90. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख |
| 91. | उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलोंग |
| 92. | उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलोंग |
| 93. | मिजोरम विश्वविद्यालय (एम.जेड.यू.), |
| 94. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), मिजोरम |

परिशिष्ट - IX
(पैराग्राफ 1.6(घ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जो वास्तविक/नकद आधार पर अनुदान के लिए जिम्मेदार हैं

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली |
| 2. | गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली |
| 3. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 4. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई |
| 5. | लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती |
| 6. | केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़ |
| 7. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 8. | पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा |
| 9. | उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पाटियाला |
| 10. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव |
| 11. | राष्ट्रीय तेलबीज एवं खाद्य तेल विकास बोर्ड, गुडगांव |
| 12. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह |
| 13. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 14. | लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर |
| 15. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक |
| 16. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल |
| 17. | ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली |
| 18. | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली |
| 19. | चाय बोर्ड, कोलकाता |
| 20. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 21. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी |
| 22. | कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद |
| 23. | बृहत्त पत्तनों हेतु प्रशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई |

| | |
|-----|--|
| 24. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| 25. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 26. | वी.वी. गिरी प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा |
| 27. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी |
| 28. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की |
| 29. | उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, इलाहाबाद |
| 30. | खुदा बछश ओरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना |
| 31. | भारतीय खान विद्यालय, धनबाद |
| 32. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 33. | राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, राँची |
| 34. | सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद |
| 35. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा |
| 36. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर |
| 37. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर |
| 38. | उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैंड |
| 39. | उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलोंग |
| 40. | राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग |
| 41. | मिजोरम विश्वविद्यालय, ऐजोल, मिजोरम |
| 42. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |

परिशिष्ट – X

(पैराग्राफ 1.6(ङ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्यूटी तथा अन्य सेवानिवृति लाभों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 1. | भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली |
| 2. | केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 3. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली |
| 4. | भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण (एफ.एस.ए.आई.), नई दिल्ली |
| 5. | ललित कला अकादमी, नई दिल्ली |
| 6. | संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली |
| 7. | नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली |
| 8. | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली |
| 9. | सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली |
| 10. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली |
| 11. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 12. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 13. | भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 14. | केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली |
| 15. | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली |
| 16. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली |
| 17. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली |
| 18. | भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली |
| 19. | लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली |
| 20. | भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली |
| 21. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर |

| | |
|-----|---|
| 22. | ऑरोविले फाउंडेशन, पुदुचेरी |
| 23. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 24. | तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई |
| 25. | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई |
| 26. | दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर |
| 27. | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर |
| 28. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान कांचीपुरम |
| 29. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची |
| 30. | तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तंजावुर |
| 31. | प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई |
| 32. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई |
| 33. | राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई |
| 34. | केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 35. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची |
| 36. | लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड |
| 37. | नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची |
| 38. | केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड |
| 39. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट |
| 40. | असम विश्वविद्यालय, सिलचर |
| 41. | केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार |
| 42. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 43. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर |
| 44. | विश्व भारती, शांतिनिकेतन |
| 45. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 46. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 47. | तेजपुर विश्वविद्यालय, असम |
| 48. | राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता |
| 49. | राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता |

| | |
|-----|--|
| 50. | पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता |
| 51. | चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता |
| 52. | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता |
| 53. | पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा |
| 54. | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 55. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली |
| 56. | संत लोंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल |
| 57. | उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पाटियाला |
| 58. | भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला |
| 59. | हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला |
| 60. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |
| 61. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 62. | हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ |
| 63. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र |
| 64. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव |
| 65. | राष्ट्रीय तेलबीज एवं खाद्य तेल विकास बोर्ड, गुडगांव |
| 66. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 67. | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू |
| 68. | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह |
| 69. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 70. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 71. | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ |
| 72. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक |
| 73. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 74. | त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा |
| 75. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल |
| 76. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल |
| 77. | लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर |

| | |
|------|--|
| 78. | राष्ट्रीय विधिक अकादमी, भोपाल |
| 79. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर |
| 80. | एम.एस.आर.वी.वी.पी., उज्जैन |
| 81. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल |
| 82. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक |
| 83. | डॉ. हरिसंह गौर विश्वविद्यालय, सागर |
| 84. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर |
| 85. | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर |
| 86. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल |
| 87. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल |
| 88. | कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता |
| 89. | कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, कोलकाता |
| 90. | केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलोर |
| 91. | कॉफी बोर्ड, बैंगलोर |
| 92. | विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम |
| 93. | कपड़ा समिति, मुम्बई |
| 94. | राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान |
| 95. | चाय बोर्ड (पेंशन भाग) |
| 96. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता |
| 97. | राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी |
| 98. | कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद |
| 99. | नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई |
| 100. | खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुम्बई |
| 101. | चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई |
| 102. | कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन |
| 103. | वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वी.ओ.सी.पी.टी.) |
| 104. | रबर बोर्ड, कोट्टयम |
| 105. | मसाला बोर्ड, कोच्ची |

| | |
|------|---|
| 106. | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची |
| 107. | कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) |
| 108. | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे |
| 109. | राष्ट्रीय औद्योगिक अभियंत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई |
| 110. | अली यावर जंग राष्ट्रीय बघिर संस्थान, मुम्बई |
| 111. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा |
| 112. | महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा |
| 113. | राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे |
| 114. | प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई |
| 115. | केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर |
| 116. | भारतीय हज समिति (बीमांकिक मूल्यांकन केवल ग्रेच्यूटी के संबंध में जबकि अवकाश के नकदीकरण की गणना नकद आधार पर की गयी है) |
| 117. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ |
| 118. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| 119. | इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद |
| 120. | बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| 121. | नवोदय विद्यालय संगठन, नोएडा |
| 122. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी |
| 123. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की |
| 124. | रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर |
| 125. | उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, इलाहाबाद |
| 126. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कृष्णकेश |
| 127. | खुदा बख्श ओरियांटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना |
| 128. | राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद |
| 129. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |
| 130. | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति |
| 131. | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद |
| 132. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |

| | |
|------|--|
| 133. | योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाडा |
| 134. | सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद |
| 135. | राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रबंधन संस्थान (एम.ए.एन.ए.जी.ई.), हैदराबाद |
| 136. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर |
| 137. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला |
| 138. | उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैंड |
| 139. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रावंगल |
| 140. | सिक्किम विश्वविद्यालय |
| 141. | उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आर.आई.एस.टी.), निझुली |
| 142. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), यूपिया |
| 143. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख |
| 144. | केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (सी.आई.एच.सी.एस.), दाहुंग |
| 145. | उत्तर पूर्वी पारंपरिक औषधि संस्थान (एन.ई.आई.एफ.एम.), पासीघाट |

परिशिष्ट - XI
(पैराग्राफ 1.6(च) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्यहास उपलब्ध नहीं कराया था

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|--|
| 1. | साहित्य अकादमी, नई दिल्ली |
| 2. | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली |
| 3. | भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली |
| 4. | विश्व भारती, शांतिनिकेतन |
| 5. | चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता |
| 6. | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 7. | संत लोंगोवाल अभियन्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल |
| 8. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ |
| 9. | इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद |
| 10. | भारतीय खान विद्यालय, धनबाद |
| 11. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 12. | राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, राँची |
| 13. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल |

परिशिष्ट - XII

(पैराग्राफ 1.6 (छ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखों को संशोधित किया

| क्र.सं. | स्वायत्त निकाय का नाम |
|---------|---|
| 1. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास |
| 2. | तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई |
| 3. | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी |
| 4. | तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर |
| 5. | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई |
| 6. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम |
| 7. | पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी |
| 8. | राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई |
| 9. | प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई |
| 10. | केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई |
| 11. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची |
| 12. | राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशिक्तकरण संस्थान, चेन्नई |
| 13. | लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर |
| 14. | कॉफी बोर्ड, सामान्य निधि, बैंगलोर |
| 15. | कॉफी बोर्ड, पूल निधि, बैंगलोर |
| 16. | विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम |
| 17. | रबर बोर्ड, कोड्यम |
| 18. | भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद |
| 19. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, रॉची |
| 20. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
| 21. | स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एस.वी.एन.आई.आर.टी.ए.आर.), ओलटपुर, कटक |

| | |
|-----|---|
| 22. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.), भुवनेश्वर |
| 23. | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर |
| 24. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर |
| 25. | राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलोर |
| 26. | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान, बैंगलोर |
| 27. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक |
| 28. | कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा |
| 29. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रवांगल |
| 30. | सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम |
| 31. | राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख |
| 32. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय |
| 33. | उत्तर पूर्व इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान |

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ सं. 23.1 में संदर्भित)

दिसम्बर 2015 को समाप्त वर्ष मार्च 2014 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतिक्षित कार्रवाई
टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त वर्ष मार्च के लिए प्रतिवेदन | कुल देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
|---------|---|---|------------|-------------------------|--------------|
| 1. | कृषि | 2013 | 1 | 1 | - |
| 2. | नागरिक उड़डयन | 2009 | 1 | 1 | - |
| | | 2012 | 1 | - | 1 |
| 3. | रसायन एवं खाद | 2013 | 2 | 2 | - |
| | | 2015 | 1 | - | 1 |
| 4. | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण | 2014 | 4 | 4 | - |
| 5. | वाणिज्य एवं उद्योग (वाणिज्य विभाग) | 2014 | 1 | 1 | - |
| 6. | वाणिज्य एवं उद्योग (भारतीय निर्यात निरीक्षण विभाग) | 2014 | 1 | 1 | - |
| 7. | वाणिज्य एवं उद्योग (भारतीय चाय बोर्ड विभाग) | 2014 | 1 | - | 1 |
| 8. | संस्कृति | 2011 | 1 | - | 1 |
| | | 2012 | 2 | - | 2 |
| | | 2013 | 4 | 1 | 3 |
| | | 2014 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | योजना आयोग/नीति आयोग | 2013 | 2 | - | 2 |
| 10. | विदेश | 2011 | 1 | - | 1 |
| | | 2012 | 2 | - | 2 |
| | | 2013 | 4 | - | 4 |
| | | 2014 | 3 | 2 | 1 |
| 11. | वित्त | 2014 | 1 | - | 1 |
| 12. | वित्त कौशल विकास एवं उद्यम | 2015 | 1 | 1 | - |
| 13. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2008 | 1 | - | 1 |
| | | 2009 | 1 | - | 1 |
| | | 2010 | 1 | - | 1 |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त वर्ष मार्च के लिए प्रतिवेदन | कुल देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
|---------|-----------------------|---|------------|-------------------------|--------------|
| | | 2011 | 2 | - | 2 |
| | | 2012 | 2 | - | 2 |
| | | 2013 | 3 | - | 3 |
| | | 2014 | 6 | 5 | 1 |
| 14. | गृह | 2014 | 4 | - | 4 |
| 15. | गृह (संघ क्षेत्र) | 2012 | 1 | - | 1 |
| 16. | मानव संसाधन विकास | 2004 | 1 | - | 1 |
| | | 2006 | 1 | - | 1 |
| | | 2007 | 1 | - | 1 |
| | | 2008 | 1 | 1 | - |
| | | 2010 | 1 | 1 | - |
| | | 2011 | 1 | - | 1 |
| | | 2012 | 4 | - | 4 |
| | | 2013 | 6 | 2 | 4 |
| | | 2014 | 6 | 6 | - |
| 17. | सूचना एवं प्रसारण | 2013 | 1 | - | 1 |
| | | 2014 | 1 | 1 | - |

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | समाप्त वर्ष मार्च के लिए प्रतिवेदन | कुल देय | बिल्कुल प्राप्त नहीं | पत्राचाराधीन |
|---------|------------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------|
| 18. | श्रम एवं रोजगार | 2013 | 1 | - | 1 |
| | | 2014 | 1 | 1 | - |
| 19. | विधि एवं न्याय | 2003 | 1 | - | 1 |
| 20. | खान | 2012 | 1 | - | 1 |
| 21. | अल्पसंख्यक मामले | 2014 | 1 | 1 | - |
| 22. | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस | 2014 | 1 | - | 1 |
| | | 2015 | 1 | 1 | - |
| 23. | ग्रामीण विकास | 2010 | 1 | - | 1 |
| | | 2012 | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | 1 | 1 | - |
| 24. | पोत परिवहन | 2013 | 2 | - | 2 |
| | | 2014 | 1 | 1 | - |
| 25. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 1996 | 1 | - | 1 |
| | | 2003 | 1 | - | 1 |
| | | 2006 | 1 | - | 1 |
| 26. | सांखियकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन | 2014 | 2 | 2 | - |
| 27. | कपड़ा | 2009 | 1 | - | 1 |
| 28. | जनजातीय मामले | 2006 | 1 | 1 | - |
| | | 2014 | 1 | 1 | - |
| 29. | पर्यटन | 2014 | 1 | - | 1 |
| 30. | महिला एवं बाल विकास | 2011 | 1 | - | 1 |
| | | 2012 | 1 | - | 1 |
| 31. | युवा मामले एवं खेल | 2010 | 1 | - | 1 |
| | | 2011 | 1 | 1 | - |
| | | 2012 | 1 | - | 1 |
| | | 2013 | 1 | 1 | - |
| | | 2014 | 2 | 2 | - |
| | | कुल | 111 | 44 | 67 |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in